
राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

(एनआईसीडीसी लि.)

(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316



वित्तीय वर्ष 2022-23

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.एफ.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है		निगम	
2	संगठन की स्थापना का वर्ष		2008	
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है		और आंतरिक व ो.पी.आई.आई.ठ	
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सामान्य वितीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी	वित्तीय वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा
9	2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित	2019-20	15.12.2021	12.02.2021
	दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	2020-21 2021-22	23.03.2022	25.03.2022
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		15.03.2023	23.12.2022
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लाग् नहीं		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

- **Rule 236** (3) In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.
- Rule 236 (4) Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government
- Rule 237 Time Schedule for submission of annual accounts. The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-
 - (I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June
 - (ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October
 - (iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December
- Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified,

quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238

(2) In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238


(3) Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in -aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238

(4) In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

15^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट तथा

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23)



राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

(एनआईसीडीसी लि.)

(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी का परिचय	1-3
2.	अध्यक्ष का संदेश	4-6
3.	कॉरपोरेट सूचना	7
4.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	8-19
5.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट	20-62
6.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए एकल वितीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	63-64
	•	
7.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए एकल वितीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	65-80
8.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण	81-106
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए समेकित वितीय	
9.	विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	107-108
10.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय	109-119
10.	विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	107 117
11.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए समेकित वितीय	120-152
	विवरण	

कंपनी का परिचय

विनिर्माण में तेजी लाने और व्यवस्थित एवं नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने संबंधित राज्य सरकार के साथ साझेदारी में परिवहन कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के आधार पर औद्योगिक गलियारों को विकसित करने की रणनीति अपनाई है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के गठन की अवधारणा को 2007 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड - एनआईसीडीसी (जिसे पूर्व मे दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड-डीएमआईसीडीसी के नाम से जाना जाता था) को डीएमआईसी परियोजना के लिए परियोजना विकास एजेंसी के रूप में जनवरी, 2008 में निगमित किया गया था।

एनआईसीडीसी एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है जो नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों के विकास के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करती है। एनआईसीडीआईटी, डाउनस्ट्रीम शहर स्तर एसपीवी और परियोजना स्तर एसपीवी के लिए एनआईसीडीसी नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करती है।

एनआईसीडीसी के वर्तमान इक्विटी शेयरधारकों में भारत सरकार (49%) हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा किया जाता है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) (26%) और आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) (19.9%), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) (4.1%) और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (1.0%) जैसे वितीय संस्थान शामिल है।

कंपनी की संस्थानिक और वित्तीय संरचना

भारत सरकार ने 2011 में डीएमआईसी परियोजना के लिए संस्थागत और वितीय संरचना को 17,500 करोड़ रुपये (7 नोड्स में से प्रत्येक के लिए 2,500 करोड़ रुपये के औसत पर, अधिकतम 3,000 करोड़ रुपये तक) की बजटीय सहायता के साथ मंजूरी दी थी, जिसे डीएमआईसी परियोजना के चरण -1 में औद्योगिक शहरों के विकास के लिए पांच साल की अविध में प्रदान किया जाना था। डीएमआईसी के तहत परियोजना विकास करने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष प्रदान किया गया है।

1

इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना सिहत विभिन्न अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (पीआईटीएफ) के मैंडेंट का विस्तार किया और दिसंबर, 2016 में इसका नाम बदलकर नेशनल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) कर दिया था।

18,500 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ-साथ 1584 करोड़ रूपए का अतिरिक्त कॉर्पस (एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 84 करोड़ रूपए सिहत) स्वीकृत किया गया जिससे सभी अन्य गलियारा परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास और क्रियान्वयन संबंधी कार्य करने हेतु कुल कार्पस 20,084 करोड़ रूपए हो गया।

भारत सरकार से बजटीय सहायता एनआईसीडीआईटी को मिलती है और एनआईसीडीआईटी बदले में औद्योगिक शहरों/नोड/परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल विशेष प्रयोजन कंपनियों (एसपीवी) को इक्विटी और/या ऋण का मिश्रण प्रदान करती है। एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना एसपीवी में निवेश सीधे इक्विटी या ऋण के रूप में किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार परियोजना में अपने इक्विटी योगदान के रूप में भूमि हस्तांतिरत करती है।

भारत सरकार विभिन्न औद्योगिक गिलयारा परियोजनाओं को विकासित कर रही है और एनआईसीडीसी को ग्यारह (11) औद्योगिक गिलयारों के संबंध में परियोजना विकास गितिविधियों को पूरा करने का दायित्व सौपा गया है, जिसमें 2024-25 तक 04 चरणों में विकसित किए जाने वाले 32 नोड्स/ परियोजनाएं शामिल हैं।

औद्योगिक गिलयारा कार्यक्रम का उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमता को साकार करने और सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान को बढ़ाने के प्रयासों में सहायता करना है। पहुंच में आसानी के साथ सक्षम, औद्योगिक गिलयारों की कल्पना इन ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों में 'सर्वश्रेष्ठ इन-क्लास' अवसंरचना के साथ वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य मांग से पूर्व गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना और विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए तत्काल आवंटन के लिए विकसित भूखंड तैयार रखना है।

औद्योगिक गलियारा नोड्स को टिकाऊ, स्मार्ट और लचीले विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत, ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट

सिटी/नोड्स को टिकाऊ अवसंरचना के साथ विकसित किया जाता है और प्लॉट स्तर पर प्लग एंड प्ले बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकारों को इन औद्योगिक नोड्स के विकास के लिए पानी/बिजली के निश्चित आवंटन और साइट कनेक्टिविटी के साथ सिन्निहित भूखंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

ग्रेटर नोएडा (७४७ एकड़), उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडिस्ट्रियल टाउनिशिप (आईआईटीजीएन); मध्य प्रदेश में उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी (१,१०० एकड़) में इंटीग्रेटेड इंडिस्ट्रियल टाउनिशिप (आईआईटीवीयूएल); शेंद्रा बिडिकिन इंडिस्ट्रियल क्षेत्र (ऑरिक) (१८.५५ वर्ग किलोमीटर), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रमुख ट्रंक बुनियादी ढांचा गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है और गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) (२२.५ वर्ग किलोमीटर) में ट्रंक अवसंरचना गतिविधियां पूरी होने वाली हैं।

इन चार शहरों में, अब तक 1.73 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता वाली कंपनियों को लगभग 1571 एकड़ के कुल 250 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें एचवाईओसंग (दक्षिण कोरिया), एनएलएमके (रूस), हायर (चीन), टाटा केमिकल्स और अमूल जैसे निवेशक शामिल हैं।

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम; कर्नाटक में तुमकुरु नोड; हरियाणा के नांगल चौधरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच); दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और उत्तर प्रदेश के बोराकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) नामक 04 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अध्यक्ष का संदेश : वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे वितीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। अवसंरचना आर्थिक समृद्धि का एक चालक है और मजबूत, संतुलित और समावेशी विकास और सतत् विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, जो वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। अवसंरचना के विकास का मांग पर गुणक प्रभाव पड़ता है और वाणिज्यिक एवं उद्यमिता के अवसरों में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर हैं। औद्योगिक कोरिडोर, इस अंतर-निर्भरता को पहचानते हुए, उद्योग और बुनियादी ढांचे के बीच प्रभावी एकीकरण प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास होता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाएं वह अवसंरचना प्रदान करती हैं जो टिकाऊ, विश्वसनीय और लचीली है और इस प्रकार विश्व स्तरीय बेंचमार्क को पूरा करती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम परिणाम देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है जो समावेशी विकास के साथ निरंतर एवं एकीकृत विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प में दृढ़ता से परिलक्षित होता है। स्मार्ट अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में हमारी विशेषज्ञता से, हम भारत को विकसित अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व मानते हैं।

कुछ उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक उत्पादन गतिविधियों की शुरुआत के साथ, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर परियोजना परिचालन चरण में प्रवेश कर गई है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में शेंद्रा इंडिस्ट्रियल पार्क/औरंगाबाद औद्योगिक शहर (ऑरिक) पहला शहर (परियोजना) है जिसे सितंबर, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

ग्रेटर नोएडा (747 एकड़), उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड इंडिस्ट्रियल टाउनिशिप (आईआईटीजीएन); मध्य प्रदेश में उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी (1,100 एकड़) में इंटीग्रेटेड इंडिस्ट्रियल टाउनिशिप (आईआईटीवीयूएल); शेंद्रा बिदिकन इंडिस्ट्रियल एरिया (ऑरिक) (18.55 वर्ग किलोमीटर), औरंगाबाद, महाराष्ट्र में प्रमुख ट्रंक अवसंरचना गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है और गुजरात के धोलेरा स्पेशल इंडिस्ट्रियल रीजन (डीएसआईआर) (22.5 वर्ग किलोमीटर) में ट्रंक अवसंरचना गतिविधियां पूरी होने वाली हैं।

इन चार शहरों में विभिन्न राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 1571 एकड़ भूमि के 250 भूखंडों के आवंटन से 1.73 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा और 1.3 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रम एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है।

आपकी कंपनी इन विकसित शहरों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रही है। निवेश संवर्धन का मुख्य फोकस फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, व्हाइट गुड्स (जैसे एयर-कंडीशनर, एलईडी), वस्त्र, ऑटोमोबाइल, घटक विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन और इसके घटकों, स्वास्थ्य देखभाल घटकों आदि जैसे विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर देने के साथ 'ब्रांड निर्माण' और 'निवेशक जुड़ाव' पर केंद्रित है। अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए विपणन प्रयासों के हिस्से के रूप में विदेशों में विभिन्न साइट दौरे, राउंड टेबल सम्मेलन, रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका, जापान, ताइवान, वियतनाम जैसे देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने इन परियोजना स्थलों का दौरा किया है।

माननीय प्रधान मंत्री ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमोडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) लॉन्च किया । इस पहल के ठोस बल और सहयोग से, आपकी कंपनी को राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कर्नाटक में तुमकुरू नोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्र जी ने 06 फरवरी. 2023 को किया था।

कंपनी, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (एलडीबी) परियोजना भी चला रही है, जिसे विश्व बैंक द्वारा अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन के आधार पर सदस्य देशों को क्रमबद्ध करने के लिए बनाए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2018 में 44 से 2023 में 38 तक भारत की रैंक में सुधार करने में योगदान कारक के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, वर्तमान में एलडीबी भारत में 17 बंदरगाहों (27 टर्मिनलों) में परिचालन कर रहा है, जिसमें 360+ कंटेनर माल ढुलाई स्टेशन/अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/खाली यार्ड/पार्किंग प्लाजा, 90+ टोल प्लाजा, 03 एकीकृत चेक पोस्ट और 37 विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं तािक भारत में एक्जिम कंटेनर आंदोलन की अंतिम छोर तक दृश्यता प्रदान की जा सके। एलडीबी के माध्यम से, 61 मिलियन से अधिक कंटेनरों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया गया है।

इसके अलावा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के दायरे में एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) लॉन्च किया था। वर्तमान में, यूलिप को 1800+ क्षेत्रों को कवर करने वाले 112 एपीआई के माध्यम से 08 विभिन्न मंत्रालयों की 34 प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। 100 से अधिक निजी कंपनियों को यूलिप से जोड़ा गया है और वे सेवाओं का उपयोग कर रही हैं। 40

कंपनियों द्वारा 55 से अधिक एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं, इस प्रकार अपने अंतिम ग्राहक तक यूलिप के लाभ प्रदान किए गए हैं।

कंपनी एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र परियोजना में से एक अर्थात द्वारका, नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर (आईआईसीसी) के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में भी कार्य कर रही है, जिसमें निर्माण गतिविधियां पूरे जोरों पर हैं और परियोजना के चालू वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।

आपकी कंपनी ने औद्योगिक कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में एशियाई विकास बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता मांगी है, जिसमें से 250 मिलियन अमरीकी डालर (उप-कार्यक्रम 1) की पहली किश्त पहले ही भारत सरकार की समेकित निधि में जारी की जा चुकी है। उप-कार्यक्रम 2 के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर की कार्रवाई प्रगति पर है।

मैं अपने शेयरधारकों, निदेशक मंडल के सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन, अनुकरणीय दूरदर्शिता और मूल्यवान सलाह के संदर्भ में उदार योगदान के लिए सराहना करता हूं। मैं भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवीय लेखापरीक्षकों से प्राप्त समर्थन के लिए भी तहे-दिल से आभारी हूं। अंत में, हमारी कुशल जनशिक अपने शानदार काम और एक अंतर-अनुशासनात्मक बहुआयामी संगठन के रूप में हमारे लचीलेपन के लिए प्रशंसा और श्रेय की हकदार है।

हस्ता.

(राजेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस अध्यक्ष

श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस निदेशक

श्री बालामुरूगन डी., आईएएस निदेशक

श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री कजुशिगे गोबे *निदेशक*

श्री तोशिहिको कुरिहरा निदेशक

श्री एम. नागराज *निदेशक*

श्रीमती राधा रॉय *निदेशक*

लेखापरीक्षक समिति

श्री बालामुरूगन डी., आईएएस *निदेशक*

श्री तोशिहिको कुरिहरा निदेशक

श्रीमती राधा रॉय *निदेशक*

नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति

श्री बालामुरूगन डी., आईएएस निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा *निदेशक*

श्रीमती राधा रॉय *निदेशक*

<u>कॉरपोरेट सामाजिक दायित्य</u> समिति

श्री बालामुरूगन डी., आईएएस निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा *निदेशक*

श्रीमती राधा रॉय *निदेशक*

मुख्य वितीय अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

<u> उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले. मानव</u> संसाधन एवं कंपनी सचिव

श्री अभिषेक चौधरी

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एसपी चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टड एकाऊंटेंट्स

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जे. मंडल एंड कंपनी, एल-एल पी चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

बैंकर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, होटल अशोक, चाणक्यप्री, नई दिल्ली

<u>पंजीकृत कार्यालय</u>

08वां तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

वार्षिक आम बैठक सूचना

नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की 15वीं (पंद्रहवीं) वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 को 04:00 बजे शाम निम्न कार्य करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी:-

साधारण कारोबार: -

- अ१ मार्च, २०२३ को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन एवं समेकित) और निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उक्त तिथि को समाप्त अविध के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा स्वीकार करना।
- 2. श्री कजुशिगे गोबे (डीआईएनः 09276761), कंपनी के निदेशक, जो क्रमानुसार रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की हैं और इस संबंध में विचार करना, और यदि यह उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधनों सिहत अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-
 - "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुपालन में, श्री कजुशिगे गोबे (डीआईएनः 09276761), कंपनी के निदेशक, जो क्रम आने पर रिटायर हो रहे है और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है और उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"
- 3. वित्त वर्ष 2023-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा नामित किए गए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक का परिश्रामिक निश्चित करना और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधनों सिहत अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:-
 - "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है तो, उनके अनुपालन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, एतदद्वारा अनुमोदित किया जाए/ध्यान दिया जाए।"
 - "यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक को एतद्द्वारा सीएंडएजी कार्यालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षक को देय लेखा परीक्षा फीस निर्धारित करने सिहत निबंधन एवं शर्तों को निश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है"।

विशेष कारोबारः -

1. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री राजेश कुमार सिंह (डीआईएनः 05193269) की नियुक्ति को

नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता हैं तो निम्नलिखित संकल्प को एक <u>साधारण संकल्प</u> के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि श्री राजेश कुमार सिंह (डीआईएनः 05193269) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार, 24 अप्रैल, 2023 से निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे और इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर है, उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतदद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है, जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"

2. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री बालामुरूगन देवराज (डीआईएनः 06908216) की नियुक्ति को नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि श्री बालामुरूगन देवराज (डीआईएनः 06908216) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 23 मई, 2023 से निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे और इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर है, उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है, जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।

3. कंपनी के निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएनः 10264275) की नियुक्ति को नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सिहत अथवा बिना आशोधन पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएनः 10264275) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 02 अगस्त, 2023 से निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे और इस वार्षिक आम बैठक तक पद पर है, उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत एक सदस्य से लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है, जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।

4. कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सैनी (डीआईएनः 10264275) की नियुक्ति को नियमित करना और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सिहत अथवा बिना आशोधन पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 196, 197 के प्रावधानों जिसे अनुसूची V एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सिहत) श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस (डीआईएनः 10264275) को 5 वर्षों की समग्र अविध (02 अगस्त, 2023 से प्रभावी) से 17 जनवरी, 2028 अथवा अन्यथा अग्रिम आदेश तक के लिए सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए सदस्यों की सहमति दी गई है। निम्नलिखित नियमों और शर्तों (उपरोक्त अविध के दौरान किसी भी वितीय वर्ष में हानि या लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक सिहत) पर प्रबंध निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करती है, जैसा कि कंपनी के निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक सिनित द्वारा अनुशंसित है:-

- क) वेतन और भते: उन्हें भारत सरकार के आदेशों के अनुसार प्रति माह 1,53,000/- रुपये का मूल वेतन (स्तर 14 के अनुसार 1,44,200-2,18,200 रुपये का वेतनमान) और साथ ही देय महंगाई भता भी दिया जाएगा।
- ख) वार्षिक वेतन वृद्धिः उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल वेतन के 3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी।
- ग) अवकाश वेतनः कंपनी तेलंगाना सरकार को समय-समय पर लागू दरों पर अवकाश वेतन का भुगतान करेगी।
- घ) मकान किराया भता और लाइसेंस शुल्क: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- ङ) <u>आधिकारिक निवासः</u> संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित मौजूदा आवास में रहना जारी रखने का विकल्प। उस स्थिति में, कंपनी द्वारा लागू लाइसेंस शुल्क का भुगतान भारत सरकार को किया जाएगा। यदि कोई सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो उन्हें उनकी स्थिति और जिम्मेदारियों के अनुरूप उपयुक्त आवास प्रदान किया जाएगा।
- च) अवकाश एवं विकलागंता अवकाश: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- छ) परिवहनः वह स्टाफ कार की सुविधा के पात्र होंगे।
- ज) स्थानांतरण टीए/डीए: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- झ) <u>चिकित्सा सुविधाः</u> सीजीएचएस के संबंध में कटौती अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार की जाएगी।
- ज) <u>अवकाश यात्रा भताः</u> अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- ट) समूह बीमा: कंपनी अधिकारी के वेतन से सीजीईजीआईएस के संबंध में आवश्यक कटौती करेगी और उसे तेलांगना के एजी द्वारा सूचित किए जाने वाले तरीके से तेलांगना सरकार को भेजेगी।
- ठ) स्थानांतरण टी.ए./कार्यभार ग्रहण समय: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- ड) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस): अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी का योगदान सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए), नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा बनाए गए उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में जमा किया जाएगा।
- ढ) <u>ग्रेच्यूएटीः</u> अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।

- ण) <u>आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमः</u> अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार।
- त) टेलीफोन स्विधारः कंपनी की नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर।
- थ) अन्य सुविधाएः कंपनी की नीति के अनुसार।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का कोई भी निदेशक या कंपनी सचिव ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और आचरण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अधिकृत है, जिन्हें आवश्यक, वांछनीय और समीचीन माना जा सकता है। इस संकल्प को प्रभावी बनाने और/या अन्यथा कंपनी के हित में उनके द्वारा विचार करने के लिए, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के साथ अपेक्षित ई-फॉर्म दाखिल करना शामिल है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी) उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट कार्य, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव सदस्यता संख्या- एफ6701

दिनांकः 31.08.2023 स्थानः नई दिल्ली

नोट:

- 1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने दिनांक जिसे दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जून, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020 23 जून, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के सामान्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जैसा लागू हैं, जिसे उसे अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, साधारण अथवा विशेष संकल्प पारित करने के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना विडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमित दी है।
- 2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और वोट डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, निगमित निकाय वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में शामिल होने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के पात्र है।
- सदस्य बैठक की शुरुआत के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व वीसी/ओएवीएम माध्यम से आम बैठक में शामिल हो सकते है।
- 4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से आम बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गणना वीसी/ओएवीएम द्वारा की जाएगी।
- 5. कॉरपोरेट सदस्यों से अपने प्रतिनिधि को उपस्थित होने तथा वोट डालने हेतु बोर्ड के संकल्प/पॉवर ऑफ एटार्नी की यथोचित रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध किया जाता है।
- 6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने वाले मद सं. 4, 5, 6 एवं 7 पर उल्लिखित विवरण इसके साथ संलग्न है।
- 7. आगामी बैठक में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का ब्यौरा नोटिस के साथ उपलब्ध कराया गया है।
- 8. 15वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को कंपनी की वेबसाइट <u>www.nicdc.in</u> पर अपलोड कर दिया गया है।
- 9. आम बैठक के दौरान सांविधिक रजिस्टरों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य abhishekchaudhary@nicdc.in. पर कंपनी को लिखित में अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
- 10. सदस्यगण अपनी पंजीकृत मेल पर प्राप्त निमंत्रण लिंक द्वारा वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं। बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप द्वारा बैठक में शामिल होने के लिए कहा जाता है।

11. चूंकि वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है, अतः बैठक के स्थल का रूट मैट संलग्न नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण: -

मद संख्या 2

श्री कर्जुशिगे गोबे (डीआईएन- 09276761), बारी आने पर पद छोड़ने के लिए देय कंपनी के निदेशक, इस वार्षिक आम बैठक में बारी आने पर पदभार छोड़ रहे हैं। पात्र होने के कारण श्री कर्जुशिगे गोबे अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं और बारी आने पर रिटायर होने के लिए देय के रूप कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री कजुशिगे गोबे को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

मद संख्या 3

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक को नामित करेंगे। सीएंडएजी के पत्र का अभी इंतजार है।

इसलिए संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक और कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं उनके रिश्तेदार इस नोटिस की मद सं. 3 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा इच्छक नहीं है।

मद सं. 4

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के आदेश संख्या 36/01/2023-ईओ (एसएम-आई) के अनुसार श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस ने श्री अनुराग जैन के स्थान पर डीपीआईआईटी के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। चूंिक सचिव, डीपीआईआईटी, एनआईसीडीसी के बोर्ड में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, श्री राजेश कुमार सिंह को 24 अप्रैल, 2023 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार एनआईसीडीसी के बोर्ड में अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहते हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ हैं, जिसमें कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री राजेश कुमार सिंह को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

बोर्ड सदस्यों की मंजूरी के लिए मद संख्या 4 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

<u>मद सं. 5</u>

उचोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उचोग मंत्रालय ने दिनांक 23 मई, 2023 के अपने पत्र संख्या पी-37022/3/2019-आईसी-पार्ट (2) के माध्यम से श्री बालामुरुगन देवराज, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी को श्री राजेंद्र रत्नू के स्थान पर एनआईसीडीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए डीपीआईआईटी की मंजूरी से अवगत कराया है। बालामुरुगन देवराज, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी को श्री राजेंद्र रत्नू के स्थान पर एनआईसीडीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री बालामुरुगन देवराज को 23 मई 2023 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 (1) के प्रावधानों और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार एनआईसीडीसी के बोर्ड में अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहते हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री बालामुरुगन देवराज को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

बोर्ड सदस्यों की मंजूरी के लिए मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 6 एवं 7

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 18 जुलाई, 2023 की अधिसूचना सं. 33/07/2023-ईओ(एसएम-।) ने श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस, (टीजी:2007) को पदभार ग्रहण करने की तिथि से समग्र पांच वर्षों की अविध अथवा अन्यथा आदेश तक सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) को अनुमोदित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार, अतिरिक्त निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहते हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल में सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस को भी नियुक्त किया है।

यह संकल्प अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 196 और 197 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सिहत) के संदर्भ में श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस की सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति, 5 साल की अविध के लिए (02 अगस्त, 2023 से प्रभावी) 17 जनवरी, 2023 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नामांकन और पारिश्रमिक सिनति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक सिहत नियमों और शर्तों पर सदस्यों की मंजूरी चाहता है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 6 एवं 7 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

बोर्ड सदस्यों की मंजूरी के लिए मद संख्या 6 एवं 7 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी) उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट कार्य, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव सदस्यता संख्या- एफ6701

दिनांकः 31.08.2023 स्थानः नई दिल्ली

कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त ब्यौरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के अनुसार

नाम	श्री कजुशिगे गोबे	श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस
	(डीआईएन: 09276761)	(डीआईएन : 05193269)
आयु	51 वर्ष	59 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	टोक्यो विश्वविद्यालय से कानून में	अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री.
	स्नातक की डिग्री।	
अनुभव	श्री काज़ुशिगे गोबे वर्तमान में जापान	श्री राजेश कुमार सिंह केरल कैडर के
	बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन	1989 बैच के भारतीय आईएएस
	(जेबीआईसी) में सामाजिक अवसंरचना	अधिकारी हैं। उन्होंने 24 अप्रैल 2023
	वित्त विभाग, अवसंरचना और पर्यावरण	को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के
	वित्त समूह के महानिदेशक का पद	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन
	संभाल रहे हैं। अपने वर्तमान कार्यभार	विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण
	में, वह सड़क, रेलवे, ओएफएन,	किया है। इससे पहले, वह पशुपालन
	दूरसंचार, आईसीटी आदि सहित	और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन,
	सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं को	पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के सचिव
	सक्षम बनाने में जेबीआईसी के वैश्विक	के रूप में कार्यरत थे।
	भूमिका का नेतृत्व करते हैं। वह भारत	
	में जेबीआईसी के कार्यों की निगरानी	उन्होंने केंद्र सरकार में आयुक्त - डीडीए,
	भी करते हैं।	संयुक्त सचिव - पेट्रोलियम और
	मार्च 1994 में टोक्यो विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद, वह तत्कालीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ जापान (अब जेबीआईसी) में शामिल हो गए। 27 वर्षों में उन्होंने व्यापारिक क्षेत्रों और ट्रेजरी संचालन सहित संगठनात्मक कार्यों में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। उन्होंने एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जापानी विनिर्माण कंपनियों को अपने व्यापार और निवेश का विस्तार करने में बहुत योगदान दिया है।	प्राकृतिक गैस मंत्रालय, संयुक्त सचिव - कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, संयुक्त सचिव - सूचना एवं प्रसारण और मुख्य सतर्कता अधिकारी - भारतीय खाद्य निगम के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राज्य सरकार में शहरी विकास सचिव और हाल ही में केरल सरकार में अपर मुख्य सचिव, वित्त के रूप में भी महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।
नियुक्ति अथवा		कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160
पुनर्नियुक्ति के	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152	के अनुसार नियुक्ति
निबंधन एवं शर्तें	के अनुसार पुनर्नियुक्ति	

नाम	श्री कजुशिगे गोबे	श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस		
	(डीआईएन: 09276761)	(डीआईएन : 05193269)		
प्राप्त किया गया परिश्रामिक (सिटिंग फीस सहित, यदि कोई हो तो)	-	-		
भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित परिश्रामिक	-	-		
निदेशक मंडल में प्रथम नियुक्ति की तिथि	10 अगस्त, 2021	24 अप्रैल, 2023		
एनआईसीडीसी में धारित शेयरों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ संबंध	कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है	कंपनी के किसी भी निदेशक से कोई परस्पर संबंध नहीं है		
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	03	लागू नहीं		
अन्य निदेशक मंडल में निदेशक	कुछ नहीं	 रेस्टस्टॉप प्राइवेट लिमिटेड जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड इन्वेस्ट इंडिया 		
आज की तिथि में अन्य निदेशक मंडलों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कुछ नहीं	कुछ नहीं		

कंपनी की 15वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त ब्यौरा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक खंड 1.2.5 के अनुसार

नाम	श्री बालामुरूगन देवराज, आईएएस	श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस		
	(डीआईएन: 06908216)	(डीआईएन: 10264275)		
आयु	48 वर्ष	39 वर्ष		
शैक्षणिक योग्यता	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में बीएससी और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर।			
अनुभव	श्री बालामुरुगन देवराज 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वह वर्तमान में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में संयुक्त सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों में 17 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है।			
नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160,		
के निबंधन एवं शर्तें	के अनुसार नियुक्ति	196 और 197 के अनुसार नियुक्ति		
नाम	-	-		
प्राप्त किया गया	-			
परिश्रामिक (सिटिंग फीस		जैसा वार्षिक आम बैठक को सूचना के मद		
सहित, यदि कोई हो तो)		संख्या ७ में उल्लेख है		
भुगतान किया जाने वाला				
प्रस्तावित परिश्रामिक	23 मई, 2023	02 अगस्त, 2023		
एनआईसीडीसी में धारित शेयरों की संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
अन्य निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के	कंपनी के किसी निदेशक से कोई संबंध नहीं हैं	कंपनी के किसी निदेशक से कोई संबंध नहीं हैं		

नाम	श्री बालामुरूगन देवराज, आईएएस	श्री रजत कुमार सैनी, आईएएस		
	(डीआईएन: 06908216)	(डीआईएन: 10264275)		
साथ संबंध				
वित्तीय वर्ष 2022-23 के				
दौरान बोर्ड बैठकों की				
संख्या जिनमें उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं		
रहे				
अन्य कम्पनियों में	जम्मू और कश्मीर डेवलपमेंट फाइनेंस	1. एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा		
निदेशक	कोरपोरेशन लिमिटेड	सर्विसेज लिमिटेड।		
		2. डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		
		3. डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल		
		टाउनशिप ग्रेटर नोएड़ा लिमिटेड		
		4. सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल		
		टाउनशिप लिमिटेड		
		5. धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी		
		लिमिटेड		
		6. राजस्थान औद्योगिक कोरिडोर विकास		
		निगम लिमिटेड		
आज की तिथि में अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
निदेशक मंडलों की				
समितियों की				
सदस्यता/अध्यक्षता				

बोर्ड रिपोर्ट

बोर्ड रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,


आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर **15वीं (पंदरहवी) निदेशक मंडल** को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एनआईसीडीसी) लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन के नाम से विदित) भारत सरकार, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) के बीच शामिल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

कंपनी को प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक गिलयारा विकास कार्यक्रम के तहत विकिसत या कार्यान्वयन के तहत विभिन्न औद्योगिक गिलयारा पिरयोजनाओं के संबंध में पिरयोजना विकास गितविधियों को पूरा करने का काम सौंपा गया है। कंपनी विभिन्न औद्योगिक टाउनिशप, औद्योगिक नोड/क्लस्टर और एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए पिरयोजना विकास भागीदार और नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक गिलयारा परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का प्रशासिनक मंत्रालय है। औद्योगिक गिलयारा (आईसी) परियोजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समर्पित माल यातायात गिलयारों (डीएफसी) द्वारा प्रदान की गई "उच्च गित - उच्च क्षमता" कनेक्टिविटी आधार का लाभ उठाकर भविष्य के औद्योगिक शहर बनाना है।

कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार हैः



1. वितीय विवरण सार:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वितीय वर्ष के लिए कंपनी के वितीय विवरणों का सार निम्नानुसार हैः

(लाख रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
कुल आय	1328.43	2282.55
कुल व्यय	1942.46	1769.37
कर व्यय	(9.02)	153.11
कर पश्चात वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(605.01)	360.07

2. कंपनी के मामलों की स्थितिः

क. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट

1. धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), गुजरातः

- डीएसआईआर को लगभग 920 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है और चरण-1 के 22.5 वर्ग किमी संक्रियण क्षेत्र को उकेरा गया है जिसमें ट्रंक अवसंरचना कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं;
- भारत सरकार ने संक्रियण क्षेत्र के लिए पांच पैकेजों में विभाजित 2784.83 करोड़ रुपये के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को मंजूरी दे दी है;
- एंकर निवेशक के रूप में टाटा केमिकल्स के साथ 245 एकड़ के 06 (498 एकड़) प्लॉट आवंटित किए गए है:
- हाल ही में वेदांता-फॉक्सकॉन्न को उनकी सेमीकंडक्टर और डिस्पले यूनिट स्थापित करने के
 लिए 254 एकड़ भूमि आवंटित की गई है;
- तुरंत आबंटन के लिए 1,021 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है;
- 1000 मैगा वाट के सोलर पार्क के विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में से 300 मैगा वाट टाटा सोलर पॉवर लिमिटेड को दे दिया गया है।

2. शेंद्रा बिडिकन इंडिस्ट्यिल एरिया (एसबीआईए), महाराष्ट्र

- एसबीआईए के भाग-1 के रूप में 40.2 वर्ग किमी का क्षेत्र शामिल है; राज्य सरकार ने शेंद्रा के लिए 8.39 वर्ग किमी और बिडिकन इंडिस्ट्रियल क्षेत्र के लिए 28.8 वर्ग किमी भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है;
- शेंद्रा इंडिस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 1533 करोड़ रु. के विभिन्न अवसंरचना घटकों के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना पैकेजों का कार्य पूरा हो गया हैं;

- बिडिकिन इंडिस्ट्रियल एरिया के लिए, भारत सरकार ने 3 चरणों में विकसित किए जाने के लिए
 6414.21 करोड़ रुपए के अवसंरचना पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। सेक्टर-ए (10.32 वर्ग किमी.) के लिए ट्रंक अवसंरचना कार्य पूरे हो गए हैं;
- शेंद्रा में प्रमुख निवेशक के रूप में ह्योसंग (100 एकड़) और बिडिकन में पीरामल फार्मा प्रा.
 लिमिटेड को 138 एकड़ के प्लॉट सिहत 575 एकड़ में 200 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;
- एसबीआईए में तुरंत आबंटन के लिए 931 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है;
- माननीय प्रधान मंत्री जी ने 7 दिसंबर, 2019 को परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।

3. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

- परियोजना के लिए एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित कर दी गई है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 1,097.5 करोड़ रूपए की राशि के निविदा
 पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख अवसरंचना पैकेजों का कार्य पूरा हो चुका हैं;
- प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (122 एकड़) सिहत 168 एकड़ में, 08 प्लॉट आबंटित कर दिए
 गए हैं:
- तुरंत आबंटन के लिए 155 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है।

4. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश

- राज्य सरकार ने 1,026 एकड़ भूमि एसपीवी को अंतरित कर दी है;
- भारत सरकार ने विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए 749.1 करोड़ रूपए के निविदा पैकेजों को स्वीकृति दे दी है। प्रमुख ट्रंक अवसंरचना कार्यों को पूरा कर लिया गया है;
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में अमूल सिहत 226 एकड़ में 24 प्लॉट आबंटित किए गए हैं;
- इसके अलावा मेडिकल डेवाइस पार्क के लिए 360 एकड़ भूमि आवंटित की गई है;
- तुरंत आवंटन के लिए 63 एकड़ औद्योगिक भूमि उपलब्ध है।

5. नांगल चौधरी, हरियाणा में इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (आईएमएलएच)

- आईएमएलएच प्रोजेक्ट महेंद्रगढ़ जिले में 886 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसे मई, 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है;
- प्रोजेक्ट एसपीवी को राज्य सरकार द्वारा 686 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और लगभग 158
 एकड़ भूमि पर मुकदमा चल रहा है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा
 निर्णय सुरक्षित रखा गया है;
- विभिन्न बाहरी कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जल, बिजली एवं सड़क) के लिए, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा निक्षेप आधार पर कार्य किए जा रहे हैं;

- प्रोजेक्ट साइट से डब्ल्यूडीएफसी के न्यू डाबला स्टेशन तक बाहरी रेल साइडिंग कार्यों को डीएफसीसी द्वारा किया जा रहा है और निर्माण कार्य प्रगति पर है;
- परियोजना की सीमा के भीतर भंडारण क्षेत्र, एक्जिम क्षेत्र, गैन्ट्री, परिवहन क्षेत्र, गैर प्रसंस्करण क्षेत्र, रखरखाव यार्ड इत्यादि जैसे परियोजना घटकों को पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यान्वित करने की योजना है।

6. <u>उत्तर प्रदेश के दादरी में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और ग्रेटर नोएडा के बोराकी</u> में मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)

- उत्तर प्रदेश में कुल 479 हेक्टेयर क्षेत्र में एमएमएलएच (334 हेक्टेयर) और एमएमटीएच (145 हेक्टेयर) के विकास के प्रस्ताव को दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है:
- 369 हेक्टेयर भूमि पहले से ही जीएनआईडीए के स्वामित्व में है और 83.2 हैक्टेयर भूमि
 एलएआरआर अधिनियम के तहत अधिगृहीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त,
 डीएफसीसीआईएल/एनसीआर द्वारा 23 हेक्टेयर भूमि रेल अधिनियम, 20ए में अधिगृहीत की
 जानी है;
- राज्य सरकार द्वारा 227.48 हैक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट एसपीवी को अंतरित की गई है;
- एमएमएलएच के लिए बाहरी रेल साइडिंग के लिए ड्राफ्ट डीपीआर को सहमित और अनुमोदन के लिए डीएफसीसीआईएल के साथ साझा किया गया है;
- एमएमटीएच के लिए अद्यतन ईएसपी के साथ अंतिम परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन के लिए उत्तर
 मध्य रेलवे और अन्य हितधारकों को प्रस्तुत की गई है;
- परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए),
 से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

7. मारवाइ इंडस्ट्रियल क्लस्टर (एमआईसी), राजस्थान

- राज्य सरकार की पुष्टि के आधार पर इस परियोजना के अंतर्गत 03 चरणों में 8121 एकड़ को विकसित किया जाना है:
- चरण-क में, 1577 एकड़ के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है जिसके लिए मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरी गतिविधियां पूरी हो गई है;
- जेपीएमआईए के लिए शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए)/स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और एसपीवी को भी निगमित किया गया है;
- चरण-क के लिए परियोजना प्रस्ताव को 14 दिसंबर, 2022 को एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया।

8. खुशखेडा भिवाडी नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन (केबीएनआईआर), राजस्थान

- नियुक्त परामर्शदाता द्वारा 558 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य किए जा रहे हैं;
- केबीएनआईआर के लिए एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है और एमआईसी के लिए मौजूदा एसपीवी ही केबीएनआईआर परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी;
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में है।

9. दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए), महाराष्ट्र

- राज्य सरकार ने 2,450 हेक्टेयर भूमि उपलब्धता की पुष्टि की है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए हैं;
- परियोजना को मौजूदा एसपीवी महाराष्ट्र इंडिस्ट्रियल टाउनिशप लिमिटेड, पूर्ववर्ती औरंगाबाद
 इंडिस्ट्रियल टाउनिशप लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है;
- एनआईसीडीआईटी द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

ख. चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और कोयम्बत्र के रास्ते कोच्चि तक विस्तार

1. आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम नोड -

- 11,095 एकड़ के कुल परियोजना क्षेत्र की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो गई है;
- 2500 एकड़ के लिए परियोजना के पहले चरण को दिसंबर, 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 2139.15 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है;
- एसपीवी चरण-1 सक्रियण क्षेत्र में ट्रंक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ईपीसी निविदा (तीसरी कॉल) जारी करने की प्रक्रिया में है।

कर्नाटक में तुमकुरु नोड

- 8,483 एकड़ क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां पूरी हो गई है:
- दिसंबर, 2020 को भारत सरकार द्वारा 1,736 एकड़ क्षेत्र के लिए परियोजना के प्रथम चरण को अनुमोदन प्रदान किया गया;
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1668.30 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है;
- ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के लिए ईपीसी ठेकेदार नियुक्त किया गया है;

• परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 06 फरवरी, 2023 को किया गया था।

ग. कोयम्बत्र के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी का विस्तार:

1. केरल में पालक्कड़ नोड

- राज्य सरकार द्वारा 1,710.37 एकड़ भूमि की पहचान की गई है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है;
- एसएचए/एसएसए निष्पादित किया गया है और परियोजना एसपीवी निगमित की गई है;
- 14 दिसंबर, 2022 को एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

घ. अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)

<u>उत्तराखंड में खुरिपया फार्म्स</u>

- राज्य सरकार द्वारा 1,002 एकड़ भूमि की पहचान की गई है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है;
- परियोजना प्रस्ताव को ८ जून, २०२२ को एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. <u>पंजाब में राजपुरा-पटियाला</u>

- राज्य सरकार द्वारा 1,098 एकड़ भूमि की पहचान की गई है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा कर लिया गया है;
- परियोजना प्रस्ताव को ८ जून, २०२२ को एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. हरियाणा में हिसार

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1605 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पृष्टि की है;
- नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं;
- राज्य सरकार से भूमि हस्तांतरण में तेजी लाने और एसएचए/एसएसए को अंतिम रूप देने के लिए एसपीवी को योजना और विकास अधिकारों के प्रत्योजन की पृष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश में आगरा, 1,059 एकड

• राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1059 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है;

नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ
 प्रगति पर हैं।

5. बिहार में गया, 1,670 एकड

- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1670 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पृष्टि की है;
- नियुक्त परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

6. **झारखंड**

- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नई बहरी में पहले प्रस्तावित की गई साइट उपलब्ध नहीं है, इसलिए एक वैकल्पिक साइट की पहचान की जा रही है;
- इस्पात मंत्रालय, बोकारो स्टील प्लांट, सेल और राज्य सरकार द्वारा बोकारो स्टील प्लांट में
 740 एकड़ प्रस्तावित भूमि की उपलब्धता और मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है।

7. उत्तर प्रदेश में प्रयागराज

नियुक्त परामर्शदाता द्वारा प्रयागराज में ब्राउनफील्ड साइट (1,141 एकड़) के लिए विस्तृत
 प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट और विपणन रणनीति कार्य किया जा रहा है।

ङ. विजाग - चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर:

1. कोप्पार्थी (कड्डपा) नोड, आंध्र प्रदेश:

- राज्य सरकार ने एनआईसीडीआईटी ढांचे के तहत 2,595 एकड़ भूमि के विकास का प्रस्ताव दिया है;
- नियुक्त परामर्शदाता द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियाँ चल रही हैं।

2. चित्त्र नोड, आंध्र प्रदेश:

- राज्य सरकार ने 8,967 एकड़ क्षेत्र में परियोजना के विकास का प्रस्ताव दिया है;
- राज्य सरकार को नियुक्त सलाहकारों द्वारा परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए भूमि पार्सल की पृष्टि करनी है।

3. विशाखापट्नम (नाकापल्ली क्लस्टर):

- परियोजना विकास गतिविधियाँ राज्य सरकार द्वारा स्वयं की जा रही है;
- एनआईसीडीआईटी ढांचे के अंतर्गत विकास के लिए राज्य द्वारा 3,196 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया गया है और परियोजना विकास गतिविधियां प्रगति पर है।

च. बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी)

1. धारवाड नोड, कर्नाटक

- राज्य सरकार ने 6,042 एकड़ भूमि में परियोजना के विकास का प्रस्ताव दिया है;
- नियुक्त परामर्शदाता द्वारा विस्तृत मास्टर प्लानिंग एवं प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां प्रगति
 पर है और राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है।

2. सतारा नोड. महाराष्ट्र

राज्य सरकार ने 5001 हेक्टेयर क्षेत्र में पिरयोजना के विकास का प्रस्ताव दिया है, बहरहाल,
 विकास के लिए भूखंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

छ. हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी):

- राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य में एचडब्ल्यूआईसी के अंतर्गत हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए मास्टर प्लानिंग और लागत अनुमान तैयार किए हैं;
- राज्य सरकार से पुष्टि न होने के कारण एनआईसीडीआईटी ने जून, 2022 में परियोजना को छोड़ने का अनुमोदन दिया।

ज. हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचएनआईसी):

- तेलंगाना सरकार ने जहीराबाद नोड (3909 एकड़) के विकास का प्रस्ताव किया है;
- एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना को अनुमोदित किया गया है;
- राज्य सरकार के साथ एसएचए/एसएसए के मसौदे पर विचार किया जा रहा है।

झ. हैदराबाद बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी):

- आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, कुरनूल में ओरवाकल नोड के तहत 4742 एकड़
 भूमि एनआईसीडीआईटी ढांचे के अंतर्गत विकसित की जा रही है;
- 2621 एकड़ क्षेत्र को चरण-। सक्रियण क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसके लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां जारी हैं।

ञ. ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) प्रोजेक्टः

- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल 11,366 एकड़ क्षेत्र में गोपालपुर-भुवनेश्वर-किलंगनगर (जीबीके नोड) और पारादीप-केंद्रपाड़ा-धामरा-सुवर्णरेखा (पीकेडीएस नोड) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य हेतु परामर्शदाता नियुक्त किया गया है;
- परियोजना विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य सरकार भूखंडों की उपलब्धता की पुष्टि करेगी।

ट. दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएनआईसी):

- प्रस्तावित दिल्ली नागपुर औद्यगिक गलियारा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और भावी उत्तर-दक्षिण डीएफसी का लाभ उठाएगा;
- समग्र डीएनआईसी क्षेत्र के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने हेतु परामर्शदाता नियुक्त कर दिया गया
 है;
- डीएनआईसी के तहत विकास हेतु नए भूमि पार्सल/नोड्स की पहचान, संबंधित राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से की जा रही हैं।

अन्य अनुमोदित परियोजनाएं

क. <u>मॉडल सोलर प्रोजेक्ट, नीमराना, राजस्थानः</u>

- 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई है और 03 सितंबर 2015 से ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई है;
- 19 अप्रैल 2021 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है और 01 जून 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है।

ख. लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्टः

- लॉजिस्टिक डेटा बैंक (एलडीबी) प्रणाली एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स विज्यूलाइजेशन सॉल्यूशन है:-
 - केवल शिपिंग कंटेनर नंबर का उपयोग करते हुए एक्जिम कंटेनर मूवमेंट ट्रैकिंग उपलब्ध कराता है;
 - बंदरगाहों से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशनों तक;
 - और आयात एवं निर्यात यात्रा के दौरान बंदरगाह से जुड़े पार्किंग प्लाजा, टोल प्लाजा, रेलवे
 स्टेशन, औद्योगिक गलियारे।
- एलडीबी ने पश्चिमी गलियारे में अपना संचालन शुरू किया,
 - 2016 में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी);
 - वर्ष 2017 में अडानी के हजीरा और मुंद्रा बंदरगाह;

- नवंबर 2020 से, सेवाओं को भारत में एक्जिम कंटेनरों को संभालने वाले सभी बंदरगाह
 टर्मिनलों तक बढ़ा दिया गया है।
- वर्तमान में, एलडीबी शामिल करता है:
 - > भारत के एक्जिम कंटेनर की मात्रा का 100%
 - 17 बंदरगाह (27 बंदरगाह टर्मिनलों सहित)
 - 358 सीएफएस, आईसीडी, खाली यार्ड और पार्किंग प्लाजा (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर)
 - 91 टोल प्लाजा (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर)
 - 03 आईसीपी (आरएफआईडी इंफ्रास्ट्रक्चर)
 - 37 एसईजेड (आरएफआईडी अवसंरचना)
 - > 5800 रेलवे स्टेशन (माल दलाई परिचालन सूचना प्रणाली)
- एलडीबी ने जुलाई 2016 में लॉन्च होने के बाद से 58 मिलियन एक्जिम कंटेनरों को ट्रैक किया है।
- एलडीबी वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रदान करने और डेटा संचालित विश्लेषण बनाने के लिए आरएफआईडी तकनीक, बिग डेटा और क्लाउड-आधारित समाधान का उपयोग करता है।
- एलडीबी विश्लेषण निम्नलिखित से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:-
 - बंदरगाहों/सीएफएस/आईसीडी के रहने का समय
 - बंदरगाहों और सीएफएस/आईसीडी के बीच पारगमन समय
 - बंदरगाह के फाटकों और राजमार्गों पर भीड़-भाड़
 - कंटेनर आवागमन के हीट मैप

ग. युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (युलिप)

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2022 को नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के दायरे में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) शुरू किया।
- यूलिप उद्योग के खिलाड़ियों को एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटासेट तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल गेटवे है।
- 1600+ क्षेत्रों को कवर करते हुए 106 एपीआई के माध्यम से 07 विभिन्न मंत्रालयों की 33 प्रणालियों के साथ यूलिप का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- जनवरी 2022 से अब तक यूलिप पोर्टल पर लगभग 7 करोड़ मामलें पूरे हो चुके हैं।
- यूलिप पोर्टल (goulip.in) के लॉन्च के बाद से निजी क्षेत्र से 490 पंजीकरण हुए हैं।
- वर्तमान में, 105 निजी कंपनियों के 299 उपयोग मामलों का सत्यापन किया गया है। उपयोग के मामलों के विकास के लिए निजी कंपनियों के साथ 81 से अधिक गैर-प्रकटीकरण समझौतों (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- उद्योग संघों के साथ 60 से अधिक बैठकें पूरी हो चुकी हैं।

आईआईसीसी प्रोजेक्ट, द्वारका, नई दिल्ली

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में पीपीपी और गैर-पीपीपी मोड में प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास को मंजूरी दी। यह परियोजना उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन कंपनी इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी लिमिटेड) द्वारा विकसित की जा रही है।
- इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और सम्मेलन सुविधा बनाना है, जो आकार और गुणवत्ता में दुनिया भर में उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हो। आईआईसीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और बैठकों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगी, जो भारत में आगंतुकों और व्यापार को आकर्षित करेंगी।
- यह परियोजना आईजीआई हवाई अड्डे के पास स्थित है और डीएमआरसी द्वारा परिसर के केंद्र तक विस्तारित एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के माध्यम से मेट्रो और सड़क लिंक से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और एनएचएआई आईआईसीसी परिसर के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर -11 के साथ समर्पित इंटरचेंज विकसित कर रहा है।
- परियोजना दो चरणों में विकसित की जा रही है। पहले चरण की अनुमानित लागत 5,401 करोड़ रुपये है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, दो प्रदर्शनी हॉल और संबंधित आंतरिक/बाहरी ट्रंक अवसंरचना स्विधाएं शामिल हैं और वर्तमान में इसे विकसित किया जा रहा है।
- दूसरे चरण में तीन और प्रदर्शनी हॉल, एरिना का निर्माण और पीपीपी मॉडल के तहत होटल, खुदरा और कार्यालय स्थानों जैसे मानार्थ बुनियादी ढांचे का वाणिज्यिक विकास शामिल होगा।
- एलएंडटी को संपूर्ण परियोजना के लिए आंतरिक ट्रंक अवसंरचना सिहत चरण-। घटकों के विकास के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना ने मार्च, 2023 तक 85 प्रतिशत वास्तविक पूर्णता हासिल कर ली है, परियोजना के लिए वाणिज्यिक संचालन की तारीख 1 अक्टूबर 2023 निर्धारित है।
- कोरियाई कंपनी किनटेक्स (कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर) को 1 अक्टूबर 2023 से चरण-01 के लिए 20 वर्षों के लिए स्थल के ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया है।

इंडस्टियल कोरिडोर विकास कार्यक्रम के लिए एशिया विकास बैंक (एडीबी) से नीति आधारित ऋणः

मार्च 2020 में, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की स्क्रीनिंग समिति ने औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर के नीति आधारित ऋण (पीबीएल) के रूप में ऋण सहायता को स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित ऋण कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गलियारों के विकास में डीपीआईआईटी/एनआईसीडीसी/एनआईसीडीआईटी को सहायता प्रदान करना है तािक नीतिगत सुधारों के माध्यम से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

पीबीएल को 250 मिलियन के दो उप कार्यक्रमों/किश्तों के साथ प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण के तहत संरचित किया गया था। कार्यक्रम की निष्पादन एजेंसी (ईए) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के माध्यम से कार्य करती है और कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) एनआईसीडीसी द्वारा समर्थित एनआईसीडीआईटी है।

ऋण भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से लिया गया है और ऋणशोधन तथा पुनर्भुगतान का दायित्व भी भारत सरकार का होगा। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वितीय संरचना के अनुसार एसपीवी को इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में परियोजना को आगे जारी करने के लिए औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए निधियों के समग्र अनुमोदित कोष के हिस्से में से अनुदान के रूप में डीपीआईआईटी के माध्यम से एनआईसीडीआईटी को निधियों को प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

उप-कार्यक्रम 1 में एकीकृत विकास, अभिनव वित्तपोषण समाधान और औद्योगिक गलियारों में निवेश संवर्धन के लिए संस्थागत संरचनाओं और तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से दस (10) नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं। नीति मैट्रिक्स में उल्लिखित ईए/आईए द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों के सफल समापन के बाद, अक्टूबर, 2021 में, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर के लिए पीबीएल के पहले उप-कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसके बाद, जनवरी, 2022 में, ऋण को प्रभावी बना दिया गया और भारत सरकार की समेकित निधि में संवितरित किया गया।

उप-कार्यक्रम 1 के साथ, एडीबी ने भारत सरकार को औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के लिए ज्ञान सेवाओं हेतु 1 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता (टीए) के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी, जिसे अनुदान के रूप में प्रदान किया जाना है, जिसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है और नवंबर 2021 से शुरू होने वाली 38 महीने की अविध में लागू किया जाना है। टीए उप-कार्यक्रम 2 के तहत कुछ नीतिगत कार्यों के वितरण में सहयता करेगा, जिसके लिए एडीबी द्वारा कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

एडीबी ने उप-कार्यक्रम-2 के लिए 18-26 जुलाई, 2022 तक एक स्थापना मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य उप-कार्यक्रम 1 नीति गत कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करना और उपकार्यक्रम 2 के सांकेतिक नीति मैट्रिक्स पर चर्चा करना था। मिशन ने स्थापना मिशन के हिस्से के रूप में जुलाई, 2022 में आईसी नोड्स (शेंद्रा-बिडिकन, धोलेरा और ग्रेटर नोएडा) का क्षेत्र दौरा किया और डीपीआईआईटी, एनआईसीडीसी एवं एसपीवी के साथ परामर्श किया।

उप-कार्यक्रम 2 (250 मिलियन अमरीकी डालर) के लिए, 10 नीतिगत कार्यों को फरवरी 2022 से दिसंबर 2025 की मूल समय सीमा के मुकाबले फरवरी 2022 - दिसंबर 2023 की समय सीमा के साथ नीति मैट्रिक्स में सूचीबद्ध किया गया है। उप-कार्यक्रम 2 के नीति कार्य बिंदुओं के लिए ज्ञान सहायता प्रदान करने हेतु एडीबी द्वारा सलाहकारों की एक टीम संगठित की गई है। सलाहकारों के साथ सितंबर, 2022 में बैठक आयोजित की गई थी। नीति गत कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए

एडीबी के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। कैलेंडर वर्ष 2023 में एक ही किश्त के तहत 250 मिलियन अमरीकी डालर के उप-कार्यक्रम 2 को वितरित किए जाने की उम्मीद है।

3. <u>पूंजी संरचनाः</u>

कंपनी की प्राधिकृत, जारी और प्रदत्त शेयर पूंजी 100,00,00,000 रुपये (केवल एक सौ करोड़ रुपये) है, जिसे 10/- रुपए (दस रुपए) प्रत्येक वाले 10,00,00,000 (दस करोड़ रुपये) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

4. सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ:

31 मार्च, 2023 को कंपनी के पास एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पाँवर लिमिटेड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पाँवर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) नामक एक ही सहायक कंपनी है।

समीक्षा अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने सहायक कंपनी के कार्यों की समीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी के कार्य निष्पादन और वितीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं, वितीय विवरणों के साथ निर्धारित फार्म एओसी-1 में सलंग्न है।

5. लाभांश:

कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए न्यूनतम लाभांश की घोषणा से संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिनांक 27 मई, 2016 की का.ज्ञा. संख्या 5/2/2016-नीति के तहत निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट देने पर विचार किया गया था।

तदनुसार, कंपनी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के भुगतान से छूट की मांग करेगी। इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

6. आरक्षित कोषः

वितीय वर्ष 2022-23 में हानि होने के कारण आरक्षित कोष में कोई राशि अंतरित नहीं की गई थी।

7. व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो तो:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरा:

08 जुलाई, 2022 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स जे मंडल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल समझता है कि कंपनी के आकार के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

9. <u>भविष्य में कंपनी की स्थिति और परिचालन पर प्रभाव डालने वाले नियामकों अथवा न्यायालयों अथवा</u> न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौराः

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

10. <u>31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित</u> करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:

31 मार्च, 2023 को समास वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।

11. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वः

समीक्षा अविध के दौरान, कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा अनुलग्नक-"क" में संलग्न है।

12. निक्षेप:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न तो कोई निक्षेप स्वीकार किया है और न ही कंपनी के पास कोई अदत्त अथवा बिना दावे वाला निक्षेप है।

13. सांविधिक लेखापरीक्षकः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 29 अगस्त, 2022 के अपने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/409 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अन्य लागू प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए) की धारा 139 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एसपी चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टड एकाऊंटेंट (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं.000346एन) को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी

की पूरक लेखापरीक्षा के लिए भी दायित्व प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-। को सौंपा है।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट:

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। लेखापरीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित लेखों पर नोट स्वतः स्पष्ट वाले है और इसलिए निदेशकों की कोई टिप्पणी नहीं है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की समीक्षा और टिप्पणियां वितीय विवरणों का हिस्सा हैं।

15. लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी को रिपोर्ट करना

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखापरीक्षक समिति को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

16. सचिवीय लेखापरीक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार 08 जुलाई, 2022 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में मैसर्स जितन गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-"ख" पर संलग्न है।

17. धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार:

अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति को कंपनी की वेबसाइट <u>www.nicdc.in</u>. पर प्रस्तुत की जाएगी। बहरहाल, उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में जैसा प्रावधान किया गया है, वार्षिक रिटर्न का सार <u>अनुलग्नक- "ग"</u> में फार्म संख्या **एमजीटी-9** में संलग्न है।

18. लागत लेखापरीक्षक और लागत रिकार्डः

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को लागत लेखापरीक्षक को नियुक्त करने और लागत रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है।

19. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाहः

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क) उर्जा संरक्षण*:					
i.	उर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उर्जा संरक्षण पर प्रभाव	लागू नहीं			
ii.	उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	लागू नहीं			
iii.	उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	लागू नहीं			
ख) प्रौ	द्योगिकी समाहनः				
i.	प्रौद्योगिकी समाहन के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं			
ii.	उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन	लागू नहीं			
	जैसे उत्पन्न लाभ				
iii.	आयतित प्रौद्योगिकी के मामले में (वितीय वर्ष की शुरू से पिछले तीन वर्षों				
	के दौरान आयात)				
	(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;				
	(ख) आयात का वर्ष;	~~			
	(ग) क्या प्रौद्योगिकी समाहन पूरी तरह किया गया;	लागू नहीं			
	(घ) यदि पूरी तरह समाहन नहीं किया गया तो क्षेत्र जहां समाहन नहीं				
	किया गया; और तत्संबंधी कारण; और				
iv.	अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	लागू नहीं			
ग) वि	देशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाहः				
i.	वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के अनुसार अर्जित विदेशी मुद्रा	कुछ नहीं			
ii.	वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के अनुसार विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह	4,53,112/-			
[*नोट: कंपनी की मुख्य गतिविधि औद्योगिक गलियारें/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/					
औद्योगिक नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/ टाउनशिप में, आधुनिक औद्योगिक, भौतिक/सामाजिक अवसंरचना					
को उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना है। उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समाहन करना					

को उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना है। उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समाहन करना लागू नहीं है। बहरहाल, कपंनी विभिन्न परियोजना विकासात्मक गतिविधियों द्वारा उर्जा संरक्षण के अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।]

20. <u>निदेशक मंडल</u>:

(1) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन :

क्र	_{5.सं}	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अविध की समाप्ति
		नाम			
	1.	श्री अमृत लाल मीना	सीईओ एवं	05 नवंबर, 2021	21 अक्टूबर, 2022
			प्रबंध निदेशक		

क्र.सं	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	अवधि की समाप्ति
2.	श्रीमती राधा रॉय	निदेशक	18 अप्रैल, 2022	-
3.	श्री राजीव सिंह ठाकुर	निदेशक	०५ अगस्त, २०२२	-
		सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	03 नवंबर, 2022	15 दिसंबर, 2022
4.	श्रीमती सुमिता डावरा	सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	15 दिसंबर, 2022	-
5.	श्री राजेंद्र रत्न्	निदेशक	17 जुलाई, 2019	24 फरवरी, 2023

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में सीईओ एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्तिः-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री अमृत लाल मीना, आईएएस ने 21 अक्टूबर, 2022 तक सीईओ एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस को 03 नवंबर, 2022 से 15 दिसंबर, 2022 तक सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात्, श्रीमती सुमिता डावरा, आईएएस, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग; को सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और 15 दिसंबर, 2022 से कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में पदनामित है।

कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती सुमिता डावरा की नियुक्ति को मंजूरी देने का प्रस्ताव आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

क्रम आने पर रिटायरमेंटः-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार, श्री कजुशिगे गोबे, कंपनी के निदेशक, आगामी आम सभा में क्रम आने पर रिटायर होंगे और पात्र होने के कारण उन्हें पुनर्नियुक्ति की पेशकश की जाती है।

(2) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी के निदेशक मंडल की पांच (05) बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	निदेशक मंडल के बैठक की तिथि
1.	63वीं निदेशक मंडल बैठक	12 अप्रैल, 2022

क्र.सं.	विवरण	निदेशक मंडल के बैठक की तिथि
2.	64वीं निदेशक मंडल बैठक	08 जुलाई, 2022
3.	65वीं निदेशक मंडल बैठक	01 नवंबर, 2022
4.	66वीं निदेशक मंडल बैठक	10 नवंबर, 2022
5.	67वीं निदेशक मंडल बैठक	23 दिसंबर, 2022

21. निदेशक मंडल की समितियां:

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने तीन समितियों का गठन किया है जो निम्नानुसार हैं: -

लेखापरीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नान्सार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्न्, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती राधा रॉय, महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*श्री राजेन्द्र रत्नू ने 24 फरवरी, 2023 से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की तीन (3) बैठकें क्रमशः 08 अप्रैल, 2022, 08 जुलाई, 2022 और 31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गईं।

नामांकन और पारिश्रमिक समितिः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्न्, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती राधा रॉय, महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*श्री राजेन्द्र रत्नू ने 24 फरवरी, 2023 से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की तीन (3) बैठकें क्रमशः 31 अक्टूबर, 2022, 10 नवंबर, 2022 और 23 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गईं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समितिः

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री राजेन्द्र रत्न्, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय*	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती राधा रॉय, महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

*श्री राजेन्द्र रत्नू ने 24 फरवरी, 2023 से निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया।

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की दो (2) बैठकें 08 जुलाई, 2022 और 31 अक्टूबर, 2022 को आयोजित की गईं।

22. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिकः

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामले, मानव संसाधन और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक का भुगतान किया है। उपयुक्त कॉरपोरेट अभिशासन के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण फॉर्म नंबर एमजीटी-9 के VI (A) और खंड VI (C) में उल्लिखित है। इसके अलावा, अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति लिपि कंपनी की वेबसाइट पर www.nicdc.in पर प्रस्तुत की जाएगी।

23. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी गई अथवा न ही कहीं निवेश किया गया।

24. धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पक्षोंके साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरणः

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के अंतर्गत संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

25. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक पर्याप्तताः

कंपनी के पास जोखिम अथवा अवसर जो कंपनी के परिचालन पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं अथवा जिनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उन अवसरों की पहचान करने और उन्हें निदेशक मंडल को अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन है। जोखिम अथवा अवसरों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रक्रियां और पद्धतियां मौजूद है।

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके व्यापार की प्रकृति और आकार एवं परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। इन्हें सांविधिक के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से जांचा और प्रमाणित किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाइयों को लेखापरीक्षा समिति में रिपोर्ट किया जाता है।

26. निदेशक के दायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के उप खंड (ग) के अनुसार यह बताया गया है कि:-

क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था;

- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और निरंतर उपयोग किया एवं निर्णय लिए तथा अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अविध के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण है;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा उन्हें ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है
- घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सतत् आधार पर तैयार किया; और
- ङ) निदेशकों ने सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां तैयार की थी और ये प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

27. सूचना का अधिकारः

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

आरटीआई आवेदन				31.03.2023		
प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपील		खारिज	सूचना उपलब्ध कराई गई	अन्य जन प्राधिकरणों को अंतरित	आवेदक को वापिस	को लंबित आवेदन
आवेदन	17	0	15	1	0	1
अपील	2	0	2	0	0	0

28. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणाः

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 05 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त उपक्रम कंपिनयों को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में छूट प्राप्त है। तदनुसार, एनआईसीडीसी लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम कंपिनी होने के कारण निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन के मामले के रूप में निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की भागीदारी जारी रखने का निर्णय लिया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय डीपीआईआईटी से कंपनी के निदेशक मंडल में नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का अनुरोध किया है।

29. बोर्ड और इसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन:

कंपनी के निदेशक विश्वसनीय हैं (डीपीआईआईटी, हुडको और जेबीआईसी से प्राप्त नामांकनों पर नियुक्त) तथा कंपनी की प्रभावशीलता और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन कार्यों की देखरेख करने के लिए सशक्त हैं और अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति परिश्रमी हैं।

30. <u>निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुण, स्वतंत्रता निर्धारित करने के मापदंड सिहत निदेशकों की नियुक्ति</u> एवं पारिश्रमिक पर नीति:

शेयरधारक समझौते के प्रावधानों और कंपनी के एसोसिएशन के आर्टिकल्स के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों को नामांकित करने का अधिकार प्रवर्तक शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरधारिता के प्रासंगिक अनुपात के सापेक्ष है। तदनुसार, एक संयुक्त उद्यम कंपनी होने के नाते; कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में डीपीआईआईटी, जेबीआईसी और हड़कों के नामित प्रतिनिधि शामिल हैं।

तदनुसार, निदेशकों की नियुक्ति जहां लागू; नियुक्ति आदेश में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के माध्यम से कंपनी के संबंधित शेयरधारकों से प्राप्त नामांकन पर की जाती है।

31. <u>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम 2013 के अनुपालन</u> में नीति:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। समिति को यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए गठित किया गया है। समिति कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य असिहष्णुता' के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करती है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

32. सतर्कताः

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई सतर्कता संबंधी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया और कंपनी में कोई पुराना मामला लंबित नहीं है।

33. सचिवीय मानकः

कंपनी ने इंस्टीटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी उपयुक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

34. <u>प्रत्येक अर्हता. आरक्षण एवं प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा प्रकटनों पर निदेशक मंडल द्वारा दिए गए</u> स्पष्टीकरण अथवा टिप्प्णियां:

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट किसी अर्हता, आपत्ति अथवा टिप्पणी या प्रकटन से मुक्त है।

35. <u>अभिस्वीकृतिः</u>

कंपनी का निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों, स्टाफ के सदस्यों और प्रबंधकर्ताओं को कंपनी के परिचालन में

उनके योगदान के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। निदेशक भारत सरकार, जापान बैंक ऑफ

इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलमेंट कोरपोरेशन (ह्डको), इंडिया

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम और अपने

बैंकरों को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक कंपनी के प्रबंधन के प्रति अपने निरंतर समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए अन्य हितधारकों

को भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता:

(राजेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष

26, न्यू मोती बाग, चाणक्य पुरी,

नई दिल्ली-110021

दिनांकः 29 मई, 2023

स्थानः नई दिल्ली

42

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक विवरण

(01 अप्रैल, 2022 से शुरु होने वाले वितीय वर्ष से 31 मार्च, 2023 तक)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूप-रेखा

एनआईसीडीसी; समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने और मजबूत, विकसित टिकाऊ समुदायों के निर्माण और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की कल्पना करता है।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी के निदेशक मंडल की सीएसआर समिति की संरचना निम्नान्सार है:-

į	क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक का स्वरुप	आयोजित सीएसआर	वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
	1.	*श्री राजेंद्र रत्न्, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अध्यक्ष/गैर- कार्यकारी निदेशक	2	2
	2.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी		2	2
	3.	श्री राधा रॉय*, महाप्रबंधक, हाऊसिंग एंड अरबन कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	सदस्य/गैर- कार्यकारी निदेशक	2	2

* श्री राजेंद्र रत्नू ने 24 फरवरी, 2023 से निदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया।

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराएं जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर प्रोजेक्ट प्रदर्शित हो।

कंपनी की सीएसआर समिति की संरचना और कंपनी की सीएसआर नीति का वेब लिंक नीचे दिया गया है:https://www.nicdc.in/index.php/resources/csr-policies.html

4. नियम 8 के उप-पैरा (3) के अनुसार, यदि लागू हो, तो की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के आकलन का वेबलिंक सहित कार्यकारी सार उपलब्ध कराएं:

लागू नहीं।

- (क) धारा 135 के उप-पैरा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः 9.01.81.645/- रूपये
 - (ख) धारा 135 के उप-पैरा (5) के अनुसार कंपनी के शुद्ध औसत लाभ का दो प्रतिशतः 18,03,632/-रुपये
 - (ग) पिछले वित्तीय वर्षों के सीएसआर प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः कुछ नहीं
 - (घ) वित्तीय वर्ष के लिए समंजन खाते के लिए अपेक्षित राशिः कुछ नहीं
 - (इ.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर उत्तरदायित्व [(क)+(ख)-(ग)]: 18,03,632/- रूपये
- (क)सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (जारी परियोजना और जारी परियोजनाओं के अलावा,
 दोनों को मिलाकर)- 18,03,632/- रुपए

क्र.सं.	गतिविधियां	धनराशि
1	प्राइमरी हेल्थ सेंटर, धौलेरा पर नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराना	17,23,523/- रुपये
2	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान	80,109/- रुपये
	जोड़	18,03,632/- रुपये

- (ख) प्रशासनिक खर्चों में व्यय की गई राशिः कुछ नहीं
- (ग)प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो तोः लागू नहीं
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)(+ख)+(ग)] 18,03,632/- रुपये
- (ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय अथवा अप्रयुक्त की गई सीएसआर राशिः

वितीय वर्ष के		व्यय नहीं की गई राशि								
लिए व्यय की			(रुपए में)							
गई राशि	135(6) के 3	मनुसार व्यय नहीं	135 के उप-पैरा	(5) के दूसरे प	प्रावधान के अनुसार					
(रुपए में)	किए गए सी	एसआर खाते में	अंतर्गत उल्लि	खेत किसी फंड में						
	कुल अंतरित र	प्रशि	अंतरित राशि							
	धनराशि	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	धनराशि	अंतरण की तिथि					
18,03,632/-			लागू नहीं							

(च) सैट ऑफ के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई होः

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 के उप-पैरा (5) के अनुसार कंपनी के शुद्ध औसत लाभ का दो प्रतिशत	18,03,632/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई राशि	18,03,632/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	कुछ नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

7. पूर्ववर्ती तीन पिछले वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा:

- ' '				•				
1	2	3	4	5	6	7	8	
क्र.सं.	पूर्ववर्ती	धारा १३५ की	धारा 135 की	वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-	बाद के वर्षों	कमी,	यदि
	वित्तीय वर्ष	उप-धारा (6)	उप-धारा (6)	में व्यय	धारा (5) के	में व्यय के	कोई हो	
		के अंतर्गत	के अंतर्गत	की गई	अनुसार अनुसूची	लिए शेष		
		व्यय नहीं किए	अप्रयुक्त	राशि	VII के अंतर्गत	राशि (रुपए		
		गए सीएसआर	सीएसआर	(रुपए में)	उल्लिखित किसी भी	में)		

		खाते में अंतरित धनराशि (रुपए में)	मद में शेष राशि (रुपये में)		फंड में अंतरित राशि, यदि कोई हो तो		
					राशि (रूपए में)	अंतरण की तिथि	
1	वित्तीय वर्ष -			वु	न्छ नहीं		
	1						
2	वित्तीय वर्ष -						
	2						
3	वित्तीय वर्ष -						
	3						

8.	क्या वित्तीय	वर्ष में	कॉरपोरेट	सामाजिक	दायित्व	राशि	द्वारा	कोई	पूंजीगत	परिसंपति	क्रय	अथवा	अधिगृहीत	की
	गई थी:													

		\circ	Yes		No					
यदि	हाँ, तो	सृजित,	/अर्जित	पूंजीगत	संपत्तियों	की	संख्या व	दर्ज करे	ŧ	

वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें::

क्र.	संपति या संपति का	संपति या	निर्माण	व्यय की	पंजीकृत स्वा	मी की			
सं.	संक्षिप्त विवरण	संपत्ति का	की तारीख	गई	इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का				
	[संपत्ति का पूरा पता और	पिनकोड		सीएसआर	विवरण				
	स्थान सहित]			राशि					
(1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	नाम	पंजीकृत पता		
			लागू नर्ह	Ť					

(सभी फ़ील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए अनुसार लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ-साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारणों को स्पष्ट करें:

लागू नहीं

हस्ता.	हस्ता.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक)	(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

<u>जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स</u> कंपनी सचिव

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में, सदस्य, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) नई दिल्ली

मैने "नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) (सीआईएनः यू45400डीएल2008पीएलसी172316) (जिसे बाद में कंपनी/एनआईसीडीसी कहा जाएगा)" द्वारा लागू किए गए सांविधिक प्रावधानों की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस विधि से की गई थी कि जो हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उसके आधार पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराते है।

कंपनी द्वारा तैयार किए गए रजिस्टरों, रिकॉर्डों, पुस्तकों, कागजातों, मिनट (कार्यवृत) बुक, जमा किए गए फॉर्म एवं रिटर्न और कंपनी द्वारा तैयार किए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सिचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम इसके द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं, यह उस विधि एवं इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन है:

मैने निम्निलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की पुस्तकों, दस्तावेजों, कार्यवृत पुस्तकों, जमा किए गए फार्मों और रिटर्नों एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- 2) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम (लागू नहीं);
- 3) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- 4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिन्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम:
- 5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (लागू नहीं)
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 1992**; (लागू नहीं**)
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009; (लागू नहीं)
 - घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)
 - ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; (**लागू नहीं**)
 - च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993; (लागू नहीं)
 - छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (लागू नहीं) और
 - ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (लागू नहीं)।

निम्न कानून/अधिनियम मुख्य रूप से कंपनी पर लागू हैः

1. कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

- 2. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- 3. दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954

हमने दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों और कंपनी द्वारा अपनाए गए कोड और नीतियों के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अविध के दौरान, कंपनी को लिस्टिंग समझौते और/या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के खंडों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी एक असूचीबद्ध और निकट स्वामित्व वाली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।

लेखा परीक्षा अविध के दौरान, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है, जो ऊपर उल्लिखित हैं, साथ ही कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और ऐसे अन्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं और संशोधित नियमों, विनियमों, मानकों आदि का भी अनुपालन किया है, जो ऐसे संबंधित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, मानकों आदि के लिए हैं जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं और अनुपालन के लिए जारी किए जा सकते हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं किः

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकऔर गैर-कार्यकारी निदेशक के उचित संतुलन के साथ यथोचित रूप से गठित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षा अविध के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुए हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बोर्ड के सदस्यों के अवलोकन के लिए दस्तावेजों को भेजने का तरीका दस्ती (बॉय हैंड) और ईमेल द्वारा भेजना है, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति/सामान्य बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं जैसा कि बोर्ड/समिति/आम बैठकों की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और उसके अनुसरण में प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के आधार पर, हमारा अभिमत है कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

हस्ता.

जतिन गुप्ता एफसीएस, एलएलबी

सीपी नं. 5236

सदस्यता सं. एफ 5651

तिथिः 29.05.2023

स्थानः दिल्ली

यूडीआईएन : एफ005651ई000413718

पीअर रिव्यू यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबरः एस2003डीई063000

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "अनुलग्नक अ" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। यह रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट में सूचीबद्ध कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों पर वैधानिक अनुपालन तक सीमित है, जिसकी नियत तारीख 31 मार्च, 2023 को समाप्त/पूरी हो गई है अथवा वितीय वर्ष 2022-23 से संबंधित है।

सेवा में, सदस्य.

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) नई दिल्ली

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट और संबंधित विभाग प्रमुख से पुष्टि, यदि कोई हो, इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए:

- (क) सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।
- (ख) हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है और संबंधित विभागीय प्रमुख से पुष्टि प्राप्त की है और उस पर भरोसा किया है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता पर उचित आधासन प्राप्त करना उचित समझा। हमारा सत्यापन परीक्षण के आधार पर और जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रविष्टियां/रिटर्न आदि वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार की गई हैं; हमारा मानना है कि इस उद्देश्य के लिए हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया, उन्होंने हमारी राय के लिए उचित अभिमत प्रदान किया।
- (ग)हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों की शुद्धता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है और सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा करें (जब भी जारी हो)।
- (घ) जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन तथा वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

(इ) कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी पर लागू सीमा तक सचिवीय और अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन तक सीमित थी।

(च)सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

(छ)हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

कृते जतिन गुप्ता एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

हस्ता.

जतिन गुप्ता एफसीएस, एलएलबी

सीपी नं. 5236

सदस्यता सं. एफ 5651

तिथिः 29.05.2023

स्थानः दिल्ली

यूडीआईएन : एफ005651ई000413718

पीअर रिव्यू यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबरः एस2003डीई063000

फार्म सं. एमजीटी-9 वार्षिक रिटर्न का सार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	पंजीकरण एवं अन्य विवरण	
i)	सीआईएन	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
ii)	पंजीकरण तिथि	07 जनवरी, 2008
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
		(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन
		लिमिटेड के नाम से विदित)
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा लिमिटेड कंपनी/गैर-सरकारी कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क	08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-
,	विवरण	110001
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (जी हां/जी	नहीं
,	नहीं)	
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम,	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
	पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो	
	तो	चौथा तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापति
		बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

II	कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां									
कंपनी	के कुल टर्नओवर में 10% अथवा उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्य	यवसायिक गतिविधिय	ों का उल्लेख किया							
जाएगा										
क्र.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का	कंपनी के कुल							
सं.		एनआईसी कोड	टर्नओवर का %							
1.	कंपनी की मुख्य गतिविधि आधुनिक, भौतिक और सामाजिक औद्योगिक	42909 (अन्य	100%							
	अवसंरचना सहित औद्योगिक गलियारों/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक	सिविल								
	क्षेत्र/इंडस्ट्रियल नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/टाऊनशिप/अन्य परियोजनाओं को	इंजीनियरिंग								
	सुकर करना, प्रोत्साहित और स्थापित करना है।	प्रोजेक्ट								
		एन.ई.सी.)								

III	नियंत्रक, सहयोगी एवं संबंद्ध कंपनियों का ब्यौरा								
क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	नियंत्रक/ सहयोगी/संबंद्ध	धारित शेयरों का %	लागू धारा				
1.	एनआईसीडीसी नीमराना सौलर पॉवर लिमिटेड (पूर्ववर्ती "डीएमआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड") 08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	यू40300डीएल2014 पीएलसी266439	सहयोगी कंपनी	100%	2(87)(ii)				

i. कोटिवार शेयर धारिता											
शेयरधारकों की कोटि	वर्ष की शुरूआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के 3	भंत में धारित	त शेयरों की संख्य	π	वर्ष के		
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	दौरान परिवर्तन %		
क. प्रमोटर्स											
(1) भारतीय											
क) व्यैक्तिक ⁄एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
ख) केन्द्र सरकार	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00		
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
घ) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
च) अन्य (ट्रस्ट)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00		
उप-जोड़ (क)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00		

क) एनआरआई- व्यैक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य - व्यैक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
इ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर्स की शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
ख. सार्वजनिक शेयः	ख. सार्वजनिक शेयरधारिता								
1. संस्थान									
क) म्युचल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकार(रैं)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड़) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
छ)एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

		ı	1						
झ) अन्य विदेशी शेयरधारिता (एफआईआई/एफसी /एफएफआई/एनआ रआई/ओसीबी)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
उप जोइ (ख)(1)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2. गैर-सांस्थानिक	2. गैर-सांस्थानिक								
क) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) ट्यैक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i. 1 लाख रुपए तक की नाममात्र शेयरपूंजी रखने वाले टयैक्तिक शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. 1 लाख रुपए से अधिक की नाममात्र शेयरपूंजी रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) अन्यः i. क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. अनिवासी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iii. विदेशी कंपनी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iv. ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00

ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोइ (क+ख+ग)	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	0.00

(ii)	प्रमोटर्स की शेयरधारिता							
क्र.सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष की १ शेयरों की संख्या	थुरूआत में शे कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	यरधारिता कुल शेयरों का गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के शेयरों की संख्या	ं अंत में शेयर कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	धारिता कुल शेयरों का गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
1.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,89,99,998		-	4,89,99,998		-	NIL
	श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस, अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	01	49%	-	01	49%	-	NIL
	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति का	01		-	01		-	NIL

000				
111 111 01=21				
אותוחומכט				

(iii)	प्रमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करे, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) कोई परिवर्तन नहीं							
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरू	आत में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता				
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का	शेयरों की	कंपनी के कुल शेयरों का %			
			%	संख्या				
	कुछ नहीं							

(iv)	शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक,	प्रमोटर एवं जीडीआर ए	वं एडीआरधारकों	को छोड़कर)		
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत मे	ं शेयरधारिता	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		
		शेयरों की संख्या		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल	
			शेयरों का %		शेयरों का %	
1.	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	2,60,00,000	26.00%	2,60,00,000	26.00%	
2.	हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	1,99,00,000	19.90%	1,99,00,000	19.90%	
3.	इंडिया इंफ्रास्टक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	40,99,998		40,99,998		
3.	श्री पीआर जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01	4.10%	01	4.10%	
	श्री राजीव मखीजा के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01		01		
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%	

(v)	निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता					
क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष की शुरू	भात में शेयरधारिता	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता		
	47 101	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	
	कुछ नहीं					

V	ऋणग्रस्तता							
क्र.सं.	बकाया ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सिहत कंपनी की ऋणग्रस्तता							
		निक्षेपों के अतिरिक्त	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता			
		सुरक्षित ऋण						
1	वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-			
	i) मूलधनराशि	-	-	-	-			
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया	-	-	-	-			
	गया							
	iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-			

	जोड़ (i+ii+iii)	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में	-	-	-	-
	परिवर्तन				
	वृद्धि	-	-	-	-
	कटौती	-	1	1	-
3	शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
	i) मूल धनराशि	-	-	-	-
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया	-	-	-	-
	गया				
	iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नही	-	-	-	-
जोड़ (i+	·ii+iii)	-	-	-	-

VI	निदेः	शकों और प्रमुख प्रबंधव	ठीय कार्मिकों को पारि	श्रमिक		
क.	प्रबंध निदेशक	, पूर्ण कालिक निदेशक	जौर/अथवा प्रबंधक व	को पारिश्रामिक:		
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/	पूर्णकालिक निदेशक/प्र	बंधक का नाम	कुल धनराशि (रुपए में)	
		श्री अमृत लाल मीणा, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2022- 21.10.2022)	श्री राजीव सिंह ठाकुर, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (03.11.2022 - 15.12.2022)	श्रीमीती सुमिता डावरा, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (15.12.2022- 31.03.2023)		
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान	-	-	-	-	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	
2	स्टॉक ऑप्शन	-		-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-		-	-	
4	कमीशन	-		-	-	
	लाभ के % के रूप में	-		-	-	
	अन्य (स्पष्ट करे)	-		-	-	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-		-	-	
	जोड़ (क)	-		-	-	
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-		-	-	

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक							
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	जोड़				
1.	स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस	कुछ नहीं					
	कमीशन अन्य,कृपया स्पष्ट करे						
जोड़ (1)							
	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक						
2	बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस	— कुछ नहीं					
	कमीशन						
	अन्य,कृपया स्पष्ट करे						
जोड़ (2)		कर उसी					
जोड़ (ख)=	(1)+(2)	- कुछ नहीं					
जोड़ (क+ख)						

ग.					
क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेश	नेक निदेशक/प्रबंधक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
	सकल वेतन	श्री अभिषेक चौधरी	श्री पी.के. अग्रवाल	कुल धनराशि	
		(कंपनी सचिव)	(सीएफओ)		
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में	72,22,372	75,00,762	1,47,23,134	
	अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	7 2/22/07 2	7 0 / 0 0 / 7 0 2	1,47,23,134	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के	11,73,805	8,47,492	20,21,297	
	अनुसार अनुलाभों का मान	11,70,000	0,17,172	==,==,==,	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के	_	_	_	
	अंतर्गत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	
3	स्वेट इक्विटी	-	1	-	
4	कमीशन लाभ के % रूप में	-	1	-	
	अन्य कृपया स्पष्ट करे	-	-	-	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करे (अवकाश नकदीकरण)	-	-	-	
जोड़		83,96,177	83,48,254	1,67,44,431	

VII	जुर्माना/सजा/अपराध क	ग समझौता						
क्र.सं.	प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/सजा/अपराध के निपटान में लगी राशि का ब्यौरा	प्राधिकारण (आरडी/एनसीएलटी /न्यायालय)	अपील, यदि की गई हो (ब्यौरा दे)		
क.	कंपनी							
	जुर्माना							
	सजा		कोई नहीं					
	समझौता							
ख.	निदेशक							
	जुर्माना			कोई नहीं				
	सजा			पगञ् नहा				
	समझौता							
ग.	चूक में शामिल अन्य							
	अधिकारी							
	जुर्माना	कोई नहीं						
	सजा							
	समझौता							

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(राजेश कुमार सिंह) अध्यक्ष 26,न्यू मोती बाग, चाणक्य पुरी, दिल्ली, नई दिल्ली-110021

दिनांकः 29 मई, 2023 स्थानः नई दिल्ली

एकल वितीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, **NEW DELHI-110 002**

संख्याः एएमजी-III/6(5)/ वार्षिक खाता/ NICDCL (2022-23)/2023-24/ 149

0 6 1111 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक एन.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड,

08 वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली -110001

विषय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रुस रा पड

(एस. आह्लादिनी पंडा) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य) नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन

लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31

मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के

अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम

की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के

आधार पर धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है।

इसे उनके द्वारा 29 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा व्यक्त किया गया है।

मैने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के

अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट

कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता.

(एस. आह्वादिनी पंडा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(उद्योग वं कॉरपोरेट कार्य)

नर्ड दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 06.07.2023

64

एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड के खातों की लेखा परीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों को पूरा कर लिया है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 मई, 2023

हस्ता.

अंकुर गोयल साझेदार सदस्यता सं. 099143

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों हेत्

स्टैंडएलोन वितीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की तिथि का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट शामिल है। (स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण)

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उक्त तिथि को समास वर्ष के लिए हानि और उनके नकदी प्रवाह पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखापरीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्दिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खंड 'स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व 'में आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडएलोन वितीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार किए जाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में अनुलग्नक, सिहत निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सूचना शामिल है लेकिन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है जिसे इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी निष्कर्षों पर कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व उपलब्ध होने पर उपरोक्त पहचानी गई अन्य सूचना का अध्ययन करना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी भौतिक रूप से गलत है।

जब हम अनुलग्नकों, यदि कोई हो, सिहत निदेशक रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में कोई बड़ी गलत बयानी है, तो हमें उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी का दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानको तथा जिन्हें कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधित नियम, 2016, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत उल्लिखित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। उत्तरदायित्व में परिसंपितयों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, भी शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन सतत् आधार पर जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जहां लागू हो, सतत् आधार से संबंधित मुद्दों और लेखांकन के आधार पर सतत् आधार उपयोग करना बशर्तें प्रबंधन या तो कंपनी परिसमापन करने अथवा परिचालन बंद करने का इच्छुक है अथवा ऐसा करने के लिए वास्तविक विकल्प नहीं है, के संबंध में उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ही ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन स्टैंडएलोन वितीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

- लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखापरीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाये रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं: स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन व निष्पादित करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग दवारा किए
 गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्वितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए कम्पनी की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्वितता मौजूद है, तो हमें स्टैंडएलोन वितीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। बहरहाल, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती है;
- प्रकटनों सिहत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु का
 मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों
 तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है।

हम, अन्य मामलों मे, आंतरिक नियंत्रण मे पाई गई महत्वपूर्ण किमयों जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना है, सिहत लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की

सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में अपेक्षा के अनुसार, हम **अनुलग्नक-'क**', आदेश के पैरा 3 और 4 में विर्निदिष्ट मुद्दों पर एक विवरण देते है।
- हम कंपनी की पुस्तकों और रिकार्डों की इस प्रकार की जांच जैसा उचित समझा गया और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देशों और उप-निर्देशों पर अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार अनुलग्नक-'ख' में अपनी रिपोर्ट संलग्न करते हैं,
- 3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
 - ख) हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए स्टैंडएलोन तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का स्टैंडएलोन विवरण और स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;
 - घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सिहत पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखंकन मानकों के अनुपालन में है;
 - ड) 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए जाने के अनुसार अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;
 - च) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार कंपनी के इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में संदर्भ के लिए अनुलग्नक 'ग' में हमारी स्टैंडएलोन रिपोर्ट देखे;
 - छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया परिश्रामिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार हैं; और

- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - i) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अपनी स्टैंडएलोन वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन करते हैं संदर्भ स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का नोट 24 देखे;
 - ii) कम्पनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सिहत कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी;
 - iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।
 - iv) (क) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी धन (जो व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से) को कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा विदेशी कंपनी ("इंटरमीडिएटरी") सहित कपंनी में (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोतों या विभिन्न प्रकार के धन से) अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि इंटरमीडिएटरी, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा अथवा (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ इसी तरह प्रदान करेगा:
 - (ख) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास में, कोई भी धन (जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हो अथवा समग्र रूप से) कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति, विदेशी कंपनी ("फंडिंग पार्टियां") सहित कंपनी से प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ प्रदान करेगी;
 - (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार तर्कपूर्ण और उचित पाया है, उनके आधार पर ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है कि जिससे यह माना जाए कि नियम 11(इ) के उप-खंड (i) और (ii) अंतर्गत स्पष्टीकरण जैसा उपरोक्त (क) और (ख) में बताया गया है, में कोई वास्तविक रूप से गलत बयानी हो; और

v) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा भुगतान नहीं किया गया था; इसलिए, उक्त खंड लागू नहीं होता है।

> कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

> > हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 मई, 2023

अंकुर गोयल साझेदार सदस्यता सं. 099143

यूडीआईएन: 23099143बीजीपीएमवीएक्स3586

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (1) के संदर्भ में)

कंपनी के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर सत्य और सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से की गई लेखापरीक्षा के आधार और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा लेखापरीक्षा की सामान्य अविध में हमारे द्वारा लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः

- (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में;
 - क. (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के परिमाणात्मक ब्यौरों और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं।
 - (आ) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरों और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं।
 - ख. जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष संपत्ति, संयंत्र और उपकरण भौतिक रूप से सत्यापित किए जाते हैं, जो हमारे अभिमत में कंपनी के आकार एवं इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त है। इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई है।
 - ग. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी रिकार्डों की जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई चल संपत्ति नहीं है। इसलिए यह खंड लागू नहीं होता हैं।
 - घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों में किसी का भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - इ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों, यथा संशोधित, के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी के खिलाफ लंबित नहीं है।
- (ii) (क) हमें बताए गए अनुसार, कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है, इसलिए यह खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता हैं।
 - (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की जमानत के आधार पर बैंकों या वितीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी नहीं दी गई है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी या किसी भी अन्य पक्षों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित प्रकृति के ऋण में कोई निवेश, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है अथवा कोई भी ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से 3 (iii) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत शामिल ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किया हैं, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऐसी कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे धारा 73 से 76 अथवा अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को अधिसूचित सीमा के अर्थ के भीतर जमा करना माना जाता हो, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) भारत की केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vii) संवैधानिक बकायों के संबंध में:
 - क. हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी की जांच के अनुसार, हमारे अभिमत में, कंपनी ने जहां कहीं भी लागू हो, उचित प्राधिकरणों के पास आयकर, माल एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर, माल एवं सेवा कर और अन्य सांविधिक बकायों सिहत गैर-विवादित सांविधिक बकायों का नियमित भुगतान किया है और कंपनी के पास 31 मार्च, 2023 को देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अविध के लिए कोई सांविधिक बकायों के संबंध में कोई अविवादित राशि शेष नहीं है।
 - ख. विभाग द्वारा कुल 90.44 लाख रुपए के विवादित सांविधिक बकाया राशि अस्वीकृति/परिवर्धन आदि के विरूद्ध रोक दिया गया है, जिसके विरूद्ध कंपनी ने उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष अपील/शिकायत दायर की है जो निम्नानुसार है:

क्र.सं.	प्राधिकण का	बकाए की प्रकृति	फोरम जहां विवाद	अवधि जिससे	राशि (लाख
	नाम		लंबित है	विवादित राशि	रूपए में)
				संबंधित है	
1	आयकर	आकलन पूरा होने	सीआईटी (अपील)	आकलन वर्ष 2017-	5.79
	अधिनियम,	पर आय कर		18	
2	1961			आकलन वर्ष 2018-	17.47
				19	

क्र.सं.	प्राधिकण का नाम	बकाए की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	अवधि जिससे विवादित राशि संबंधित है	राशि (लाख रूपए में)
3				आकलन वर्ष 2021- 22	67.18
				जोड़	90.44

- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान पहले से रिकॉर्ड नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं किया गया था या या आय के रूप में खुलासा किया गया था।
- (ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया राशि से ऋण और उधार नहीं लिया है इसलिए खंड 3 (IX) (ए) से 3 (ix) (एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) (क) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा उसके बाद सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लेखपत्रों सहित) द्वारा धन नहीं जुटाया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
 - (ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी अधिमान्य आबंटन अथवा शेयरों का निजी प्लेसमेंट एवं ऋण पत्रों (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय) का आबंटन नहीं किया है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) (क) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है अथवा वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।
 - (ख) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।
 - (ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
- (xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है इसलिए खंड 3 (xii) (ए) से 3 (xii) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां कही भी लागू हो, के अनुपालन में हैं। इस तरह के लेन-देन का विवरण एएस 18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण द्वारा आवश्यक स्टैंडएलोन वितीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

- (xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी के पास आकार और अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
 - (ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) (क), (ख) और (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करती है जिसके लिए कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता हो, इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) (घ) हमारी राय में समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्वबैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।कंपनी को हमारी लेखापरीक्षाधीन के दौरान शामिल वित्तीय वर्ष में 566.49 लाख रुपए की नकद हानि और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) वित्तीय अनुपातों के आधार पर {जैसा कि नोट 29 (vi)} में दिया गया है, वित्तीय पिरसंपितयों की पिरपक्वता और वसूली तथा वित्तीय दायिताओं के भुगतान की प्रत्याशित तिथियों, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि में कोई भौतिक अनिश्वितता मौजूद है जो यह दर्शाती हो कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर आती हो। बहरहाल, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर आने सभी देनदारियां, जब कभी भी आती है, कंपनी द्वारा निपटान किया जाएगा।
- (xx) (क) चालू परियोजनाओं से इतर अन्य परियोजनाओं के संबंध में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई शेष राशि नहीं है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में विर्निदष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता होती है।
 - (ख) अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अंतर्गत किसी भी चालू परियोजना के अनुसरण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसके लिए उक्त

अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में किसी विशेष खाते में अंतरण की आवश्यकता होती है।

(xxi) कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका नाम एनआईसीडीसी नीमराणा सौलर पावर लिमिटेड है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। यद्यपि, उक्त कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में कोई अर्हकता अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29 मई, 2023 अंकुर गोयल साझेदार सदस्यता सं. 099143

यूडीआईएन: 23099143बीजीपीएमवीएक्स3586

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ख'

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (2) के संदर्भ में)

वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश और उप-निर्देश

क्र.सं.	निर्देश/उप-निर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया	उन पर पर प्रबंधन	स्टैंडएलोन वित्तीय
			द्वारा की गई कार्रवाई	विवरणों पर प्रभाव
क	निर्देश			
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली	• "	किसी कार्रवाई की	कोई प्रभाव नहीं।
	द्वारा लेखांकन लेन-देन की	स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी	आवश्यकता नहीं है।	
	प्रक्रिया करने की प्रणाली	में 'टेली ईआरपी एडिट लॉग'		
	मौजूद है? यदि हां, तो आईटी	लेखांकन सॉफ्टवेयर में आईटी		
	प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-	प्रणाली द्वारा लेखांकित करने की		
	देन की प्रक्रिया करने से वितीय	प्रणाली मौजूद है। तदनुसार,		
	निहितार्थों के साथ लेखों की	लेखों की सत्यनिष्ठा पर कोई		
	सत्यनिष्ठता पर प्रभाव, यदि	निहितार्थ नहीं है।		
	कोई हो तो, बताएं।			
2	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में	हमें दी गई सूचना और	किसी कार्रवाई की	कोई प्रभाव नहीं।
	असमर्थता के कारण मौजूदा	स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी	आवश्यकता नहीं है।	
	ऋण की कोई पुनर्संरचनाबद्ध	द्वारा ऋण चुकाने की अक्षमता		
	किया गया है अथवा ऋणदाता	के कारण मौजूदा ऋण को		
	द्वारा कंपनी के	पुनर्संरचनाबद्ध करने अथवा		
	ऋण/ऋण/ब्याज आदि की	कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा		
	माफी/बट्टे खाते में डालने के	ऋण/ब्याज आदि को माफ		
	मामले हैं? यदि हां, तो वितीय	करने/बट्टे खाते में डालने का		
	प्रभाव के बारे में बताया जाए।	कोई मामला नहीं है		
	क्या ऐसे मामलों का ठीक से			
	लेखाबद्ध किया जाता है? (यदि			
	ऋणदाता एक सरकारी कंपनी			
	है, तो यह निर्देश ऋणदाता			
	कंपनी के सांविधिक लेखा			
	परीक्षकों पर भी लागू होता है)			
3	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार	भारत सरकार ने विभिन्न	किसी कार्रवाई की	कोई प्रभाव नहीं।
	अथवा उनकी एजेंसियों से	औद्योगिक गलियारा	आवश्यकता नहीं है।	
	किन्हीं विशेष योजनाओं के	परियोजनाओं के लिए विभिन्न		
	लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले	परियोजना विकास/ प्रारंभिक		
	धन/अनुदान/सहायता राशि को	गतिविधियां शुरू करने के लिए		

क्र.सं.	निर्देश/उप-निर्देश	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया	उन पर पर प्रबंधन	स्टैंडएलोन वितीय
			द्वारा की गई कार्रवाई	विवरणों पर प्रभाव
	उचित रूप से लेखाबद्ध/निबंधन	परियोजना विकास निधि		
	एवं शर्तों के अनुसार उपयोग	(पीडीएफ) की स्थापना को		
	किया गया था? विचलन के	मंजूरी दी, जिसके लिए कंपनी		
	मामलों की सूची बनाएं।	नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर		
		डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट		
		(एनआईसीडीआईटी) के माध्यम		
		से सरकार से सहायता अनुदान		
		प्राप्त करती है जिसका प्रकटन		
		'आरक्षित और अधिशेष' के		
		तहत पूंजी आरक्षित निधि के		
		रूप में किया गया है।		
		हमें दी गई सूचना और		
		स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के		
		दौरान प्राप्त सहायता अनुदान को		
		इसकी निबंधन एवं शर्तों के		
		अनुसार कंपनी द्वारा उचित रूप		
		से लेखाबद्ध किया जाता है और		
		इसे स्टैंडएलोन वित्तीय		
		विवरणों के नोट 4 तथा 13 में		
		प्रकट किया गया है।		
ख	उप-निर्देश			
	~			
	कुछ नहीं			

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29 मई, 2023 अंकुर गोयल साझेदार सदस्यता सं. ०९९१४३ यूडीआईएन २३०९९१४३बीजीपीएमवीएक्स३५८६

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'ग'

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 3(च) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 को 'नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपर्मेट कॉरपोरेशन लिमिटेड' ("कंपनी") के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन वितीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्चयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन में, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सिहत इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है और कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के सदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है और निर्धारित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्र्टि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी

की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त

हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की

विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडएलोन

वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों कें संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से

संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी के लेन-देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित

आश्वासन प्रदान करे कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडएलोन वितीय विवरणों को तैयार करने के

लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की

अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे

में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में

उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है।

इसके अतिरक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अध्यधीन है, अपर्याप्त हो

सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्राप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च. 2023 तक

प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी 'वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की लेखा परीक्षा' पर गाइडेंस नोट में आतंरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय

रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किए गए थे।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 मई, 2023

अंकुर गोयल साझेदार

सदस्यता सं. ०९९१४३यूडीआईएन:

3099143बीजीपीएमवीएक्स3586

80

एकल वितीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को स्टैंडएलोन तुलन पत्र

विवरण	नोट		, 2023 को गाख में)	31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)	
इक्विटी एवं दायिताएं					
शरेधार्कों की निधियां					
(क) शेयर पूंजी (ख) आरक्षित एवं अधिशेष	3 4	10,000.00 63,360.91	73,360.91	10,000.00 67,045.49	77,045.49
गैर-चाल् दायिताएं (क) दीर्घकालिक दयिताएं	5		146.25		118.83
	J		140.20		110.00
चालू दायिताएं (क) व्यापार देय	6				
(i) सक्षम और लघु उपक्रमों के कुल देय बकाया		-		32.42	
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर देनदारों के कुल देय बकाया		1,876.76		2,137.88	
(ख) अन्य चालू दायिताएं (ग) लघुकालिक प्रावधान	7 8	180.09	0.074.40	301.18	0.400.04
(ग) लघुकालिक प्रावधान	8	14.63	2,071.48 _	11.16	2,482.64
जोइ		_	75,578.64	_	79,646.96
<u>परिसंपत्तियां</u>					
गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपतियां					
(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	9	133.50		157.10	
(ii) अमूर्त परिसंपतियां		11.11		15.93	
(ख) अचल निवेश	10	1,300.00		1,300.00	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11	72.65		63.57	
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	12	1.69		5.29	
(इ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	13	56,789.49	58,308.44 _	61,073.98	62,615.87
चालू परिसंपत्तियां					
(क) व्यापार प्राप्य	14	267.50		132.50	
(ख) रोकड़ और बैंक शेष (ग) लघुकालिक ऋण और अग्रिम	15 16	13,730.74 56.30		16,228.79 38.81	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	3,215.66	17,270.20 _		17,031.09
जोइ		<u> </u>	75,578.64	_	79,646.96
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2	_			
लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडएलोन वितीय विवरणों के आंतरिक भाग है।	3-35				

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता. हस्ता.

(अंकुर गोयल) (सुमिता डावरा) (राजीव सिंह ठाकुर) साझेदार सीईओ एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (सदस्यता सं. 099143) (डीआईएन : 01005516) (डीआईएन : 02631653)

> हस्ता. हस्ता.

यूडीआईएन -23099143 बीजीपीएमवीएक्स 3586

(अभिषेक चौधरी) उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट स्थानः नई दिल्ली (पी. के. अग्रवाल) मुख्य वितीय अधिकारी दिनांकः 29 मई, 2023 मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यु45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडएलोन विवरण

विवरण	नोट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
आय			
परिचालन से आमदनी	18	621.66	1,657.32
अन्य आय	19	706.77	625.23
कुल आमदनी		1,328.43	2,282.55
व्यय			
- कर्मचारी हितलाभ व्यय	20	865.05	877.97
- मूल्यहास और परिशोधन व्यय	21	47.26	74.16
- अन्य व्यय	22	1,030.15	817.24
कुल व्यय		1,942.46	1,769.37
कर पूर्व लाभ		(614.03)	513.18
कर व्यय			
- चालू कर - पिछले वर्ष		0.06	173.40 8.2
- अस्थिमित कर		(9.08)	(28.50
वर्ष के लिए लाम/(हानि)		(605.01)	360.07
आमदनी प्रति इक्विटी शेयर (समतुल्य 10/- रुपए प्रति शेयर)	23		
- प्रति शेयर मूल आमदनी (रुपए में) - प्रति शेयर तनुकृत आमदनी (रुपए में)		(0.61)	0.36
- प्रति शेयर तन्कृत आमदनी (रुपए में)		(0.61)	0.36
त्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
बों पर संलग्न लेखे स्टेंडएलोन वितीय विवरणों के आंतरिक भाग है।	3-35		

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. पी. चोपडा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता. हस्ता.

(अंकुर गोयल) **(सुमिता डावरा)** सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 01005516) (राजीव सिंह ठाकुर)

साझेदार (सदस्यता सं. 099143) निदेशक (डीआईएन : 02631653)

हस्ता. हस्ता.

यूडीआईएन -23099143 बीजीपीएमवीएक्स 3586 स्थानः नई दिल्ली (पी. के. अग्रवाल)

(अभिषेक चौधरी) दिनांकः 29 मई, 2023 उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामलें, मुख्य वितीय अधिकारी मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
		(Celling VI)	((())
कर पूर्व शुद्ध लाभ		(614.03)	513.1
समायोजन के लिए :			
मूल्यहास और परिशोधन व्यय		47.26	74.1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि		0.28	0.5
खारिज की गई परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण ब्याज आय		(244.00)	0.2
ब्याज जाय कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		(614.20) (1,180.69)	(513.8 74.2
समायोजन के लिए :			
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी		(135.00)	5.6
अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी		17.17	43.2
व्यापार देयों में वृद्धि/(कमी)		(293.54)	101.9
अन्य देयों में वृद्धि/(कमी)		(90.20)	(17.4
परिचालन गतिविधियाँ से सृजित नकदी/(प्रयुक्त)		(1,682.26)	207.5
भुगतान किया गया कर (रिफंड का शुद्ध)		32.02	(311.4
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)		(1,650.24)	(103.8
पुंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां		1.00	5,000.0
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित ब्याज		88.66	98.1
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता (शुद्ध रिकवरी)		(1,398.44)	(4,124.5
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां		1.00	10.0
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों पर अर्जित ब्याज		(1.00)	(10.0
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की (खरीद)		(19.31)	(23.1
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री		0.18	0.2
बैंकों के साथ निक्षेपों में (वृद्धि)/कमी		597.00	397.8
ब्याज आय		480.10	578.3
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)		(250.81)	1,926.8
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		-	-
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)		-	-
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)		(1,901.05)	1,823.0
वर्ष की शुरुआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		15,631.79	13,808.7
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य		13,730.74	15,631.7
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक :			
रोकड़ शेष		0.07	0.0
चालू खातों में बैंक के पास शेष		5.10	4.4
अविध जमाओं में बैक के पास शेष		13,725.57	15,627.3
		13,730.74	15,631.7
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
लेखों पर संलग्न लेखे स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के आंतरि है।	क भाग 3-35		

समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते एस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स फमें पंजीकरण सं. 000346एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता. हस्ता.

(स्मिता डावरा) सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 01005516) (अंकुर गोयल) (राजीव सिंह ठाकुर) साझेदार (सदस्यता सं. 099143) निदेशक (डीआईएन : 02631653)

> हस्ता. हस्ता.

यूडीआईएन -23099143 बीजीपीएमवीएक्स 3586

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः २९ मई, २०२३

(पी. के. अग्रवाल) मुख्य वितीय अधिकारी

(अभिषेक चौधरी) उपाध्यक्ष -कॉरपोरेट मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 1- कंपनी की सूचना

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक चालक (एसपीवी) के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और देश के औद्योगिक/विनिर्माण विकास को मजबूत गित देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की। तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निगमित किया गया था।

सितंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना को अनुमोदन दिया और डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन टस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में एक परिक्रामी कार्पस के साथ समर्पित निधि सजन को भी अनुमोदन दिया

डीएमआईसीडीसी नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीएमआईसीडीसी को डीएमआईसी-पीआईटीएफ के लिए और डीएमआईसी क्रियान्वित करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर/नॉलेज पार्टनर का अधिदेश है।

दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के अधिदेश का विस्तार किया और देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुन: नामित किया। डीएमआईसीडीसी को अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त होने तक डीएमआईसी कार्य के अलावा सभी औद्योगिक गलियारों के संबंध में एनआईसीडीआईटी के लिए एक नालेज पार्टनर के रूप में कार्य करने का अधिदेश दिया गया था। विस्तारित अधिदेश को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम दिल्ली मंबई इंडस्टियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्टियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गलियारों सहित) के कार्यान्वयन को मंजुरी दी।

नोट २ - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, अधिसूचित एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों जो कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ के पठनीय है, जिस तरह से लागू और आवश्यक है, प्रोद्धवन आधार पर परंपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तुत किया गया हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में अपनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के संदर्भ में सामान्य अनुदेशों में परिभाषित लघु और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) के तहत कंपनी एक स्तर - III श्रेणी का उद्यम है। तदनसार, कंपनी ने लघु और मध्यम आकार कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार सभी परिसंपत्तियों और दायिताओं को चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया है। सेवाओं की प्रकृति और सेवाओं को प्रदान करने और नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्ति और दायिताओं के वर्तमान या गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को जहां कहीं आवश्यकता हो, आकलन और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। यद्यपि इस तरह के अनुमान और मान्यताएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम ज्ञात/साकार होते हैं।

2.3 परिसंपत्ति. संयंत्र और उपकरण

- i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को संचयी मूल्यहास एवं अपसामान्य हानियों, यदि कोई हो, उसे घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है।
- ii) अधिग्रहण/निर्माण की लागत में भाड़ा, निर्माण और कमीशन प्रभार, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण/स्थापना की तारीख तक व्यय और निर्माण/स्थापना चरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।
- iii) जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक हिस्से के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।
- iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके बुक वैल्यू में तभी जोड़ा जाता है जब वे मौजूदा परिसंपत्ति से प्रदर्शन के पिछले आकलन से भविष्य के लाभों को आगे बढ़ाते हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत को जब भी खर्च किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।
- v) सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली हानि, अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे लागत पर किया जाता हैं, सेवानिवृत्ति/निपटान के वर्ष में लाभ और हानि के स्टैंडएलीन विवरण में प्रदर्शित किया जाता हैं।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च. 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 🏿 के प्रावधानों के अनुसार, संपति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास, लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहासित विधि से लगाया जाता है। हालांकि, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए प्रबंधन का अनुमान पूर्वोक्त अनुसूची में परिकल्पित से कम है, तो प्रबंधन के उपयोगी।शोष जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यहास उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 🗈 के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फर्नीचर और फिक्सचर	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत संस्थापना और उपकरण	10
कम्प्यूटर – डेस्कटॉप, लैपटॉप, आदि जैसे उपभोक्ता उपकरण	3
कम्प्यूटर – सर्वर और नेटवर्क	6

- vii) 5,000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से अवमूल्यन किया जाता है।
- viii) संपत्ति. संयंत्र और उपकरण के अतिरिक्त मूल्यहास पर संपत्ति के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/नष्ट/ध्वस्त करने पर मूल्यहास परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, प्रभारित किया जाता है।
- ix) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है
- x) यदि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त या निपटान के लिए रखे गए हैं, उन्हें लागत (शुद्ध संचित मूल्यहास) या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर बताया जाता है।
- xi) लीजहोल्ड सुधार की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है।
- xii) ि निर्माणाधीन संपत्ति. संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत जो वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे प्रगति पर पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाता है।
- uiii) प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भूगतान किए गए अग्रिम को अन्य गैर-चालु परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जहां यह संभावना है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ व्यवसाय को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता और व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया गया है।

अमूर्त संपत्ति में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिशोधन की लागत को घटाते हुए अधिप्रहण/कार्यान्वयन की लागत पर बताया जाता है। इसे 5 साल की अवधि अथवा स्ट्रेट लाइन के आधार पर लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, में परिशोधित किया जाता है।

2.5 परिसंपत्तियों का परिशोधन

एक परिसंपत्ति को तभी परिशोधित माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा की जाती है जोर यदि आंतरिक/बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में तब प्रभारित की जाती है जिस अविथ में किसी परिसंपत्ति को परिशोधित के रूप में पहचाना जाता है। जहां वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है वहां पूर्व लेखा अविथ में पहचानी गई परिशोधित हानि को बढ़ाया/घटाया जाता है। वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य एवं उपयोग में मूल्य, जो भी अधिक हो, होती है।

2.6 सहायता अनुदान

2.6.1 परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियां करने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करती है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त, फंड में से परियोजना विकास/प्रारंभिक गतिविधियों पर वहन किए गए व्ययों को निम्नानुसार प्रबंधित किया जाता हैः

क) कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिनके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच अलग-अलग विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) बनाई गयी हो, जहां भी शेयरधारकों के समझौते की शर्तों के अनुसार वसूली योग्य हो, संबंधित सहायक कंपनियों/एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है और 'अन्य गैर-चालू संपत्ति' के तहत प्रकटन किया जाता है;

ख) जिन परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाना है या आगे कोई गतिविधियां नहीं की जानी हैं या एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार (सरकारों)/नोडल एजेंसी(यों) के बीच शेयरधारकों के समझौते में वसूली का प्रावधान नहीं है, उन्हें 'पूंजी आरक्षित कोष' के तहत परियोजना विकास निधि के शेष से कम किया जाता है; और

ग) उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां शेयरधारकों के समझौते का निष्पादन न होने के कारण एसपीवी को अभी तक निगमित नहीं किया गया है अथवा जहां एनआईसीडीआईटी/ सीसीईए द्वारा निवेश के लिए परियोजनाओं को अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है या उपरोक्त पैरा (क) और (ख) के तहत शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य व्यय को "अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों" के शीर्ष के तहत परियोजना विकास व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) 262

पारयाजना कायान्वयन निर्माध (पाआइएफ) भारत सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्मलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है और आरक्षित और अधिशेष के तहत पूंजी भंडार के रूप में प्रकटन किया जाता है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है।

2.6.3 **स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसएपी)** भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल् कोरिडोर डेवलपमेंट एंड नारा क्रिकेट ने प्रकृति करने वालान के आँ क्या की बूध के राहे स्वर्का का निवास है। के लिया के किया के निवास के क इम्म्युनीमेंट्यान ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेव्ट इम्म्युनीमेंट्यान ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीचीआईटीएफ) के नाम से विदित, के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया जाता है। फंड से भारत सरकार/एनआईसीडीआईटी को किसी राशि के वापसी योग्य होने पर उक्त राशि को उस वर्ष में रिफंड के शेष से घटाया जाता है।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोडा जाता है और गैर-वसुलनीय व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

निवेश 2.7

सहायक कंपनियों में निवेश मुख्य रूप से लंबी अवधि के लिए होता है और इसका मूल्यांकन संचित हानियों को घटाते हुए, यदि कोई हो, उस पर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण लागत और इसके अधिग्रहण के लिए किए गए अन्य आकस्मिक लागत शामिल हैं। ऐसे निवेशों के वहन मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट होने की स्थिति में प्रावधान किया जाता है। एक निवेश के मूल्य के संकेतक उसके बाजार मूल्य, निवेशिती की संपत्ति और परिणामों और निवेश से अपेक्षित नकदी पूवाह के संदर्भ में प्राप्त किए जाते हैं।

चालु निवेशों को निम्नतर लागत अथवा उद्धत मृल्य पर किया जाता है।

निवेशों के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और अग्रणीत राशियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

- कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और जब व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें लागू करने योग्य हैं, सेवाएं वितरित की गई हैं, संग्रहणीयता यथोचित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है:
 - (i) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईसीडीआईटी ने 26 जुलाई 2016 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में `20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।
 - (ii) नॉलेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कर्नेशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक आंतरिक प्रोद्धवन के 1% की दर से सेवा शुक्क आईआईसीसी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित अनुसार 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम 5,00,00,000 और अधिकतम 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ख) ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज की लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय आनुपातिक आधार पर स्वीकारा जाता है।
- लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

लीज 2.9

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। परिचालन लीज के अंतर्गत लीज भुगतानों को प्रोद्धवन आधार पर लाभ एवं हानि खाते के स्टैंडएलोन विवरण में दिखाया जाता है।

विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेन उक्त तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि और देनदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाने जाते हैं। वायदा विनिमय अनुबंध पर प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। इस तरह के अनुबंध पूर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। वायदा अनुबंध के रद्दीकरण अथवा नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में दिखाया जाता है।

2.11 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक हितलाभः

इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के स्टैंडअलोन विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान शामिल है, जिसका हिसाब केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार है

परिभाषित अंशदान योजनाः

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार वैधानिक भविष्य निधि, पेंशन योजना में वर्ष के दौरान भुगतान या देय कंपनी के योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवाएं प्रदान करता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाः

ग्रेच्युटी के प्रति कंपनी का दायित्व वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र बीमांकक द्वारा निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक द्वारा निर्धारित बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहुंचाना जाता है जिसका बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च. 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

2.12 खंड-वार रिपोर्टिंग

परिचालन खंड की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। लेखांकन मानक 17 के अनुसार निदेशक मंडल सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता" या "सीओडीएम" है। कंपनी के पास विभिन्न औद्योगिक गलियारों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में सेवाएं प्रदान करने का केवल एक रिपोर्टिंग खंड है, जो कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.13 आय पर कर

- क) कर व्यय में चालु कर और आस्थगित कर दोनों शामिल है।
- ख) वर्तमान आयकर, संपत्ति और देनदारियों को आयकर अधिनियम, 1961 में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2019 और भारत में अधिनियमित आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस), कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके द्वारा सम्मिलित कर व्यवस्था के अनुसार कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली या उनसे वसूली योग्य राशि पर मापा जाता है।
- ग) आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के परिणामस्वरूप आस्थिगित कर दाियता जो उत्तरवर्ती लेखा अविधे में बदलने में सक्षम है, उसे रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों में लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थिगित कर पिरसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थिगत कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। उनकी वसूली के लिए आस्थिगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।
- च्युनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) उस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के स्टेंडएलोन विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है। कंपनी एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को केवल उस हद तक मान्यता देती है कि इस बात के उपपुक्त साक्ष्य हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अविध के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अविध जिसके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर के डिंडट को आगे ले जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर केडिट पाता" के इप परिसंपत्ति के एम परिसंपत्ति के एम परिसंपत्ति को स्टेंडएलोन लाभ और हानि स्टेटमेंट में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पाता" के रूप में दिखाया गया है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पाता" संपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस हद तक लेखाबद्ध करती है, जिस हद तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह निर्दिष्ट अविध के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

2.14 आमदनी प्रति शेयर

कंपनी "प्रति शेयर कमाई" पर लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और तुनुकृत आय (ईपीएस) को रिपोर्ट करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना इकिटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसे सभी कमजोर संभावित इकिटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, सिवाय इसके कि जहां सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इकिटी शेयर के परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

2.15 प्रावधान, आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायिता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायिता का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बहुगत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में तब किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाले संभावित दायिल होते हैं, जिसके अस्तित्व की पृष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने:ना-होने से की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां यह या तो संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

2.16 रोकड़ और समतुल्य रोकड़

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक शेष और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपकता वाली जमा राशि शामिल है और जो नकद और नकद समकक्ष की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनकी कीमतों में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है। स्वीप-इन-फैसिलिटी में रखी गई सावधि जमा आसानी से नकदी में परिवर्तनीय होती है, इसलिए रोकड़ और समतुल्य रोकड़ के अंतर्गत आती है।

2.17 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि" द्वारा तैयार किया जाता है जैसा कि "रोकड़ प्रवाह विवरण" पर लेखांकन मानक 3 में निर्धारित किया गया है और कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

स्टैंडएलोन रोकड् प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किए गए रोकड् और रोकड् समकक्ष में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट/ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक बैलेंस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले डिपॉजिट शामिल हैं और जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं।

परियोजना विकास निधि से संबंधित लेन-देन और उससे जुड़े आय/व्यय दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें निवेश गतिविधियां माना गया है।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

	विवरण	3	1 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
	1993-1		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
नोट 3 शेयर	<u>। पंजी</u>				
	प्राधिकृत				
	10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 10,00,00,000)		10,000.00		10,000.00
		<u> </u>	10,000.00	<u> </u>	10,000.00
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 10,00,00,000)		10,000.00		10,000.00
	जोड़	<u>=</u>	10,000.00	<u> </u>	10,000.00
3.1	वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्यः				
		31, मार्च, 20)23 को	31, मार्च, 2	2022 को
		शेयरों की सं.	(₹ लाख में)	शेयरों की सं.	(₹ लाख में)
	वर्ष की शुरूआत में शेष जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00
	वर्ष के अंत में शेष	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00

3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न शर्तै/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य '10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3.3 कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

	31, मार्च, 2023 को		31, मार्च,	2022 को		
	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %		
भारत के राष्ट्रपति (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	49.00		
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	26.00		
हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	1,99,00,000	19.90	1,99,00,000	19.90		

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, शेयरधारकों / सदस्यों के अपने रजिस्टर और अन्य घोषणाओं सहित, यदि कोई हो, शेयरधारकों से लाभकारी हित के संबंध में, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी और लाभकारी स्वामित्व दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

3.4 कंपनी ने बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है और न ही नकदी प्राप्त किए बिना ही शेयरों को जारी किया है और तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किन्हीं भी शेयरों को वापिस नहीं खरीदा गया है।

3.5 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर						
प्रवर्तक का नाम	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन %			
सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,89,99,998	49%	शून्य			
श्री राजीव सिंह ठाकुर, आईएएस, (पिछले वर्षः शैलेंद्र सिंह, आईएएस) अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	1					
संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व	1					
<u> </u>	4,90,00,000					

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

	विवरण			31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)		31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)
नोट ४ : आ	क्षित और अधिशेष					
(क.)	पूंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहायता अनुदानः (संदर्भ नोट 2.6)					
	 (i) परियोजना विकास निधि ओतिम तुलन पत्र के अनुसार जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान जोड़े: परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज ओतंम तुलन पत्र के अनुसार 	_	73,020.27 1.00 3,351.19	73,021.27	68,020.27 5,000.00 3,225.78	73,020.27
	वर्ष के दौरान सावधि जमा और कर रिफंड पर ब्याज	_	76.62	3,427.81	125.41	3,351.19
	(घटाएं): वसूले न जा सकने वाले परियोजना विकास व्यय अतिम तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय (घटाएं): परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज पर कर प्रभाव	_	(14,509.19) (3,157.19)	(17,666.38) (30.87)	(4,035.14) (10,474.05)	(14,509.19) (30.87)
		(i)	_	58,751.83	_	61,831.40
	(ii) परियोजना कार्यान्ययन निधि अंतिम तुलन पत्र के अनुसार (संदर्भ नोट 10.1)			1,300.00	_	1,300.00
		(ii)	_	1,300.00	_	1,300.00
	(iii) स्यच्छता कार्य योजना पिछले तुलन पत्र के अनुसार* वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान जोड़ेः वर्ष के दौरान सावधि जमाओं पर ब्याज* (घटाएं): वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय	(iii)*	Ξ	0.00 1.00 - (1.00)	=	0.00 10.00 - (10.00) 0.00
	उप-जोड़			60,051.83		63,131.40
(ख)	अधिशेष अंतिम त्लन पत्र के अनुसार जोड़ेः वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	_	3,914.09 (605.01)	3,309.08	3,554.02 360.07	3,914.09
	जोड		_	63,360.91	_	67,045.49
	o tope		_		_	. ,

^{*} राशि 1,000/- रुपए से कम है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
144(*)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
<u>नोट 5 : अन्य दीर्घकालिक दायिताएं</u>			
कर्मचारी हितला ओं के लिए प्रावधान - ग्रेच्यूटी (संदर्भ नोट 25) - अवकाश नकदीकरण (संदर्भ नोट 25)	78.16 68.09	68.56 50.27	
जोड़	146.25	118.83	
	31 मार्च, 2023 को	 31 मार्च, 2022 को	
1447-1	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
<u>नोट ६ - व्यापार देय</u>			
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 6.1) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	- 1,876.76	32.42 2,137.88	
जोड़	1,876.76	2,170.30	

6.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है। यह सूचना कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित की गई है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1997-1	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
i) वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज		
-मूलधन - ब्याज	- -	32.42
ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
iii) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा	-	-
v) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से, बाद के वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की गई हो	-	-

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

6.2 पुराने व्यापार देय

31 मार्च, 2023 को					(₹ लाख में)			
विवरण	भुग	भुगतान/लेन-देन की बकाया तिथि से बकाया*						
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़			
(i) एसएसएमई	-	=	-	-	-			
(ii) अन्य	662.27	325.35	700.60	188.54	1,876.76			
(iii) विवादित बकाए - एमएसएमई	-	-	-	-	-			
(iv)विवादित बकाए - अन्य	-	-	-	-	-			
जोड़	662.27	325.35	700.60	188.54	1,876.76			

31 मार्च, 2022 को					(₹ लाख में)	
 विवरण	भुग	ातान/लेन-देन की बकार	ग तिथि से बकाया *		-)a	
विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़	
(i) एसएसएमई	32.42	-	-	-	32.42	
(ii) अन्य	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88	
(iii) विवादित बकाए - एमएसएमई	-	-	-	-	-	
(iv)विवादित बकाए - अन्य		-	-	-	-	
जो इ	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30	

^{*} उपर्युक्त खातों को प्रबंधन द्वारा लेन-देन की तारीख के आधार पर तैयार किया गया है। उपरोक्त राशि वितीय विवरण की अंतिम तिथि पर भुगतान के लिए देय नहीं हैं क्योंकि भुगतान का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया/कार्य पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ/अस्थगित देयता अविध के लिए निष्पादन प्रतिभूति जमा न करने के कारण राशि बरकरार रखी गई/संबंधित राज्य सरकारों से मंजूरी न मिलना आदि।

विवरण	31 मार्च	r, 2023 को	31	मार्च, 2022 को
199(*)	(₹ 5		(₹ लाख में)	
<u>नोट ७ - अन्य चाल दायिताएं</u>				
सांविधिक दायिताएं		98.59		152.11
अर्जित व्यय		18.81		13.81
व्ययों के लिए ऋणदाता		43.98		16.24
कर्मचारी संबंधी देय		16.46		49.02
बोली प्रतिभूति जोइ		2.25 180.09		70.00 301.18
	24 मर्ज	r, 2023 को		
<u>ਹਿ</u> ਰਹਾ	ગામાપ	•	31	मार्च, 2022 को
विवरण		नाख में)	31	माचे, 2022 को (₹ लाख में)
विवरण नोट ८ : अल्पकालिक प्रावधान			31	
			6.19	
नोट 8 : अल्पकालिक प्रावधान कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	5 ₹)			

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट ९ - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रूपए में)

		सकल	सकल ब्लॉक			मूल्यह्नास/परिशोधन			शुद्ध ब्लॉक	
विवरण	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान / समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
फनीचर एवं फिक्सचर	52.43	-	-	52.43	30.32	5.72	-	36.04	16.39	22.11
कायोलय उपकरण	139.90	19.17	(9.55)	149.52	109.99	16.32	(9.08)	117.23	32.29	29.91
विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	13.02	-	-	13.02	6.81	1.61	-	8.42	4.60	6.21
कम्पयूटर एवं डेटा प्रोसीसेंग यूनिट	67.10	0.14	-	67.24	53.23	7.30	-	60.53	6.71	13.87
पट्टाधृत स्धार (कार्यालय नवीकरण)	155.72	-	-	155.72	70.72	11.49	-	82.21	73.51	85.00
चालू वर्ष का जोड़	428.17	19.31	(9.55)	437.93	271.07	42.44	(9.08)	304.43	133.50	157.10
पिछले वर्ष का जोड़	432.42	10.89	(15.14)		226.53	58.69	(14.15)		157.10	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्पयूटर सॉफ्टवेयर	97.56	-	-	97.56	81.63	4.82	-	86.45	11.11	15.93
चालू वर्ष का जोड़	97.56	•	-	97.56	81.63	4.82	-	86.45	11.11	15.93
पिछले वर्ष का जोड़	85.28	12.28	-	97.56	66.16	15.47	-	81.63	15.93	•

^{9.1)} संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में परिशोधन का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी "एएस28- संपत्ति का परिशोधन" के अनुसार, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि इसकी परिशोधन राशि से कम नहीं है, इसलिए, कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

^{9.2)} वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनः मूल्यांकन नहीं किया है।

^{9.3)} कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)	31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)
नोट 10:अचल निवेश (अन-उद्धत, लागत पर) परियोजना कार्यान्वयन निधि से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड में ₹ 10/- के पूर्ण प्रदत्त 1,30,00,000 इक्विटी शेयरों में (पिछले वर्ष: 1,30,00,000) गैर-व्यापारिक निवेश (संदर्भ नोट सं. 10.1)	1,300.00	1,300.00
(घटाएं) : निवेश के मूल्य में कमी	-	-
না হ	1,300.00	1,300.00

10.1 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मैगा वाट मॉडल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट क्रियान्चित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीवी यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूंजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश की राशि एनआईसीडीसी लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएंगे। ट्रस्ट से प्राप्त धनराशि को नोट 4 में पूंजी आरक्षित निधि के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) के रूप में दिखाया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
विवरण	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
नोट 11 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां			
आस्थिगित कर परिसंपत्तियाः - लेखा और कर के अनुसार मूल्यहास/परिशोधन के बीच अंतर - भ्गतान आधार पर अनुमेय व्ययों के कारण समय अंतर	27.17 45.48	26.16 37.41	
आस्थतगित कर दायिता जोड़	72.65	63.57	
भारभगित का गरियां किया की जात तर्ष के सैयन प्रतिकास गरा है क्योंकि से प्रवासी जेल			

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को चालू वर्ष के दौरान स्वीकारा गया है क्योंकि ये उत्तरवर्ती लेखांकन अवधि में वापिस किया जा सकता है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
नोट 12 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
(असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है)			
प्रतिभूति	0.23	0.35	
पूर्वदत्तं व्यय	1.46	4.94	
जोड़	1.69	5.29	

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विवरण	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
<u>नोट १३ : अन्य गेर-चालू परिसंपत्तियां</u>		
(असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है)		
(क) प्रतिभूति निक्षेप	6.52	5.52
 (ख) परियोजना विकास निधि में से परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोत 	7 2.6.1)	
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	2,958.62	10,914.90
जोड़ेः वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय [बिड प्रोसेसिंग फीस का शुद्ध - लाख रुपए)]	शू-्य (पिछले वर्षः 30	4,169.74
	5,034.89	15,084.64
(घटाएं): वसूली योग्य होने के कारण, सहयोगी कंपनियों,एसपीवी को अंत (घटाएं): वसुली योग्य न होने के कारण परियोजना विकास निधि को अंत		(1,651.97)
		(10,474.05)
उप-जोड़	1,528.52	2,958.62
(ग) एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट २.6.1, 13.1 और 13.2)		
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्टि		
के नाम से विदित	21,251.14	21,405.10
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	32,158.60	32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	873.33	889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लि	मिटेड 662.01	643.13
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	-	507.55
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	965.43	875.09
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिम्	रिंड 1,182.69	942.73
	57,781.18	58,109.84
घटाएः एक वर्ष में वसूली योग्य राशि जिसे अन्य चालू परिसंपत्तियों को अं नोट 17	तिरित किया गया (संदर्भ	
	(2,526.73)	<u>-</u>
उप जोड़	55,254.45	58,109.84
जोड़	56,789.49	61,073.98

^{13.1} नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) ने 6 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में कंपनी को सहायक कंपनियों,एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए परियोजना विकास व्यय को संबंधित अनुष्रीगियाँ,एसपीवी को अनुदान के रूप में प्रदान की गई परियोजना विकास निधि में से हंस्तान्तरित करने का निर्देश दिया था और इसकी वसूली को तब तक के लिए स्थिगित करना जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो जाते। संबंधित अनुष्गियां,एसपीवी अभी तक पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राशि को वर्ष के अंत में एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है जब तक कि वे अधिशेष उत्पन्न करना शुरू नहीं कर देते।

13.2 एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय का संचलन

31 मार्च, 2023 को

एसपीवी	31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)	वर्ष के दौरान वहन व्यय (₹ लाख में)	वर्ष के दौरान प्राप्त/वापिस की गई राशि (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2023 को शेष (₹ लाख में)
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड के नाम से विदित)	21,405.10	_	(153.96)	21,251.14
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	32,158.60	-	-	32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66	-	(16.33)	873.33
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	643.13	18.88	-	662.01
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	-	-	687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55	-	(507.55)	-
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	875.09	90.34	-	965.43
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	239.96		1,182.69
	58,109.84	349.18	(677.84)	57,781.18

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

एसपीवी	31 मार्च, 2021 को (₹ लाख में)	वर्ष के दौरान वहन व्यय (₹ लाख में)	वर्ष के दौरान प्राप्त/वापिस की गई राशि (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल ऊनशिप लिमिटेड के नाम से विदित)	20,262.02	1,143.08	-	21,405.10
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	31,783.68	420.10	(45.18)	32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66	=	-	889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	548.60	94.53	=	643.13
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	=	=	687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55	-	=	507.55
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	880.83	(5.74)	=	875.09
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	-	-	942.73
	56,503.05	1,651.97	(45.18)	58,109.84

13.3 एसपीवी से वसूली योग्य परियोजना विकास व्यय वसूली की स्थिति

एसपीवी	टिप्पणियां
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनिशेप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनिशप लिमिटेड के नाम से विदित)	कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करनी है।
- धीलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करनी है।
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	एसपीवी के निदेशक मंडल ने 3 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। यह वित्त वर्ष 2023-24 में वसूल होगा।
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रजिक्ट लिमिटेड	कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करनी है।
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	एसपीवी के निदेशक मंडल ने 3 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। यह वित्त वर्ष 2023-24 में वसूल होगा।
- इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	एसपीवी के निदेशक मंडल ने 26 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। यह वित्त वर्ष 2023-24 में वसूल होगा।
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	निर्माण कार्य अभी शुरू होना शेष है।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
Idda	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	
<u>नोट 14: व्यापार प्राप्य</u> (असुरक्षित, लेकिन अच्छे समझे जाते हैं)			
अन्य प्राप्य - इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (उपक्रम जिस पर प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का अत्यधिक प्रभाव है)	267.50	132.50	
जोड	267.50	132.50	

14.1 पुराने व्यापार प्राप्य

31 मार्च 2023 को (₹ लाख में) भुगतान/लेन-देनों की देय तिथि से बकाया विवरण 6 माह से कम 6 माह - 1 वर्ष 3 वर्ष से अधिक जोड़ 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष (i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है 267.50 267.50 (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है (iii) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है (iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है

31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)

उ। माप, 2022 का						(₹ लाख में)
_	भुगतान/लेन-देनों की देय तिथि से बकाया					
विवरण	6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है	132.50	-	-	-	-	132.50
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
जोड़	132.50	-	-	-	-	132.50

^{*} उपरोक्त आंकड़ों लेन-देन की तिथि से प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं।

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समास वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर नोट

वेवरण		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
ic 15: रोक ड़ और बैंक शेष				
रोकड़ और नकद समत्रल्य				
रोकड़ हस्ते		0.07		0.02
चालू खातां में बैंक के पास शष	0.00		0.00	
- परियोजना विकास निधि - स्वच्छता कार्य योजना *	3.02		2.29 0.00	
- कंपनी निधि	2.08	5.10	2.15	4.4
सावधि जमाओं में बैंकों के पास शेष (3 माह एवं कम)				
- परियोजना विकास निधि	1,131.47		2,262.28	
- कंपनी निधि	12,594.10	13,725.57	13,365.05	15,627.3
अन्य बैंक शेष सावधि जमाओ में वैंकों के पास शेष (3 माह से अधिक से 12 माह तक)				
- परियोजना विकास निधि		-		597.00
जोड़	<u>=</u>	13,730.74	<u>-</u>	16,228.79
* 1,000/- रुपए से कम धनराशि रिपोर्टिंग वर्ष के अंत और पिछले वर्ष रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध व	नहीं है।	_	_	
		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
वरण		(₹ लाख में)		31 गांच , 2022 प्रा (₹ लाख में)
(अस्रिक्त लेकिन अच्छा समझा जाता है) विकेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वेदत व्यय निम्न से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसुली योग्यः		9.65 3.63 19.98		12.5 0.1 18.1
(i) एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड (ii) इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीविशन सेंटर लिमिटेड	16.56 6.48	22.04	1.64	0.0
•	6.48	23.04	6.36	8.0
না <u>র</u>	_	56.30	=	38.8
वरण		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
~ · ·		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
ट 17 - अन्य चाल् परिसंपतियां				
एसपीवी से वसूलनीय (संदक्षे नोट 13 और 13.3) सावांधे जमाओ पर अजित ब्याज ्योडोएफ खाते के 22.49 लाख रुपए शामिल (पिछले वर्षे -		2,526.73		-
34.54 लाख रुपए)]		576.20		454.1
वापसी योग्य आयकर [संदर्भ नोट 24(iii)]		23.47		51.9
जीएसटी इनप् ट प्रतिभृति निक्षेप		8.21 0.16		11.7 0.1
अग्रिम कर [करारोपण के लिए प्रावधान का शुद्ध - शून्य] (पिछले वर्ष 181.75 लाख रुपए)		80.89		112.9
जोड	_	3,215.66	_	630.9
	_		-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
<u>नोट 18 - परिचालन से आमदनी</u>					
नॉलेज पार्टनर के रूप में सेवा फीस (संदर्भ नोट 2.8)					
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट		121.66		1,157.32	
(एनआईसीडीआईटी) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी)		500.00		500.00	
जोइ	_	621.66	-	1,657.32	
	=		=		
विवरण		31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
विवरण		समास वर्ष (₹ लाख में)		समास वर्ष (₹ लाख में)	
		(CCH SI VI)		((())	
नोट ११ : अन्य आय					
कंपनी निधियों की सावधि जमाओं पर ब्याज		614.20		513.82	
आयकर रिफंड पर ब्याज		5.35		12.22	
निम्न के ऊपरी व्ययों के संविभाजन (संदर्भ नोट 19.1): (i) इंडिया इंटरनेशनल कन्चेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड					
(i) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड	72.00		72.00		
(ii) एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड	15.22	87.22	17.55	89.55	
विविध आय*		(0.00)		9.64	
जोड	_	706.77	-	625.23	

^{*} धनराशि 1000/- रुपये से कम

19.1 पिछली परंपरा के अनुसार कंपनी द्वारा कार्यालय परिसर और प्रशासनिक समर्थन हेतु ऊपरी व्ययों को संबंधित कंपनी से आनुपातिक आधार पर वसूला जाता है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समास वर्ष (₹ लाख में)	31 मार्च , 2022 को समास वर्ष (₹ लाख में)	
नोट 20: कर्मचारी हितलांभ व्यय			
वेतन, मजद्री, ग्रेच्यूएटी, क्षतिपूर्ति अन्पस्थिति, भत्ते आदि भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान कर्मचारी कल्याण व्यय	689.43 106.58 69.04	763.85 66.94 47.18	
जोइ	865.05	877.97	

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

		31 मार्च, 2023 को समास वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
नोट २१: मूल्यह्मस एवं परिशोधन व्यय				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्नास		42.44		58.69
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन		4.82		15.47
जोइ		47.26	-	74.16
विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
नोट २२: अन्य व्यय		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)
किराया (संदर्भ नोट 22.1 और 28)		486.03		486.03
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षकों को फीस	4.95		4.95	
प्रमाणन फीस	0.05		0.05	
फुटकर व्यय	0.14		-	
बकाया		5.14	1.65	6.65
विज्ञापन और व्यवसाय विपणन		163.02		35.60
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 30)		18.04		18.58
परिनियोजन लीड व्यय		5.07		5.50
बिजली		11.41		9.47
हाऊसकीपिंग		25.19		18.48
सुरक्षाकर्मी		9.37		9.00
पेशेवर और परामर्श		45.87		50.98
बैठक और जलपान		19.79		8.55
मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय		42.85		38.54
मरम्मत और अनुरक्षण - कम्प्यूटर		17.96		20.04
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		39.00		23.56
सूचना एवं डाक		13.47		17.04
योत्रा एवं परिवहन (संदर्भ नोट सं. 31)		88.94		29.38
बीमा		0.26		0.30
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि		0.28		0.51
पूर्व अविध व्यय (संदर्भ नोट 22.2)		0.39		0.75
छात्रवृत्ति		5.10		3.58
खारिज की गई परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण				0.20
विविध ट्यय		32.97		34.50
जो <u>इ</u>		1,030.15	-	817.24

22.1 किराए में लीज अनुबंध के अनुसार पट्टादाता को भुगतान किए गए निगम कर का 103.07 लाख रुपए (पिछले वर्ष 103.07 लाख रुपए) शामिल है।

22.2 अवधि पूर्व व्यय का ब्योरा निम्नान्सार हैः

विवरण	31 मार्च, 2023 को समास वर्ष (₹ लाख में)	31 मार्च, 2022 को स मास वर्ष (₹ लाख में)
परिनियोजन लीड व्यय	0.27	0.69
पुस्तकें और पत्रिका	-	0.06
ओपीडी चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.12	-
ें जोइ	0.39	0.75

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

प्रति शेयर आमदनी

मूल आमदनी प्रति इक्रिटी शेयर की गणना, कर पश्चात लाभ/(हानि) को वर्ष के लिए बकाया इक्रिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग करके की जाती है।

	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क	इकिटी शेयरधारकों के लिए कर पश्चात लाभ (र लाख में)	(605.01)	360.07
ख	ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इंकिटी शेयरों की संख्या का भारित औसत (संख्या)	10,00,00,000	10,00,00,000
ग	मूल/तनुकृत आमदनी प्रति शेयर (क/ख) (र)	(0.61)	0.36
ঘ	प्रति इक्रिटी शेयर का सम मूल्प (₹)	10.00	10.00
.थाक	प्रियक रागितां। और प्रतित्तरता (राजक) न कराप जाने की भीपा तक के लिए).		

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022) को
	(₹ लाख में)	(१ लाख में)

(i) प्रतिबद्धताएं

परियोजना विकास गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया

14,443.19 16.074.84

- (ii) **आकस्मिक दायिताएं** कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है।
 - कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटियां

(iii) कराधन मामले - अपील/संशोधन के अंतर्गत आयकर मामले

आकलन वर्ष	दावा किया गया रिफंड (लाख रूपए में)	आदेश के अनुसार प्राप्त रिफंड (लाख रूपए में)	रोका गया शेष रिफंड/मांग के प्रति समायोजित (लाख रूपए में)	बकाया मांग (लाख रूपए में)	रोकने का कारण	स्थिति
2017-18	52.65	46.86	5.79	-	अनुमति नहीं दी।	06.01.2020 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
2018-19	49.72	32.25	17.47		अनुमति नहीं दी और 58.89 लाख रुपए की आय को जोड़ दिया।	13.05.2021 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
2021-22	0.21		0.21	67.18	एओं ने दिनांक 26 दिसंबर, 2022 के आदेश द्वारा दो बारी जोड़ने और टीडीएस क्रेडिट रोकने के पश्चात् आदेश जारी किए।	12.01.3023 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
जोइ			23.47	67.18		

कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है और कंपनी के सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि ये मांगें अपीलीय स्तर पर टिकने लायक नहीं हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी इन आकस्मिक देनदारियों के संबंध में किसी भी क्षतिपूर्ति की उम्मीद नहीं करती है, और अपीलकर्ता कार्यवाही के लीबत समाधान के लिए इन मामलों के संबंध में नकद बहिवाह के समय, यदि कोई हो, का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(iv) 31 मार्च, 2023 को कंपनी पर दर्ज मामलें जिनका कंपनी के ऊपर कोई वितीय निहितार्थ नहीं है, निम्नानुसार है:

क्र.स.	याचिका सं. एवं तिथि	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	विचाराधीन विषय	संक्षित ब्यौरा
1	9282/2015	सुभ राम एवं अन्य.	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य		काउंटर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पार्टियों की सारणी से एनआईसीडीसी लिमिटेड का नाम हटाया जाए और याविका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है। याविकाकर्ता ने मामले में दर्ज याविका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्यक्त
					आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित याचिका के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा भी प्रत्युतर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।
					कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी करने का अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।
					अंतिम सुनवाई 5 दिसंबर, 2022 को हुई थी। मामले को 04 मई, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अगली सुनवाई अभी भी सूचीबद्ध होनी है।
2	6649/2016	इरशाद मोहम्मद खान एवं अन्य	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य	शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क तक पानी	18.01.2019 को एनआईसीडीसी लिमिटेंड का प्रतिवादी के रूप में नाम हराने के लिए सिविल प्रक्रिया सिहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को इस आधार पर को इस आधार पर सुत्त किया गया है कि याविका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी।
					पिछली सुनवाई की तिथि 14 मार्च, 2022 को थी। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।

ਸੀ.आईएत: य45400ई।एल2008पीएलमी 172316

31 मार्च, 2023 को समाम वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

25 कर्मचारी हितलाओं पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटनः

क) विभिन्न परिभाषित कर्मचारी योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

i) सुपरिभाषित अंशदान योजना

- भविष्य निधि (पीएफ) भविष्य निधि के प्रति अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। भूगतान की गई राशि को लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में प्रभृत किया जाता है।
- नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) कंपनी ने रिटायरमेंट उपरांत हितलाभ योजना की समग्र सीमा में वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरूआत की है। अभी तक भुगतान की राशि लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में प्रभारित की गई है।
- अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा हितलाभ (पीएसएमबी) कंपनी ने अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा हितलाभ की समग्र सीमा के अंतर्गत वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों तथा उनके पात्र आश्रितों के लिए पीएसएमबी की शुरुआत की है। अभी तक भुगतान की राशि को लाभ एवं हानि के स्टैंडएलीन विवरण में प्रभारित किया जाता है।

सुपरिभाषित अंशदान योजना में योगदान को वर्ष के लिए व्यय के रूप में स्वीकारा गया है, जो निम्नानुसार है: :

विवरण	31 मार्च, 2023 को समास वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
	(₹ लाख में)	(र लाख में)
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	55.54	45.10
नेशनल पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	38.69	31.38
अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा हितलाभ में नियोक्ता का अंशदान	12.34	10.10

ii) सुपरिभाषित हितलाभ योजनाएं

- ग्रेच्यूएटी (अनिधिक) कंपनी के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित हितलाभ योजना है। ग्रेच्यूएटी योजना के अंतर्गत, प्रत्येक कर्मचारी जिसने कम से कम पांच वर्ष की सेवाएं प्रदान की हो, उसके जाने पर निर्धारित 20,00,000/- रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यापीन सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन और महमाई भता) के 15 दिनों की ग्रेच्यूएटी के पात्र है। ग्रेच्यूएटी के प्रांत दायिता अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा से बर्खास्तगी, विकलागता अथवा मृत्यु के कारण होती है। ग्रेच्यूएटी के संबंध में कंपनी की दायिता प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांन के आधार पर स्वीकारा जाता है।
- अवकाश नकदीकरण (अनिधिक), नीति के अनुसार, कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं. जिनमें से वर्ष के दौरान ही अधिकतम 10 छुट्टियों को भुनाया जा सकता है और शेष छुट्टियों को 300 अवकाश की सीमा में एकत्रित किया जा सकता है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति कंपनी के दायित्व की गणना प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूत्यांकन के आधार पर स्वीकारा जाता है।

ख) सुपरिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कर्मचारी हितलाभा पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार अन्य प्रकटन जो निम्नानुसार है:

ग्रेच्यूएटी (अनिधिक)

निम्नलिखित तालिकाएं सुपरिभाषित हितलाभ योजना के लिए लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाने गए शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, अनिधिक स्थिति और परिभाषित लाभ योजना के लिए स्टैंडएलोन तुलन पत्र में पहचानी गई राशियों को सारांशित करती हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
	(र लाख में)	(१ लाख में)	
स्टॅंडिपलोन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ			
मौजूदा सेवा लागत	15.00	14.06	
पिछली सेवा लागत	-	-	
लाभ दायिता पर ब्याज लागत	5.23	3.82	
वर्ष में स्वीकारी गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	(7.35)	4.05	
स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ	12.88	21.93	
स्टॅंडपसोन तुलनपत्र में स्वीकार की गई राशि			
परिभाषित हितलाभ दायिता का वर्तमान मान	85.79	74.75	
नियोजित परिसंपत्तियाँ का उचित मान स्टैंडएलोन तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां/(दायिता)	(85.79)	(74.75	
સ્ટકર્ણભાન તુલન પત્ર મ વંશાફ ગફ પારસપાત્તવા/(વાાયતા)	(65.77)	(14.73	
परिभाषित हितलाभ दायिता के मौजूदा मान में परिवर्तन			
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायिता	74.75	54.61	
मौजूदा सेवा लागत	15.00	14.06	
पिछली सेवा लागत	-	-	
ब्याज लागत	5.23	3.82	
भुगतान किया गया हितलाभ	(1.84)	(1.79	
- दायिता पर बीमांकिक (लाभ)/हानियां	(7.35)	4.05	
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायिता	85.79	74.75	
परिभाषित हितलाभ दायिता का खंड-वार विवरण			
अचल	78.16	68.56	
चल	7.63 85.79	6.19 74.75	

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टॅंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

दायिता निर्वित करने में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत:

प्रयुक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट वि
u-n mmi	 ਗੁईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
मृत्यु सारणी 30/ 44 वर्ष/ 44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%)	8.00% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
कटौती दर (%)	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
भविष्य वेतन वृद्धि (%)	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
रेटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या)	60 वर्ष	60 वर्ष
वंयेदनचीलता विश्लेषणः		
वेदरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(र लाख में)	(र लाख में)
डेस्काऊंट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
र्ष के अंत में दायिता का मौजूदा मान	85.79	
ह) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव a) 1% की कमी के कारण के प्रभाव	(5.51) 6.28	
तन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव	0.20	
र्ष के अंत में दायिता का मौजूदा मान	85.79	
r) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव	5.03	
a) 1% की कमी के कारण के प्रभाव हुन्यू पर्य आहरण के कारण संवेदनशीलताएं वास्तविक नहीं है, इसलिए इनके परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है।	(4.34)	
वकाश नकदीकरण (अनिधिक) ाम्नलिखित तालिकाएं सुपरिभाषित हितलाभ योजना के लिए लाभ एवं हानि के स्टैंडएलोन विवरण में पहचाने गए शुद्ध लाभ व्यय के घटकों	. अनिधिक स्थिति और परिभाषित लाभ योजना के लिए स्टैंडएलोन तुलन पत्र में पहचानी गई राशियों कं	ो सारांशित करती हैं।
<u>घे</u> वरण	31 मार्च, 2023 को (१ लाख में)	31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)
टॅंडपलोन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ		
गैजूदा सेवा लागत	16.12	
मेछली सेवा लागत	•	
ग्राभ दायिता पर ब्याज लागत	3.87	
र्ष में स्वीकारी गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि टैंडएलोन लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ	5.90 25.89	
र्टेंडएलोन तुलनपत्र में स्वीकार की गई राशि		
गरिभाषित हितलाभ दायिता का वर्तमान मान	75.09	
नेयोजित परिसंपत्तियों का उचित मान		
टैंडएलोन तुलन पत्र में दर्शाई गई परिसंपत्तियां/(दायिता)	(75.09)	
गरिभाषित हितलाभ दायिता के मौजूदा मान में परिवर्तन		
र्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायिता	55.24	
गैजूदा सेवा लागत	16.12	
 छली सेवा लागत		
याज लागत	3.87	
एगतान किया गया हितलाभ	(6.04)	
ायिता पर बीमांकिक (लाभ)/हानियां र्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायिता	5.90 75.09	
रिमाषित हितलाभ दायिता का खंड-यार विवरण _{रचल}	68.09	
ल	7.00	
	75.09	
ायिता निर्मित करने में प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत: 		
युक्त विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि	अनुमानित यूनिट क्रेडिट ि
इत्यु सारणी	आईएएलएम 2012-14	आईएएलएम 2012-14
10/ 44 वर्ष/ 44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%)	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
न्टौती दर (%)	7.50 % प्रतिवर्ष	7.00% प्रतिवर्ष
6 3 6	6.00% प्रतिवर्ष 60 साल	6.00% प्रतिवर्ष 60 साल
रटायरमेंट आपु (वर्षों की संख्या)		
रटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेदनशीलता विशेषणः		
रटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेदनशीलता विशेषणः	31 मार्च, 2023 को	
रेटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेदेदनशोलता विक्रेषणः वेदरण		31 मार्च, 2022 को (र लाख में)
रेटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वंबदम्पीलता विश्लेषणः वेबरण डेस्काइंट दर में परिवर्तन का प्रमाव	31 मार्च, 2023 को (र लाख में)	
रेटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेवदग्ण वेवरण डेस्कार्केट दर में परिवर्तन का प्रभाव र्ष के अंत में दायिता का मौजूदा मान	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को (र लाख में)
देवदरमीलता विश्लेषणः वेवदरण वेवदरण वेवदरण वेदरण वेदर्ग परिवर्तन का प्रमाव र्ष के अंत में दायिता का मीजूदा मान रूं) भी की वृद्धि के कारण प्रमाव	31 मार्च, 2023 को (१ लाख में) 75.09	
रेटायसमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेवरण डेस्कार्केट दर में परिवर्तन का प्रभाव पर्व के अंत में दायियता का मीजूदा मान ह) 1% की वृद्धि के कारण के घ्रमाव व) 1% की कभी के कारण के घ्रमाव	31 मार्च, 2023 को (र लाख में) 75.09 (4.87) 5.57	
रेटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेदरण वेदरण वेस्पार्क दर में परिवर्तन का प्रभाव र्ष के अंत में दायिता का मीजूदा मान ह) 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव या 1% की कमी के कारण के प्रभाव रात पृक्षि के तेत में दायिता का मीजूदा मान हो 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव या 1% की वृद्धि के कारण प्रभाव र्ष के अंत में के कारण के प्रभाव स्वित पृक्षि स्वितिक्त का प्रमाव	31 मार्च, 2023 को (१ लाख में) 75.09 (4.87) 5.57	
विषय वेतन वृद्धि (%) रदायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या) वेद्यनगीलता विशेषणः वेद्यनगीलता विशेषणः वेद्यनगीलता विशेषणः वेद्यनगीलता विशेषणः वेद्यनगीलता का मांजूद्य मान को वृद्धि के कारण प्रभाव a) 1% की कमी के कारण के प्रभाव inter वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव ju 1% की कमी के कारण के प्रभाव	31 मार्च, 2023 को (र लाख में) 75.09 (4.87) 5.57	

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टॅंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

26 खंडवार रिपोर्टिंग

भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार कंपनी का मुख्य व्यवसाय विभिन्न औद्योगिक गलियारों और अन्य परियोजनाओं को क्रियान्वयन और विकसित किए जाने के लिए नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाना है और एएस-17 – "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

27 संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक.18 "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पार्टी के नाम जिनके पास महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने के लिए नियंत्रण/क्षमता मौजूद है, साथ ही लेनदेन की कुल मात्रा और उनके साथ वर्ष के अंत में शेष, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है, नीचे बताया गया है.

संबंधित पार्टियों की सूची और संबंध की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है

क कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले उपक्रम

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)

ख सहायक कंपनी

एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड

ग संबंद्ध/सहयोगी

हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

घ प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (24 अप्रैल, 2023 से आज तक)	अध्यक्ष
श्री अनुराग जैन, आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (27 सितंबर 2021 से 21 अप्रैल, 2023 तक)	अध्यक्ष
श्रीमती सुमिता डावरा (15 दिसंबर, 2022 से आज तक)	सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
श्री राजीव सिंह ठाकुर (3 नवंबर, 2022 से 15 दिसंबर, 2022 तक)	सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
श्री अमृत लाल मीणा (05 नवंबर, 2021 से 20 अक्टूबर 2022 तक)	सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
श्री राजेंद्र रत्नू. आईएएस, भारत सरकार द्वारा नामित (24 फरवरी, 2023 तक)	निदेशक
श्री काझुशिगे गोबे, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित (10 आगस्त, 2021 से आज तक)	निदेशक
श्री राजीव सिंह ठाकुर (5 अगस्त, 2022 से आज तक)	निदेशक
श्री शैलेंद्र सिंह, आईएएस (31 दिसंबर, 2021 तक)	निदेशक
श्री तोशिहिको कुरिहारा, जापान वैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा नामित	निदेशक
श्री मुनियाप्पा नागराज, हाऊसिंग एंड डेवलपर्मेट कोरपोरेशन लिमिटेड (हडको) द्वारा नामित	निदेशक
शिमती राधा रॉय, हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको द्वारा नामित) (18 अप्रैल 2022 से आज तक)	निदेशक
श्री पी.के. अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री अभिषेक चौधरी	उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन और कंपनी सचिव

उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

ग व्यापार की सामान्य अविध में संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए गए:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
	(र लाख में)	(र लाख में)	
वेतन/पारिश्रमिक*			
श्री पी.के. अग्रवाल	83.48	77.50	
श्री अभिषेक चौधरी	83.96	76.87	
लैपटॉप अग्रिम			
श्री अभिषेक चौधरी	-	0.50	
लैपटॉप अग्रिम की वसूली			
श्री अभिषेक चौधरी	0.12	0.03	
वेतन अग्रिम			
श्री पी.के. अग्रवाल	7.01	-	
वेतन अग्रिम की वसूली			
श्री पी.के. अग्रवाल	3.50	-	
प्रतिपूर्ति			
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पांवर लिमिटेड	5.27	4.65	
उपरि व्ययों का संविभाजन			
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड	15.22	17.55	
इंडिया इंटरनेशनल कर्न्येशन एंड एग्जीविशन सेंटर लिमिटेड	72.00	72.00	
सेवा फीस			
इंडिया इंटरनेशनल कर्न्येशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	500.00	500.00	

^{*} चूंकि ग्रेच्यूएटी और अवकाश नकदीकरण के लिए दायिता एक समग्र के रूप में बीमांकिक आधार पर उपलब्ध कराया जाता है इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से संबंधित प्रोद्धित राशि को शामिल नहीं किया गया है।

सीआईएन: यु45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

III वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ शेष बकाया

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(र लाख में)	(र लाख में)
अल्प अवधि ऋण और अग्रिम		
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर लिमिटेड	16.56	1.64
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	6.48	6.36
व्यापार प्राप्य इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एप्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	267.50	132.50
वसूती योग्य वेतन अग्रिम श्री पी.के. अग्रवाल	3.51	-
वस्तां चोग्य लैपटोप अधिम श्री अभिषेक चौधरी	0.35	0.47

28 परिचालन लीज

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था क्षवीं मंजिल, जीवन भारती बिल्हिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में अपने लीज कार्यात्य परिसर से संबंधित परिचालन पट्टे के संबंध में है, जिसे 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लीज पर लिया गया है। कुल पट्टा किराया १ 486.03 लाख रुपए (पिछले वर्ष: 486.03 लाख रुपए) के भुगतान को लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में मान्यता दी गई है और नोट 22 में इसका प्रकटन किया गया है।

29 अतिरिक्त नियामक सूचना

- i कंपनी ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है जो मांग किए जाने पर अथवा किसी विशिष्ट शर्त अथवा पुनर्भुगतान की अवधि में भुगतान किए जाने योग्य हो।
- ii कंपनी के विरूद्ध बेनामी लेन-देन (निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की अथवा लंबित है
- iii कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों या अन्य उधारदाताओं द्वारा इरादतन चुककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद कर दिया गया है और प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया गया है, प्राप्य या बंद कंपनियों से देय है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर किसी भी बंद कंपनी के पास नहीं हैं।
- v कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

vi अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	परिवर्तन		कारण			
144(-)	31 माच, 2023 का	31 माच, 2022 का	पारवतम	(यदि अंत	तर 25 प्रतिशत से अधिक हो)			
तरलता अनुपात (गुना)								
चाल् अनुपात								
(चालू परिसंपतियो को चालू दायिताओं से विभाजित करके)	8.34	6.86	21.53%					
ऋणशोधन अनुपात (गुना)								
ऋण-इक्विटी अनुपात								
(दीर्घकालिक ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करके)	-	-	-					
कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात								
(वर्ष का लाभ + वित लागत + मृत्यहास और परिशोधन व्यय को दीर्घकालिक ऋण के मृलधन का पुनर्भुगतान +वित लागत द्वारा विभाजित करके)	-	-	-					
लाभदायकता अनुपात (%)	1		U	l .				
शुद्ध लाभ अनुपात								
(वर्ष के लिए लाभ को परिचालन से आगदनी से विभाजित करके)	-97.32%	21.73%	-547.95%					
इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात								
(वर्ष के लाभ को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग करके)	-4.44%	2.62%	-269.65%	एनआईसीआईटी द्वारा प्रे	ाजेक्ट एसपीवी को निधियों के कम जारी किए			
पूंजी पर प्रतिफल				जाने के व	कारण सेवा फीस से कम राजस्व			
(ब्याज और कर पूर्व आमदनी को पूंजी से भाग करके)	-0.84%	0.67%	-224.68%					
निवेश पर प्रतिफल								
((कर पूर्व लाभ + वित लागत) * (1-कर दर) को कुल परिसंपतियों से भाग करके)	-0.59%	0.47%	-226.09%					
उपयोगिता अनुपात (गुना)								
व्यापार प्राप्य आवर्त अनुपात								
(परिचलान से आमदनी को औसत व्यापार प्राप्य से विभाजित करके)	3.11	12.25	-74.63%	एनआईसीआईटी द्वारा प्र के क	ोजेक्ट एसपीवी को निधियों के कम जारी किए जाने ारण सेवा फीस से कम राजस्व			

सीआईएन: य45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

मालसूची आवर्त अनुपा (परिचालन से आमदनी को : मालसूची से विभाजित क	औसत	-	-		
य्यापार देय आवर्त अनुप (कुल खरीद को औसत य्यापार विभाजित करके)		1.03	1.97	47.92%	परियोजना विकास गतिविधियों पर कम व्यय
शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपा (परिचालन से आमदनी को कार्य से विभाजित करके)	र्पशील पूंजी	0.04	0.11	-62.82%	एनआईसीआईटी द्वारा प्रोजेक्ट एसपीवी को निधियों के कम जारी किए जाने के कारण सेवा फीस से कम राजस्व

vii) कंपनी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ने किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की योजना को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। .

30 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर व्यय के लिए 18.04 लाख रुपए (पिछले वर्षा 18.58 लाख रुपए) की राशि देय है। वर्ष के दौरान खर्च की गई/खर्च किए जाने के लिए सबित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
I	कंपनी द्वारा य्यय की जाने वाली सकल राशि		
	वार्षिक सीएसआर आवंटन	18.04	18.5
	पिछले वर्ष से अग्रेषित	-	
	व्यय की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	18.04	18.5
п	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
	नकद में	18.04	18.5
	আ হ	18.04	18.5
Ш	उद्देश्य जिन पर सीएसआर व्यय किया गया		
	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में योगदान	0.80	18.5
	प्राथमिक चिकित्सा केंद्र- भिडयाड, अहमदाबाद को एम्बुलेंस देना	17.24	
		18.04	18.5
IV	सीएसआर थ्यय का समायोजना		
	प्रारंभिक कमी/(अधिशेष)	-	
	जोड़े:- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली अपेक्षित राशि	18.04	18.5
	घटाएः- वर्ष के दौराल व्यय की गई राशि	(18.04)	(18.5
	इतिशेष कमी/(अधिशेष)		
v	प्रचलित लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित किसी ट्रस्ट में योगदान		
VI	किसी संविदागत दायिता में हिस्सा लेकर वहन की गई दायिता के संबंध में किया गया प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रावधानों में अंतर		
, 1	ाराम आन्यताच्या ना एरका क्ष्मरे यह राष्ट्र याश्या पर प्रथम नायशा एवा प्राथमा, यन पर युराम आववामा में भीतर		
देशी	मुद्रा में व्यय		

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
		(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
- यात्रा		4.53	-

³² प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संपंत्र और उपकरणों के अलावा अन्य संपत्ति के मूल्य में और व्यापार की सामान्य अवधि में वसूली पर अमूर्त संपत्ति का मूल्य से कम नहीं होगा जिसमें ये स्टैंडअलोन तुलन पत्र में बताए गए हैं। इसके अलावा, सभी ज्ञात देनदारियों के लिए बही खातों में पर्याप्त रूप से प्रावधान किया गया है।

viii) कंपनी अपनी आप का प्रकटन नियमित रुप से कर रही है और कर अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार अधोषित आप का आकलन नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई भी लेन-देन नहीं है जो खातों में दर्ज न हो है जिसे आपकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आप के रूप में अध्यक्ति अथवा प्रकटन किया गया हो।

ix) कंपनी ने वितीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करंसी अथवा विज्यूल करंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

³³ व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, व्यापार देय और अन्य पार्टियों आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाले श्रेष सामंजस्य पुष्टि किए जाने के अध्यधीन है। पुष्टिकरण/सामंजस्य के होने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उन्हें पुष्टिकरण/सामंजस्य के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होंगे।

सीआईएन: य45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वितीय विवरणों पर नोट

- 34 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय आपन संख्या 5.02.2016-नीति द्वारा केंद्रीय सार्वजिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए गए. जिसके अनुसार प्रत्येक सीपीएसई को मीजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत जन्मत अधिकतस लाभांश के अध्यक्षीन, कर पश्चात लाभ के 30% या निवल संपत्ति के 5% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश, जो भी अधिक हो, का भूगतान करना आवश्यक है। डीआईपीएएम ने कंपनी को क्रमशः दिताय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों से कुट प्रदान की है। कंपनी दितायी किरायों के अपूर्णनेदन और अपन्यतन के अध्यक्ष के 2022-23 के लिए न्यूनतम लाभांश के भूगतान से छूट के लिए अनुसोद प्राप्त करने के लिए डीआईपीएएम को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है और पहले की महेन्नजर इसकी प्राप्ति के लिए आक्षस्त है। इसलिए, चालू वित्तीय वर्ष में लाभांश भूगतान का प्रावधान नहीं किया गया है।
- 35 चालू वर्ष के आंकड़ों की पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करने के लिए जहां आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

समसंख्यक तिथि की संलम्न रिपोर्ट के अनुसार कृते पस. पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड एकाऊंटेटस	पी. चोपड़ा एंड कंपनी नैशनत इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेयलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड			
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन	क मियुवक करता कार्या द्व	क ।नदशक भठत क ।तए एव उनका आर स		
हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.		
(अंकुर गोयल) साझेदार	(सुमिता डावरा) सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	(राजीय सिंह ठाकुर) निदेशक		
(सदस्यता सं. 099143)	(डीआईएन : 01005516)	(डीआईएन : 02631653)		
	हस्ता.	हस्ता.		
युद्रीआईएन -23099143 बीजीपीएमवीएक्स 3586 स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29 मई, 2023	(पी.के. अग्रवाल) मुख्य वितीय अधिकारी	(अभिषेक चौधरी) उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव		

समेकित वित्तीय विवरणों

पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

संख्याः एएमजी-III/6(4)/ वार्षिक खाता/ NICDCL/ CFS (2022-23)/2023-24/ **| 4-7**

0 6 JUL 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

एन.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड,

08 वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली -110001

विषय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129(4) के अधीन 31 मार्च

2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड

के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रास रा पडा

(एस. आह्लादिनी पंडा) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य) नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन

लिमिटेड के समेकित वितीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) जिसे

धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की

टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31

मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा

139(5) जिसे धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और

महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत

निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा

143 जिसे धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत

व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा 29 मई, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा

व्यक्त किया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (क) जिसे

धारा 129 (4) के साथ पढ़ा जाए. के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल

इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक

लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता.

(एस. आह्वादिनी पंडा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(उद्योग वं कॉरपोरेट कार्य)

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 06.07.2023

108

समेकित वितीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 की तिथि का समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित विवरणों पर नोट शामिल है।

हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2023 को समूह के मामलों की समेकित स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उनके समेकित नकदी प्रवाह पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखापरीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्निदिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खण्ड 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व' में आगे बताया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित है, सिहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र है और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार हमारे नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए उचित है।

समेकित वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से इतर सूचना

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट सिहत रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल है लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जिसे इस लेखापरीक्षा की तिथि के पश्चात उपलब्ध होने की आशा है।

समेकित वितीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वितीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी का अध्ययन करना है और जब यह उपलब्ध हो जाता है तथा ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वितीय विवरणों से वास्तविक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी अथवा अन्यथा वास्तविक रूप से अस्पष्ट है।

जब हम निदेशक मंडल की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें अनुलग्नक, यदि कोई हो, शामिल हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें एक वास्तविक रूप से गलत कथन है, तो हमें इस मामले को अभिशासन के उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के प्रभारी की जिम्मेदारी

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित विवरणों को तैयार करने के संबंध में इन वितीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखांकन मानकों) संशोधन नियम, 2016, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सिहत भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थित, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। इस दायित्व में समूह की परिसंपितयों की सुरक्षा और धोखाधिडियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो समेकित वितीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधडी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, जिन्हें ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुसार

नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा समेकित वितीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल सतत् आधार पर जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, सतत् आधार पर संबंधित मुद्दों को प्रकट करना, जहां लागू हो और लेखांकन में सतत् आधार के उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्तें नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह का व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो।

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

समेकित वितीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को सदैव ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

- समेकित वितीय विवरणों की भौतिक गलत कथन के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के संबंध प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करना तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना है जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत कथन का पता न लगा पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं
 डिजाइन की जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत,
 हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त
 आंतरिक वितीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन-वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के सतत् आधार और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्वितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए समूह की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्वितता मौजूद है, तो हमें समेकित वितीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। बहरहाल, भविष्य में होने वाली घटनाएं या परिस्थितियां समूह को सतत् आधार पर जारी रहने से रोक सकती है।
- प्रकटनों सिहत समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना तथा यह मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर कंपनियों अथवा व्यापार संबंधी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वितीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के समेकित वितीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वितीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' शीर्षक वाले खंड में वर्णित किया गया है।.

हम, अन्य मामलों में, आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण किमयों जिन्हें हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना है, सिहत लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य मामले

हमने एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड ("सहायक कंपनी") नामक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, 31 मार्च, 2023 को जिनके वित्तीय विवरण 3,416.83 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति और 591.39 लाख रुपये की कुल आमदनी दर्शाते है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद बहिर्वाह (शुद्ध) 370.24 लाख रुपये है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है।

सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा उसके लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट नियंत्रक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि और प्रकटनों तक सीमित है और धारा 143 (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्ण रूप से इसके लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वितीय विवरणों पर हमारा अभिमत और नीचे दी गई अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, हमारे द्वारा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मुद्दों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वितीय विवरणों/वितीय सूचना के संबंध में आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे:
- (ख) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें गई हैं, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- (ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;
- (घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016, अधिसूचित किए जाने तक, सहित पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखंकन मानकों के अनुपालन में है;

- (ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, नियंत्रक कंपनी और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल और सहायक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को अधिनियम की धारा 164 के उप खंड (2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;
- (च) समेकित वितीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वितीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के संबंध में हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अनुसार नियंत्रक कंपनी जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और सहयोगी कंपनी जिसकी हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है (जैसा इसके लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है), संदर्भ के लिए अनुलग्नक 'क' में हमारी पृथक रिपोर्ट देखे;
- (छ) वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया परिश्रामिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार हैं; और
- (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
 - समेकित वित्तीय विवरण अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन करते हैं – संदर्भ समेकित वित्तीय विवरणों का नोट 25 देखे;
 - सम्रह के पास व्युत्पन्न अनुबंध सिहत कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई
 भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी;
 - iii) कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसे समूह द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अंतरित किया जाना था।
 - (क) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी धन (जो व्यक्तिगत अथवा समग्र रूप से) को नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा विदेशी कंपनी ("इंटरमीडिएटरी") सिहत कपंनी में (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोतों या विभिन्न प्रकार के धन से) अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि इंटरमीडिएटरी, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने

गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा अथवा (अंतिम लाभार्थियों) की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ इसी तरह प्रदान करेगा;

- (ख) प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास में, कोई भी धन (जो वास्तव में व्यक्तिगत रूप से हो अथवा समग्र रूप से) नियंत्रक कंपनी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति, विदेशी कंपनी ("फंडिंग पार्टियां") सिहत कंपनी से प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि नियंत्रक कंपनी अथवा इसकी सहायक कंपनी चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी अथवा निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह कुछ प्रदान करेगी;
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार तर्कपूर्ण और उचित पाया है, उनके आधार पर ऐसा कुछ भी हमारे ध्यान में नहीं आया है कि जिससे यह माना जाए कि नियम 11(ड़) के उप-खंड (i) और (ii) अंतर्गत स्पष्टीकरण जैसा उपरोक्त (क) और (ख) में बताया गया है, में कोई वास्तविक रूप से गलत बयानी हो; और
- v) वर्ष के दौरान समूह द्वारा कोई लाभांश घोषित अथवा भुगतान नहीं किया गया था; इसलिए, उक्त खंड लागू नहीं होता है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

हस्ता.

अंकुर गोयल साझेदार सदस्यता सं. 099143

यूडीआईएन: 23099143बीजीपीएमवीवाई4012

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक - 'क'

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ (च) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनी (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहयोगी कंपनी को "समूह" कहा गया है) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" में ("गाइडेंस नोट") उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्वित करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व समूह की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखापरीक्षा मानकों, जिसे "आईसीएआई" द्वारा जारी किया गया है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है, और दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का

अनुपालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करने के संबंध में योजना तैयार करे और लेखापरीक्षा करे कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वितीय विवरणों और उनके संचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वितीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। समेकित वितीय विवरणों पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों के हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वितीय विवरणों पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वितीय विवरणों की गलत बयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

समेकित वितीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वितीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी कंपनी के समेकित वितीय विवरणों के संदर्भ में समूह की आंतरिक वितीय नियंत्रण में वह नीतियां और पद्धितयां शामिल होती है जो (1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, समूह की परिसंपितयों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समेकित वितीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को समूह के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमित की अनुसार ही किया जा रहा है; और (3) समूह की संपित के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका समेकित वितीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन उपलब्ध कराना।

समेकित वितीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वितीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन उल्लंघन की संभावना सिहत, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अविध के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

अभिमत

हमारे अभिमत, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के पास सभी भौतिक पहलूओं में समेकित वितीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त वितीय नियंत्रण है और 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट ऑफ इंडिया' द्वारा जारी 'वितीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वितीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा' पर गाइडेंस नोट में उल्लेख किए गए अनुसार आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वितीय विवरण अर्हता के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

अन्य मामर्ले

अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में रिपोर्ट, जहां तक यह सहायक कंपनी नामत एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड से संबंधित है, को इसके लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार छूट प्राप्त है क्योंकि कंपनी का व्यवसाय और ऋण अधिनियम के तहत विनिदष्ट सीमा से कम है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत आशोधित नहीं है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टड एकाऊंटेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 000346एन

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 मई, 2023

हस्ता.

अंकुर गोयल साझेदार

सदस्यता सं. 099143

यूडीआईएन:23099143बीजीपीएमवीवाई4012

समेकित वितीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समेकित तुलन पत्र

विवरण	नोट	31 माचे, 2023 को (लाख रुपए में)			31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)	
क्विटी एवं दायिताओं						
शेयरधारकों की निधियां						
(क) शेयर पूंजी	3	10,000.00		10,000.00		
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	4	64,968.31	74,968.31	68,395.64	78,395.64	
भचल दायिताएं						
(क) अन्य दीर्घकालिक दायिताएं	5	437.18		491.81		
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	6	149.61	586.79	121.52	613.3	
गलू दायिताओं						
(क) व्यापार देय	7					
) सूक्ष्म और लघ् उपक्रमों को कुल बकाया देय		-		32.42		
ii) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों से इंतर		1,883.76		2,137.88		
नदारों को कुल बँकाया		,		•		
(ख) अन्य चालू दायिताएं	8	224.48		344.10		
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	9	15.19	2,123.43	11.56	2,525.9	
जो ड़			77,678.53	_	81,534.9	
गरिसंपत्तियां						
भचल परिसंपत्तियां	· · · ·					
(क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपित्त (i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1યા	2,139.79		2.286.77		
(i) पारसपात, संयत्र जार उपकरण (ii) अमृते परिसंपतियां	10	11.54		16.53		
(iii) चाल पुंजीगत कार्य	10.5	-		1.63		
(आ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	11.5	95.89		95.33		
(ग) दीर्घकालिक ऋूण और अग्रिम	12	1.69		5.29		
(घ) अन्य अचल परिसंपत्तियां	13	56,823.91	59,072.82	61,113.40	63,518.9	
वल परिसंपत्तियां						
(क) व्यापार प्राप्य	14	267.50		132.50		
(ख) रोकड़ और बैंक शेष	15	14,877.54		17,005.35		
(ग) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	16	53.19		45.94		
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	3,407.48	18,605.71	832.19	18,015.9	
जोइ			77,678.53	_	81,534.93	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2					
· · · · संलग्न लेखों के नोट समेकित वितीय विवरणों के आंतरिक	சார் த அ. அ.					
ग्लब्च लखा क चाट समाकत ।वयाय ।ववरणा के आंपारक	माण ह उ-39					

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टड एकाऊंटेंट

फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता. हस्ता. (राजीव सिंह ठाकुर) सीए अंकुर गोयल (सुमिता डावरा) (साझेदार) (सदस्यता सं. 099143) सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएन : 01005516) निदेशक (डीआईएन : 02631653) हस्ता. हस्ता. यूडीआईएन-23099143बीजीपीएमवीवाई4012 (पी. के. अग्रवाल) (अभिषेक चौधरी) स्थानः नई दिल्ली (उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव दिनांकः 29 मई, 2023 (मुख्य वितीय अधिकारी) संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

नोट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समास वर्ष
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
18	1,213.05	2,280.60
19	743.37	647.81
	1,956.42	2,928.41
20	26.22	24.52
21	922.39	937.73
22	172.98	222.90
23	1,087.11	889.53
	2,208.70	2,074.68
	-252.28	853.73
	95.98	262.90
		8.21
	-0.56	-19.59
	-347.76	602.21
24		
	-0.35	0.60
	-0.35	0.60
2		
3 - 39		
	20 21 22 23 24	18 1,213.05 19 743.37 1,956.42 20 26.22 21 922.39 22 172.98 23 1,087.11 2,208.70 -252.28 95.98 0.06 -0.56 -347.76 24 -0.35 -0.35

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टड एकाऊंटेंट

फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता. हस्ता.

सीए अंकुर गोयल(सुमिता डावरा)(राजीव सिंह ठाकुर)(साझेदार)सीईओ एवं प्रबंध निदेशकनिदेशक(सदस्यता सं. 099143)(डीआईएन : 01005516)(डीआईएन : 02631653)हस्ता.हस्ता.

यूडीआईएन-23099143बीजीपीएमवीवाई4012

स्थानः नई दिल्ली **(पी. के. अग्रवाल) (अभिषेक चौधरी)** दिनांकः २९ मई, २०२३ (मुख्य वितीय अधिकारी) (उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल 2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	31 मार्च , 2023 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	, , ,	, ,
कर पूर्व शुद्ध लाभ	-252.28	853.73
समायोजन के लिए :		
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	172.98	222.90
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	0.28	0.73
खारिज की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	0.20
ब्याज आय	-666.02	-548.99
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	-745.04	528.57
समायोजन के लिए		
व्यापार प्राप्यों में /वृद्धि/कमी	-135.00	94.46
अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	22.91	7.55
व्यापार देयों में वृद्धि/कमी)	-286.55	101.89
अन्य देयों में वृद्धि/(कमी)	-57.85	-74.51
परिचालन गतिविधियों से सुजित नकदी/प्रयुक्त)	-1,201.53	657.96
पारवाराग गारावाचवा सं सृत्यास गम्म्यून/(श्रुवस)	-1,201.33	037.70
भुगतान किए कर (रिफंड का शुद्ध)	-65.78	-404.03
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	-1,267.31	253.93
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियां	1.00	5,000.00
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों से अर्जित ब्याज	88.66	98.11
परियोजना विकास व्यय के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	-1,398.44	-4,124.57
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियां	1.00	10.00
स्वच्छता कार्य योजना के लिए प्राप्त निधियों की उपयोगिता	-1.00	-10.00
संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति की /खरीद्र)	-19.85	-24.40
संपत्ति. संयंत्र और उपकरण की बिक्री	0.18	0.29
बैंकों के साथ निक्षेपों में /वृद्धि/कमी	597.00	397.82
ब्याज आय	522.58	604.04
भूमि के लिए किश्त का भुगतान	-54.63	-54.63
मूम के तिए किस्त की मुगतान	-54.03	-54.03
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	-263.50	1,896.66
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहः		
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/प्रयुक्त)		
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	-1,530.81	2,150.59
वर्ष की शुरूआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	16,408.35	14,257.76
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	14,877.54	16,408.35
	1,,011.01	10,100.00
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक		
रोकड़ हस्ते	0.12	0.05
चालू खातों में बैंक के पास शेष	7.09	6.45
अवधि जमाओं में बैक के पास शेष	14,870.33	16,401.85
	14,877.54	16,408.35
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2.00	
संलग्न लेखों के नोट समेकित वित्तीय विवरणों के आंतरिक भाग है	3 - 39	

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से चार्टड एकाऊंटेंट फर्म पंजीकरण सं. ०००३४६एन हस्ता. हस्ता. हस्ता. ृ**सुमिता डावरा**) सीईओ एवं प्रबंध निदेशक (राजीव सिंह ठाकुर) सीए अंकुर गोयल निदेशक (डीआईएन : 01005516) (डीआईएन : 02631653) (सदस्यता सं. ०९९१४३) हस्ता. हस्ता. यूडीआईएन-23099143बीजीपीएमवीवाई 4012 स्थानः नई दिल्ली (पी. के. अग्रवाल) (अभिषेक चौधरी) (उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव) (मुख्य वित्तीय अधिकारी) दिनांकः २९ मई, २०२३

सीआईन: **य**45400डीएल2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 🕧 समूह की सूचना

भारत सरकार ने प्रमुख आर्थिक चालक (एसपीवी) के रूप में विनिर्माण के साथ नियोजित शहरीकरण की प्रक्रिया चुरू करने और देश के औद्योगिक,विनिर्माण विकास को मजबूत गित देने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2007 में पहले औद्योगिक गलियारे के रूप में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की। तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की। तदनुसार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियार विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) (धारक कंपनी) को डीएमआईसी परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में 7 जनवरी 2008 को निगमित किया गया था।

सितंबर, 2011 में, भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट में औद्योगिक शहरों के विकास हेतु डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना को अनुमोदन दिया और डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी पीआईटीएफ) के रूप में एक परिक्रामी कार्पस के साथ समर्पित निधि सजन को भी अनुमोदन दिया।

डीएमआईसीडीसी नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरिंग अध्ययन करने के लिए एक परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य करती है। डीएमआईसीडीसी को डीएमआईसी.पीआईटीएफ के लिए और डीएमआईसी क्रियान्वित करने के लिए सभी एसपीवी और राज्य सरकार एजेंसियों के लिए भी परियोजना विकास पार्टनर लॉलेज पार्टनर का अधिदेश है।

दिसंबर, 2016 में भारत सरकार ने डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटशन ट्रस्ट फंड के अधिदेश को विस्तारित किया और देश में औद्योगिक गलियारों के एकीकृत विकास के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंशन ट्रस्ट के रूप में पुनःनामित किया। डीएमआईसीडीसी को डीएमआईसी कार्यों के अतिरिक्त, अन्य गलियारों के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त होने तक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। विस्तारित अधिदेश को देखते हुए 17 फरवरी 2020 से कंपनी का नाम बदलकर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड एनआईसीडीसी) कर दिया गया।

इसके बाद, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के समग्र ढांचे के भीतर औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 4 चरणों में विकसित किए जाने के लिए 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं (पहले अनुमोदित 5 औद्योगिक गलियारों सहित) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी।

नियंत्रक कंपनी की एक सहायक कंपनी यानी एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड हैं। संलग्न समेकित वित्तीय विवरण नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी), जो नियंत्रक कंपनी हैं और इसकी सहायक कंपनी से संबंधित है (एक साथ 'गूप 'के रूप में संदर्भित)।

नोट 2 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

कंपनी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), अधिसूचित एवं लागू किए जाने की सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों जो कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम ७ के साथ पठनीय है, जिस तरह से आवश्यक है, प्रोद्धवन आधार पर परंपरागत ऐतिहासिक लागत पर तैयार और प्रस्तत किया गया हैं।

2.2 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों /जीएएपी?) के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आवश्यकतानुसार आकलन और अनुमान लगाने की ज़रूरत होती है, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में परिसंपतियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करता है। सतत् आधार पर अनुमानों को पिछले अनुभावों और विभिन्न अन्य मान्यताओं पर मूल्यांकित किया जाता है, इनके परिणाम परिसंपत्तियों और दायिताओं के मूल्यों के बारे में निर्णय लेने का आधार बनते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न हो सकते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और मान्यताएं सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण आधार पर तैयार किए जाते हैं, और इस तरह के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिणाम ज्ञात साकार होते हैं।

2.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

लेखांकन का आधार:

- i) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण नियंत्रक कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए है।
- ii) "समेकित वित्तीय विवरण" पर लेखांकन मानक-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए है ।

समेकन का सिद्धांतः

- क) नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण "के अनुसार अंत समूह शोषों और अंत समूह लेन-देनों और गैर वसूले गए लाभ एवं हानियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात् परिसंपत्तियों, दायिताओं, आय और व्यय की एक समान मदों की बुक वैल्यू को साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है।
- ख) जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान लेन देनों और उसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है और उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में हो, अन्यथा जैसा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में उल्लेख किया गया हो।

सीआईन: यू ४५४००डीएल २००८पीएलसी १७२३१६

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

ग) सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध संपत्ति पर सहायक कंपनियों में निवेश की लागत के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में गुडविल या पूंजी आरक्षित कोष के रूप में, जैसा भी मामला हो, मान्यता दी जाती है।

नियंत्रक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्न कंपनी के परिणाम शामिल है:

कंपनी का नाम	किस देश में निगमित की गई	^{31.03.2023} को शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत)	31.03.2022 को शेयरधारिता का अनुपात (प्रतिशत)
एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पाँवर लिमिटेड	इंडिया	100%	100%

2.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

- क परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) को संचयी मूल्यहास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर प्रकट किया गया है.
- ख अधिग्रहण,निर्माण की लागत में माल ढुलाई, निर्माण और कमीशन प्रभार, शुल्क और कर, निर्माण अवधि के दौरान अधिग्रहण,स्थापना की तारीख तक व्यय और निर्माण,स्थापना चरण के दौरान किए गए अन्य आकस्मिक खर्च शामिल हैं।
- ग जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के कुछ हिस्सों के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।
- घ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु से संबंधित बाद के खर्च को उसके बुक वैल्यू में तभी जोड़ा जाता है जब वे मीजूदा परिसंपत्ति से प्रदर्शन के पिछले आकलन से भविष्य के लाभों को आगे बढ़ाते हैं। मरम्मत और रखरखाव की लागत को जब भी खर्च किया जाता है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है।
- ड. सेवा हटाने के कारण से उत्पन्न होने वाली हानि, अथवा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से उत्पन्न होने वाली लाभ/हानि, जिसे लागत पर किया जाता हैं, सेवा से हटाने,/निपटान के वर्ष में समेकित लाभ एवं हानि विवरण में प्रदर्शित किया जाता हैं।
- च कंपनी अधिनियम, 2013की अनुसूची // के प्रावधानों के अनुसार. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखते हुए. उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहासत विधि से लगाया जाता है। बहरहाल, यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए प्रबंधन का अनुमान पूर्वोक्त अनुसूची में परिकल्पित से कम है, तो प्रबंधन क उपयोगी श्रेष जीवन के अनुमान के आधार पर मूल्यहास उच्च दर पर लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची // के प्रावधानों के अनुसार और प्रबंधन द्वारा अनुमान के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फर्नीचर और फिक्सचर	10
कार्यालय उपकरण	5
विद्युत संस्थापना और उपकरण	10
कम्प्यूटर – डेस्कटॉप, लैपटॉप आदी जैसे उपभोक्ता उपकरण	3
कम्प्यूटर – सर्वर और नेटवर्क	6
भवन	5
भवन संरचना	30
कार्पेटेड रोड	5
नॉन-कार्पेटेड रोड	3
संयंत्र और मशीनरी (सामान्य)	15

इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी की निम्न उल्लिखित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को निम्नानुसार समझा जाता है:

परिसंपत्तियां	मूल्यहास	औचित्य
सौलर पैनल	 निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जाता है और पूंजीगत लागत के 90 प्रतिशत के रूप में अवक्षयी परिसंपत्ति समझा जाता है। उपयोगी जीवन वाणिज्यक परिचालन तिथि से 25 वर्ष समझा जाता है। प्रथम 13 वर्षों के लिए मूल्यहास दर 5.28 प्रतिशत और परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान शेष मूल्यहास प्रसारित किया जाता है। 	यह केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम 2017 के अनुसार है।
लीजहोल्ड भूमि	कब्जे की तिथि से लीज की शेष अवधि (97 वर्ष 106 दिन) के लिए स्ट्रैट लाइन मैथड से परिशोधित किया जाता है।	यह भूमि विकास प्राधिकरण अर्थात आरआईआईसीओ के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के अनुसार है।

- छ 5,000 रुपये तक की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण के वर्ष में ही पूरी तरह से अवमूल्यन किया जाता है।
- ज संपत्ति. संपंत्र और उपकरण के अतिरिक्त पर मूल्यहास संपत्ति के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन पर संपत्ति के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्तियों की बिक्री,त्याग,नष्ट,श्वस्त करने पर मूल्यहास परिसम्पत्तियों की बिक्री,निपटान, जैसा भी मामला हो, तक प्रभारित किया जाता है।

सीआईन: य 45400डी एल 2008पी एलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित मूल्यहास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है झ
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, यदि कोई हो, सक्रिय उपयोग से सेवानिकृत या निपटान के लिए रखे गए हैं, उन्हें निम्नतर लागत (संचित मूल्यहास का शुद्ध) या अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताया जाता है।
- लीजहोल्ड सुधार की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है। ਟ
- ਰ निर्माणाधीन संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और परिसंपत्ति की लागत वर्ष के अंत से पहले उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दिखाया गया है।
- प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम को अन्य गैर चालु परिसंपत्तियों के तहत पूंजीगत अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ड
- न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन ,(एनईडीओ), जापान द्वारा सहायक कंपनी को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किए गए उपकरणों को परियोजना के पूरा होने के बाद सभी वास्तविक अधिकारों के साथ उपकरणों के स्वामित्व के हस्तांतरण पर र 1/c के मामूली मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त संपत्ति को तभी मान्यता दी जाती है जहां यह संभावना है कि संपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को संवित परिशोधन और संवित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति, पूंजीकृत नहीं है और व्यय उस वर्ष के समेकित लाभ और हानि विवरण में परिलक्षित होता है जिस वर्ष में व्यय किया गया हो।

अमूर्त संपत्ति में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं और इसे संचित परिशोधन की लागत को घटाते हुए अधिग्रहण,कार्यान्वयन की लागत पर बताया जाता है। इसे $\mathfrak S$ साल की अवधि अथवा स्ट्रेट लाइन के आधार पर लाइसेंस अवधि, जो भी पहले हो, में परिशोधित किया जाता है।

26 परिसंपत्तियों का परिशोधन

एक परिसंपत्ति को तभी परिशोधित माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में परिसंपत्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा की जाती है और यदि आंतरिक,बाहरी कारणों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। कोई हानि उस वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि विवरण तब प्रभारित की जाती है जिस अवधि में किसी परिसंपत्ति की परिशोधित के रूप में पहचान की जाती है। जहां वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है वहां पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई परिशोधित हानि को बढ़ाया,धटाया जाता है। वसूली योग्य मूल्य परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है।

2.7 सहायता अनुदान

2.7.1 परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)
भारत सरकार ने विभिन्न औद्योगिक कोरिडोर परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास,प्रारंभिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) की स्थापना को मंजूरी दी, जिसके लिए नियंत्रक कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के माध्यम से भारत सरकार से अनुदान सह्यता प्राप्त होती हैं जिसे आरक्षित और अधिशेष के तहत पूंजी आरक्षित निधि के रूप में प्रकटन किया गया है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार,एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती हैं, तो धनवापसी के वर्ष में उक्त निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस निधि पर अर्जित ब्याज, लाभांश या किसी अन्य आय को निधि शेषों में जोड़ा जाता है। इसके अलावा, विभिन्न औद्योगिक गलियारों के परियोजना विकास,प्रारंभिक गतिविधियों पर किए गए परियोजना विकास व्यय ्पीडीई) को निधि में से निम्नानुसार माना जाता है:

क) धारक कंपनी की सहायक कंपनियों और उन परियोजनाओं से संबंधित व्यय जिनके लिए नेशनल इंडस्टियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्लीमेंटेशन टस्ट /एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट कर अरक करना का उठानक करनाना आर उन अरमाणाणा ता दानाय ज्या जागण हाथ नवाया उठानूचा कारकार उपलब्ध हुए हुए शुरामध्या हुए (राजाइसाडाजाइटा) यूव में डाएमजाइसा प्रावण्य इम्प्लीमेटेंग्यन स्टूस फंड (डाएमजाइसी पीजाइटीएफ) और नोडल एजीस्पों के बीच अलग-अलग विशेष प्रयोजन ताइन (एसपीवी) बनाए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारें, जहां भी शेयरधारकों के समझौते में शतों के अनुसार वसूली योग्य हो, संबंधित सहायक कंपनियों.एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है और अन्य गैर-चालू संपत्ति के तहत प्रकटन किया जाता है:

ख) उन परियोजनाओं पर वहन किए गए व्यय जो अभी शुरू नहीं की गई है अथवा जिन पर अन्य गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रॉ)/मोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एप्रीमेंट इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है, तो इसे पूंजी आरक्षित कोष के अंतर्गत परियोजना विकास निधि से घटाया जाता है. और

ग) परियोजनाओं से संबंधित व्यय जो प्रगति पर हैं और जहां शेयरधारकों के समझौते के निष्पादन न होने के कारण एसपीवी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है या जहां परियोजनाओं को अभी तक एनआईसीडीआईटी ⁄सीसीईए द्वारा निवेश के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है या कोई अन्य खर्च जो इसके तहत कवर नहीं किया गया है उपरोक्त पैरा कि) और ﴿ख) को 'अन्य गैर-चालू संपत्ति 'शीर्ष के तहत परियोजना विकास व्यय 'के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

सीआईन: य 45400डी एल 2008पी एलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

2.7.2 परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना के लिए विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वयन निधि। पीआईएफ) की स्थापना को मंजूरी दी है. जिसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है और आरक्षित और अधिशेष के तहत पूंजी भंडार के रूप में प्रकटन किया जाता है। यदि निधि से कोई राशि भारत सरकार एनआईसीडीआईटी को वापस की जा सकती है, तो धनवापसी के वर्ष में उत्तत निधि शेष से घटा दी जाएगी।

इस फंड में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है।

2.7.3 स्वच्छता कार्य योजना निधि (एसएपी)

भारत सरकार ने स्वच्छता कार्य योजना के प्रति व्ययों की पूर्ति के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) की स्थापना को स्वीकृति दी है जिसके लिए कंपनी को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्रलोमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है जिसे आरक्षित कोष एवं अधिशेष के अंतर्गत पूंजीगत कोष में प्रदर्शित किया गया है। फंड से भारत सरकार एनआईसीडीआईटी को किसी राशि के वापसी योग्य होने पर उक्त राशि को उस वर्ष में रिफंड के शेष से घटाया जाता है।

इस निधि में अर्जित ब्याज, लाभांश और किसी भी अन्य आय को निधि शेष में जोड़ा जाता है और गैर-वसूलनीय व्ययों को निधि शेष से पूरा किया जाता है।

2.8 निवेश

चालू निवेश का लागत अथवा उद्धत मूल्य पर उल्लेख किया जाता है।

निवेशों के निपटान पर शब्द निपटान आय और अग्रणीत राशियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.9 राजस्व मान्यता

क) नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान से प्राप्त आमदनी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि आर्थिक लाभ नियंत्रक कंपनी को प्राप्त होंगे और जब व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें लागू करने योग्य हैं, सेवाएं वितरित की गई हैं, संग्रहणीयता यथोचित रूप से सुनिश्चित है और राजस्व को विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तदनुसार, सेवाओं से प्राप्त आमदनी को निम्नानुसार मान्यता दी गई है.-

(i) नेशानल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईरी) द्वारा परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) से विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी किए गए निधियों की 1% की दर से सेवा शुल्क जिसे एनआईसीडीआईटी ने 26 जुलाई 2016 को हुई बैठक में अनुमोदित किए अनुसार एक वर्ष में ₹ 20,00,00,000 की अधिकतम सीमा तक मान्यता दी गई है।

(//) नॉलेज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल क-वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वार्षिक आंतरिक प्रोद्धवन के 1% की दर से सेवा शुल्क 10 वर्षों की प्रारंभिक अविधे के लिए अनुपातिक आधार पर न्यूनतम र 5,00,00,000 और अधिकतम र 10,00,00,000 प्रति वर्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है जैसा 26 अक्टूबर, 2018 को आईआईसीसी के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्धारित किया गया है।

- ख) 📉 सहायक कंपनी द्वारा बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व को ग्राहकों के साथ सहमत दरों पर मासिक आधार पर निर्यात की गई इकाइयों की शद्ध संख्या के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- ग) ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज की लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय आनुपातिक आधार पर स्वीकारा जाता है।
- घ) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

2.10 **लीज**

लीज व्यवस्थाएं, जहां परिसपत्तियों के आकस्मिक जोखिम और पुरस्कार देने वाले के पास होते हैं, उसे परिचालन लीज के रूप में स्वीकारा जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत लीज भुगतानों को प्रोद्धवन आधार पर समेकित लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में स्वीकारा जाता है।

2.11 विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेनदेन उक्त तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद विदेशी मुद्रा में मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बदला किया जाता है। भारत के बाहर किसी देश से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशि और देनदारियों के मामले में विनिमय दरों के अंतर को इसकी लागत में समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय अंतर लाभ और हानि के समेकित विवरण में पहचाने जाते हैं। वायदा विनिमय अनुबंध पर प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। इस तरह के अनुबंध पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी जाती है। जासी है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है। वायदा अनुबंध के रद्द अथवा नवीनीकरण पर होने वाले किसी भी लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.12 मालसूची

उपभोज्य, भंडार और कलपूर्जों के स्टॉक को फर्स्ट इन, फर्स्ट आऊट (फीफो) आधार पर लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है।

सीआईन: यु ४५४०० डीएल २००८ पीएलसी १७२३१६

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

2.13 कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक अवधि हितलाभ

इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के समेकित विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन लाभों में सरकारी कर्मचारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान शामिल है, जिसका हिसाब केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार है, संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थित, जो वर्ष के अंत से 12 महीनों के भीतर प्राप्त या भुनाए जाने की उम्मीद है।

ख) परिभाषित अंशदान योजनाः

सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1962 के अनुसार पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी) के लिए वर्ष के दौरान भुगतान या देय समूह के योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है जिस वर्ष कर्मचारी सेवा प्रदान करता है।

2 14 खंडवार रिपोर्टिंग

परिचालन खंडों की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा संसाधनों को आवंटित करने और निर्णय लेने के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है। लेखांकन मानक 17 के अर्थ में निदेशक मंडल सामूहिक रूप से समूह का 'मुख्य संचालन निर्णय निर्माता 'या 'सीओडीएम 'है।

2 15 पति शेयर आमदनी

समूह 'प्रति शेयर कमाई "पर लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल और आय (ईपीएस) की रिपोर्ट करती है।

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना इकिटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, सिवाय इसके कि जहां के परिणाम सभी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इकिटी शेयर, जैसा कि सभी कमजोर संभावित इकिटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, को छोड़कर जहां परिणाम एंटी-डिल्यूटिव हैं।

2.16 <mark>आय पर कर</mark>

- क) कर व्यय में वर्तमान और आस्थिगत कर शामिल होते हैं।
- ख) वर्तमान आयकर, संपत्ति और देनदारियों को आयकर अधिनियम, 1961 में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा सम्मिलित कर व्यवस्था के अनुसार कराधान अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली या उनसे वसूली योग्य राशि पर मापा जाता है, और आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस), कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके भारत में अधिनियमित किया गया।
- ग) लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर से उत्पन्न आस्थिगित कर देयता /संपत्ति, जो बाद की लेखा अवधि में उत्क्रमण करने में सक्षम है, को कर की दर और कर कानूनों पर विचार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थिगत कर परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थिगत कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। आस्थिगत कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उनकी वसूली के लिए की जाती है।
- घ) न्यूनतम वैकल्पिक कर (प्रमुएटी) उस वर्ष के दौरान वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के समिकित विवरण पर लगाया जाता है जिसमें इसका भुगतान किया जाता है। समूह एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट को को वेल उस हद तक मान्यता देता है कि इस बात के उपयुक्त साक्ष्य हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर के किंदिर को आगे ले जाने की अनुमति है। कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध केडिट के एए लेखांकन पर गाइडेंस नोट के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर केडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देती है, उस्त परिसंपत्ति को क्रेडिट के समिक्त विवरण में क्रेडिट के माध्यम से बनाया गया है और लाभ और हानि और न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता "के रूप में दिखाया गया है। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता" संपत्ति की समीक्षा करती है और परिसंपत्ति को उस हद तक लेखाबद्ध करती है, जिस हद तक समूह के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि वह निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी।

2.17 प्रावधान, आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओ) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायिता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायिता का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बट्टागत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा नोट्स में तब किया जाता है जब पिछली घटना(ओं) से उत्पन्न होने वाली संभावित बाध्यता होती है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर घटना से की जाएगी, न कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटना (ओं) से उत्पन्न होता है, जहां यह या तो संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिगंमन व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होगा या एक विश्वसनीय अनुमान को तैयार नहीं किया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो स्वीकारा जाता है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

सीआईन: यू.45400डीएल 2008पीएलसी 172316

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

2.18 रोकड़ और समतुल्य

नकद और नकद समकक्षों में हाथ में नकद, चेक, हाथ में ड्राफ्ट,ट्रांजिट में प्रेषण, बैंक शेष और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपकता वाली जमा राशि शामिल है और जो नकद और नकद समकक्ष की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जिनकी कीमतों में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है। स्वीप इन सुविधा में रखी गई सावधि जमाओं को आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, इसलिए नकद और नकद समकक्ष में शामिल किया जाता है।

2.19 रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि "द्वारा तैयार किया जाता है जैसा कि "रोकड़ प्रवाह विवरण "पर लेखांकन मानक 3 में निधीरित किया गया है और समूह की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

स्टैंडएलोन रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किए गए रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में हस्ते रोकड़, चेक, ट्रांजिट में हैंड.शेमिटेंस, बैंक बैलेंस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले डिपॉजिट शामिल हैं और जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय हैं।

परियोजना विकास निधि और संबंधित आय /व्यय से संबंधित लेनदेन प्रकृति में दीर्घकालिक हैं, इसलिए इन्हें निवेश गतिविधियों के रूप में माना जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वितीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
ोट 3: शेयर पूंजी	(114 717 1)	((114 (11 (1)
प्राधिकृत		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000	10,000
	10,000	10,000
निर्गमित , अमिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000	10,000
जोड़	10000	10,000

3.1 वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों की संख्या में सामंजस्य :

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2	31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या	(लाख रुपए में)	शेयरों की संख्या	(लाख रुपए में)	
वर्ष की शुरूआत में इक्विटी शेयर	10,00,00,000	10,000	10,00,00,000	10,000	
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर	0	0	0	0	
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	10,00,00,000	10,000	10,00,00,000	10,000	

3.2 इक्विटी शेयरों के साथ संलग्न शर्तै/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3.3 समूह में 5 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा:

	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 1	31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता %	शेयरों की संख्या	धारिता %	
भारत के राष्ट्रपति (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)	4,90,00,000	49	4,90,00,000	49	
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	2,60,00,000	26	2,60,00,000	26	
हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000	19.9	

समूह के रिकॉर्ड के अनुसार, शेयरधारकों / सदस्यों के अपने रजिस्टर और अन्य घोषणाओं सहित, यदि कोई हो, शेयरधारकों से लाभकारी हित के संबंध में, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी और लाभकारी स्वामित्व दोनों का प्रतिनिधित्व करती है।

3.4 कंपनी ने बोनस शेयरों को जारी नहीं किया है, नकदी प्राप्त किए बिना ही शेयरों को जारी नहीं किया गया है अथवा तुलन पत्र की तिथि से पिछले पांच वर्षों के दौरान किन्हीं भी शेयरों को वापिस नहीं खरीदा गया है।

3.5 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			वर्ष के दौरान	
प्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयर का %	परिवर्तन %	
गरत के राष्ट्रपति, रचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय रारा	4,89,99,998	0.49	कुछ नहीं	
गै राजीव ठाकुर, आईएएस, (पिछले वर्षःश्री शैलेंद्र सिंह, आईएएस), अतिरिक्त सचिव, उद्योग संवर्धन गैर आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उचीग मंत्रालय				
नंयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग नंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व	1			
जोड़	4,90,00,000			

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल 2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

	विवरण		3	1 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को
	144441			(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)
नोट 4	आरक्षित और अधिशेष					
(क.)	पूंजी आरक्षित निधि - के लिए प्राप्त सहायता अनुदानः .					
	(संदर्भ नोट 2.7)					
	(i) परियोजना विकास निधि					
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		73,020.27		68,020.27	
	जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान		1.00	73,021.27	5,000.00	73,020.27
	जोड़ेः परियोजना विकास निधि पर अर्जित ब्याज, आदि					
	अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		3,351.19		3,225.78	
	वर्ष के दौरान सावधि जमा पर ब्याज और कर रिफंड	<u> </u>	76.62	3,427.81	125.41	3,351.19
	(घटाएं)- परियोजना विकास व्यय, वसूल न होने तक					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार		-14,509.19		-4,035.14	
	वर्ष के दौरान व्यय		-3,157.19	-17,666.38	-10,474.05	-14,509.19
	(घटाएं): परियजोनजा विकास निधि में अर्जित ब्याज पर कर प्रभाव			-30.87		-30.87
		(i)		58,751.83	•	61,831.40
	(ii) परियोजना कार्यान्ययन निधि					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार (संदर्भ 4.1)			1,300.00		1,300.00
		(ii)	_	1,300.00		1,300.00
	(iii) स्वच्छता कार्य योजना					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार*			0.00		0.00
	वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान			1.00		10.00
	जोड़े: वर्ष के दौरान सावधि जमा पर ब्याज*			-		-
	(घटाएं): वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय			-1.00		-10.00
		(iii)*		-	•	0.00
	(iv) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त उपकरण (संदर्भ नोट 2.4.xiv और 36)			0.00		0.00
	•	(iv)*		0.00		0.00
	उप-जोड़			60,051.83		63,131.40
(ख)	अधिशेष					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार		5,264.24		4,662.03	
	जोड़े∶ वर्ष के दौरान लाभ		-347.76	4,916.48	602.21	5,264.24
	जोड़		-	64,968.31	-	68,395.64

राशि 1000/- रुपए से कम की है।

^{4.1} आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 6.00 मैगा वाट मोडल सोलर पांचर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) हारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीवी यथा एनआईसीडीसी नीमराणा सोलर पांचर लिमिटेड, पूर्व में डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पांचर कंपनी लिमिटेड के नाम से विदित्त को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूंजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेट एंड इम्प्लीमेटेशन ट्रस्ट फंड द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड को 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपए) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश से वापसी एनआईसीडीसी लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएंगे।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल 2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समास वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
<u>ः अन्य दीर्घकालिक दायिताएं</u>		
भूमि के लिए देय राशि (संदर्भ नोट 5.1) निष्पादन प्रतिभृति	437.08 0.10	491.7 0.1
जोड़	437.18	491.8
1 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) ने परियोजना स्थल के लिए 21 नवंबर, 2012 को 1,(को आवंटित की। कुल विकास शुल्क (डीसी) में से, 25% भूमि के आवंटन के समय अग्रिम भुगतान किया गया था और शेष देय है।)00/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की रिआयती दर पर 1,4! राशि 20 जनवरी, 2013 से 54.63 लाख रुपये की 20	5,692 वर्ग मीटर भूमि सहायक कंपनी) समान वार्षिक ब्याज मुक्त किश्तों में
विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
6 : दीर्घकालिक प्रावधा <u>न</u>		
कर्मचारी हितलाम पावधान		
- ग्रेच्यूएटी (संदर्भ नोट सं. 26) अवकाश नकदीकरण (संदर्भ नोट 26)	81.52 68.09	71.2 50.2
जोड	149.61	121.5
dip	145.01	121.5
विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
7 : व्यापार देय		
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकायाँ (संदर्भ नोट सं. 7.1)	-	32.4
सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	1,883.76	2,137.8
না ঃ	1,883.76	2,170.3
 1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है। यह गई सीमा तक निर्धारित की गई है। 	मूचना समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार प	र इस तरह की पार्टियों की पहचान की
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विवरण	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
i) वर्ष के अंत में एमएसएमईडी अधिनियम के तहत शामिल किए गए किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज -मूलधन	-	32.4
- ब्याज	-	-
ii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार समूह द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
iii) भुगतान करने में देरी की अविध के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
iv) वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि; तथा	-	-
v) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य ट्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त व्याज की राशि शेष है और आगामी वर्षों में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ट्यान का अनुसार सामना सम्बन्ध में का स्वर्ण के किया नाम है।		
ब्याज का भुगतान वास्तव में लघु उद्यमों को किया जाता है।	-	-

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्नेट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वितीय विवरणों पर नोट

7.2 पुराने व्यापार देय

31 मार्च, 2023 को					(लाख रूपए में)
विवरण		भुगतान/लेन-देन की	देय तिथि से बकाया*		जोइ
Idda	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	dip
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	669.27	325.35	700.60	188.54	1,883.76
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-
जोइ	669.27	325.35	700.60	188.54	1,883.76

31 मार्च, 2022 को					(लाख रूपए में)
विवरण		भुगतान/लेन-देन की	'देय तिथि से बकाया*		
Iddfal	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड़
(i) एमएसएमई	32.42	-	-	-	32.42
(ii) अन्य	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-
जोइ	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30

^{*} उपर्युक्त खातों को प्रबंधन द्वारा लेन-देन की तारीख के आधार पर तैयार किया गया है। उपरोक्त राशि वित्तीय विवरण की अंतिम तिथि पर भुगतान के लिए देय नहीं हैं क्योंकि भुगतान का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया/कार्य पूरा करने हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ/अस्थगित देयता अवधि के लिए निष्पादन प्रतिभृति जमा न करने के कारण राशि बरकरार रखी गई/संबंधित राज्य सरकारों से मंजूरी न मिलना आदि।

विवरण	31 i 7)	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)		31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
- अन्य चाल् दायिताएं				
सांविधिक दायिताएं (अंतर कंपनी लेन-देनों का शुद्ध)		78.41		134.6
अर्जित व्यय		18.70		13.8
व्ययों के लिए ऋणदाता		49.03		21.6
कर्मचारी संबंधित देय		16.46		49.0
बोली प्रतिभूति		2.74		70.0
दीर्घकालिक दायिताओं की चालू परिपक्वता (रीको भूमि) (संदर्भ नोट 5.1)		54.63		54.6
अन्य देय		4.20		0.0
निष्पादन प्रतिभूति		0.31		0.3
নার	<u> </u>	224.48	=	344.1
विवरण		मार्च, 2023 को नाख रुपए में)		31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
: अल्पकालिक प्रावधान कर्मचारी हितलाओं के लिए प्रावधान		·		
- ग्रेच्यूएटी (संदर्भ नोट 26)	8.11		6.52	
- अवकाश नकदीकरण (संदर्भ नोट 26)	7.08	15.19	5.04	11.5
जोड		15.19	_	11.5

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

		₹	कल ब्लॉक		मूल्यहास.परिशोधन			्लाख रुपए म) शुद्ध ब्लॉक		
विवरण	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/समायोजन	31 मार्च , 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
भूमि - लीजहोल्ड (संदर्भ नोट 10.4)	1,561.69	-	-	1,561.69	122.83	16.05	-	138.88	1,422.81	1,438.86
भवन क) आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से इतर भवन ख) फेसिंग ग) ट्यूबवैल	121.90 109.53 10.52	- - -	-	121.90 109.53 10.52	54.69 103.95 9.95	6.43 0.11 0.05	- - -	61.12 104.06 10.00	60.78 5.47 0.52	67.21 5.58 0.57
सड़क क) कारपेट्ड - आरसीसी से इतर ख) गैर कारपेट्ड सड़कें	7.42 76.48	-	-	7.42 76.48	7.05 72.66	-	-	7.05 72.66	0.37 3.82	0.37 3.82
संयंत्र एवं मशीनरी क) संयंत्र एवं मशीनरी (सामान्य) ख) सोलर पैनल ग) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त उपकरण *	1,745.89 137.96 0.00	0.23 1.63 -		1,746.12 139.59 0.00	1,228.03 43.73 -	94.03 8.56 -	- - -	1,322.06 52.29 -	424.06 87.30 0.00	517.86 94.23 0.00
फर्नीचर एवं फिक्सचर	54.59	-	-	54.59	31.80	5.89	-	37.69	16.90	22.79
कार्यालय उपकरण	144.06	19.48	-9.55	153.99	113.85	16.47	-9.08	121.24	32.75	30.21
विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	13.02	-	-	13.02	6.81	1.61	-	8.42	4.60	6.21
कम्पयूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	70.77	0.14	-	70.91	56.71	7.30	-	64.01	6.90	14.06
पट्टाधृत सुधार /कार्यालय नवीकरण)	155.72		-	155.72	70.72	11.49	-	82.21	73.51	85.00
चालू वर्ष का जोड़	4,209.55	21.48	-9.55	4,221.48	1,922.78	167.99	-9.08	2,081.69	2,139.79	2,286.77
पिछले वर्ष का जोड़	4,206.10	18.59	-15.14	4,209.55	1,729.66	207.27	-14.15	1,922.78	2,286.77	
अमूर्त परिसंपत्तियां कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	99.68	-	-	99.68	83.15	4.99	-	88.14	11.54	16.53
चालू वर्ष का जोड़	99.68	-	_	99.68	83.15	4.99	-	88.14	11.54	16.53
पिछले वर्ष का जोड़	86.75	12.93	-	99.68	67.52	15.63	-	83.15	16.53	10.03

^{*} राशि *1,000* से कम है।

^{10 1)} संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में हानि का निर्धारण करने के लिए कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी "एएस28- संपत्ति की हानि "के अनुसार समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि संपत्ति की वसूली योग्य राशि संयंत्र और उपकरण इसकी वहन राशि से कम नहीं है, इसलिए समूह के स्वामित्व वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संबंध में हानि के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

10.2) वर्ष के दौरान, समूह ने अपनी संपत्ति, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तयों में से किसी का भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

10.3) समूह के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है।

10.4) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा सहायक कंपनी को 21 नवंबर 2012 से पट्टे पर भूमि आवंटित की गई है, जिसके लिए पट्टा विलेख % अगस्त, 2014 को निष्पादित किया गया था।

10.5) चालू पूंजीगत कार्य

क) चालू पूंजीगत कार्य अनुसूची

31 मार्च, 2023 को					(लाख रुपए में)
	विवरण	31 मार्च , 2022 को	संवर्धन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
संयंत्र उपकरण					
सौलर मॉडयूल पैनल		1.63	-	1.63	-
जोङ		1.63	-	1.63	-
31 मार्च , 2022 को					(लाख रुपए में)
	विवरण	31 मार्च, 2021 को	संवर्धन	पूंजीकृत	31 मार्च, 2022 को
संयंत्र उपकरण					
सबमर्सिबल पंप		0.19	-	0.19	-
सीटीपीटी		1.23	-	1.23	-
कंट्रोल केबल		0.08	-	0.08	-
एबीटी मीटर		4.60	-	4.60	-
मीटर बॉक्स		0.37	-	0.37	-
सौलर मॉडयूल पैनल		2.51	-	0.88	1.63
जोङ		8.98	-	7.35	1.63

ख) पुराने चालू पूंजीगत कार्य

<u> 31 मार्च, 2023 को</u>					(लाख रुपए में)
विवरण		अवधि वे	न् लिए राशि		जोङ
194(9)	7 वर्ष सं कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	410
संयंत्र उपकरण					
सौलर मॉडयूल पैनल	-	-	-	-	-
जोङ		-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

<u>31 मार्च, 2022 को</u>						
विवरण	6.3		भवधि के लिए राशि			जोङ
	7 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष		3 वर्ष से अधिक	
संयंत्र उपकरण						
सौलर मॉडयूल पैनल		-		-	1.63	1.63
<u>जोङ</u>		-	-	-	1.63	1.63

ग) ऐसी कोई परियोजना प्रगति पर नहीं है या परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है, जिसके ऊपर पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है, जिसका पूरा होना शेष है या वर्ष 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 के दौरान अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है, इसलिए पुराने होने सहित इन अपेक्षित विवरणों का विवरण नहीं दिया गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.४५४०८डीएल.२००७पीएलसी १७२३१४ ३१ मार्च, २०२३ को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 मार्च , 2023 को	31 मार्च, 2022 को
नोट 11 -आस्थिगत कर परिसंपतियां (शुद्ध)	(लाख रुपए मैं)	(लाख रुपए में)
<u>अस्थिगत कर परिसंपत्तियां :</u> अस्थिगत कर परिसंपत्तियां :		
आस्थागत कर पारसपात्तया : - लेखा और कर के अनुसार मृत्यहास,यरिशोधन के बीच अंतर	49.35	57.08
- भूगतान आधार पर अनुमेय करो के कारण समय अंतराल	46.54	38.25
आस्थिंगत कर दायिता		
आस्वागत कर द्वावता जोङ	95.89	95.33
 आस्थगित कर परिसंपत्तियों को चालू वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है. क्योंकि यह बाद की लेखांकन अवधि में विपरीत होने में सक्षम है।	<u> </u>	
 विवरण	31 मार्च , 2023 को	31 मार्च , 2022 को
IMAKMI		
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
<u>नोट 12: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम</u>		
(असुरक्षित लेकिन अच्छे माना जाता है)		
कार्मिक अग्रिम	0.23	0.33
पूर्वद्त्त व्यय	1.46	4.94
जोङ	1.69	5.29
विवरण	31 मार्च , 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
नोट <i>13 :</i> अन्य गैर-चालु परिसंपत्तियां		
(असुरक्षित लेकिन अच्छे माना जाता है)		
(क) प्रतिभूति	40.94	44.94
(ख) परियोजना विकास निधि में से परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.7.1)		
	0.050.40	40.044.04
पिछले तुलन पत्र के अनुसार जोड़े: वर्ष के दौरान वहन किए गए व्यय /शून्य रूपये की शुद्ध बिड प्रोसेसिंग फीस <i>(</i> पिछले वर्षः <i>30</i> लाख रुपये)/	2,958.62 2,076.27	10,914.90 4,169.74
and the state of t	5,034.89	15,084.64
(घटाएं): वसूलनीय होने के कारण, सहयोगी कंपनियों एसपीवी को अंतरित राशि	-349.18	-1,651.97
(घटाएं): वसूली योग्य न होने के कारण परियोजना विकास निधियों में स्थानांतरित किया गया	-3,157.19	-10,474.05
उप-जोङ	1,528.52	2,958.62
एसपीवी से वसुली योग्य परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट 2.7.1, 13.1, 13.2 और 13.3)	<u> </u>	<u>-</u>
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड ृपूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)	21,251.14	21,405.10
धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	32,158.60	32,158.60
. एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	873.33	889.66
एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	662.01	643.13
डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98	687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड		507.55
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	965.43	875.09
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	1,182.69	942.73
	57,781.18	58,109.84
घटाएँ. अन्य चालु परिसंपत्तियों में हस्तांतरित एक वर्ष के भीतर वसूली योग्य राशि (संदर्भ नोट 17)	-2,526.73	_
		50 100 0
उप जोङ	55,254.45	58,109.84
जोङ	56.823.91	61,113.40

^{13.1} नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) ने 6 मार्च. 2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में कंपनी को सहायक कंपनियों एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए परियोजना विकास लिया में से इंस्तान्तिरत करने का निर्देश दिया था और इसकी वसूली को तब तक के लिए स्थगित करना जब तक कि एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राशि को वर्ष के अंत में एसपीवी अनुषिग्यां,एसपीवी अभी तक पर्याप्त अधिशेष निधियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए राशि को वर्ष के अंत में एसपीवी से वसूली योग्य के रूप में दिखाया गया है जब तक कि वे अधिशेष उत्पन्न करना शुरू नहीं कर देते।

13.2 एसपीवी से वसूल किए जाने योग्य परियोजना विकास व्यय का संचलन

31 मार्च, 2023 को

एसपीवी	37 मार्च 2022 को (लाख रुपए में)	वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय (लाख रुपए में)	वर्ष के दौरान प्राप्त,वापिस की गई राशि (लाख रुपए में)	31 मार्च 2023 को शेष (लाख रुपए में)
· महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड /पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)	21,405.10	·	-153.96	21,251.14
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	32,158.60	-		32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66		-16.33	873.33
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	643.13	18.88		662.01
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98			687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55		-507.55	
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	875.09	90.34		965.43
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	239.96	-	1,182.69
जोङ	58,109.84	349.18	-677.84	57,781.18

नेशनल इंडास्ट्रेयल कोरिडार डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.4540/डीएल.2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2022 को

एसपीवी	31 मार्च, 2021 को (लाख रुपए में)	वर्ष के दौरान वहन किया गया व्यय (लाख रुपए में)	वर्ष के दौरान प्राप्त वापिस की गई राशि (लाख रुपए में)	31 मार्च 2022 को शेष (लाख रुपए में)
- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड ृपूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)	20,262.02	1,143.08	-	21,405.10
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	31,783.68	420.10	-45.18	32,158.60
- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	889.66	-		889.66
- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड	548.60	94.53		643.13
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	687.98			687.98
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	507.55			507.55
- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	880.83	-5.74		875.09
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	942.73	-	-	942.73
जोङ	56,503.05	1,651.97	-45.18	58,109.84

13.3 एसपीवी से वसूल किए जाने योग्य परियोजना विकास व्यय की वसूली की स्थिति

एसपीवी टिप्पणियां

- महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (पूर्व में औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड)

धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

- एनआईसीडीसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड

- एनआईसीडीसी हरियाणा मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब प्रोजेक्ट लिमिटेड

- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड

- डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड

- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड

कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करनी है।

कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करनी है।

एसपीवी के निदेशक मंडल ने 03 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसकी वित्त वर्ष 2023-24 में वसूला जाएगा।

कार्य अभी प्रगति पर है और एसपीवी को अभी भी पर्याप्त अधिशेष निधियां सुजित करनी है।

एसपीवी के निदेशक मंडल ने 03 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसकी वित्त वर्ष 2023-24 में

वसूला जाएगा।

एसपीवी के निदेशक मंडल ने 26 अप्रैल, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसकी वित्त वर्ष 2023-

267.50

132.50

निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

विवरण	31 मार्च , 2023 को	31 मार्च , 2022 को
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)

नोट १४: व्यापार प्राप्य

(असुरक्षित, लेकिन अच्छे समझे जाते हैं)

अन्य प्राप्य - इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड - उद्यम जिस पर प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है '

जोङ

267.50 132.50

14.1 पुराने व्यापार बकाया

<u>31 मार्च, 2023 को</u>						(लाख रुपए में)
 विवरण			भुगतान/लेन-देन व	गी देय तिथि से बकाया		
Iddin	८ माह से क म	<i>6</i> माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड
(क) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है	267.50	-	-	-	-	267.50
(ख) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
(ग) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है	-	-				-
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
जोङ	267.50	-	-	-	-	267.50

<u>31 मार्च, 2022 को</u>						(लाख रुपए में)
विवरण	भुगतान लेन देन की देय तिथि से बकाया					
144(-1	८ माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	जोड
(क) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है	132.50	-	-	-	-	132.50
(ख) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है		-		-		-
(ग) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें अच्छा समझा जाता है			-	-		-
(घ) विवादित व्यापार प्राप्य - जिन्हें संदिग्ध समझा जाता है	-	-	-	-	-	-
जोङ	132.50	-	-	-	-	132.50

[ं] उपरोक्त पुराने बकाये को प्रबंधन द्वारा लेन देन की तिथि के आधार पर तैयार किया गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन : यू./5400डीएल.2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

		31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31	। मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
5: रोकड और बँक शेष				
रोकड़ और नकद समतुल्य				
रोकड़ हस्ते		0.12		0.0
चालू खातों में बैंक के पास शेष				
- परियोजना विकास निधि	3.02		2.29	
- स्वच्छता कार्य योजना *			0.00	
- समूह निधि	4.07	7.09	4.16	6
साविध जमाओं में बैंकों के पास शेष $(\beta$ माह एवं कम $)$				
- परियोजना विकास निधि	1,131.47		2,262.28	
- समूह निधि	13,738.86	14,870.33	14,139.57	16,401.8
अन्य बैंक शेष बैंको के पास सावधि जमापं (3 माह से अधिक लेकिन 12 माह तक) - परियोजना विकास निधि				597.0
जोड	-	14,877.54	_	17,005.3
	-		_	
धनराशि <i>1,000</i> रूपए से कम रिपोर्टिंग और पिछले वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।				
ारपादिन और 14छल वर्ष के अंत म नकद और नकद समकद्वा के सबब में कोई प्रत्यावतन प्राविषय नहां है।				
विवरण		31 मार्च, 2023 को	31	। मार्च, २०२२ को
		(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)
<u>६ : लघुकालिक ऋण और अग्रिम</u>				
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
/असरक्षित, अच्छा माना जाता है)				
(असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) विकेताओं को अग्रिम		9.65		12.5
विक्रेताओं को अग्रिम		9.65 3.63		
		9.65 3.63 28.33		0.
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय		3.63 28.33		0. : 26. 9
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य		3.63 28.33 6.48		12.5 0.1 26.9 6.3
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम		3.63 28.33 6.48 5.10	_	0.1 26.9 6.3
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य	-	3.63 28.33 6.48	-	0.: 26.9 6.:
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम	:	3.63 28.33 6.48 5.10	31	0.7 26.9 6.3 -
विक्रंताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड	-	3.63 28.33 6.48 5.10	3:	0. : 26. 9
विक्रंताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19	31	0. 26: 6. 45.9:
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वस्ती योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड़ विवरण	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31	0. 26: 6. 45.9:
विक्रंताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड़ विवरण 7 : अन्य चालू परिसंपतियां एसपीवी से वसूलनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3)	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 মার্ঘ, 2023 কা (মার্ম ক্যেণ স্ট্র)	31	0. 26. 6. 45.9: I मार्च, 2022 को (लाख रुपए मैं)
विक्रेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वस्ती योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड़ विवरण	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31	0. 26: 6. 45.9 1 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
विक्रताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय ईडिया इंटरनेशनल कन्तेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड़ विवरण 7 : अन्य चालू परिसंपतियां एसपीवी से वसूलनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3) सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज (पीडीएफ खाते के 22.49 लाख रूपए शामिल (पिछले वर्ष 34.54 लाख रूपए)/ रिफंड योग्य आयकर (संदर्भ नोट 25(iii)) *	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31	0. 26: 6 45.9: 1 मार्च, 2022 को (लाख रुपए मैं) - 478.
विक्रताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्त व्यय ईडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोह विवरण 7 : अन्य चालू परिसंपतियां एसपीवी से वसूलनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3) सावधि जमाओं पर अर्जित व्याज (पीडीएफ खाते के 22.49 लाख रूपए शामिल (पिछले वर्ष 34.54 लाख रूपए)/ रिफंड योग्य आयकर (संदर्भ नोट 25(IIII)) * बिल नहीं किया गया राजस्व (छूट का शुद्ध)	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (साख रुपए में) 2.526.73 609.57 141.08 41.11	31	0. 26. 6. 45.9 1 मार्च, 2022 को (लाख स्पए में) 478. 169. 61.
विक्रताओं को अग्रिम कर्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय ईडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोड विवरण 7 : अन्य चाल, परिसंपतियां एसपीवी से वसूलनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3) साविध जमाओं पर अर्जित व्याज / पीडीएफ खाते के 22.49 लाख रूपए शामिल (पिछले वर्ष 34.54 लाख रूपए)/ रिफंड योग्य आयकर (शंदर्भ नोट 25(गा)) * बिल नहीं किया गया राजस्त (शूट का शुद्ध) प्रतिभूति निक्षेप	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए मैं) 2.526.73 609.57 141.08 41.11 0.16	31	0. 26: 45.9· 1 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में) - 478. 169: 61: 62: 62: 62: 62: 62: 62: 62: 62: 62: 62
विक्रताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्त व्यय ईडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वसूली योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोह विवरण 7 : अन्य चालू परिसंपतियां एसपीवी से वसूलनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3) सावधि जमाओं पर अर्जित व्याज (पीडीएफ खाते के 22.49 लाख रूपए शामिल (पिछले वर्ष 34.54 लाख रूपए)/ रिफंड योग्य आयकर (संदर्भ नोट 25(IIII)) * बिल नहीं किया गया राजस्व (छूट का शुद्ध)	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (साख रुपए में) 2.526.73 609.57 141.08 41.11	3:	0. 26: 6 45.9 1 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में) - 478. 169. 61. 0. 11.
विकेताओं को अग्रिम कार्मिक अग्रिम पूर्वदत्तत व्यय इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्थन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से ऊपरी व्ययों के विभाजन के कारण वस्ती योग्य अन्य ऋण और अग्रिम जोष्ठ विवरण 7 : अन्य चाब, परिसंपतियां एसपीवी से वस्तनीय (संदर्भ नोट 13 और 13.3) सावधि जमाओं पर अर्जित व्याज (पीडीएफ खाते के 22.49 लाख रूपए शामिल (पिछले वर्ष 34.54 लाख रूपए)/ रिफंड योग्य आयकर (संदर्भ नोट 25(IIII)) * बिव नहीं किया गया राजस्व (छूट का शुद्ध) प्रतिभूति निश्चेप जीएसटी इनपुट	-	3.63 28.33 6.48 5.10 53.19 31 मार्च, 2023 को (साख रुपए में) 2.526.73 609.57 141.08 41.11 0.16 8.21	3:	0. 26: 6. - 45.9:

^{*} पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया मांग मद में सीपीसी द्वारा आकलन वर्ष 2019-20 के लिए रोके गए 1.11 लाख रुपए शामिल है जैसा नोट 25(III) में उल्लिखित है

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
		(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)
नोट 18: परिचालन से आमदनी				
क) नॉलेज पार्टनर के रूप में सेवा फीस (संदर्भ नोट 2.9)				
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट	121.66		1,157.32	
इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्थान एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (आईआईसीसी) _	500.00	621.66	500.00	1,657.32
ख) बिजली की बिक्री *		591.39		623.28
[73,23,318 किलो वाट यूनिट (पिछले वर्षः 75,74,054 किलो वाट यूनिट) और अन्य समायोजन (संदर्भ	नोट <i>37)</i>			
जोड़	_	1,213.05	_	2,280.60

^{*} इसमें एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (4.50,000 किलोवाट @ 8.77 रुपये प्रति यूनिट) और मैसर्स टोयोडा गोसेई मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (1,02,525 किलोवाट @ 4.60 रुपये प्रति यूनिट) को 44.18 लाख रुपये के बिल नहीं की गई राजस्व की राशि शामिल है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
नोट 19: अन्य आय		
समूह की निधियों के सावधि जमा पर ब्याज बीमा दावे आयकर रिफंड पर ब्याज	666.02 - 5.35	548.99 3.70 12.22
आयकर रिफंड पर ब्याज इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जीबीशन सेंटर लिमिटेड से उपरि व्ययों का संविभाजन (संदर्भ नोट <i>19.1)</i>	5.35 72.00	72.00
स्क्रैप बिक्री विविध आय	- 0.00	0.67 10.23
जोड़	743.37	647.81

^{*} राशि *1,000/-* रुपए से कम है।

19.1 पिछली परंपरा के अनुसार, कार्यालय परिसरों के लिए ऊपरी लागतों और कंपनी द्वारा प्रदान की गई अन्य प्रशासनिक सहायता की वसूली संबंधित कंपनी से आनुपातिक आधार पर की जाती है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
नोट 20: उपभोग की गई सामग्रियों की लागत		
ओपन एक्सेस प्रभार	26.22	22.43
सौलर के लिए कलपूर्जे माल भाड़ा *	- 0.00	2.07 0.02
जोइ	26.22	24.52

राशि 1,000/- रुपए से कम है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वितीय विवरणों पर नोट

विवरण	31 माचे, 2023 को	31 माचे, 2022 को
144(-1	समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	समास वर्ष (लाख रुपए में)
ट 21: कर्मचारी हितलांभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, ग्रेच्यूएटी, अवकाश क्षतिपूर्ति, भत्ते आदि	746.67	823.60
भविष्य निधि,पेंशन निधि में योगदान	106.58	66.94
कार्मिक कल्याण व्यय	69.14	47.19
जोड़	922.39	937.73
विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	ममाम वर्ष (लाख रुपए में)	समाम वर्ष (लाख रुपए में)
ट 22: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
संपत्ति, संयंत्र और उपरकरण का मूल्यहास	167.99	207.27
	4.99	15.63
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	1.77	70.00

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

<u> </u>	<i>31</i> मार्च	, 2023 को समाप्त वर्ष	<i>31</i> मार्च	, 2022 को समाप्त वर्ष
विवरण	ı	(लाख रुपए में)		(लाख रुपए में)
नोट २३ - अन्य व्यय				
किराया (संदर्भ नोट 23.1 और 30)		486.03		486.03
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा फीस	5.95		5.95	
प्रमाणन फीस	0.05		0.05	
फुटकर व्यय	0.14		-	
बकाया	-	6.14	1.65	7.65
विज्ञापन और व्यापार संवर्धन		163.02		37.92
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (संदर्भ नोट 31)		18.04		18.58
लीड नियुक्ति प्रभार		5.07		5.50
बिजली		11.41		9.47
हाऊसकीपिंग		25.19		18.48
सुरक्षा		9.37		9.00
पेशेवर और परामर्श		47.94		53.32
बैठक और जलपान		19.93		8.62
मरम्मत और अनुरक्षण - कार्यालय		42.94		38.54
मरम्मत और अनुरक्षण - कम्प्यूटर		17.96		20.04
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		39.00		23.56
सूचना एवं डाक		14.52		18.34
यात्रा एवं परिवहन व्यय (संदर्भ नोट 32)		90.11		30.57
बीमा		9.92		10.83
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि		0.28		0.73
पूर्व अविध व्यय (संदर्भ नोट 23.2)		0.89		0.75
छात्रवृत्ति		5.10		3.58
खारिज की गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		-		0.20
विविध व्यय		36.80		39.64
जल प्रभार		0.82		1.24
परिचालन और अनुरक्षण व्यय		4.32		14.50
भूमि सेवा प्रभार		15.59		15.59
बिजली की बिक्री पर छूट		10.72		11.56
अक्षय उर्जा विकास व्यय		6.00		5.29
जोड़		1,087.11		889.53

23.1 किराए में लीज अनुबंध के अनुसार, पट्टेदाता को ₹103.7 लाख रुपए (पिछले वर्ष: ₹103.7 लाख रुपए) नगरपालिका कर का भुगतान शामिल है।

23.2 पूर्व अवधि व्ययो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च , 2023 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)	31 मार्च , 2022 को समाप्त वर्ष (लाख रुपए में)
बीमा व्यय *	0.00	-
जल प्रभार	0.05	-
जीएसटी व्यय	0.45	-
लीड नियुक्ति प्रभार	0.27	0.69
पुस्तकें और जर्नल	-	0.06
ओपीडी चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.12	-
जोड़	0.89	0.75

* राशि 1,000/- रुपए से कम है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल 2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

24 प्रति शेयर आमदनी

प्रति इकिटी शेयर मूल आमदनी की गणना, कर पश्चात लाभ को वर्ष के लिए बकाया इकिटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग करके की जाती है।

	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	4	-347.76	602.21
ख	ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या)	10.00.00.000	10.00.00.000
ग	मूल,∕तनुकृत आमदनी प्रति शेयर <i>(क?</i> ख) <i>(१)</i>	-0.35	0.60
घ	प्रति इकिटी शेयर का सम मूल्य <i>(१)</i>	10	10

25 आकस्मिक दायिताएं और प्रतिबद्धता (उपलब्ध न कराए जाने की सीमा तक के लिए):

विवरण	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
् अ) प्रतिबद्धताएं अनुबंधी की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : - परियोजना विकास गतिविधियों के लिए परामर्श अनुबंध - अन्य	14,443.19 0.47	16,074.84 -
(आ) आकस्मिक दायिताएं -समूह के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। -समूह की ओर से बैंक द्वारा जारी गारंटियां	-	-

(इ) कराधन मामले - अपील/संशोधन के अंतर्गत आयकर संबंधी मामलें

क) नियंत्रक कंपनी द्वारा अपील/संशोधन के अंतर्गत आयकर मामले

आकलन वर्ष	दावा किया गया रिफंड (लाख रुपए में)	आदेश के अनुसार प्राप्त रिफंड (लाख रुपए में)	मांग के लिए रोका गया/समायोजित शेष रिफंड (लाख रुपए में)	बकाया मांग (लाख रुपए में)	रोकने का कारण	स्थिति
2017-18	52.65	46.86	5.79		एओं ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 25.12.2019 के आदेश द्वारा 17.13 लाख रूपए के व्यय की अनुमति नहीं दी।	06.01.2020 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
2018-19	49.72	32.25	17.47		एओ ने दिनांक 26.04.2021 के आदेश द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत 4.34 लाख रूपए के व्यय की अनुमति नहीं दी और 58.89 लाख रुपए की आय को जोड़ दिया।	13.05.2021 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
2021-22	0.21	0.00	0.21		एओं ने दिनांक 26 दिसंबर, 2022 के आदेश द्वारा दो बारी जोड़ने और टीडीएस क्रेडिट रोकने के पश्चात् आदेश जारी किए।	12.01.2023 को सीआईटी के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई की तारीख की प्रतीक्षा है।
जोड			23.47	67.18		

ख) सहायक कंपनी द्वारा अपील के अंतर्गत आयकर मामले

आकलन वर्ष	दावा किया गया रिफंड (लाख रुपए में)	जारी की गई मांग (लाख रुपए में)	मांग के लिए रोका गया∕समायोजित शेष रिफंड (लाख रुपए में)	मांग जारी करने का कारण	अंतिम आदेश पारित होने की तिथि	स्थिति
2017-18	116.38	37.02	116.38		धारा <i>143(3)</i> के अंतर्गत दिनांक <i>25</i> दिसंबर, <i>2019</i>	6 जनवरी, 2020 को सीआईटी (ए) के पास धारा 246ए के अंतर्गत दर्ज अपील
2018-19*	0.00	100.10	0.00	विदेशी कर क्रेडिट और अन्य की अस्वीकृति	धारा <i>143(1)</i> के अंतर्गत दिनांक <i>25</i> जनवरी, <i>2021</i>	17 फरवरी 2021 को धारा 143(1) के तहत आदेश के विरूद्ध और 16 सितंबर 2021 को धारा 143(3) के तहत आदेश के विरूद्ध धारा 246ए के तहत सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की गई।
2020-21*	0.00	10.16	0.00		धारा 143(1) के अंतर्गत दिनांक 23 दिसंबर, 2021	17 जनवरी, 2022 को धारा 143(1) के तहत आदेश के विरूद्ध धारा 246ए के तहत सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की गई। दिनांक 01.02.2023 को धारा 250 के तहत सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त किया गया जहां आंशिक अपील की अनुमति है।
2021-22	0.12	6.63	0.12		धारा <i>143(1)</i> के अंतर्गत दिनांक <i>24</i> अगस्तच, <i>2022</i>	09 सितंबर, 2022 को धारा 143(1) के तहत आदेश के विरूद्ध धारा 246ए के तहत सीआईटी (ए) के पास अपील दर्ज की गई है।
जोड़		153.91	116.50			

^{*} आकलन वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए रिफंड की गई राशि 1,000/- रुपए से कम है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

समूह इन मांगों का विरोध कर रहा है और समूह के सलाहकारों सहित प्रबंधन का मानना है कि ये मांगें अपीलीय स्तर पर टिकने लायक नहीं हैं। प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से समूह की वित्तीय स्थिति और संवालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। समूह इन आकस्मिक देनदारियों के संबंध में नकद बहिवाह के समय, यदि कोई हो, का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ई) विधिक मामलें - 31 मार्च, 2023 को नियंत्रक कंपनी के विरूद्ध विधिक मामलों की स्थिति जिनका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है, निम्नानुसार है:

याचिका सं. एवं तिथि	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	विचाराधीन विषय	संक्षिप्त व्यौरा
9282/2015	सुभ राम एवं अन्य	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य	राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित	काउंटर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पार्टियों की सरणी में से एनआईसीडीसी लिमिटेड का नाम हटाया जाए और याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है।
				याचिकाकर्ता ने मामले में दर्ज याचिका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
				संशोधित याचिका के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड द्वारा भी प्रत्युतर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।
				कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी करने का अनुरोध 8 सितंबर, 2020 को माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।
				सुनवाई की अंतिम तिथि <i>05</i> दिसंबर, 2022थी। मामले को 04 मई, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई सूचीबद्ध नहीं हुई।
	· ·			
6649/2016	इरशाद मोहम्मद खान	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य	औरंगाबाद में जयकवाडी डैम से शेंद्रा इंडस्ट्रियल	18.01.2019 को एनआईसीडीसी लिमिटेड का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद को इस आधार
	एवं अन्य		पार्क तक पानी की पाइपलाइन से संबंधित	पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी। सुनवाई
				की तिथि <i>14</i> मार्च, <i>2022</i> थी और अगली तिथि प्रतीक्षित है।

26 कर्मचारी हितलाभों पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रकटनः

क) विभिन्न परिभाषित कर्मचारी योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

अ) सुपरिभाषित अंशदान योजना

- भविष्य निधि (पीएफ) - भविष्य निधि के लिए योगदान नियंत्रक कंपनी द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है। इस प्रकार भुगतान की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है। यद्यपि, भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के प्रावधान सहायक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि नियोजित कर्मचारियों की संख्या 20 या अधिक की सीमा से अधिक नहीं है।

- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)- नियंत्रक कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजना की समग्र सीमा के भीतर एनपीएस की शुरुआत की है। इस प्रकार भुगतान की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है।

- अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ (पीएसएमबी) - नियंत्रक कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजना की समप्र सीमा के भीतर अपने कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए पीएसएमबी की शुरुआत की है। इस प्रकार भुगतान की गई राशि को लाभ और हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता है।

वर्ष के लिए व्यय के रूप में स्वीकारा गया परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान, निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2023 को समास	31 मार्च, 2023 को समास	
विवरण	বৰ্ষ	वर्ष	
	/लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)	
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	<i>55.54</i>	45.10	
राष्ट्रीय पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	38.69	31.38	
अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ में नियोक्ता का अंशदान	12.34	10.10	

आ) परिभाषित हितलाभ योजना

'ग्रेन्युएटी (अनिधिक): समूह के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित लाभ ग्रेन्यूएटी योजना है। ग्रेन्यूएटी योजना के तहत, प्रत्येक कर्मचारी जिसने कम से कम पांच वर्षों की निरंतर सेवा प्रदान की है, कंपनी को छोड़ने पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम आहरित वेतन ,िन्यंत्रक कंपनी का मूल वेतन और महंगाई भता और सहायक कंपनी के लिए मूल वेतन) के 15 दिनों की ग्रेन्युएटी का हकदार है जो 20 लाख रुपए की निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यर्धीन है। ग्रेन्युएटी के प्रति दायित्व सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अपगता या मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है।

ग्रेच्युटी योजना के संबंध में समूह के दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

'अवकाश नकदीकरण (अनिधिक):

नियंत्रक कंपनी की नीति के अनुसार, कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 छुट्टियों के हकदार हैं, जिनमें से अधिकतम 10 अवकाश वर्ष के दौरान भुनाए जा सकते हैं और शेष अवकाश को अधिकतम 300 दिनों के संचित अवकाश के अधीन आगे बढ़ाया जा सकता है, जिन्हें सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, अपगता या मृत्यु के समय भुनाया जा सकता है। अवकाश नकदीकरण के संबंध में कंपनी के दायित्व को अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धित का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

सहायक नीति के अनुसार, कर्मचारी वर्ष के दौरान निर्दिष्ट सीमा के अधीन अनुपयुक्त अवकाश को बाद के वर्षों को आगे बढ़ाए बिना भुनाने के हकदार हैं। तदनुसार, अवकाश नकदीकरण के प्रति अनुषंगी कंपनी के दायित्व की गणना अप्रयुक्त अवकाशों की संख्या के लिए मूल वेतन की आनुपातिक राशि को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

ख) सुपरिभाषित हितलाभ योजना के संबंध में कर्मचारी हितलाभ पर एएस-15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार अन्य प्रकटन निम्नानुसार है:

ग्रेच्यूएटी (अनिधिक)

निम्नलिखित तालिकाओं में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, परिभाषित लाभ योजना के लिए समेकित बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त अनिधिक स्थिति और राशियों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	15.67	14.66
पिछली सेवा लागत	- -	-
हितलाभ दायिता पर ब्याज लागत वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक /लाभ./हानि	5.44 -7.41	4.04 3.04
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ व्यय	13.70	
समेकित तुलन पत्र स्वीकारी गई राशि		
परिभाषित हितलाभ दायिता का वर्तमान मान	89.63	77.77
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मान	-	-
समेकित तुलन पत्र में पहचानी गई परिसंपत्तियां/(दायिता)	-89.63	-77.77
परिभाषित हितलाभ दायिता के मौजूदा मान में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायिता मौजुदा सेवा लागत	77.77	
माणूदा सेवा लागत पिछली सेवा लागत	15.67	14.66
ब्याज लागत	5.44	
भुगतान किया गया हितलाभ	-1.84	-1.79
दायिता पर बीमांकिक <i>(</i> लाभ <i>)/</i> हानियां	-7.41	3.04
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायिता	89.63	77.77
परिभाषित हितलाभ दायिता का ब्रेकअप		
अचल चल	81.52 8.11	71.25 6.52
MI.	89.63	77.77
दायिता निश्चित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य सिद्धांत		
द्मायता । नाश्चत करन क । तथ् प्रयुक्त भुख्य । सद्धातः प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनि	ट क्रेडिट विधि
मृत्यु सारणी	आईएएलए	म <i>2012-14</i>
30/44 वर्ष/44 वर्ष से अधिक तक आहरण दर (%)	नियंत्रक कंपनी के लिए <i>6.00%</i> प्रति वर्ष ं और सहायक कंपनी के लिए <i>14.28%</i> प्रति वर्ष	नियंत्रक कंपनी के लिए 8.00% प्रति वर्ष और सहायक कंपनी के लिए 14.28% प्रति वर्ष
छूट दर <i>(%)</i>	नियंत्रक कंपनी के लिए 7.50 % प्रति वर्ष और सहायक कंपनी के लिए 7.50 % प्रति वर्ष	नियंत्रक कंपनी के लिए 7.00 % प्रति वर्ष और सहायक कंपनी के लिए 6.75% प्रति वर्ष
3 —6—…	<i>6.00%</i> प्रति वर्ष	<i>6.00%</i> प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर (%)	60 বর্ষ	<i>60</i> वर्ष
रिटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या)	<i>00</i> 41	UU 41

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल 2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

संवेदनशीलता विश्लेषणः

विवरण	31 मार्च, 2023 को ⁄लाख रुपए में/	31 मार्च, 2022 को <i>(</i> लाख रुपए में)
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायिता का वर्तमान मान	89.63	77.77
क) १ प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव	-5.72	-5.18
ख) 1 प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	6.51	5.92
वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायिता का वर्तमान मान	89.63	77.77
क) १ प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव	5.27	4.87
ख) 1 प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	-4.55	-4.19

मृत्यु और आहरण के परिणामस्वरूप संवेदनशीलता वास्तविक नहीं है, इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को आकलित नहीं किया गया है।

अवकाश नकदीकरण (अनिधिक)

निम्नलिखित तालिकाओं में लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ व्यय के घटकों, परिभाषित लाभ योजना के लिए समेकित तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अनिधिक स्थिति और राशियों को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं।

विवरण	31 मार्च, 2023 को /लाख रुपए में/	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ व्यय		
मौजूदा सेवा लागत	16.12	55.24
पिछली सेवा लागत		-
हितलाभ दायिता पर ब्याज लागत	3.87	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	5.90	-
लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में स्वीकारे गए कर्मचारी हितलाभ व्यय	25.89	55.24
समेकित तुलन पत्र स्वीकारी गई राशि		
परिभाषित हितलाभ दायिता का वर्तमान मान	75.09	55.24
नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मान	-	-
समेकित तुलन पत्र में पहचानी गई परिसंपत्तियां/(दायिता)	-75.09	-55.24
परिभाषित हितलाभ दायिता के मौजूदा मान में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में परिभाषित हितलाभ दायिता	55.24	-
मौजूदा सेवा लागत	16.12	55.24
पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	3.87	-
भुगतान किया गया हितलाभ	-6.04	-
दायिता पर बीमांकिक <i>(</i> लाभ <i>)/हानियां</i>	5.90	-
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायिता	75.09	55.24
परिभाषित हितलाभ दायिता का ब्रेकअप		
अचल	68.09	50.27
चल		4.97
	75.09	55.24

सहायक कंपनी की अवकाश नकदीकरण के प्रति दायिता एक वर्ष में देय है और प्रोद्भवन आधार पर इसकी गणना की जाती है. इस प्रकार वर्ष के अंत में 0.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष: 0.07 लाख रुपए) का अल्पकालिक प्रावधान किया गया है और नोट 9 में दर्शाया गया है।

दाायता निश्चत करने के लिए प्रयुक्त मुख्य सिद्धात:		
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि
मृत्यु सारणी	आईएएलएम २०१२-१४	आईएएलएम 2012-14
प्रति वर्ष आहरण दर (%)	8.00% प्रति वर्ष	<i>8.00%</i> प्रति वर्ष
छूट दर <i>(%)</i>	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर (%)	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
रिटायरमेंट आयु (वर्षों की संख्या)	<i>60</i> वर्ष	<i>60</i> वर्ष

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

संवेदनशीलता विश्लेषणः

विवरण	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव वर्ष के अंत में दायिता का वर्तमान मान क) / प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव ख) / प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	75.09 -4.87 5.57	55.24 -3.83 4.40
वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव वर्ष के अंत में दायिता का वर्तमान मान क) 7 प्रतिशत वृद्धि के कारण प्रभाव ख) 7 प्रतिशत कमी के कारण प्रभाव	75.09 5.60 -4.98	55.24 4.40 -3.89

मृत्यु और आहरण के परिणामस्वरूप संवेदनशीलता वास्तविक नहीं है, इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव को आकलित नहीं किया गया है।

27 खंडवार रिपोर्टिंग

समूह ने दो प्राथमिक व्यवसाय खंडों की पहचान की है. यथा बिजली उत्पादन और परियोजना विकास प्रभाग। खंडों की पहचान और रिपोर्ट, सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिम और रिटर्न, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसके अलावा, दोनों प्राथमिक खंड देश के भीतर एक ही भौगोलिक स्थान पर में काम कर रहे हैं, अतएव कोई दूसरा भौगोलिक खंड नहीं है।

- क. आमदनी और व्ययों को खंड की परिचालनिक गतिविधियों से संबंध के आधार पर चिह्नित किया गया है।
- ख. खंड संबंधी परिसंपत्तियां और दायिताएं संबंधित खंड की परिसंपत्तियों और दायिताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- ग. प्राथमिक व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	विजली उत्पादन (लाख रुपए में)	परियोजना विकास ⁄लाख रुपए मेंं/	जोड़ (लाख रुपए में)
आमदनी			
बाहरी आमदनी	643.21	1,313.10	1,956.31
-10 C - 11 C - 11	(663.40)	(2,265.00)	(2,928.40)
अंतः खंड आमदनी	कुछ नहीं	15.33	15.33
- 10 - 10 - 11 - 12 - 11 - 12 - 12 - 12	(কুछ नहीं)	(17.55)	(17.55)
कुल आमदनी	643.21	1,328.43	1,971.64
3 1 1 1 1 1	(663.40)	(2,282.55)	(2,945.95)
जोडेः आबंटन योग्य अन्य आय	कुछ नहीं	ਰ ੂਲ ਜहੀਂ	कुछ नहीं
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
खंडवार राजस्व	643.21	1,328.43	1,971.64
***************************************	(663.40)	(2,282.55)	(2,945.95)
खंडवार परिणाम /मूल्यह्नास और परिशोधन से पूर्व)	484.71	-566.77	-82.06
	(486.14)	(587.34)	(1,073.46)
कर पूर्व लाभ/(हानि(-))	358.99	-614.03	-255.05
7 X 3 7 (4 1 1/)	(337.40)	(513.18)	(850.58)
कर व्यय	95.98	0.06	96.04
	(89.50)	(181.61)	(271.11)
आस्थगित कर व्यय <i>/ (क्रे</i> डिट)	8.51	-9.08	-0.58
	(8.91)	(-28.50)	(-19.59)
कर पश्चात लाभ/(हानि (-))	254.50	-605.01	-350.51
1	(238.99)	(360.07)	(599.06)

अन्य सूचना

	बिजली उत्पादन	परियोजना विकास	जोइ
विवरण	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)	(लाख रुपए में)
	3,416.83	75,578.64	78,995.47
खंड दायिताएं	(3, 191.70) 531.46	(79,646,96) 2,217.73	(82,838.66) 2,749.19
લક વાવતાર	(560.82)	(2,601.47)	(3, 162.29)
पूंजीगत व्यय	2.17	19.31	21.48
रूपा-सि ज्यम	(8.35)	(23.17)	(31.52)
मूल्यहास और परिशोधन	125.72	47.26	172.98
- Resident and and a	(148.74)	(74.16)	(222.90)
मूल्यह्नास और परिशोधन से इतर गैर-नकद व्यय	1.10	39.79	40.89
Statistically allyment of Str. are land out	(0.10)	(78.28)	(78.38)

नोटः कोष्ठक () में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल.2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

28 अतिरिक्त नियामक सूचना

- क समूह ने किसी भी प्रवर्तक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं दिया है जो मांग अथवा पुनर्भुगतान की कोई शर्त अथवा अवधि निर्धारित किए बिना चुका जा सके।
- ख बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ग समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों या अन्य ऋणदाताओं द्वारा इरादतन चुककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- च चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान, समूह ने किसी भी कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत हटा दिया गया है और हटाई गई कंपनियों से प्राप्य या देय प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी के शेयर किसी भी बंद कंपनी के पास नहीं हैं।
- ड. समूह ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड 87 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

च अनुपातः

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	परिवर्तन	कारण (यदि अंतर 25 प्रतिशत से अधिक हो)
तरलता अनुपात (गुणा)				
चालू अनुपात (चल परिसंपत्तियों को चल दायिताओं से विभाजित करके)	7.57	7.13	6.17%	
ऋणशोधन अनुपात (गुणा)				
ऋण इक्विटी अनुपात दीर्घकालिक ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करके)	0.03	0.03	9.04%	
कर्ज चुकीती कवरेज अनुपात (वर्ष के लिए लाभ + वित्त लागतें + मूल्यहास और परिशोधन व्यय को दीर्घकालिक ऋण से पुनर्भुगतान किए गए मूलधन + वित्त लागतों से विभाजित करके)	0.00	0.00	0.00	-
लाभदायकता अनुपात (%)				
शुद्ध लाभ अनुपात	-28.67%	26.41%	-208.56%	
्वर्ष का लाभ को परिचालनिक आमदनी से विभाजित करके)				
इक्विटी प्रतिफल अनुपात	-0.45%	0.75%	-160.46%	
(वर्ष के लिए लाभ को औसत शेयरधारक इक्विटी द्वारा विभाजित करके)				एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना एसपीवी को कम धनराशि जारी करने के कारण सर्विस फीस से नियंत्रक कंपनी का कम राजस्व
निवेशित पूंजी पर प्रतिफल	-0.33%	1.08%	-130.90%	कपना का कम राजस्व
ब्याज और आय पूर्व आमदनी को निवेशित पूंजी से विभाजित करके)				
निवेश पर प्रतिफल ((कर पूर्व लाभ + वित्त लागत) * (1-कर दर) कुल परिसंपत्तियों से विभाजित करके)	-0.23%	0.76%	-131.02%	
उपयोगिता अनुपात <i>(</i> गुणा)				
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात ,परिचालन से प्राप्त राजस्व को औसत व्यापार प्राप्य से विभाजित करके <i>)</i>	6.07	12.69	-52.20%	एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना एसपीवी को कम धनराशि जारी करने के कारण सर्विस फीस से नियंत्रक कंपनी का कम राजस्व
मालसूची आवर्त अनुपात (आमदनी को औसत मालसूची से विभाजित करके)	0.00	0.00	0.00%	-
व्यापार देय आवर्त अनुपात	1.03	1.97	47.72%	परियोजना विकास गतिविधियौं पर कम व्यय
(कुल खरीद को औसत व्यापार देय से				
विभाजित करके) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	0.09	0.15	-40.96%	एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना एसपीवी को कम
पुरिचालन से प्राप्त राजस्व को कार्यशील पूंजी से विभाजित करके)	0.07	0.13	40.7070	धनराशि जारी करने के कारण सर्विस फीस से नियंत्रक कंपनी का कम राजस्व

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू*45400*डीएल*2008*पीएलसी *172316* 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

- समूह के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है।
- समूह समय पर आय प्रकटन करने में नियमित है और कर अधिकारियों द्वारा किसी अधोषित आय का मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अलावा, समूह के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाते की किताबों में दर्ज न किया गया हो जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित अथवा प्रकटन किया गया हो।
- समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या विज़ुअल करेंसी में न तो व्यापार किया है और न ही निवेश किया है।

29 संबंधित पार्टी प्रकटन

ा चार करका. लेखांकन मानक - 18 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण 'की आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पक्ष के नाम जहां नियंत्रण,महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता मौजूद है, साथ ही लेनदेन की कुल मात्रा और उनके साथ वर्ष के अंत में शेष राशि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना और प्रमाणित किया गया है, नीचे बताए गए हैं:

अ संबंधित पक्षों की सूची और रिश्ते की प्रकृति जहां नियंत्रण मौजूद है

क समूह पर महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण रखने वाले उद्यम

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन (जेबीआईसी)

ख संबंद्ध सहयोगी

हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

ग प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

श्री राजेश कुमार सिंह, आईएएस, भारत सरकार से नामित (24 अप्रैल 2023 से आज तक)	अध्यक्ष
श्री अनुराग जैन, आईएएस, भारत सरकार से नामित (27 सितंबर 2021 से 21 अप्रैल, 2023 तक)	अध्यक्ष
श्रीमती सुमिता डावरा (15 दिसंबर, 2022 से आज तक)	सीईओ और प्रबंध निदेशक
श्री राजीव सिंह ठाकुर (3 नवंबर, 2022 से 15 दिसंबर, 2022 तक)	सीईओ और प्रबंध निदेशक
श्री अमृत लाल मीणा (05 नवंबर, 2021 से 20 अक्टूबर, 2022 तक)	सीईओ और प्रबंध निदेशक
श्री राजेंद्र रलू, आईएएस, भारत सरकार से नामित <i>(24</i> फरवरी, <i>2023</i> तक <i>)</i>	निदेशक
श्री कजुशिगे गोबे, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी) से नामित (10 अगस्त, 2021 से आज तक)	निदेशक
श्री राजीव सिंह ठाकुर <i>(5</i> अगस्त <i>, 2022</i> से आज तक <i>)</i>	निदेशक
श्री शैलेंद्र सिंह <i>(31</i> दिसंबर, 2021 तक)	निदेशक
श्री तोशिहिको कुरिहारा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ₍ जेबीआईसी) से नामित	निदेशक
श्री मुनियाप्या नागराज, हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से नामित	निदेशक
श्रीमती राधा रॉय, हाऊसिंग एंड डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से नामित (18 अप्रैल, 2022 से आज तक)	निदेशक
श्री पी.के अग्रवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री अजय शर्मा सहायक कंपनी के निदेशक श्री श्रीकांत कोम्मु सहायक कंपनी के निदेशक

श्री सूर्य प्रकाश सहायक कंपनी के कंपनी सचिव

घ उद्यम जिन पर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का महत्वपूर्ण प्रभाव

श्री अभिषेक चौधरी

इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड

(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल.2006पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

आ व्यवसाय की सामान्य अवधि में संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए।

रण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
	(लाख रुपए में)	
वेतन/परिश्रामिक *		
श्री पी.के. अग्रवाल	83.48	77.50
श्री अभिषेक चौधरी	83.96	76.87
लैपटॉप अग्रिम		
श्री अभिषेक चौधरी	-	0.50
लैपटॉप अग्रिम की वसूली		
थ्री अभिषेक चौधरी	0.12	0.03
अग्रिम वेतन		
श्री पी.के अप्रवाल	7.01	-
अग्रिम वेतन की वसूली		
श्री पी.के. अग्रवाल	3.50	-
ऊपरी व्ययों का संविभाजन		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड		
	72.00	72.00
सेवा फीस		
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड		
	500.00	500.00

[🏂] चूंकि ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की देनदारी, बीमांकिक आधार पर, समग्र रूप से नियंत्रक कंपनी के लिए प्रावधान किया जाता है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से संबंधित अर्जित राशि उपर्युक्त में शामिल नहीं है।

सहायक कंपनी के निदेशक नियंत्रक कंपनी के कर्मचारी हैं, इसलिए सहायक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की क्षमता में उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।

इ वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के साथ शेष बकाया

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 माचे, 2022 को ⁄लाख रुपए में)	
	(लाख रुपए में)		
व्यापार प्राप्य			
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीविशन सेंटर लिमिटेड	267.50	132.50	
अल्पकालिक ऋण और अग्रिम			
इंडिया इंटरनेशनल कन्येंशन एंड एकजीविशन सेंटर लिमिटेड	6.48	6.36	
अग्रिम वेतन वसूली योग्य			
श्री पी.के. अग्रवाल	3.51	-	
लैपटॉप अग्रिम वसूली योग्य			
श्री अभिषेक चौधरी	0.35	0.47	

30 परिचालन लीज

समूह की महत्वपूर्ण लीज संबंधी व्यवस्था Æीं मंजिल. जीवन भारती बिल्डिंग, कर्नोंट प्लेस. नई दिल्ली में कंपनी के लीजशुदा कार्यालय परिसर को रखने से संबंधित परिचालन लीज के संबंध में है, जिसे 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लीज पर लिया गया है। भुगतान किया गया कुल पट्टा किराया ₹ 486.03 लाख (पिछले वर्ष. ₹ 486.03 लाख) को लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता दी गई है और नोट 23 में खुलासा किया गया है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू*45400*डीएल2008पीएलसी 172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

31 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, नियंत्रक कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर.) समितियों का गठन किया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) के आधार पर सीएसआर व्यय के लिए १ 18.04 लाख (पिछले वर्षः १ 18.58 लाख) की राशि देय है। वर्ष के दौरान खर्च की गई खर्च की जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को (लाख रुपए में)
अ समूह द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि		
वार्षिक सीएसआर आवंटन	18.04	18.58
पिछले वर्ष से अग्रेषित (भुगतान नहीं की गई दायिताओं सहित) व्यय की जाने वाली सकल राशि	18.04	18.58
व्ययं का जान वाला संकल शारा	18.04	10.30
आ वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
नकद में	18.04	18.58
जिन्हें अभी भी नकद में भुगतान किया जाना है	<u></u>	
	18.04	18.58
इ उद्देश्य जिन पर सीएसआर व्यय किए गए		
प्रधानमंत्र राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान (पीएमएनआरएफ)	0.80	18.58
प्राथमिक चिकित्सा केंद्र-भिडयाड, अहमदाबाद को प्रदान की गई एम्बुलेंस	17.24	Ē
	18.04	18.58
ई सीएसआर व्यय का समाशोधन		
प्रारंभिक कमी/(अधिशेष)	-	-
जोड़े:- वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि	18.04	18.58
घटाएः - वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	-18.04	-18.58
आतमं कमा/(आधशष)	<u> </u>	-
उ सीएसआर व्यय के संबंध में समूह द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान प्रचलित लेखांकन मानक के अनुसार किया गया है।	-	-
ऊ एक संविदात्मक दायित्व में शामिल होने से उत्पन्न दायित्व के संबंध में किया गया प्रावधान, वर्ष के दौरान प्रावधान में होने वाले बदलाव	-	-
सहायक कंपनी द्वारा कोई योगदान देय नहीं है, क्योंकि यह प्रारंभिक सीमा से कम है		

32 विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2023 को (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2022 को <i>(</i> लाख रुपए में)
यात्रा	4.53	-

- 33 प्रबंधन की राय में, व्यवसाय के सामान्य अवधि में वसूली पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये समेकित तुलन पत्र में बताए गए हैं। इसके अलावा, सभी ज्ञात देनदारियों के लिए खाता बहियों में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- 34 व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय और अन्य पार्टियों आदि के अंतर्गत दिखाई देने वाली शेष राशि समाशोधन,पुष्टि के अधीन है। समाशोधन,पुष्टिकरण के बाद प्रभाव, यदि कोई हो, समाशोधन,पुष्टि के वर्ष में लिया जाएगा, जो प्रबंधन की दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- 35 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ब्रापन संख्या 5/2/2016 मोलिसी के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए, जिसके अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभाश मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभाश के अध्यथीन भुगतान करना आवश्यक है। उपरोक्त दिशानिर्देशों से समूह को छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 को डीआईपीएएम द्वारा मंजूरी दी गई है। समूह नियंत्रक और सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन एवं अपनाने के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम लाभाश के भुगतान से छूट के लिए अनुमोदन पर करने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करता है और पूर्व अनुमोदन क महेनजर इसकी प्राप्ति के लिए आश्वस्त है, इसलिए, चालू वित्तीय वर्ष में लाभाश के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 36 नवीन ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिको विकास संगठन (एनईडीओ) जापान सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और नियंत्रक कंपनी के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुस्केद 16 के अनुसार, पीवी मॉड्यूल, संबंधित उपकरणों के साथ पीसीएस, माइको ग्रिड नियंत्रण के लिए नियंत्रण सर्वर, दूरसंचार प्रणाली और अन्य सहायक उपकरण एनईडीओ द्वारा अनुदान सहायता के रूप में प्रदान किए गए।
 - उसी लेख के अनुसार, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान, नेडो ,एनईडीओ) द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का स्वामित्व नेडो ,एनईडीओ) का होगा। इसके बाद, परियोजना के पूरा होने पर और सभी वास्तविक अधिकारों के साथ स्वामित्व के हस्तांतरण पर, इन उपकरणों को 1/2 रूपए के नाममात्र मूल्य पर लेखाबद्ध किया गया है. जो सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन मानक -12 के अनुसार है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड सीआईन: यू.45400डीएल.2006पीएलसी.172316 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

37 <u>ऊर्जा क्रय अनुबंध</u>

सहायक कंपनी ने ऊर्जा की बिक्री के लिए निम्नलिखित ऊर्जा क्रय अनुबंध निष्पादित किए हैं:

- क दिनांक 05.06.2015 को 8.77/- किलोवाट घंटे की दर से 25 वर्ष की अवधि के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) के साथ को 5 मैगा वाट सोलर प्लांट से ऊर्जा बिक्री के लिए
- ख मेसर्स टीयोडा गोसी मिंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीजीएमआईपीएल) एक कंपनी जिसका नीमराना में संयंत्र है, के साथ 12.02.2020 को 1 मेगावाट सौर ऊर्जी संयंत्र से बिजली की आपूर्ति के लिए शुरू होने की तारीख से 10 (दस) वर्षों की अवधि के लिए हैं, जिसे आपसी सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार 10 (दस) वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिजली आपूर्ति का यूनिट मूल्य उस तारीख से पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए १ ४.60 /kW/n पर स्थिर रहेगा जब सहायक कंपनी टीजीएमआईपीएल को सौर ऊर्जी की आपूर्ति युरू करती है। बिजली आपूर्ति दर को छठे वर्ष की शुरुआत में आपसी सहमत नियमों और शर्तों पर दरों बढ़ाने के लिए संशोधित किया जाएगा।

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 के अंतर्गत थर्ड पार्टी को सौर ऊर्जा की बिक्री के लिए टीजीएमआईपीएल के साथ पीपीए हस्ताक्षरित करने के संदर्भ में सहायक कंपनी ने स्वयं को राजस्थान रिन्यूअल एनर्जी कोरपोरेशन लिमिटेड (आरआईसीएल), राजस्थान राज्य सरकार की नोडल एजेंसी के पास पंजीकृत किया है। परिणामस्वरूप, बिजली खरीदार को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के राज्य ग्रिड के माध्यम से सीधे आपूर्ति से बिजली निकासी योजना में बदलाव आया है।

38 सहायक कंपनी के रूप में समेकित कंपनियों की कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक अतिरिक्त जानकारी।

कंपनी का नाम	शुद्ध परिसंपतियां , अर्थात् कुल दायिताओं को परिसंपतिया	लाभ/हानि में हिस्सा		
		धनराशि	समेकित लाभ/हानि के %	धनराशि
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में (र	(लाख रुपए में)	के रूप में	(लाख रुपए में)
नियंत्रक कंपनी				
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	97.88	73,381.20	178.36	-620.22
पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी				
एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पॉवर लिमिटेड	2.12	1,587.11	-78.36	272.46

39 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष से तुलना करने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनःसमूहबद्ध,/पुनःव्यवस्थित किया गया है।

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार	नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर	डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी	के निदेशक मंडल के	लिए और उनकी ओर से
चार्टड एकाऊंटेंट		
फर्म पंजीकरण सं. <i>000346</i> एन		
हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
सीए अंकुर गोयल	(सुमिता डावरा)	(राजीव सिंह ठाकुर)
(साझेदार)	सीईओ एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
(सदस्यता सं. <i>099143</i>)	<i>(</i> डीआईएन <i>: 01005516)</i>	<i>(</i> डीआईएन : 02631653)
	हस्ता.	हस्ता.
यूडीआईएन <i>-23099143</i> बीजीपीएमवीवाई <i>4012</i>		
स्थानः नई दिल्ली	(पी. के अग्रवाल)	(अभिषेक चौधरी) (उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामूले,
दिनांकः 29 मई, 2023	(मुख्य वित्तीय अधिकारी)	मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

फार्म एओसी-1

(धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रावधान जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाए के अनुपालन में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियाँ, सहयोगी कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रमाँ के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग कः सहायक कंपनी

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	एनआईसीडीसी नीमराना सौलर पॉवर लिमिटेड
1	तिथि जब से सहायक कंपनी को अधिगृहीत किया गया	18 मार्च, 2014
2	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नियंत्रक कंपनी के अनुसार
3	रिपोर्ट की जाने वाली मुद्रा	(लाख रुपए में)
4	शेयर पूंजी	1,300.00
5	रिजर्व एवं अधिशेष	1,585.37
6	कुल परिसंपत्तियां	3,416.83
7	कुल दायिताएं	531.46
8	निवेश	कुछ नहीं
9	टर्नओवर	591.39
10	करारोपण से पूर्व लाभ / (हानि)	358.99
11	करारोपण के लिए प्रावधान	104.49
12	करारोपण के पश्चात के लाभ/(हानि)	254.50
13	प्रस्ताचित लाभांश	कुछ नहीं
14	शेयरधारिता %	100%

भाग खः सहायक/सयुक्त उपक्रम

	1.	सहायक अथवा संयुक्त उपक्रम जिनका परिचालन अभी शुरु होना शेष है	कुछ नहीं
i	2.	सहायक अथवा संयुक्त उपक्रम जिन्हें वर्ष के दौरान परिशोधित अथवा बेचा गया	कुछ नहीं

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपर्मेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. हस्ता.

(सुमिता डावरा) (राजीव सिंह ठाकुर) सीर्डओ एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (डीआईएन : 01005516) (डीआईएन : 02631653)

हस्ता. हस्ता.

यूडीआईएन-23099143बीजीपीएमवीवाई 4012

स्थानः नई दिल्ली (पी. के. अग्रवाल) (अभिषेक चौधरी)


तिथिः २९ मई, २०२३ (मुख्य वितीय अधिकारी) (उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन

एवं कंपनी सचिव)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316



FINANCIAL YEAR 2022-23

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry: Ministry of Commerce and Industry

Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)

Name of Organization: National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

Sr. No.	Particulars	Remark		
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Corporation		
2	The Year of inception of the organisation	2008		
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)		
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Companies Act, 2013 and General Financial Rules (GFR), 2017		
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? (Indicate YES or NO) (Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)	V		
6	If answer to SL No.5 above is YES , indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December		
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually		
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception (Indicate YES or NO)	Yes		
9	If answer to SL No. 8 above is YES , indicate the date(s)	Year Lok Sabha Rajya Sabha		
	of laying the requisite documents on the table of the	FY 2019-20 15.12.2021 12.02.2021		
	House for the last three years i.e., 2019-20, 2020-21 and 2021-22.	FY 2020-21 23.03.2022 25.03.2022		
		FY 2021-22 15.03.2023 23.12.2022		
10	If the answer to SL. No. 8 above is NO ; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.			

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

- **Rule 236** (3) In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.
- Rule 236 (4) Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government
- Rule 237 Time Schedule for submission of annual accounts. The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-
 - (I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June
 - (ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October
 - (iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December
- Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified,

quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238

(2) In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.


Rule 238

(3) Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in -aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238

(4) In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

15th ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS (F.Y. 2022-23)



NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONTENTS

S. No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	COMPANY PROFILE	153-154
2.	CHAIRMAN's MESSAGE	155-156
3.	CORPORATE INFORMATION	157
4.	ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE	158-169
5.	BOARD'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	170-206
6.	C&AG AUDIT REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	207-208
7.	AUDITOR'S REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	209-222
8.	STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	223-247
9.	C&AG AUDIT REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	248-249
10.	AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	250-257
11.	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 ST MARCH, 2023	258-288

ABOUT THE COMPANY

In order to accelerate growth in manufacturing and for ensuring systematic and planned urbanization, Government of India (GoI) has adopted the strategy of developing Industrial Corridors on the backbone of transport connectivity infrastructure in partnership with the respective State Government.

The concept for formation of the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) was approved by the Cabinet in 2007. National Industrial Corridor Development Corporation Limited – NICDC (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited-DMICDC) was incorporated in January, 2008 as the Project Development Agency for DMIC project.

NICDC is acting as a project development Company which undertakes various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. NICDC functions as a knowledge partner to NICDIT, downstream city level SPV's and Project level SPV's.

The current equity shareholders of NICDC are Government of India (49%), represented through the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (26%) and financial institutions such as Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (19.9%), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) (4.1%) & Life Insurance Corporation (LIC) (1.0%).

COMPANY INSTITUTIONAL AND FINANCIAL STRUCTURE

The Government of India in 2011 approved the institutional and financial structure for DMIC Project with a budgetary support of Rs. 17,500 crore (at an average of Rs.2,500 crore for each of the 7 nodes subject to a maximum of Rs.3,000 crore) to be provided over a period of five years for the development of industrial cities in Phase-I of the DMIC project. An additional corpus of Rs. 1,000 crore has been provided as budgetary support to carry out project development under DMIC.

Further, for coordinated and unified development of various other Industrial Corridor projects including Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project, Govt. of India had expanded the mandate of existing DMIC Project Implementation Trust Fund (PITF) and renamed it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in December, 2016.

In addition to the corpus of Rs. 18,500 crore, an additional corpus of Rs. 1,584 crore (including Rs 84 crore for meeting administrative expenditure of NICDIT) was sanctioned totalling to Rs. 20,084 crore for undertaking various project development and implementation related works for all the other corridor projects.

The budgetary support from GoI flows to NICDIT and NICDIT in turn provides a mix of equity and/or debt to Special Purpose Vehicles (SPVs) incorporated as Joint Venture Company(s) between GoI and the respective State Government(s) for developing Industrial cities /nodes/projects. Investment into project SPV's is done either as equity or debt directly by NICDIT and respective State Govt. transfers land as their equity contribution to the project.

Govt. of India is developing various Industrial Corridor projects and NICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities in respect of Eleven (11) Industrial corridors comprising of 32 nodes/projects to be developed in 04 Phases till 2024-25.

Industrial Corridor Programme is aimed at supplementing the efforts for realising the manufacturing potential of the country and raising its contribution to GDP. Enabled with ease of access, the industrial corridors are conceived to foster global manufacturing and investment destination hubs in these greenfield smart cities with the 'best in-class' infrastructure. The objective is to create quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain.

The industrial corridor nodes are being developed as sustainable, smart and resilient manufacturing hubs. Under the Industrial Corridor Programme, Greenfield Industrial Smart Cities/nodes are developed with sustainable infrastructure & make available Plug and Play infrastructure at the plot level. State Govt.(s) are required to make available contiguous land parcels with confirmed allocation of Water/Power and site connectivity for the development of these industrial nodes.

Major trunk infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acre), Uttar Pradesh; Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acre), Ujjain in Madhya Pradesh; Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. kms), Aurangabad, Maharashtra and trunk infrastructure activities are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), Gujarat.

In these four cities, a total of 250 plots admeasuring nearly 1571 acre have been allotted to companies with investment potential to the tune of Rs. 1.73 lakh crore including investors like HYOSUNG (South Korea), NLMK (Russia), HAIER (China), TATA Chemicals & AMUL so far.

Govt. of India has also approved 04 projects namely Krishnapatnam in Andhra Pradesh; Tumakuru Node in Karnataka; Multi Modal Logistics Hubs (MMLH) at Nangal Choudhary in Haryana; Multi Modal Logistics Hubs (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Uttar Pradesh. These projects are at various stages of implementation.

30th August, 2023

Chairman's Message: Annual Report 2022-23

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present Company's operational performance for the financial year 2022-23. Infrastructure is a key driver of economic prosperity and provides a strong base for sustained and inclusive growth, critical for promoting national and local development. Development of infrastructure has a multiplier effect on demand and increases commercial & entrepreneurship opportunities. Various sectors of the economy are interdependent on each other. Industrial corridors, recognizing this inter-dependence, offer effective integration between industry and infrastructure, leading to overall economic and social development.

The projects under National Industrial Corridor Development Programme provide the infrastructure that is sustainable, reliable and resilient thus, meeting the world-class benchmark. I strongly believe that we shall stand the test of time in striving to our best for delivering results. Our outlook for the future remains positive which is strongly reflected in our resolve to propel economic progress by means of sustained and integrated development with inclusive growth. With our expertise in creating smart infrastructure facilities, we assume greater accountability in the national efforts to steer India's transformation to a first world economy.

With setting up of some industries and start of commercial production activities, Delhi Mumbai Industrial Corridor Project has entered into the operational phase. Shendra Industrial Park/Aurangabad Industrial City (AURIC) in Aurangabad, Maharashtra is the first city (project) which was dedicated to the nation by Hon'ble Prime Minister in September, 2019.

Major trunk infrastructure activities have been completed at Integrated Industrial Township (IITGN) at Greater Noida (747 acres), Uttar Pradesh; Integrated Industrial Township (IITVUL) at Vikram Udyogpuri (1,100 acres), Ujjain in Madhya Pradesh; Shendra Bidkin Industrial Area (AURIC) (18.55 sq. kms), Aurangabad, Maharashtra and trunk infrastructure activities are nearing completion at Dholera Special Investment Region (DSIR) (22.5 sq. kms), Gujarat.

In these four cities, with the allotment of 250 plots admeasuring 1571 acre of land parcel to various National/ Multi National Company will attract investment to the tune of Rs. 1.73 lakh crore and employment potential for over 1.3 lakh people. The Industrial Corridor Programme is making rapid strides towards boosting India's status as a Developed Nation.

Your Company is making all efforts to promote investment in these developed cities. The focus of investment promotion is 'brand building' & 'investor engagement' with emphasis on various priority sectors like Pharmaceuticals, Medical Devices, White Goods (like Air-Conditioners, LEDs), Textiles, Automobiles, Component Manufacturing, Food Processing, Electric Vehicles and its components, Healthcare components, etc. Various site visits, round table conferences, roadshows in foreign Countries are being organized as part of marketing efforts to attract more and more investments. Delegations from counties like US, Japan, Taiwan, Vietnam have visited these project site.

Hon'ble Prime Minister has launched PM GatiShakti National Master Plan (NMP) on 13th October, 2021 for providing Multimodal Connectivity to the Various Economic Zones. With the strong thrust and support from this initiative, your Company is mandated to develop Industrial Corridors Projects as part of National Industrial Corridor Development Programme.

I am very happy to announce that Foundation Stone of Tumakuru node in Karnataka was laid by Hon`ble PM on 06th February, 2023.

Company is also undertaking the Logistics Data Bank (LDB) project which has been recognised as a contributing factor in improving India's rank from 44 in 2018 to 38 in 2023 by the World Bank in the Logistics Performance Index created to rank the member countries based on the performance of their logistics sector. Also, currently LDB is operation across 17 Ports (27 terminals) in India covering 360+ Container Freight Stations/Inland Container Depots/empty yards/parking plazas, 90+ toll plazas, 03 Integrated Check Posts and 37 Special Economic Zones for providing last mile visibility of EXIM container movement in India. Through LDB, over 61 Million containers have been successfully tracked.

Further, Hon'ble Prime Minister of India had launched Unified Logistics Interface Platform (ULIP) under the purview of National Logistics Policy on 17th September 2022. Currently, ULIP has been integrated with 34 systems of 08 different Ministries through 112 APIs covering 1800+ fields. Over 100 private players have been onboarded on ULIP and are utilising the services. More than 55 applications have been developed by 40 companies thus providing benefits of ULIP to its end customer.

The Company is also acting as a knowledge partner to one of Asia's largest Convention and Exhibition Centre Project i.e., India International Convention and Exhibition Centre (IICC) at Dwarka, New Delhi wherein the construction activities are in full swing and the project is expected to be completed in the current year.

Your Company has sought financial assistance to the tune of USD 500 million from Asian Development Bank as Policy Based Loan (PBL) for Industrial Corridor Development Programme out of which first tranche of USD 250 million (sub-program 1) has already been released to the Consolidated Fund of Govt. of India. The action for sub-program 2 of USD 250 million is under progress.

I would like to put on record my appreciation to our shareholders, members of the Board of Directors for their unstinted support, exemplary foresight and generous contribution in terms of valuable advice. I am also thankful for the whole-hearted support received from the Ministries and Departments of Government of India, Banks, Comptroller & Auditor General of India (C&AG), Statutory Auditors and Secretarial Auditors. Lastly, our proficient manpower deserves commendation and credit for their stellar work and our resilience as an interdisciplinary multifarious organization.

(Rajesh Kumar Singh) Chairman

156

CORPORATE INFORMATION

BOARD OF DIRECTORS

Shri Rajesh Kumar Singh, IAS

Chairman

Shri Rajeev Singh Thakur, IAS

Director

Shri Balamurugan D., IAS

Director

Shri Rajat Kumar Saini, IAS

Chief Executive Officer and Managing Director

Shri Kazushige Gobe

Director

Shri Toshihiko Kurihara

Director

Shri M. Nagaraj

Director

Smt. Radha Roy

Director

AUDIT COMMITTEE

Shri Balamurugan D.

Director

Shri Toshihiko Kurihara

Director

Smt. Radha Roy

Director

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Shri Balamurugan D.

Director

Shri Toshihiko Kurihara

Director

Smt. Radha Roy

Director

CORPORATE SOCIAL RESONSIBILITY COMMITTEE

Shri Balamurugan D.

Director

Shri Toshihiko Kurihara

Director

Smt. Radha Roy

Director

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Shri Pradeep Kumar Agarwal

VP-CORPORATE AFFAIRS, HR &

COMPANY SECRETARY

Shri Abhishek Chauddhary

STATUTORY AUDITOR

M/s S.P Chopra &

Associates,

Chartered Accountants

INTERNAL AUDITOR

M/s J. Mandal & Co.,

Chartered Accountants

SECRETARIAL AUDITOR

M/s Jatin Gupta & Associates, Company

Secretaries

BANKERS

Central Bank of India , Hotel

Ashok, Chanakyapuri, New

Delhi

REGISTERED OFFICE

08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124,

Connaught Place, New

Delhi - 110001

ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE







NOTICE

Notice is hereby given that the 15th (Fifteenth) Annual General Meeting of the Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited will be held on Friday, the 22nd day of September, 2023 at 04:00 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS: -

- 1. To receive, consider & adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) as at 31st March, 2023 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon and the comments of the Comptroller and Auditor General of India for the period ended on that date.
- 2. To appoint a Director in place of Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761), Director of the Company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for reappointment and to consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an <u>Ordinary Resolution</u>: -
 - "RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761), Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."
- 3. To fix the remuneration of Statutory Auditor(s) of the Company appointed by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the FY 2023-24 and to consider, and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an *Ordinary Resolution:* -
 - "RESOLVED THAT pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the appointment of Statutory Auditors as may appointed by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24 be and is hereby approved/taken note of."
 - "RESOLVED FURTHER THAT CEO & Managing Director of the Company be and is hereby authorized to fix the terms and conditions including the determination of the audit fee payable to the Statutory Auditors as appointed by the office of the C&AG."

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड

SPECIAL BUSINESS: -

- 4. To regularize the appointment of Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (DIN: 05193269) as Director of the Company and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an *Ordinary Resolution*: -
 - "RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (DIN: 05193269), who was appointed as an Additional Director with effect from 24th April, 2023 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."
- 5. To regularize the appointment of Shri Balamurugan Devaraj, IAS (DIN: 06908216) as Director of the Company and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an *Ordinary Resolution*: -
 - "RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Balamurugan Devaraj, IAS (DIN: 06908216), who was appointed as an Additional Director with effect from 23rd May, 2023 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."
- 6. To regularize the appointment of Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275) as Director of the Company and to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an *Ordinary Resolution*: -
 - "RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013, Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275), who was appointed as an Additional Director with effect from 02nd August, 2023 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting and in respect of whom the Company has received a notice in writing from him under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."
- 7. To appoint Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275) as CEO & Managing Director of the Company and in this regard to consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolutions as *Special Resolution*:
 - "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 196, 197 read with Schedule V and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the

Act"), and the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment (s) thereof for the time being in force), the consent of the members be and is hereby accorded for the appointment of Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275) as the CEO & Managing Director of the Company for an overall period of 5 years (with effect from 02nd August, 2023) upto 17th January, 2028 or until further orders, whichever is earlier, upon the following terms and conditions (including the remuneration to be paid in the event of loss or inadequacy of profits in any financial year during the aforesaid period), as recommended by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Company:-

- a) Pay and allowances: He will be paid a basic salary of Rs. 1,53,000/- per month (Pay Scale of Rs. 1,44,200-2,18,200 as per Level 14) plus Dearness Allowance payable to him as per Government of India orders.
- b) <u>Annual increments</u>: He will be granted annual increments @ 3% of basic pay in accordance with the Government guidelines.
- c) <u>Leave Salary</u>: The Company will pay to the Government of Telangana the Leave Salary at the rates in force from time to time.
- d) <u>House Rent Allowance and Licence Fee:</u> As per rules applicable to All-India Services Officers.
- e) Official residence: Option to continue to stay in existing accommodation allotted by Directorate of Estates. In that case, applicable license fee will be remitted by the Company to Government of India. In case, no Government accommodation is provided, he will be provided suitable accommodation commensurate to his status and responsibilities.
- f) <u>Leave and Disability Leave</u>: As per rules applicable to All-India Services Officers.
- g) **Conveyance:** He will be entitled to the facility of a staff car.
- h) Transfer TA/DA: As per rules applicable to All-India Services Officers.
- i) <u>Medical facility</u>: The deduction in respect of CGHS facility will be deposited as per the rules applicable to All-India Services Officers.
- j) <u>Leave Travel Allowance:</u> As per rules applicable to All-India Services Officers.
- k) <u>Group Insurance</u>: The Company will make necessary deductions in respect of CGEGIS from the salary of the officer and remit the same to Govt. of Telangana in such manner as may be intimated by AG, Telangana.
- 1) <u>Transfer T.A./Joining time</u>: As per rules applicable to All-India Services Officers.

- m) National Pension Scheme (NPS): The employer's and employee's contribution as per rules applicable to All-India Services Officers will be deposited in his Permanent Retirement Account maintained by Central Recordkeeping Agency (CRA), National Depository Limited (NSDL).
- n) <u>Gratuity:</u> As per rules applicable to All-India Services Officers.
- O) <u>Conduct, Discipline and Appeal Rules</u>: As per rules applicable to All-India Services Officers.
- p) <u>Telephone Facilities</u>: On actual basis as per Company's policy.
- q) Other facilities: As per Company's policy.

"RESOLVED FURTHER THAT any Director or Company Secretary of the Company be and is hereby individually authorised to do all such act(s), deed(s), matter(s) and thing(s) as may be considered necessary, desirable and expedient for giving effect to this resolution and/or otherwise considered by them in the best interest of the Company including filing of requisite e-Form with the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana."

By order of the Board For National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Abhishek Chaudhary) VP-Corporate Affairs, HR & Company Secretary Membership No. - F6701

Date: 31.08.2023 Place: New Delhi

NOTES

- 1. The Ministry of Corporate Affairs ('MCA") has vide its General Circular dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 15th June, 2020, 28th September, 2020, 31st December, 2020, 23rd June, 2021, 08th December, 2021, 05th May, 2022 and 28th December, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') has permitted the holding of General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members for passing the ordinary or special resolutions, as applicable under the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.
- 2. As per the Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through show of hands.
- 3. The Members can join AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- 4. The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- 5. Corporate members are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution / Power of Attorney authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the Annual General Meeting.
- 6. In conformity with the provisions of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out at item no. 4, 5, 6 & 7 to be transacted at the Annual General Meeting (AGM) is annexed hereto.
- 7. Details of Directors seeking appointment and re-appointment at the ensuing Meeting are provided along with this notice.
- 8. The Notice convening the 15th AGM and Annual Report 2022-23 has been uploaded on the website of the Company at www.nicdc.in.
- 9. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM may send their request in writing to the Company at abhishekchaudhary@nicdc.in.
- 10. Members may attend the AGM, by following the invitation link sent to their registered email ID. Members are encouraged to join the meeting through Laptops for better experience.
- 11. Since the Annual General Meeting is being organized through VC/OAVM, the route map of the venue of the meeting is not annexed hereto.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013: -

ITEM NO.2

Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761), Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates his office by rotation at this Annual General Meeting. Shri Kazushige Gobe, being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be reappointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Kazushige Gobe, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 2 of this notice.

ITEM NO. 3

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will be nominating Statutory Auditor of the Company as per Section 139 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2023-24. The letter from C&AG is still awaited.

Hence the resolution is proposed.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 3 of this notice.

<u>ITEM NO. 4</u>

Pursuant to order no. 36/01/2023-EO(SM-I) dated 20th April, 2023 issued by Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Shri Rajesh Kumar Singh, IAS has taken charge as Secretary, DPIIT in place of Shri Anurag Jain. As Secretary, DPIIT acts as ex-officio Chairman on the Board of NICDC, Shri Rajesh Kumar Singh was appointed as Chairman and Additional Director on the Board of NICDC in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company w.e.f 24th April, 2023.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Except Shri Rajesh Kumar Singh being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.4 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no.4 for approval of the members.

ITEM NO. 5

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry vide its letter no P-37022/3/2019-IC-Part (2) dated 23rd May, 2023 has conveyed the approval of DPIIT for appointment of Shri Balamurugan Devaraj, Joint Secretary, DPIIT as Director on the Board of NICDC Ltd. in place of Shri Rajendra Ratnoo. Shri Balamurugan Devaraj, IAS was appointed as an Additional Director on the Board of NICDC in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company w.e.f. 23rd May, 2023.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Except Shri Balamurugan Devaraj being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.6 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no.5 for approval of the members.

ITEM NO. 6 & 7

Pursuant to notification No. 33/07/2023-EO(SM-I) dated 18th July, 2023, the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has approved the appointment of Shri Rajat Kumar Saini, IAS, (TG:2007) as CEO & MD, National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) from the date of assumption of charge of the post, for an overall tenure of five years or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Further, the Board of Directors has also appointed Shri Rajat Kumar Saini, IAS as CEO & Managing Director on the Board of the Company, subject to the approval of members of the Company.

The resolution seeks the approval of the members in terms of Sections 196 and 197 read with Schedule V and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, and the Rules made thereunder (including any statutory modifications or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) for the appointment of Shri Rajat Kumar Saini, IAS as CEO & Managing Director on the terms and conditions including remuneration, as recommended by the Nomination and Remuneration Committee, for a period of 5 years (with effect from 02nd August, 2023) until 17th January, 2023 or until further orders, whichever is earlier.

Except Shri Rajat Kumar Saini, IAS being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No.6 & 7 of this notice.

The Board recommends the resolution set forth in item no.6 & 7 for approval of the members.

By order of the Board For National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Abhishek Chaudhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. -F6701

Date: 31.08.2023 Place: New Delhi

BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE $15^{\rm TH}$ ANNUAL GENERAL MEETING

<u>Pursuant to Clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute</u> of Company Secretaries of India

holds the position of Director General, Social Infrastructure Finance Department, Infrastructure and Environment Finance Group at Japan Bank for International Cooperation (JBIC). In his current assignment, he leads JBIC's global footprint in supporting social infrastructure projects including road, railways, OFN, telecom, ICT etc. He also supervises JBIC's operations in India. Soon after completing his Bachelor's degree in Law from University of Tokyo in March 1994, he joined erstwhile Export Import Bank of Japan (now JBIC). Over 27 years he has gained rich experience across business sectors and organizational functions including treasury operations. He has immensely contributed in supporting Japanese manufacturing companies in expanding their trade and investments across Asia, Latin America & Africa. Indian IAS officer of 1989 Bath from Kerala cadre. He ha sasumed the charge of Secretary assumed the charge of Secretary assumed the charge of Secretary Industry and Internal Trad Ministry of Commerce at Industry on 24th April 2023. Pri to this, he was serving Secretary, Department of Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal Husband & Dairying. Secretary, Department for Promotion Industry and Internal Trad Ministry of Commerce at Industry on 24th April 2023. Pri to this, he was serving Secretary, Department of Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal Husband & Dairying. Secretary, Department for Promotion Industry and Internal Trad Ministry of Commerce at Industry on 24th April 2023. Pri to this, he was serving Secretary, Department of Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal	Name	Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761)	Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (DIN: 05193269)
University of Tokyo. Experience Shri Kazushige Gobe currently holds the position of Director General, Social Infrastructure Finance Department, Infrastructure and Environment, Infrastructure and Environment Finance Group at Japan Bank for International Cooperation (JBIC). In his current assignment, he leads JBIC's global footprint in supporting social infrastructure projects including road, railways, OFN, telecom, ICT etc. He also supervises JBIC's operations in India. Soon after completing his Bachelor's degree in Law from University of Tokyo in March 1994, he joined erstwhile Export Import Bank of Japan (now JBIC). Over 27 years he has gained rich experience across business sectors and organizational functions including treasury operations. He has immensely contributed in supporting Japanese manufacturing companies in expanding their trade and investments across Asia, Latin America & Africa. Terms and Conditions of appointment or Re-appointment as per Section 1.	Age	51 years	59 Years
holds the position of Director General, Social Infrastructure Finance Department, Infrastructure and Environment Finance Group at Japan Bank for International Cooperation (JBIC). In his current assignment, he leads JBIC's global footprint in supporting social infrastructure projects including road, railways, OFN, telecom, ICT etc. He also supervises JBIC's operations in India. Soon after completing his Bachelor's degree in Law from University of Tokyo in March 1994, he joined erstwhile Export Import Bank of Japan (now JBIC). Over 27 years he has gained rich experience across business sectors and organizational functions including treasury operations. He has immensely contributed in supporting Japanese manufacturing companies in expanding their trade and investments across Asia, Latin America & Africa. Indian IAS officer of 1989 Bate from Kerala cadre. He ha assumed the charge of Secretar Department for Promotion includistry and Internal Trad Ministry of Commerce an Industry on 24th April 2023. Pri to this, he was serving Secretary, Department of Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal Husband & Dairying. Secretary Department of Anim assumed the charge of Secretar Industry and Internal Trad Ministry of Commerce an Industry on 24th April 2023. Pri to this, he was serving Secretary Department of Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal Husbandr & Dairying. He has held many importang for Petroleum and Natural Ga Joint Secretary - Department for Petroleum and Naturel Ga Joint Secretary - Department for Petroleum and Naturel Ga Joint Secretary - Department for Anim Husbandry & Dairying, Minist of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Mini	Qualification	_	Bachelor degree in Economics.
Conditions of appointment or Re-appointment as per Section Appointment as per Section 1		holds the position of Director General, Social Infrastructure Finance Department, Infrastructure and Environment Finance Group at Japan Bank for International Cooperation (JBIC). In his current assignment, he leads JBIC's global footprint in supporting social infrastructure projects including road, railways, OFN, telecom, ICT etc. He also supervises JBIC's operations in India. Soon after completing his Bachelor's degree in Law from University of Tokyo in March 1994, he joined erstwhile Export Import Bank of Japan (now JBIC). Over 27 years he has gained rich experience across business sectors and organizational functions including treasury operations. He has immensely contributed in supporting Japanese manufacturing companies in expanding their trade and investments across	Industry on 24th April 2023. Prior to this, he was serving as Secretary, Department of Animal Husbandry & Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying. He has held many important positions in the Union Government as Commissioner – DDA, Joint Secretary - Ministry of Petroleum and Natural Gas, Joint Secretary - Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Joint Secretary – Information & Broadcasting and Chief Vigilance Officer – Food Corporation of India. He has also held important positions in the State Government as Secretary Urban Development and lately as Additional Chief Secretary, Finance, Government
	Conditions of appointment or		Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013

Name	Shri Kazushige Gobe (DIN: 09276761)	Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (DIN: 05193269)		
Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)	15.			
Remuneration proposed to be paid	:-	-		
Date of first appointment on the Board	10 th August, 2021	24 th April, 2023		
No. of shares held in NICDC	NIL	NIL		
Relationship with other Directors/ KMP	Not inter se related to any Director of the Company	Not inter se related to any Director of the Company		
Number of meeting of the Board attended during the financial year 2022-23.	03	Not applicable		
Directorship held in other companies	NIL	 Reststop Private Limited Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited. India International Convention and Exhibition Centre Limited. Invest India. 		
Membership/ Chairmanship of Committees of other companies	NIL	Nil		

BRIEF RESUME OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE 15TH ANNUAL GENERAL MEETING

<u>Pursuant to Clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute</u> of Company Secretaries of India

Name	Shri Balamurugan Devaraj, IAS (DIN: 06908216)	Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275)
Age	48 years	39 Years
Qualification	B.Sc. in Agriculture and Post Graduation in Business Management from Tamil Nadu Agricultural University.	B. Tech from IIT Delhi and Masters in International Development from Harvard University
Experience	Shri Balamurugan Devaraj is 2005 batch IAS officer and he is presently holding the charge of Joint Secretary in Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). He has more than 17 years of work experience in the various sectors.	Shri Rajat Kumar Saini is an IAS officer of 2007 batch from Telangana Cadre. He assumed the charge of CEO & MD, NICDC. Before joining NICDC, he was holding the charge of Director in Department for Promotion of Industry and Internal Trade. He has more than 16 years of work experience in senior positions of executive leadership across sectors like education, health, poverty alleviation, livelihood intervention through community mobilisation framing and executing policies and welfare programmes at State and Local Government.
Terms and Conditions of appointment or reappointment	Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013	Appointment as per Section 160, 196 and 197 of the Companies Act, 2013.
Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)	-	-
Remuneration proposed to be paid	=	As mentioned at Item No.7 of the Notice of AGM.
Date of first appointment on the Board	23 rd May, 2023	02 nd August, 2023
No. of shares held in NICDC	NIL	NIL
Relationship with other Directors/ KMP	Not inter se related to any Director of the Company	Not inter se related to any Director of the Company

Name	Shri Balamurugan Devaraj, IAS (DIN: 06908216)		Shri Rajat Kumar Saini, IAS (DIN: 10264275)	
Number of meeting of the Board attended during the financial year 2022-23. Directorship held in other companies	Not applicable Jammu and Development Corporation Limited.	Kashmir Finance	Not applicable 1. NICDC Logistics Data Services Limited. 2. DMIC Vikram Udyogpuri Limited 3. DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited 4. CBIC Tumakuru Industrial Township Limited 5. Dholera International Airport Company Limited 6. Rajasthan Industrial Corridors	
Membership/ Chairmanship of	NIL		Development Corporation Limited Nil	
Committees of other companies				

BOARD's REPORT

BOARDS' REPORT

Dear Shareholders,


The Board of Directors of your Company are pleased to present its 15th (Fifteenth) Board's Report on the Business and operations of the Company for the financial year ended on 31st March, 2023.

National Industrial Corridor Development Corporation (NICDC) Limited (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) is a Joint Venture Company incorporated between the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India Ltd. (LIC).

The Company is entrusted with carrying out project development activities in respect of various Industrial Corridor Projects being developed or under implementation, under the flagship National Industrial Corridor Development Programme. The Company is acting as the project development partner and knowledge partner to varied industrial townships, industrial node/clusters and integrated manufacturing clusters.

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry is the administrative ministry of the Government of India for the Industrial Corridor Projects. Industrial Corridor (IC) Project is a flagship programme of Government of India with the aim of creating futuristic Industrial Cities by leveraging the "High Speed - High Capacity" connectivity backbone provided by Dedicated Freight Corridor (DFC).

The shareholding pattern of the Company is as follows:



1. FINANCIAL HIGHLIGHTS:

The highlights of Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2023 are summarized below:

(Rs. in lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Income	1328.43	2282.55
Total Expenses	1942.46	1769.37
Tax Expense	(9.02)	153.11
Profit / (Loss) for the year after Tax	(605.01)	360.07

2. STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS:

A. Delhi Mumbai Industrial Corridor Project

1. Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat:

- DSIR has been planned over an area of 920 sq. km and Phase-I Activation area of 22.5 sq. km has been carved out wherein major trunk infrastructure works are nearing completion;
- GoI has approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs. 2784.83 crore divided into five packages for activation area;
- 06 plots (498 Acre) have been allotted with TATA Chemicals as anchor investor;
- Recently, 254 Acre land has also been allotted to Vedanta-Foxconn for setting up their Semiconductor and Display unit;
- 1,021 Acre industrial land is readily available for allotment;
- Out of the area earmarked for development of 1000 MW of Solar Park, 300 MW has been awarded to Tata Solar Power Ltd.

2. Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra

- Part I of SBIA covers an area of 40.2 sq. km; State Govt, has transferred 8.39 sq. km for Shendra and 28.8 sq. km for Bidkin Industrial Area to the SPV;
- For Shendra, GoI has approved various infrastructure components for Rs. 1533 crore. Major trunk infrastructure packages have been completed;
- For Bidkin, GoI has approved the infrastructure packages worth Rs. 6414.21 crore to be developed in 3 phases. The major trunk infrastructure works for Sector A (10.32 sq. km) have been completed;
- Total of 200 plots admeasuring 575 Acre have been allotted at SBIA including one to Hyosung (100 acre) as the anchor investor at Shendra and a 138-acre plot to Piramal Pharma Pvt. Ltd.at Bidkin;
- 931 Acre industrial land is readily available for allotment in SBIA;
- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the nation on 7th Sept, 2019.

3. Integrated Industrial Township Project, Greater Noida, Uttar Pradesh

- Land admeasuring 747.5 Acre has been transferred to the SPV of the project;
- GoI has approved various infrastructure components amounting to Rs. 1,097.5 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- 08 plots admeasuring 168 Acre have been allotted with HAIER (122 Acre) as the anchor investor;
- 155 Acre Industrial Land is readily available for allotment.

4. <u>Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya</u> Pradesh

- State Govt. has transferred 1026 Acre land to the SPV;
- GoI has approved various infrastructure components amounting to Rs. 749.1
 crore. Major trunk infrastructure works have been completed;
- Land allotment policy has been finalized and 24 plots admeasuring 226 Acre have been allotted with AMUL as anchor investor;
- Further, 360 acre gross area has also been allotted for a Medical Device Park;
- 63 Acre of Industrial Land is readily available for allotment.

5. Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana

- IMLH Project spread over 886 acre in Mahendergarh district has been approved by GoI in May, 2018;
- 686 Acre has been transferred by the State Govt. to the project SPV and approx.
 158 Acre land is under litigation. The judgement has been reserved by Hon'ble High Court of Punjab and Haryana;
- Works on deposit basis under progress for various external connectivity projects (water, power & road) being undertaken by the State Govt. agencies;
- External rail siding works from project site up to New Dabla Station of WDFC being undertaken by DFCC and construction works are in progress;
- The project components within the project boundary like warehousing area, EXIM area, gantries, transportation zone, non processing area, maintenance yard etc is planned to be implemented through PPP mode.

6. <u>Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub</u> (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh

- Proposal for development of MMLH (334 Ha) and MMTH (145 Ha) over 479 Ha
 area in Uttar Pradesh has been approved by GoI in Dec, 2020;
- 369 Ha is already under possession of GNIDA and ~83.2 Ha land parcels being acquired by GNIDA through LARR Act. Further, ~23 Ha of land to be acquired by DFCCIL/NCR under Railways Act. 20A;
- 227.48 Ha land has been transferred to the Project SPV by the State Govt;
- For MMLH Draft DPR for external Rail Siding has been shared with DFCCIL for concurrence and approval;

003

- For MMTH Final Project report along with updated ESP has been submitted to North Central Railway and other stakeholders for approval;
- EC for the project has been obtained from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh

7. Marwar Industrial Cluster (MIC), Rajasthan

- Based upon the confirmation of the State Govt, 8121 Acre is proposed to be developed under this project in 03 phases;
- Phase A with an area of 1577 Acre is being developed for which master planning and preliminarily engineering activities have been completed;
- SHA/SSA for JPMIA has been executed & SPV has also been incorporated;
- Project proposal for Phase A has been approved by NICDIT on 14th Dec, 2022.

8. Khushkheda Bhiwadi Neemrana Investment Region (KBNIR), Rajasthan

- Detailed master planning and preliminary engineering for 558 Ha is being undertaken by the appointed Consultant;
- SHA/SSA for KBNIR has been executed and existing SPV for MIC shall also act as the implementation agency of KBNIR project;
- Land acquisition in under progress by the State Government.

9. Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra

- State Govt. has confirmed availability of 2,450 Ha of land for which detailed master planning and preliminary engineering works have been completed;
- Project is to be implemented by the existing SPV Maharashtra Industrial Township Limited, erstwhile Aurangabad Industrial Township Limited;
- Project proposal has been approved by NICDIT on 14th Dec, 2022.

B. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and its extension to Kochi via Coimbatore

1. Krishnapatnam Node, Andhra Pradesh -

- Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 11,095 acre have been completed;
- 1st phase of the project was approved by GoI in December, 2020 for 2500 Acre;
- State Govt. has transferred 2139.15 Acre land to SPV;
- SPV is under process of floating the EPC tender (3rd Call) for development of Trunk infrastructure over phase-1 activation area.

2. Tumakuru Node, Karnataka

• Detailed master planning and preliminary engineering activities of total project area of 8,483 acre, have been completed;

- 1st phase of the project was approved by GoI in December, 2020 for 1736 Acre;
- State Govt. has transferred 1668.30 Acre land to SPV;
- EPC Contractor has been appointed for trunk infrastructure works;
- Foundation Stone of the project was laid by Hon`ble PM on 06th Feb,2023.

C. CBIC extension to Kochi via Coimbatore:

1. Palakkad node, Kerala

- 1,710.37 Acre of land has been identified by the State Govt for which Detailed master planning and preliminary engineering works has been completed;
- SHA/SSA has been executed and the project SPV has been incorporated;
- Project proposal has been approved by NICDIT on 14th Dec, 2022.

D. Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC)

1. Khurpia Farms, Uttarakhand

- 1,002 Acre of land has been identified by the State Govt for which Detailed master planning and preliminary engineering works has been completed;
- Project proposal has been approved by NICDIT on 8th June, 2022.

2. Rajpura-Patiala, Punjab

- 1,098 Acre of land has been identified by the State Govt for which Detailed master planning and preliminary engineering works has been completed;
- Project proposal has been approved by NICDIT on 8th June, 2022.

3. Hisar, Haryana

- State Govt. has confirmed the availability of 1605 Acre land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are under progress by the appointed consultants;
- State Govt. has been requested to expedite the land transfer and confirm delegation of Planning & Development Rights to SPV for finalization of SHA/SSA.

4. Agra, 1,059 Acre in Uttar Pradesh

- State Govt. has confirmed the availability of 1059 Acre land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are under progress by the appointed consultants.

5. Gaya, 1,670 Acre in Bihar

- State Govt. has confirmed the availability of 1670 Acre land for the project;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are under progress by the appointed consultants.

0 0 5

6. Jharkhand

- State Govt. has informed that the earlier proposed site at New Bahri is not available therefore an alternate site is being identified;
- The availability and valuation of 740 acre of proposed land at Bokaro Steel Plant is being taken up by Ministry of Steel, Bokaro Steel Plant, SAIL and State Govt.

7. Prayagraj, Uttar Pradesh

• Detailed preliminary design report & marketing strategy works for a brownfield site at Prayagraj (1,141 Acre) is being undertaken by the appointed Consultant.

E. Vizag- Chennai Industrial Corridor:

1. Kopparthy (Kadapa) Node, Andhra Pradesh:

- State Govt. has proposed development 2,595-acre land under NICDIT framework;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are underway by the appointed Consultant.

2. Chittoor Node, Andhra Pradesh:

- State Govt. has proposed development of the project over 8,967 acre;
- State Govt. to confirm the land parcels for undertaking project development activities by the appointed consultants.

3. Visakhapatnam (Nakapalli Cluster):

- Project Development activities is being undertaken by the State Govt on its own;
- 3,196 Acre has been proposed by the State for development under NICDIT framework and project development activities are underway.

F. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC)

1. Dharwad Node, Karnataka

- State Govt. has proposed development of the project over 6,042 acre of land;
- Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are underway by the appointed Consultant and land acquisition is underway by the State Govt.

2. Satara Node, Maharashtra

• State Govt. has proposed development of the project over 5,001 Ha of land however, the land parcel is being finalized for the development.

G. Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC):

- State Govt. has prepared master-planning and cost estimates for **Hyderabad Pharma City** under HWIC in the State of Telangana;
- NICDIT in June, 2022 accorded approval for dropping the project due to nonconfirmation of the State.

H.Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC):

- Govt. of Telangana has proposed development of Zaheerabad Node (3909 acre);
- Project has been approved by NICDIT;
- Draft SHA/SSA is being negotiated with the State Govt.

I. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC):

- Based on the proposal received from the Govt of Andhra Pradesh, 4742 acre of land under Orvakal Node at Kurnool is being developed under NICDIT framework;
- An area of 2621 Acre is being developed as Phase I activation area for which Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities are underway.

J. Odisha Economic Corridor (OEC) Project:

- Consultant has been appointed for detailed master planning and preliminary engineering for Gopalpur – Bhubaneswar – Kalinganagar (GBK node) and Paradip – Kendrapada – Dhamra – Subarnarekha (PKDS node) over a total area of 11,366 Acre proposed by the State Govt.
- State Govt. to confirm the availability of land parcels for undertaking project development activities.

K. Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC):

- The proposed Delhi Nagpur Industrial Corridor will leverage on the existing NH network and the future North-South DFC;
- Consultant appointed for preparation of Perspective Plan for overall DNIC region.
- Identification of new land parcels/nodes for development under DNIC is being undertaken in consultation with respective State Govt. departments.

Other Approved Projects

a. Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:

- The project for 5MW Solar Power Plant has been commissioned & power feeding to grid has commenced since 3rd September, 2015;
- 1 MW Solar Power Plant has been commissioned on 19th April, 2021 and commercial operations has been commenced from 01st June, 2021.

b. Logistic Data Bank Project:

- Logistics Data Bank (LDB) system is a single window logistics visualization solution
 - which provides EXIM container movement tracking using only shipping container numbers;
 - o from the ports to Inland Container Depot's/ Container Freight Stations;
 - and across the port associated parking plazas, toll plazas, railway stations, industrial corridors during the import and export journey.
- LDB began its operations in the western corridor, at
 - o Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) in 2016;
 - Hazira and Mundra ports of Adani in year 2017;
 - Since November 2020, the services have been extended to all port terminals handling EXIM containers in India.
 - Currently, LDB covers:
 - 100% of India's EXIM container volume
 - 17 Ports (comprising 27 port terminals)
 - 358 CFSs, ICDs, Empty Yards and Parking Plazas (RFID Infrastructure)
 - 91 Toll Plazas (RFID Infrastructure)
 - 03 ICPs (RFID Infrastructure)
 - 37 SEZs (RFID Infrastructure)
 - 5800 railway stations (Freight Operations Information System).
- LDB has tracked 58 million EXIM containers since its launch in July 2016.
- LDB uses RFID technology, Big Data and cloud-based solution to provide real-time tracking and create data driven analytics.
- LDB Analytics provides the insights related to:
 - Dwell time of ports/CFSs/ICDs
 - Transit time between ports and CFSs/ICDs
 - Congestion at port gates and highways
 - Heat maps of container movement

c. <u>Unified Logistics Interface Platform (ULIP)</u>

- Hon'ble Prime Minister of India launched the Unified Logistics Interface Platform (ULIP) under the purview of National Logistics Policy (NLP) on 17th September 2022.
- ULIP is a digital gateway for enabling industry players to access logistics related datasets from various Govt. system through API based integration.
- The integration of ULIP with 33 systems of 07 different Ministries through 106 APIs, covering 1600+ fields has been completed successfully.
- Around 7 crore transactions have been completed on the ULIP portal since January 2022.
- The ULIP portal (goulip.in) has witnessed 490 registrations from the private sector since its launch.
- Currently, 299 use cases of the 105 private players have been verified. Over 81 Non-Disclosure Agreements (NDAs) have been signed with the private players for the development of the use cases.
- Over 60 meetings with industry associations have been completed.

IICC Project at Dwarka, New Delhi

- Union Cabinet in its meeting held in 10th November 2017 approved the development of Exhibition-cum-Convention Centre and allied infrastructure in PPP and non-PPP mode. The project is being developed by India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC Ltd.), a Special Purpose Company wholly owned by Government of India through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
- India International Convention & Expo Centre (IICC) is a flagship project of Government of India with a vision to create a state-of-the-art, world class Exhibition and Convention Facility which will be on par with the best in the industry worldwide, in size and quality. The IICC facilities will provide for both National and International conferences, exhibitions and meetings, attracting visitors and business to India.
- The project is located near IGI Airport and well connected to Metro and road links via Airport Express Metro line extended by DMRC to the heart of the complex, and NHAI developing dedicated interchanges along Dwarka Expressway & UER-11 along the IICC complex.
- The project is being developed in two phases. Phase-1 estimated to cost Rs. 5,401 crore, consisting of Convention Centre, two Exhibition Halls and related internal/external trunk infrastructure facilities and is currently under development.
- Phase-II will include construction of three more Exhibition Halls, Arena, and commercial development of complimentary infrastructure like Hotels, Retail and Office spaces some under PPP model.
- L&T has been appointed as EPC Contractor for the development of Phase-I components including internal trunk infrastructure for the entire project. The project has achieved 85% of physical completion till Mar'23, Commercial operation date for the project scheduled for 1st Oct 23.
- The Korean company KINTEX (Korea International Exhibition & Convention Centre) is appointed as operator of the venue for 20 years for phase-01 from 1st Oct 2023 onwards.

Policy Based Loan (PBL) from Asian Development Bank (ABD) for Industrial Corridor Development Programme

In March 2020, the Screening Committee of Department of Economic Affairs (DEA) approved the loan assistance in the form of a Policy Based Loan (PBL) of USD 500 million for Industrial Corridor Development Programme. The objective of the proposed loan program is to support DPIIT/NICDC/NICDIT in development of industrial corridors to increase India's competitiveness as a global manufacturing hub through policy reforms.

The PBL was structured under the programmatic approach with two subprograms/tranches of \$250 million each. The Executing Agency (EA) of the program is Ministry of Commerce and Industry acting through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and Implementation Agency (IA) is NICDIT supported by NICDC.

The loan is taken by Govt. of India (GoI) through Ministry of Finance (MoF) and its servicing and repayment obligation will also be of GoI. Release of funds will continue to flow to NICDIT through DPIIT in the form of Grant-in-Aid as part of overall approved corpus of funds for Industrial Corridor Development Program for onward

release to project SPVs as Equity and/or Debt in accordance with the Institutional and Financial Structure approved by GoI.

Sub-program 1 consisted ten (10) policy actions with an objective to strengthen the institutional structures and mechanism for integrated development, innovative financing solutions and investment promotion in industrial corridors. After successful completion of policy actions by EA/IA as outlined in the policy matrix, in October 2021, ADB approved the first sub-program of the PBL for USD 250 million for Industrial Corridor Development Programme to Govt. of India. Subsequently, in January 2022, the loan was made effective and was disbursed to the Consolidated Fund of Govt. of India.

Together with the sub-program 1, ADB also approved the provision of a Technical Assistance (TA) of USD 1 million for knowledge services for Industrial Corridor Development Programme to the Govt. of India to be provided as a grant which is not required to be repaid and to be implemented over 38-months period commencing from November, 2021. The TA will support the delivery of some of the policy actions under sub-program 2 for which the action has already been initiated by ADB.

ADB fielded an Inception Mission from 18-26 July, 2022 for subprogram-2. The purpose was to discuss the progress of implementation of subprogram 1 policy actions and to discuss on indicative policy matrix of subprogram 2. The mission conducted field visits to IC nodes (Shendra-Bidkin, Dholera and Greater Noida) in July, 2022 as part of Inception Mission and held consultations with DPIIT, NICDC and SPVs.

For sub-program 2 (USD 250 million), 10 policy actions have been listed in the policy matrix with a time frame of February 2022 – December 2023 against the original time frame February 2022 to December 2025. A team of consultants have been mobilized by ADB to provide knowledge support for subprogram 2 policy action points. Kick off meeting with the consultants was held in September, 2022. The Policy action points are under discussions with ADB before finalization The sub-program 2 of USD 250 million is expected to be disbursed under a single tranche in the Calender Year 2023.

3. CAPITAL STRUCTURE:

The authorized, issued and paid-up share capital of the Company is Rs. 100,00,000,000/-(Rupees One Hundred Crore only) divided into 10,00,00,000 (Ten Crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

4. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

The Company has one subsidiary namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (formerly known as DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited) as on 31st March, 2023.

During the year under review, the Board of Directors of the Company reviewed the affairs of the subsidiary.

Further, the report on the performance and the salient features of the Financial Statement of the subsidiary in the prescribed Form AOC-1 is enclosed with the Financial Statements.

5. DIVIDEND:

The Company was considered for exemption from the compliance of guidelines issued by DIPAM, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016 on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) relating to declaration of Minimum Dividend for the FY 2017-18 to 2021-22.

Accordingly, the Company will seek exemption from payment of dividend as per the abovesaid guidelines. Therefore, no provision for dividend is made for the financial year 2022-23.

Accordingly, no dividend has been recommended during the financial year.

6. RESERVES:

During the period under review, no amount has been transferred to the reserves as there is loss for the financial year 2022-23.

7. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There was no change in the nature of the business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2023.

8. <u>DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS</u> WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

M/s J Mandal & Co., Chartered Accountants were appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2022-23 pursuant to Section 138(1) of the Companies Act, 2013 in the Board Meeting of the Company held on 08th July, 2022. The Board feels that the scope of Internal Audit and existing Internal Financial Controls are adequate and commensurate with the size of the Company.

9. <u>DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:</u>

During the financial year ended on 31st March, 2023, no order has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

10. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2023 AND THE DATE OF THE REPORT:

There are no material changes that occurred in between the financial year ended on 31st March, 2023 and date of the report of the Company which affects the financial position of the Company.

11. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year under review, the Company is required to comply with the provisions related to Corporate Social Responsibility in pursuance to the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013. The details of the CSR activities undertaken by

13. The details of the CSR activities undertaken b

the Company are mentioned in Annual Report on CSR activities and the same is enclosed at **Annexure-"A"**.

12. DEPOSITS:

During the financial year ended on 31st March, 2023, the Company has not accepted any deposits nor any deposits remained unpaid or unclaimed.

13. STATUTORY AUDITORS:

The Comptroller & Auditor General of India (C&AG) vide their letter no. CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/409 dated 29th August, 2022 had appointed M/s S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants (ICAI Firm Registration No. DE0010) as the Statutory Auditors of the Company for the financial year 2022-23 as per the provisions enumerated under Section 139 of the Companies Act, 2013 (read with other applicable provisions). Also the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2022-22 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board - I.

14. STATUTORY AUDITORS' REPORT:

The Statutory Auditors' Report does not contain any qualifications. The notes to the accounts referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and therefore do not call for any further comments of Directors.

Review and Comments of C&AG, if any, on the Company's Financial Statements for the Financial Year ending 31st March, 2023 forms part of Financial Statements.

15. FRAUD REPORTING BY THE AUDITORS

During the FY 2022-23, no instance of fraud has been reported by the Statutory Auditors of the Company to the Audit Committee under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013.

16. SECRETARIAL AUDITORS:

M/s Jatin Gupta & Associates, Company Secretaries were appointed as the Secretarial Auditors of the Company for FY 2022-23 by the Board in its Meeting held on 08th July, 2022 as per Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2023 is attached at <u>Annexure-"B"</u>.

17. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN UNDER SECTION 92(3):

As per applicable provisions of the Act, copy of annual return will be placed on the website of the Company at www.nicdc.in. However, as a part of good corporate governance, the extract of the Annual Return as provided under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT-9 is attached at <a href="Annexure - "C".

18. COST AUDITORS AND COST RECORDS:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is not required to appoint the Cost Auditors and maintain cost records.

. 2

19. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:-

A) C	onservation of energy*:	
i.	the steps taken or impact on conservation of energy	Not Applicable
ii.	the steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy	Not Applicable
iii.	the capital investment on energy conservation equipment's	Not Applicable
B) Te	echnology absorption:	
i.	the efforts made towards technology absorption	Not Applicable
ii.	the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution	Not Applicable
iii.	 in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) a) The details of technology imported; b) the year of import; c) whether the technology been fully absorbed; d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; 	Not Applicable
iv.	the expenditure incurred on Research and Development	Not Applicable
C) Fo	oreign exchange earnings and Outgo:	
i.	The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year	Nil
ii.	The Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual Outflows	4,53,112/-
FV3.7		

[*Note: The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. The conservation of energy and technology absorption is not applicable. However, the Company is doing its best efforts for the conservation of energy through various project development activities.]

20. BOARD OF DIRECTORS:

(A) Changes in Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	Name of the Director/Key Managerial Personnel	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Amrit Lal Meena	CEO & MD	05 th November, 2021	21st October, 2022
2.	Smt. Radha Roy	Director	18 th April, 2022	

3.	Shri Rajeev Singh	Director	05th August, 2022	
	Thakur	CEO & MD	03 rd November, 2022	15 th December, 2022
4.	Smt. Sumita Dawra	CEO & MD	15 th December, 2022	
5.	Shri Rajendra	Director	17 th July, 2019	24 th February 2023
	Ratnoo			

Appointment of CEO and MD as Key Managerial Personnel (KMP): -

During the Financial Year 2022-23, Shri Amrit Lal Meena, I.A.S, held office as CEO and Managing Director upto 21st October, 2022. Shri Rajeev Singh Thakur, I.A.S was appointed as the CEO and Managing Director for the period from 03rd November, 2022 to 15th December, 2022. Subsequently, Smt. Sumita Dawra, I.A.S, Special Secretary (Logistics), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry; has been appointed as CEO and Managing Director and designated as Key Managerial Personnel (KMP) of the Company w.e.f 15th December, 2022.

The proposal for approving the appointment of Smt. Sumita Dawra, as CEO and Managing Director of the Company is placed for seeking approval at the ensuing Annual General Meeting.

Retirement by Rotation: -

In accordance with the provisions of Section 152 of the Companies Act, 2013 and the Articles of Association of the Company, Shri Kazushige Gobe, Director of the Company retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible has offered himself for re-appointment.

(B) Number of Meetings of the Board of Directors:

Five (05) meetings of the Board of Directors of the Company were held in the financial year 2022-23. The details of the Board Meeting are as under:-

S.No.	Particulars	Date of Board Meeting
1.	63 rd Board Meeting	12 th April, 2022
2.	64th Board Meeting	08th July, 2022
3.	65th Board Meeting	01st November, 2022
4.	66th Board Meeting	10 th November, 2022
5.	67 th Board Meeting	23rd December, 2022

21. <u>COMMITTEES OF THE BOARD</u>:

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the Board of Directors of your Company has constituted three Committees which are as follows:-

Audit Committee:

As per Section 177 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Audit Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry*	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt Radha Roy, General Manager (Projects), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

^{*}Shri Rajendra Ratnoo has resigned from the post of Director w.e.f 24th February, 2023.

During the year 2022-23, three (3) meetings of the Audit Committee were held on 08th April, 2022, 08th July, 2022, and 31st October, 2022 respectively.

Nomination and Remuneration Committee:

As per Section 178 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry*	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt. Radha Roy, General Manager (Projects), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

^{*}Shri Rajendra Ratnoo has resigned from the post of Director w.e.f 24th February, 2023.

During the year, three (3) meetings of Nomination and Remuneration Committee were held on 31st October, 2022, 10th November, 2022 and 23rd December, 2022.

Corporate Social Responsibility Committee:

As per Section 135 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the constitution of the Corporate Social Responsibility Committee of the Board of Directors of the Company is as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry*	Non Executive Director	Chairman
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
3.	Smt. Radha Roy, General Manager (Projects), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

^{*}Shri Rajendra Ratnoo has resigned from the post of Director w.e.f 24th February, 2023.

During the year, two (2) meetings of Corporate Social Responsibility Committee were held on 08th July, 2022 and 31st October, 2022.

22. REMUNERATION PAID TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP):

The Company during the financial year 2022-23 has paid remuneration to Shri Pradeep Kumar Agarwal, Chief Financial Officer and Shri Abhishek Chaudhary, Vice President - Corporate Affairs, HR and Company Secretary. As a part of good corporate governance, the details of the remuneration paid during the financial year 2022-23 is mentioned in VI (A) and Clause VI (C) of Form No. MGT – 9. Further, as per applicable provisions of the Act, copy of annual return will be placed on the website of the Company at www.nicdc.in.

23. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:

No loans or guarantees have been given neither any investments have been made under Section 186 of the Companies Act, 2013 by the Company during the financial year under review.

24. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES UNDER SECTION 188(1):

No contracts or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the financial year under review.

25. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL ADEQUACY:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or could be exploited to maximize the gains. The processes and procedures are in place to act in a time bound manner to manage the risks or opportunities.

The Company's internal control systems are commensurate with the nature of its business and the size and complexity of its operations. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the Audit Committee.

26. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance to clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013 it is stated that:-

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

27. RIGHT TO INFORMATION:

The status of RTI applications/appeals received during the financial year 2022-23 is as follows:

		RTI applications				Pending
RTI Application/ Appeals received		Rejected	Information provided	Transferred to other public Authority	Returned to Applicant	Applications as on 31.03.2023
Applications	17	0	15	1	0	1
Appeals	2	0	2	0	0	0

28. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS:

Pursuant to the notification issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 05th July, 2017, Joint Venture companies are exempted from appointing Independent Directors. Accordingly, NICDC Limited being a Joint Venture Company is not required to appoint Independent Directors on the Board of the Company. However, as a matter of good Corporate Governance, the Board of Directors of the Company have decided to continue the association of Independent Directors on the Board of the Company.

In view of the above, the Company has requested DPIIT, Administrative Ministry in-charge, to nominate Independent Directors to be appointed on the Board of the Company.

29. PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD AND ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS:

The Directors of the Company are in a fiduciary position (appointed on nominations received from DPIIT, HUDCO & JBIC) empowered to oversee the management functions with a view to ensure its effectiveness and enhancement of stakeholders' value and are diligent in performing their role and responsibilities.

30. POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF DIRECTORS:

In accordance to the provisions of the Shareholder's Agreement and the Articles of Association of the Company, the right to nominate the Directors on the Board of the Company is relative to the relevant proportion of shareholding held by the promoter shareholders. Accordingly, the compostion of the Board of Directors of the Company includes Nominated Representatives of DPIIT, JBIC and HUDCO; being a Joint Venture Company.

Correspondingly, the Directors are appointed on nomination received from the respective shareholders of the Company through Nomination and Remuneration Committee of the Board; where applicable; as per the terms and conditions mentioned in the Appointment Order.

31. POLICY IN COMPLIANCE OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has constituted an Internal Compliants Committee in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. The Committee spreads awareness amongst the employees regarding 'Zero Tolerance' for sexual harassment at work place.

There were no cases filed during the financial year ended on 31st March, 2023.

32. VIGILANCE:

There were no vigilance cases reported during the financial year 2022-23 and there are also no previous pending vigilance cases in the Company.

33. SECRETARIAL STANDARDS:

The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Companies Secretaries of India from time to time.

34. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

The report of Statutory Auditors is free from qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

35. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Board of Directors of the Company wishes to place on record, their thanks and appreciation to all workers, employees, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors are thankful to the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India (LIC), and its Bankers.

The Directors also place on record their sincere thanks to the other Stakeholders for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajesh Kumar Singh) Chairman 26, New Moti Bagh, Chanakya Puri, New Delhi- 110021

Date: 29/05/2023 Place: New Delhi

019

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

(For Financial Year starting from 01st April, 2022 to 31st March, 2023)

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

NICDC envisions to act in a socially responsible manner to contribute to the socio-economic development of the communities and operate in, by building stronger, developed sustainable communities & raise the quality of life of people of the Country.

2. Composition of CSR Committee:

The composition of the CSR Committee of the Board of Directors of the Company is as below: -

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	*Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry	Chairman/ Non-executive Director	2	2
2.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Member/ Non-executive Director	. 2	2
3.	Smt. Radha Roy, General Manager, (Projects) Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Member/ Non-executive Director	2	2

^{*} Shri Rajendra Ratnoo has resigned from the post of Director w.e.f. 24th February, 2023.

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company.

Web-link disclosing the composition of the CSR committee and CSR policy of the Company is as below: -

https://www.nicdc.in/index.php/resources/csr-policies.html

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable:

Not Applicable



- 5.
- (a) Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135: Rs. 9,01,81,645/-
- (b) Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135: Rs. 18,03,632/-
- (c) Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years: **NIL**
- (d) Amount required to be set-off for the financial year, if any: NIL
- (e) Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)]: Rs. 18,03,632/-
- 6.
- (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project): Rs. 18,03,632/-

S. No.	Activities	Amount
1	Providing new ambulance at Primary Health Centre at Dholera.	Rs. 17,23,523/-
2	Contribution in Prime Minister National Relief Fund	Rs. 80,109/-
	Total	Rs.18,03,632/-

- (b) Amount spent in Administrative Overheads: NIL
- (c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Not Applicable
- (d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]: Rs. 18,03,632/-
- (e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year:

Total	Amount Unspent (in Rs.)				
Amount Spent for the Financial	to Unspent	ont transferred CSR Account section (6) of	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
Year. (in Rs.)	Amount.	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
18,03,632/-	NIL				

(f) Excess amount for set-off, if any:

SI. No.	Particular Particular	Amount		
		(in Rs.)		
(1)	(2)	(3)		
(i)	Two percent of average net profit of the company as per subsection (5) of section 135	18,03,632/-		

(ii)	Total amount spent for the Financial Year	18,03,632/-
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:

1	2	3	4	5			7	8
SI. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub- section (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	under S VII as per provisor section section an Amount (in Rs)	red to a specified chedule er second to sub-	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	
1	FY-1				NIL			
2	FY-2							
3	FY-3							

8.	Whether	any	capital	assets	have	been	created	or	acquired	through	Corporate	Social
	Responsi											

O Yes	O No		
If yes, enter the numb	er of Capital assets crea	ated/ acquired	

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner			beneficiary of the registered owner			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address				
		N	OT APPLI	CABLE							

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub- section (5) of section 135:

Not Applicable

(Chief Executive Officer and Managing Director or Director)

(Chairman, CSR Committee)





Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023 [Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To The Members

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)
New Delhi

We have conducted the Secretarial Audit of compliance of applicable statutory provisions by NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) (CIN: U45400DL2008PLC172316) (hereinafter called the 'Company/NICDC'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the Corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of registers, records, books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period 1st April, 2022 to 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- 1. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- 2. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder (Not applicable);
- 3. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- 4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

JATIN Digitally signed by JATIN GUPTA Date: 2023.05.29
11:28:25 +05'30'



Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

- 5. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (Not applicable)
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,1992; (Not applicable)
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; (Not applicable)
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines,1999; (Not applicable)
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not applicable)
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; (Not applicable)
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not applicable) and
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable).

The following laws/acts are applicable specifically to the Company:

- 1. The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952.
- 2. The Payment of Gratuity Act, 1972
- 3. Delhi Shops & Establishment Act, 1954

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India and the codes and policies adopted by the Company.

During the Audit period under review, the Company was not required to comply with the clauses of the Listing Agreement(s) and/or the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as the company is an Unlisted and closely held public limited company.



194



Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

During the Audit Period, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above also read with circulars, notifications and amended rules, regulations, standards etc. as issued by the Ministry of Corporate Affairs and such other regulatory authorities for such respective acts, rules, regulations, standards etc. as may be applicable from time to time and issued for compliances.

WE FURTHER REPORT THAT:

The Board of Directors of the Company is duly constituted. The changes in Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance and mode of dispatch of documents for perusal of board members are circulated by hand and on email, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at Board/Committee /General Meetings are carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board/Committee /General Meetings, as the case may be.

The Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines,

We further report that based on review of compliance system prevailing in the Company and on examination of relevant documents and records in pursuance thereof, we are of opinion that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For Jatin Gupta & Associates Company Secretaries

Standards, etc. mentioned above.

JATIN

Digitally signed by JATIN GUPTA Date: 2023.05.29

11:29:22 +05'30'

Jatin Gupta FCS, LL.b

CP. No. 5236

M.No.: F 56511-.:5651

Date:29.05.2023 Place:Delhi

UDIN: F005651E000413718

Peer Review Unique Identification Number: \$2003DE063000



Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

Note: This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as "Annexure A" and forms an integral part of this report. This Report is limited to the Statutory Compliances on laws / regulations / guidelines listed in our report of which, the due date has been ended/expired on or before 31st March, 2023 i.e pertaining to Financial Year 2022-23.

JATIN Digitally signed by JATIN GUPTA Date: 2023.05.29 11:29:36 +05'30'



Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

Annexure-'A'

To.

The Members

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) New Delhi

Our report of even date and confirmation from concerned relevant departmental head, if any, is to be read alongwith this letter:

- a. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on such secretarial records and its adequacy based on our audit.
- b. We have followed the audit practices and process and obtained and relied on the confirmation from concerned departmental head, as we considered appropriate to obtain reasonable assurance on the correctness and completeness of the records. Our verification was conducted on a test basis and wherever required detailed basis so as to ensure that all entries/returns etc. have been made as per statutory requirements; we believe that the processes and practices we followed for this purpose provided a reasonable basis for our opinion.
- c. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Company and members are urged to rely upon Statutory Auditors report on same (as and when issued).
- d. Wherever required, we have obtained the management representation with respect to applicability & compliance of laws, rules and regulations and of significant events during the year.
- e. The compliance of provisions of corporate and other applicable laws, rules and regulations, and standards is the responsibility of the management. Our examination was limited to the verification of secretarial and other records to the extent applicable to the Company.

JATIN Digitally signed by JATIN GUPTA Date:
2023.05.29
11:29:52 +05'30'



Office: 109, First Floor, Rishabh Ipex Mall, I P Extension, Pat Par Ganj, Delhi 110 092 (Opp: MAX Hospital)
Tel: +91-11- 45104789; E-Mail:jatinfcs@gmail.com

- f. The Secretarial audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
- g. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

For Jatin Gupta & Associates Company Secretaries

JATIN Digitally signed by JATIN GUPTA
Date: 2023.05.29
11:30:13 +05'30'

Jatin Gupta FCS,LL.b CP. No. 5236

M.No.F-5651 Date:29.05.2023 Place:Delhi

UDIN: F005651E000413718

Peer Review Unique Identification Number: \$2003DE063000

Form No. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31st March, 2023

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I	REGISTRATION & OTHER DETA	AILS
i)	CIN	U45400DL2008PLC172316
ii)	Registration Date	07th January, 2008
iii)	Name of the Company	National Industrial Corridor Development Corporation
		Limited (formerly known as "Delhi Mumbai Industrial Corridor
		Development Corporation Limited")
iv)	Category/Sub-category of the	Company Limited by shares/Indian Non-Government
	Company	Company
v)	Address of the Registered office &	08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place,
	contact details	New Delhi -110001
vi)	Whether listed company	No
	(Yes/No)	
vii)	Name, Address & contact details	NSDL Database Management Limited
	of the Registrar & Transfer Agent,	
	if any.	04th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound,
		Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400013

II All t	PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY he business activities contributing 10% or more of the total turn	over of the compa	any shall be stated
	Name & Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones /townships/other projects with state-of-art industrial, physical and social infrastructure.	42909 (other civil engineering Project n.e.c.)	100%

III	PARTICULARS OF HOLDING, SUBSID	IARY & ASSOCI	ATE COMPA	NIES	
S. No.	Name & Address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of Shares Held	Applicable Section
1.	NICDC Neemrana Solar Power Limited (Formerly "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited") 08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001	U40300DL2014 PLC266439	Subsidiary	100%	2(87)(ii)

i. Category-wise	Share Holdi	ng							
Category of	No. of Shar	res held a	et the beginn	ing of	No. of Shar	res held at	the end of the	year	% Chan ge
Shareholders	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	durin g the year
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual / HUF	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Central Govt.	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
c) State Govt(s)	0	0	0	0.00	0	0	- 0	0.00	0.00
d) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
f) Others (Trusts)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (A)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
(2) Foreign		· · · · · · · · ·							
a) NRIs – Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Other - Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Any other	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (A)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Total shareholding of	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00

Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)									
3. Public Shareh	olding								
1. Institutions	-	-							
							1		
a) Mutual Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Bank / FI	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
c) Central Govt	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) State Govt(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
f) Insurance Companies	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
g) FIIs	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i) Others Foreign Holdings (FIIs/FCs/FFI s/NRIs/ OCBs)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
Sub-total (B)(1)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2.Non - Institu	tions					,			
a) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0
b) Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0
i. Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0

Grand Total (A+B+C)	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	0.00
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
Sub-total (B)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iv. Trusts	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iii. Foreign Company	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. Non Residents	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c) Others : i. Clearing Members	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

(ii)	Share Holding of Promoters							STEELEN V
S. No.		Shareholding at the beginning of the year		Shareholding at the end of the year			% change in	
		Shareholders Name	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares
1,	President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry &	4,89,99,998		æ	4,89,99,998		-	

	Internal Trade							NIL
	(DPIIT), Ministry							
	of Commerce &		-	-				
- 12	Industry			ð		2		
	Shri Rajeev Singh		49%			49%		
	Thakur, IAS,							
	Additional							
	Secretary,							NIIT
	Department for	01			01		•	NIL
	Promotion of	01			01			
	Industry &							
	Internal Trade							
	(DPIIT), Ministry							
	of Commerce &							1
	Industry							
	Representative of							
	President of India							
	represented							
	through Joint			24				NIL
	Secretary,	0.1		-	01		Y 1	212
	Department for	01			01			
	Promotion of							
	Industry &							
	Internal Trade							
	(DPIIT), Ministry							
	of Commerce and							
	Industry				L			

(iii) S. No.	Change in Promoters' Shareho Shareholders Name	Shareholdi	ng at the beginning f the Year	Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company

S. No.	ADRs) Shareholders Name	Shareholding of beginning of		Shareholding at the end of the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1.	Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	2,60,00,000	26.00%	2,60,00,000	26.00%
2.	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	1,99,00,000	19.90%	1,99,00,000	19.90%
	India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)	40,99,998		40,99,998	
3.	IIFCL jointly with Shri P.R. Jaishankar	01	4.10%	01	4.10%
	IIFCL jointly with Shri Rajeev Mukhija	01		01	
4.	Life Insurance Corporation of India (LIC)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%

For Each of the Directors & KMP			Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the Company	No of shares	% of total shares of the Company
	Shareholding of Directors & KMP For Each of the Directors & KMP	For Each of the Directors & KMP Shareholding th	For Each of the Directors & KMP Shareholding at the beginning of the year No. of shares % of total shares	For Each of the Directors & KMP Shareholding at the beginning of the year No. of shares % of total shares No of

V	INDEBTEDNESS Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment						
S.	Indebtedness of the Company includ	ing interest outstand	ling/accrued but r	not due for pay			
No.		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness		
1	Indebtedness at the beginning of the financial year	-	r.e.		•		
	i) Principal Amount	-	041	-			
	ii) Interest due but not paid	-	-	=			
	iii) Interest accrued but not due						
	Total (i+ii+iii)	-	-	-			
2	Change in Indebtedness during the financial year	(4					
	Additions		-	-			
	Reduction	15	-	a			
3	Net Change		-	-			
4	Indebtedness at the end of the financial year	-		•			
	i) Principal Amount	-	340	*			
	ii) Interest due but not paid	-					
	iii) Interest accrued but not due	-	=:				
Total	(i+ii+iii)	-		-	E.		

VI	REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL							
A.	Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:							
S.	Particulars of Remuneration	Name	Total Amount					
No.		Shri Amrit Lal Meena, CEO & MD (01.04.2022- 21.10.2022)	Shri Rajeev Singh Thakur, CEO & MD (03.11.2022 - 15.12.2022)	Shri Sumita Dawra, CEO & MD (15.12.2022- 31.03.2023)	(Rs)			
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961.	-	5	Ē	-			
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961-	828	· ·	-				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961		-	2	*			
2	Stock option	*		=.				

3	Sweat Equity			-	-
4	Commission				: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::
	as % of profit		344		
	others (specify)	·		-	*
5	Others, please specify	-		-	
	Total (A)	-			<u> </u>
	Ceiling as per the Act			.=	-

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total
1	Fee for attending board/ committee meetings to Independent Directors	Nil	
1,	Commission		
	Others, please specify		
Total (1)	Other Non-Executive Directors		
2	Fee for attending board/ committee meetings Commission	Nil	
	Others, please specify		
Total (2)		Nil	
- Γotal (B):	= (1)+(2)	1411	
Γotal (A-	+B)		

C. S.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD				
No.	Gross Salary	ross Salary Shri Abhishek Chaudhary (Company Secretary)		Total Amount		
1	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.	72,22,372	75,00,762	1,47,23,134		
	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	11,73,805	8,47,492	20,21,297		
	Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	2	-/	•		
2	Stock Option			75		
3	Sweat Equity		2 1			
4	Commission as % of profit		-	1.5		
	others, specify		*	(¥		
5	Others, please specify (Leave Encashment)		·	-		
Tota	I	83,96,177	83,48,254	1,67,44,431		

VII	PENALTIES/PUN	NISHMENT/COM	MPOUNDING OF OF	FENCE:		
S. No	Туре	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority (RD/NCLT/ Court)	Appeal made if any (give details)
A.	COMPANY					
	Penalty					
	Punishment			NONE		
	Compounding					
В.	DIRECTORS					
	Penalty		NONE			
	Punishment					
	Compounding					
C.	OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
	Penalty	NONE				
	Punishment					
	Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors

(Rajesh Kumar Singh) Chairman

26, New Moti Bagh, Chanakya Puri,

New Delhi- 110021

Date: 29/05/2023 Place: New Delhi

C&AG REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, **NEW DELHI-110 002**

संख्याः एएमजी-III/6(5)/ वार्षिक खाता/ NICDCL (2022-23)/2023-24/ 149

0 6 .1111 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक एन.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड,

08 वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली -110001

विषय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रुस रा पड

(एस. आह्लादिनी पंडा) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य) नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : +91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, E-mail : pdaica@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT

CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation

Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework

prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the

Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under

Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under

section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing

prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their

Audit Report dated 29 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the

supplementary audit of the financial statements of National Industrial Corridor Development

Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)

Principal Director of Audit (Industry & Corporate Affairs)

New Delhi

Place: New Delhi

Date 06/07/2023

208

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

S. P. CHOPRA & CO.

Chartered Accountants

Corporate Office 1505, Astralis Supernova Sector-94, Gautam Buddha Nagar Noida – 201 301 Phone 0120 - 4516921 www.spchopra.in spc1949@spchopra.in

Compliance Certificate

We have conducted the audit of accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the directions/ sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 and certify that we have complied with all the directions/ sub-directions issued to us.

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> Ankur Goyal Partner Membership No.099143

CHOPRA & CO

Place: New Delhi

Dated: 29 May 2023

S. P. CHOPRA & CO.

Chartered Accountants

Corporate Office 1505, Astralis Supernova Sector-94, Gautam Buddha Nagar Noida – 201 301 Phone 0120 - 4516921 www.spchopra.in spc1949@spchopra.in

Independent Auditor's Report To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Report on the audit of the standalone financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the standalone Balance Sheet as at 31 March 2023, and the standalone Statement of Profit and Loss and the standalone Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the standalone financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at 31 March 2023 and its loss, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements' section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.

Information other than the standalone financial statements and auditor's report thereon

The company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the report of board of directors, including annexures, but does not include the standalone financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of audit, or otherwise appears to be materially misstated.



:2:

When we read the report of the board of directors, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of the management and those charged with governance for the standalone financial statements

The company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards notified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, as amended from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the board of directors is responsible for assessing the company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless board of directors either intends to liquidate the company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The board of directors is also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements,
 whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
 and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The
 risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting
 from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or
 the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.



- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other legal and regulatory requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in Annexure -'A', a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
- We also enclose our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information directions given to us by the management, in Annexure 'B', on the directions and subdirections issued by Comptroller and Auditor General of India.
- As required by section 143(3) of the Act, we report that:
 - we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
 - b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books;
 - the standalone balance sheet, the standalone statement of profit and loss and the standalone statement of cash flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;
 - d) in our opinion, the standalone financial statements comply with the accounting standards notified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, as amended from time to time;



- on the basis of written representation received from the directors as at 31 March 2023 and taken on record by the board of directors, none of the directors are disqualified as at 31 March 2023 from being appointed as a director, in terms of sub section (2) of section 164 of the Act;
- f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **Annexure 'C'**;
- g) the remuneration paid by the company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, read with schedule V of the Act; and
- h) with respect to the other matters to be included in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements – Refer note 24 to the standalone financial statements;
 - The company has not entered into any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company.
 - (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement; and



: 5 :

v) No dividend was declared or paid during the year; hence, the said clause is not applicable.

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

Place: New Delhi Dated: 29 May 2023 Ankur Goyal Partner Membership No. 099143 UDIN 23099143BGPMVX3586



Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph '1' under 'Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023)

Based on the audit procedures performed for the purpose of reporting a true and fair view on the standalone financial statements of the company and taking into consideration the information and explanations given to us and the books of account and other records examined by us in the normal course of audit, and to the best of our knowledge and belief, we report that:

- (i) In respect of its property, plant and equipment;
 - (A) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment.
 - (B) The company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of intangible assets.
 - b. As explained to us, the property, plant and equipment are physically verified by the management every year, which in our opinion is reasonable, having regard to the size of the company and nature of its property, plant and equipment. No material discrepancies were noticed on such physical verification.
 - c. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company does not hold any immovable property hence the reporting under this clause is not applicable.
 - d. The company has not revalued any of its property, plant and equipment and intangible assets during the year.
 - e. According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the company as at 31 March 2023 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder, as amended.
 - (ii) (a) As explained to us, the company does not hold any inventory hence reporting under this clause is not applicable.
 - (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not been sanctioned the working capital limit in excess of ₹ 5 crores, in aggregate at any point of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, hence reporting under this clause is not applicable.
 - (iii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties during the year, hence reporting under clauses 3(iii)(a) to 3(iii)(f) of the Order is not applicable.
 - (iv) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not entered into any transactions in respect of loans, investments, guarantees, and security covered under section 185 and 186 of the Act hence this reporting under clause is not applicable.
 Contd..p/2



- (v) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder to the extent notified, hence reporting under this clause is not applicable.
- (vi) Pursuant to the rules made by the Central Government of India, the company is not required to maintain cost records as specified under sub-section (1) of section 148 of the Act, hence reporting under this clause is not applicable.
- (vii) In respect of statutory dues:
 - a. According to the information and explanations given to us and the records of the company examined by us, in our opinion, the undisputed statutory dues including provident fund, employee state insurance, income-tax, goods and service tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and other statutory dues, as applicable have generally been regularly deposited with the appropriate authorities and no undisputed amounts payable in respect of aforesaid dues are outstanding as at 31 March 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - b. The disputed statutory dues aggregating to ₹ 90.44 lakhs have been withheld/ demand raised by the department against the disallowances/ additions etc. against which company has filed appeal before appropriate authorities as under:

Sr. No.	Name of Statue	Nature of dues	Forum where dispute is pending	Period to which amount disputes relates	Amount (₹ in lakhs)
1	Income	Income-tax on	CIT (Appeals)	AY 2017-18	5.79
2	Tax Act,	completion of		AY 2018-19	17.47
3	1961	assessment		AY 2021-22	67.18
				Total	90.44

- (viii) According to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).
- (ix) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not taken loans and borrowings from the financial institution, bank, government or dues to debenture holders hence the reporting under clauses 3(ix)(a) to 3(ix)(f) are not applicable.
- (x) (a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has neither raised funds by way of initial public offer nor further public offer (including debt instruments) during the year hence reporting under this clause is not applicable.
 - (b) The company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year, hence reporting under this clause is not applicable.
- (xi) (a) Based on the audit procedures and according to the information and explanations given to us, no fraud by the company or no material fraud on the company has been noticed or reported during the year.



- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, no whistle blower complaint was received by the company during the year.
- (xii) The company is not a Nidhi company hence reporting under clause 3(xii)(a) to 3(xii)(c) is not applicable.
- (xiii) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of the Act, where applicable. The details of such transactions have been disclosed in the standalone financial statements as required by AS 18 Related Party Disclosures.
- (xiv) (a) In our opinion, the company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
 - (b) We have considered the internal audit reports for the year under audit, issued to the company during the year, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- (xv) According to the information and explanation given to us, the company has not entered into any non-cash transactions with its directors or person connected with them.
- (xvi) (a), (b) and (c) According to the information and explanation given to us, the company does not undertake any activity which requires the company to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934, hence, reporting under clauses 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
 - (d) In our opinion, there is no Core Investment Company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- (xvii) The company has incurred the cash loss of ₹ 566.49 lakhs during the financial year covered under our audit and no cash loss was incurred in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the company during the year.
- (xix) On the basis of the financial ratios {as given in note 29(vi)}, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the standalone financial statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.



Place: New Delhi

Dated: 29 May 2023

: 4:

- (xx) (a) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR), in respect of other than ongoing projects, requiring a transfer to a Fund specified in Schedule VII to the Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act.
 - (b) There are no unspent amounts towards Corporate Social Responsibility (CSR), pursuant to any ongoing projects under sub-section (5) of Section 135 of the Act, requiring a transfer to a special account in compliance with the provision of sub-section (6) of section 135 of the said Act.
- (xxi) The company has a wholly owned subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited which has been included in the consolidated financial statements. However, there is no qualification or adverse remarks in the Companies (Auditor's Report) Order (CARO) report for the year ended 31 March 2023 by the auditor of the said company.

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> Anker Goyal Partner

Membership No. 099143 UDIN 23099143BGPMVX3586

CHECKSON

Annexure - 'B' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 2 under `Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023)

Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 in respect of annual accounts of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year 2022-23.

Sr. No.	Directions/ Sub Directions	Auditor's Responses	Action taken thereon by management	Impact on standalone financial statements
Α	Directions			
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on audit procedures and according to the information and explanations given to us, the company has a system in place to process material accounting transactions through IT system in 'Tally ERP Edit Log' accounting software. Accordingly, there are no implications on the integrity of the accounts.	No action is required	No Impact
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable from statutory auditors of lender company).	According to information and explanations given to us, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.	No action is required	No Impact



Place: New Delhi

Dated: 29 May 2023

: 2:

B Sub-Directions	3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State governments or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	(GoI) approved setting up	No action is required	No Impact
	В	Sub-Directions NIL			

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> Ankur Goyal Partner

Membership No. 099143 UDIN 23099143BGPMVX3586



S. P. CHOPRA & CO.

Annexure 'C' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 3(f) under `Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023)

Report on the internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of 'National Industrial Corridor Development Corporation Limited' ("the Company") as at 31 March 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the company for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The board of directors of the company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the 'Guidance Note') and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial controls system with reference to standalone financial statements.



:2:

Meaning of internal financial controls with reference to standalone financial statements

A company's internal financial control with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls with reference to standalone financial statements were operating effectively as at 31 March 2023, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on 'Audit of internal financial controls over financial reporting' issued by the 'Institute of Chartered Accountants of India'.

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> Ankur Goyal Partner

Membership No. 099143 UDIN 23099143BGPMVX3586

Place: New Delhi Date: 29 May 2023

FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Balance Sheet as at 31st March, 2023

Particulars		As a 31st March (₹ in lak	ch, 2023 31st March, 20		n, 2022
equity and Liabilities					
Shareholders' funds					
(a) Share capital	3	10,000.00		10,000.00	77.045.40
(b) Reserves and surplus	4	63,360,91	73,360.91	67,045.49	77,045.49
Non-current liabilities					440.00
(a) Long-term provisions	5		146.25		118.83
Current liabilities					
(a) Trade payables	6				
(i) Total outstanding dues of micro				20.40	
enterprises and small enterprises (ii) Total outstanding dues of creditors		ž		32.42	
other than micro enterprises and		4 070 70		2.137.88	
small enterprises	_	1,876.76		2,137.00 301.18	
(b) Other current liabilities	7 8	180.09	2,071,48	11.16	2,482.64
(c) Short-term provisions	8 :	14.63	2,071.40	11,10	2,402.0
Total		<u> </u>	75,578.64	<u></u>	79,646.96
Assets					
Non-current assets					
(a) Property, plant and equipment and Intangible ass	ets			457.40	
(i) Property, plant and equipment	9	133.50		157.10 15.93	
(ii) Intangible assets		11.11		1,300.00	
(b) Non-current investments	10	1,300.00 72.65		63.57	
(c) Deferred tax assets (net)	11	1.69		5.29	
(d) Long-term loans and advances	12 13	56,789.49	58,308.44	61,073.98	62,615.87
(e) Other non-current assets	13	56,769.49	36,300.44	01,070,00	02,010.01
Current assets	44	267 50		132.50	
(a) Trade receivables	14	267.50		16,228.79	
(b) Cash and bank balances	15 16	13,730.74 56.30		38.81	
(c) Short-term loans and advances	16 17	3,215.66	17,270.20		17,031.09
(d) Other current assets	17 (3,213.00	17,270.20	030.33	17,001.00
Total		-	75,578.64		79,646.96
Significant Accounting Policies	2				
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements	3-35				

As per our Report of even date attached

For S. P. Chopra & Co.

Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal)

Partner

(Membership No. 099143)

UDIN:- 23099143BGPMVX 3586 Place: New Delhi

Date: 29th May, 2023

For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra)

CEO & Managing Director

(DIN: 01005516)

(P.K. Agarwal)

Chief Financial Officer

(Rajeev Singh Thakur)

Director

(DIN: 02631653)

(Abhishek Chaudhary)

- Corporate Affairs, HR & Company Secretary

CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2023

Particulars	Note	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Income		204.00	1,657,32
Revenue from operations	18	621.66 706.77	625.23
Other Income	19	716,77	625.25
Total Income		1,328.43	2,282.55
Expenses		005.05	877.97
Employee benefits expense	20	865.05 47.26	74.16
Depreciation and amortization expense	21 22	1,030,15	817.24
Other expenses	22	1,030.13	011.24
Total Expenses		1,942.46	1,769.37
Profit/(Loss) before tax		(614.03)	513.18
Tax expense			
Current tax		2.63	173.40
Earlier year		0.06	8.21
Deferred tax		(9.08)	(28.50
Profit/(Loss) for the year		(605.01)	360.07
Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- per share)	23		
Dania ang ang abara (F)		(0.61)	0.36
Basic earnings per share (₹) Diluted earnings per share (₹)		(0.61)	0.36
Diluted earthings per share (1)		.	
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements	3-35		

As per our Report of even date attached For S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> (Ankur Goyal) Partner (Membership No. 099143)

UNN-23099143B GPMVX3586

Place: New Delhi Date: 29th May,2023 For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra)
CEO & Managing Director
(DIN: 01005516)

(5/14 : 01000010)

(P.K. Agarwal) Chief Financial Officer (Rajeev Singh Thakur) Director (DIN: 02631653)

(Abhishek Chaudhary)
/P - Corporate Affairs + FR &
Company Secretary

CIN: U45400DL2008PLC172316

Standalone Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023

Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Cash flow from operating activities:		
Profit/(Loss) before tax	(614_03)	513,1
Adjustments for:		
Depreciation and amortization expense	47,26	74_1
Loss on sale of property, plant and equipment	0.28	0.9
Property, plant and equipment written off		0.2
Interest income	(614.20)	(513.8
Operating profit before working capital changes	(1,180.69)	74.
Adjustments for :		
(Increase)/ Decrease in trade receivables	(135.00)	5,0
(Increase)/ Decrease in other receivables	17,17	43.:
Increase/ (Decrease) in trade payables	(293.54)	101.
Increase/ (Decrease) in other payables	(90.20)	(17.4
Cash generated from/ (used in) operating activities	(1,682.26)	207.
Cash generated from (used in) operating activities	(1,000.20)	
Taxes paid (net of refunds)	32.02	(311.
Net cash from/ (used in) operating activities	(1,650.24)	(103.
Cash flow from investing activities:		
Funds received for project development expenses	1.00	5,000.
Interest earned on funds received for project development expense	88.66	98.
Utilisation of funds received for project development expenses	(1,398.44)	(4,124.
(net of recovery)		10.
Funds received for swachhta action plan	1.00	(10.
Utilisation of funds received for swachhta action plan	(1.00)	(23.
(Purchase) of property, plant and equipment and intangible assets	(19.31)	(23.
Sale of property, plant and equipment	0.18	397.
(Increase)/ Decrease in deposits with banks	597.00	
Interest income	480.10	578.
Net cash from/ (used in) investing activities	(250.81)	1,926.
Cash flow from financing activities:	*	3
Net cash from/ (used in) financing activities		
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents	(1,901.05)	1,823.
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	15,631,79	13,808.
	13,730.74	15,631.
Cash and cash equivalents at the end of the year	10,100.74	
Components of cash and cash equivalents:	0.07	0.
Cash on hand	5.10	4.
Balances with bank in current accounts	13.725.57	15,627.
Balances with bank in term deposits	13,725.57	15,631.
Significant Accounting Policies 2		
Notes to accounts attached form an integral part of the standalone financial statements 3-35		

As per our Report of even date attached For S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal) Partner (Membership No. 099143)

UDIN: - 23099/43 BGPMVX 3586
Place: New Delhi
Date: 29th May, 2023

For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra) CEO & Managing Director (DIN: 01005516)

(P.K. Agarwal)

(Rajeev Singh Thakur) Director (DIN: 02631653)

(Abhishek Chaudhary) VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Note 1: Company Information

The Government of India (Gol) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial/manufacturing development. Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project.

During September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2016, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work till Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place, in view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India during December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) under the industrial corridor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi modal connectivity.

Note 2: Significant Accounting Policies

2.1 Basis for preparation of standalone financial statements

The accompanying standalone financial statements of the Company have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis, as a going concern, in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (IGAAP), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Company is an enterprise under Small and Medium Sized Company (SMC) as defined in the General Instructions in respect of Accounting Standards notified under the Companies Act, 2013. Accordingly, the Company has complied with the Accounting Standards as applicable to a Small and Medium Sized Company.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle. Based on the nature of services and time between rendering of services and their realisation in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current or non-current classification of assets and liabilities.

2,2 Use of estimates

The preparation of standalone financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles ('GAAP') in India requires management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of standalone financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Although such estimates and assumptions are made on a reasonable and prudent basis taking into account all available information, actual results could differ from these estimates and assumptions and such differences are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

2.3 Property, plant and equipment

- i) Property, Plant and Equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any,
- ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period up to the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.
- iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
- iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. Repairs & maintenance costs are recognized in the statement of profit and loss as and when incurred.
- v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the standalone statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

vi) Depreciation on property, plant and equipment except for leasehold improvements, is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value, However, if the management's estimate of the useful life of the asset is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful/ remaining life, The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

Assets	Useful Life (in years)
Furniture and fixtures	10
Office equipment	5
Electrical installations and equipment	10
Computers - End user devices such as desktops, laptops etc.	3
Computers - Servers and networks	6

- vii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition,
- vili) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful fife of the asset. Depreciation on sale/ discard/ destroy/ demolish of assets is charged upto the date of sale/ retrial of assets, as the case may be,
- ix) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end
- x) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable
- xi) The cost of leasehold improvement is amortised on straight line basis over the period of lease,
- xii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work in progress.
- xiii) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.

2.4 Intangible assets

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the standalone statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/ implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

2.5 Impairment of assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal/ external factors, the impairment loss is recognized. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/ reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the assets' net selling price and value in use.

2.6 Grant-in-aid

2.6.1 Project Development Fund (PDF)

Government of India (Gol) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial comdor projects for which the Company receives grant-in-aid from Govt. of India through National Industrial Comdor Development and Implementation Trust (NICDIT) to be used as a revolving fund which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT, the amount is reduced in the year of refund from that reserve.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance. Further, project development expenses (PDE) incurred on project development/ preparatory activities of various industrial comidors out of the fund are treated as under:

- a) Expense related to subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the Shareholders' Agreement are shown as recoverable from the concerned subsidiaries/ SPVs and disclosed under 'Other non-current assets';
- b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). I Nodal Agency(ies) does not provide for recovery, are reduced from the 'Project Development Funds' balance held under 'Capital reserves'; and
- c) Expense relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the Shareholders' Agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CCEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Other non-current assets",





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

2.6.2 Project Implementation Fund (PIF)

Government of India approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) is disclosed as capital reserve under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT, the amount is reduced in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance,

2.6.3 Swachhta Action Plan Fund (SAP)

Government of India approved setting up of a Swachhta Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhta Action Plan for which the grant-in-aid is received from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and is disclosed as capital reserve under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT from the fund, the amount is reduced in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund balance.

Investments

Investments in subsidiaries are primarily meant to be held over long term period and are valued at cost less accumulated impairment losses, if any. Cost includes the acquisition cost and other incidental cost incurred for its acquisition. Provision is made in case there is a decline, other than temporary, in the carrying value of such investments, indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investments.

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price.

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the Statement of Profit and Loss

Revenue Recognition

- Revenue from provision of services rendered by the Company is recognised on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognised as follows:
 - (i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognised to the maximum limit of ₹ 2,000 lakhs in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 26th July 2016.
 - (ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognized to a minimum of ₹ 500 lakhs and maximum of ₹ 1,000 lakhs per annum on pro-rata basis for an initial period of 10 years as stipulated In MOU executed with
- Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest. b)
- Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date.

29

Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vests with the lessor, are recognized as an operating lease, Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss on accrual basis,

Foreign currency transactions 2 10

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date, Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the standalone statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes, Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized in which the exchange rates changes, Any profit or loss arising on cancellation or renewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

2.11 **Employee benefits**

Short term benefits:

These are recognized as an expense in the standalone statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the government employees, on deputation to the company, which is accounted as per the prescribed rules of central government.

bì Defined contribution plan:

The company's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, National Pension Scheme (NPS) and Post Superannuation Medical Benefits (PSMB) are recognized as an expense in the year in which the employee renders services.

Defined benefit plan: c)

Company's liability towards gratuity and leave encashment is determined by independent actuary, at the year-end using the projected unit credit method. Actuarial gains or losses as determined by the actuary are recognized in the standalone statement of profit and loss during the year in which actuarial valuation is done.





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

2.12 Segment reporting

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the company's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the company's "chief operating decision maker" or "CODM" within the meaning of AS 17. The company has only one reporting segment of providing services as a knowledge partner for implementation of various industrial corridors and project(s) as approved by Gol.

2.13 Taxes on income

- a) Tax expense comprises both current tax and deferred tax.
- b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.
- c) Deferred tax liability/ asset resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date, Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized, Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.
- d) Minimum alternate tax (MAT) is charged to the standalone statement of profit and loss as current tax during the year in which it is paid. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward. The company recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the standalone statement of profit and loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The company reviews the "MAT credit entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

2.14 Earnings per share

The Company reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning Per Share".

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive.

2.15 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made, Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

2.16 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Fixed Deposits kept in sweep -in facility are readily convertible to cash, hence are covered under Cash and Cash Equivalents

2.17 Cash Flow Statements

The cash flow statement is prepared by the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the company.

Cash and cash equivalents presented in the standalone cash flow statement consist of cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents.

The transactions pertaining to project development funds and related income / expenses are being long term in nature, hence these are considered as investing activities.





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars	As at 31st March, 2023 {₹ in lakhs}	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 3: Share capital		
Authorised 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000,00 10,000.00
Issued, subscribed and fully paid up 10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000_00	10,000,00
Total	10,000,00	10,000,00

3.1 Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

	As at 31st M	farch, 2023	As at 31st	March, 2022
	No. of shares	(₹ in lakhs)	No. of shares	(₹ in lakhs)
Balance at the beginning of the year	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00
Add: Shares issued during the year	2	¥5		3.6
Balance at the end of the year	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00

3.2 Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The Company may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

3.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

	As at 31st I	March, 2023	As at 31st	March, 2022
	No. of shares	% of Holding	No. of shares	% of Holding
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees)	4,90,00,000	49_00	4,90,00,000	49.00
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	2,60,00,000	26,00	2,60,00,000	26,00
Housing and Urban Development Corporation Limited	1,99,00,000	19.90	1,99,00,000	19,90

As per the records of the company, including its register of Shareholders / Members and other declarations, if any, received from Shareholders regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownership of shares.

The Company has neither issued bonus shares nor issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

3.5 Shareholding of Promoters

Shares held by promoters at the end of	the year		% Change
Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	during the year
President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	4,89,99,998	49%	NIL
Shri Rajeev Singh Thakur, IAS,(Previous Year:Shri Shailendra Singh, IAS) Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry,	1		
Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry	1		
Total	4,90,00,000		





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

	Particulars		As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 4: Res	serves and surplus				
(a.)	Capital reserves - Grant-in-aid received for: (Refer note 2,6)				
	(i) Project development fund As per last balance sheet Add: Grant-in-aid received during the year	73,020.27 1,00	73,021,27	68,020.27 5,000.00	73,020.27
	Add: Interest etc. earned on project development fund As per last balance sheet Interest on term deposits and tax refunds during the year	3,351.19 76,62	3,427,81	3,225,78 125,41	3,351,19
	(Less): Project development expenses, to the extent not recoverable As per last balance sheet Expenses incurred during the year	(14,509.19) (3,157.19)	(17,666.38) (30.87)	(4,035.14) (10,474.05)	(14,509.19) (30.87)
	(Less): Tax impact on Income earned on project development fund (i)	2	58,751.83	-	61,831.40
	(ii) Project implementation fund As per last balance sheet (Refer note 10.1)		1,300.00		1,300.00
	(ii)		1,300.00	-	1,300.00
	(iii) Swachhta Action Plan As per last balance sheet* Grant-in-aid received during the year Add: Interest on term deposits during the year* (Less): Expenses incurred during the year (iii)*		0.00 1.00 - (1.00)	į	0.00 10.00 (10.00) 0.00
	Sub-total		60,051.83		63,131.40
(b.)	Surplus As per last balance sheet Add: Profit/(Loss) for the year	3,914.09 (605.01)	3,309.08	3,554,02 360.07	3,914.09
	Total		63,360.91		67,045.49

^{*} Amount is less than ₹1,000/-

(This space has been intentionally left blank)





Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 5 : Long-term provisions		
Provision for employee benefits - Gratuity (Refer note 25) - Leave encashment (Refer note 25)	78.16 68.09	68.56 50.27
Total	146.25	118.83
Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 6 : Trade payables		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 6.1)	=	32.42
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	1,876,76	2,137.88
Total	1,876.76	2,170.30

6.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Company.

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ iπ lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered under MSMED Act at the end of the year		
- Principal	-	32.42
- Interest	•	7.5.
 ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year 	¥	Xe.
iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act 2006	-	
iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and	5 ¥ €	
v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006	3)	÷





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

6.2 Trade payables ageing

Provision for employee benefits - Gratuity (Refer note 25)

- Leave encashment (Refer note 25)

Total

As at 31st March, 2023					(₹ in lakhs)
	Outstand	ing from due date o	of payment/ transac	ction*	Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME		10#0		5 7 .	5
(ii) Others	662.27	325.35	700.60	188.54	1,876.76
(iii) Disputed dues- MSME	191	15	-	7	ž.
(iv) Disputed dues- Others	542	120		395	
Total	662.27	325.35	700.60	188.54	1,876.76

As at 31st March, 2022					(₹ in lakhs)
	Outstand	ing from due date o	of payment/ transac	ction*	Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	10101
(i) MSME	32.42		-	•	32.42
(ii) Others	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) Disputed dues- MSME	0.50	E .	15/1	•	· ·
(iv) Disputed dues- Others	:e:		538		
Total	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170.30

^{*} The above ageing has been prepared by the management based on date of transactions. The above amount has not fallen due for payment at the date of financial statements since the milestone of payment has not been achieved/non-receipt of certificate for completion of work/amount retained due to non-submission of performance security towards defect liability period/non-receipt of approval from respective state governments etc.

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ în lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
lote 7 : Other current liabilities		
Statutory liabilities	98.59	152.11
Accrued expenses	18.81	13.81
Creditors for expenses	43.98	16.24
Employee related payable	16.46	49.02
Bid security	2.25	70.00
Total	180.09	301.18
	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)

7.63

7.00





6.19

4.97

14.63

14.63

11.16

11.16

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Note 9: Property, plant and equipment and Intangible assets

		Gross	Gross block		ă	epreciation	Depreciation/ Amortization	_	Net b	Net block
Particulars	As at 1st April, 2022	Additions during the year	Sales/ disposal/ adjustment s during the year	As at 31st March, 2023	As at 1st April, 2022	For the year	Sales/ disposal/ adjustments during the	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Furniture and fixtures	52.43	Ŷ	*	52.43	30.32	5.72	0	36.04	16.39	22.11
Office equipment	139.90	19.17	(9.55)	149.52	109.99	16.32	(80.6)	117.23	32.29	29.91
Electrical installations and equipment	13.02	ű	ï	13.02	6.81	1.61	•	8.42	4.60	6.21
Computer and data processing units	67.10	0.14	í	67.24	53.23	7.30	0	60.53	6.71	13.87
Leasehold Improvements (Office Renovation)	155.72	i	Ĭ.	155.72	70.72	11.49	Ď	82.21	73.51	85.00
Current year's total	428.17	19.31	(9.55)	437.93	271.07	42.44	(9.08)	304.43	133.50	157.10
Previous year's total	432.42	10.89	(15.14)	428.17	226.53	58.69	(14.15)	271.07	157.10	•
Intangible assets										
Computer software	97.56	ij.	Ñ.	97.56	81.63	4.82		86.45	11.11	15.93
Current year's total	97.56	•	•	92.56	81.63	4.82		86.45	11.11	15.93
Previous vear's total	85.28	12.28	100	97.56	66.16	15.47	•	81.63	15.93	٠

9.1) Pursuant to "AS28- Impairment of Asset" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standard) Rule 2006 for determining impairment in carrying amount, therefore, no provision for property, plant and equipment, the company has concluded that since recoverable amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount, therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the Company.

9.2) During the year, the company has not revalued any of its property, plant and equipment and intangible assets.

9.3) The company does not hold any immovable property,



त्रगम लिह

S KILLEN

National Industrial Corridor Development Corporation Limited CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars	As at 31st March, 2023 {₹ in lakhs}	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
Note 10: Non-current investments (Unquoted, at cost) Non-trade investment in 1,30,00,000 (Previous year: 1,30,00,000) fully paid-up equity shares of ₹10/- each of NICDC Neemrana Solar Power Limited , wholly owned subsidiary company out of project implementation fund.(Refer note 10.1)	1,300.00	1,300.00	
(Less) : Diminution in value of investments	•:		
Total	1,300.00	1,300.00	

10.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹1,300 lakhs was transferred to NICDC Limited by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited" towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited for the implementation of 6 MW model solar power project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd. The amount received from the Trust has been shown as Project Implementation Fund (PIF) under capital reserves in note 4.

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 11 : Deferred tax assets (net)		
Deferred tax assets: - Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax - Timing difference on account of expenses allowable on payment basis	27.17 45.48	26.16 37.41
Deferred tax liability Total	72.65	63.57

Deferred tax assets has been recognized during the current year, since it is capable of reversal in subsequent accounting periods.

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Ās at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 12 : Long-terms loans and advances		
(Unsecured, considered good)		
Staff advance	0.23	0.35
Prepaid expenses	1.46	4.94
Total	1.69	5.29

(This space has been intentionally left blank)





National Industrial Corridor Development Corporation Limited CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 13 : Other non-current assets		
(Unsecured, considered good) (a) Security Deposits	6.52	5.52
Project development expenditure (PDE) against project development fund		
(Relef flote 2.6.1)	2,958,62	10,914.90
As per last balance sheet Add: Expense incurred during the year [Net of bid processing fee of ₹ Nil	Z,000ldZ	1221
(Previous year: ₹ 30 lakhs)]	2,076.27	4,169.74
	5,034.89	15,084,64
(Less): Transferred to subsidiary/ SPVs, being recoverable	(349.18)	(1,651.97) (10,474.05)
(Less): Transferred to project development funds, not being recoverable	(3,157,19)	(10,474.05)
Sub-total	1,528.52	2,958.62
(c) Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note 2.6.1, 13.1 and 13.2)		
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad		04 405 40
Industrial Township Ltd.)	21,251.14	21,405,10 32,158.60
- Dholera Industrial City Development Limited	32,158.60	32,156.60
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	873,33 662.01	643.13
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	687.98	687.98
- DMIC Haryana MRTS Project Limited - DMIC Vikram Udyogpuri Limited	357,55	507.55
- DMIC Vikram Odyogpun Limited - DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	965.43	875.09
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	1,182.69	942.73
	57,781.18	58,109.84
Less: Amount recoverable within a year transferred		
to Other Current Assets (Refer note 17)	(2,526.73)	58,109,84
Sub-total	55,254.45_	
Total	56,789.49	61,073.98

^{13.1} National Industrial Comidor Development and Implementation Trust (NICDIT) in its 3rd meeting held on 6th March, 2018 had directed the Company to transfer the project development expenditure incurred by the Company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided as Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not yet been able to generate sufficient surplus funds hence the amount is shown as recoverable from SPVs at the year end till they start generating surplus.

13.2 Movement of project development expenditure recoverable from SPVs

As at	31st	March,	2023

Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)
24 405 40		(153.06)	21,251,14
	-	(133.50)	
32,158.60	-	-	32,158.60
889.66	-	(16.33)	873.33
643,13	18.88	-	662.01
687.98	-	-	687,98
507.55		(507.55)	-
875.09	90,34	-	965,43
942.73	239.96		1,182.69
58,109.84	349.18	(677.84)	57,781.18
	31st March, 2022 (₹ in lakhs) 21,405.10 32,158.60 889.66 643.13 687.98 507.55 875.09 942.73	31st March, 2022 (₹ in lakhs) 21,405.10 32,158.60 889.66 643.13 687.98 507.55 875.09 90.34 942.73 during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs) 21,405.10 21,405.10

As at 31st March, 2022

s at 31st March, 2022 SPV	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad			2	04 405 40
Industrial Township Ltd.)	20,262.02	1,143,08		21,405.10
- Dholera Industrial City Development Limited	31,783.68	420.10	(45.18)	32,158.60
- NICDC Haryana Global City Project Ltd	889.66	21		889.66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	548,60	94.53	37	643.13
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	2.5		687.98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	507.55	257		507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	880.83	(5.74)	35	875.09
NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	380		942.73
- NIODIT MISHIRAPARISM INDUSTRIC ON DEVElopment Climica	56.503.05	1,651.97	(45.18)	58,109.84





National Industrial Corridor Development Corporation Limited CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

13.3 Status of recovery of project development expenditure recoverable from SPVs

SPV

- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds, Industrial Township Ltd.)

- Dholera Industrial City Development Limited

- NICDC Haryana Global City Project Ltd.
- ∗NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited
- DMIC Haryana MRTS Project Limited
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited

The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds, The Board of the SPV in its meeting held on 3rd April,2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure, The same will be recovered in the FY 2023-24. The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds. The Board of the SPV in its meeting held on 3rd April,2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure, The same will be recovered in theFY 2023-24. The Board of the SPV in its meeting held on 26th April, 2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure. The same will be recovered in the FY 2023-24. The Construction work is yet to be initiated.

Remarks

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
Note 14 : Trade receivables (Unsecured, considered good)			
Other receivables - India International Convention and Exhibition Centre Limited (Enterprise over which KMP exercise significant influence)	267.50	132.50	
Total	267.50	132.50	

14₄1 Trade receivables ageing

As at 31st March 2023 (₹ in lakhs) Outstanding from due date of payment/ transactions* **Particulars** 2-3 years More than 3 years Total Less than 6 months 6 months - 1 year 1-2 years (i) Undisputed Trade Receivables 267.50 267.50 . considered good (ii) Undisputed Trade . Receivables - considered doubtful (iii) Disputed Trade Receivables considered good (iv) Disputed Trade Receivables onsidered doubtful 267.50 Total 267,50

		Out	standing from due date of	payment/ transaction	ens*	
Particulars	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade Receivables considered good	132.50				8	132.50
(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful	ŝ	%	¥	×		*
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good			*	٠		ā
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	(2)		2	ä	ia i	*
Total	132.50					132.50

^{*} The above ageing has been prepared by the Management based on date of transactions.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars		As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
ote 15 : Cash and bank balances					
Cash and cash equivalents					
Cash on hand		0.07		0.02	
Balances with banks in current accounts			2.29		
- Project Development Fund	3.02		0.00		
- Swachhta Action Plan*	2.08	5.10	2.15	4.44	
- Company Fund	2,00	3.10	2.10		
Balance with banks in term deposits (3 months & less)					
- Project Development Fund	1,131.47		2,262,28		
- Company Fund	12,594,10	13,725.5713	365.05	15,627.33	
Other bank balances Balance with banks in lerm deposits (More than 3 months till 12 months) - Project Development Fund				597.00	
Total	_	13,730.74	_	16,228.79	
* Amount less than ₹1,000/- There are no repatriation restrictions with regard to cash and cash equivalents at the	end of reporting and p	orevious year.			
Particulars		As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
ote 16 : Short-term loans and advances					
(Unsecured, considered good)		9.65		12.5	
Advance to vendors		3.63		0.1	
Staff advance		19,98		18.1	
Prepaid expenses		13.35		191	
Recoverable on account of apportionment of overheads from: (i) NICDC Neemrana Solar Power Limited	16.56		1.64		
(ii) India International Convention and Exhibition Centre Limited	6.48	23.04	6.36	8,0	
•	-	56.30		38.8	
Total	-	56.30	-	36.0	
		As at		As at	
Particulars		31st March, 2023 (₹ in lakhs)		31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
ote 17 : Other current assets					
Recoverable from SPV's (Refer note 13 and 13.3)		2,526,73		24	
Interest accrued on term deposits [includes on account of PDF of ₹ 22.49 lakhs	•	576.20		454.1	
(Previous year-₹ 34,54 lakhs)] Income tax refundable [Refer note 24(iii)]		23.47		51,9	
GST input		8.21		11,7	
Security Deposits		0.16		0.1	
Advance tax [Net of provision for taxation of ₹ Nil (Previous Year ₹ 181.75					
lakhs)]		80.89		112.9	
min is M					
Total	-	3,215.66		630.9	

(This space has been intentionally left blank)





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

	Year ended		Year ended
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)		31st March, 2022 (₹ in lakhs)
ote 18 : Revenue from operations			
Service fees as knowledge partner to (Refer note 2.8)			
National Industrial Corridor Development and	121.66		1,157.32
Implementation Trust (NICDIT) India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC)	500.00		500.00
Total	621.66		1,657.32
	Year ended		Year ended
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)		31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 19 : Other income			
Interest on term deposits on company funds	614.20		513.82
Interest on income tax refund	5.35		12.22
Apportionment of overheads from (Refer note 19.1): (i) India International Convention and Exhibition Centre Limited	72.00	72.00	
(ii) NICDC Neemrana Solar Power Limited	15.22 87.22	17,55	89.55
Miscellaneous income *	(0.00)		9.64
Total	706.77		625.23

^{*} Amount less than ₹1,000/-

^{19.1} Overhead cost towards office premises and other administrative support provided by the company is recovered from the respective company on proportionate basis, as per past practise.

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
Note 20: Employee benefits expense		4. 00000	
Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc.	689.43	763.85	
Contribution to provident and other funds	106,58	66.94	
Staff welfare expenses	69.04	47.18	
Total	865.05	877.97	

(This space has been intentionally left blank)





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars		Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 21: Depreciation and amortization expense				
Depreciation on property, plant and equipment Amortization of intangible assets		42.44 4.82		58.69 15.47
Total	9	47.26		74.16
Particulars		Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 22: Other expenses				
Rent (Refer note 22.1 and 28)		486.03		486.03
Payment to Auditors				
Audit fees	4.95		4.95	
Certification fees	0.05		0.05	
Out of Pocket Expenses	0.14		720	
Arrears		5.14	1.65	6.65 35.60
Advertisement and business promotion		163.02		35.60 18.58
Corporate social responsibility expense (Refer note 30)		18.04		5.50
Deployment lead expenses		5.07		9,47
Electricity		11.41		18.48
Housekeeping		25.19		9.00
Security		9.37		50.98
Professional and consultancy		45.87		8.55
Meeting and refreshment		19.79		38.54
Repair and maintenance - office		42.85		20.04
Repair and maintenance - computers		17.96		23.56
Printing and stationery		39.00 13.47		17.04
Communication and postage		13.47 88.94		29.38
Travelling and conveyance (Refer to note 31)		0.26		0.30
Insurance		0.28		0.51
Loss on sale of property, plant and equipment		0.39		0.75
Prior period expenses (Refer note 22.2)		5.10		3.58
Stipend				0.20
Property, plant & equipment written off Miscellaneous expenses		32.97		34.50
Total		1,030.15		817.24

22,1 Rent includes municipal taxes of ₹103.07 lakhs (Previous year ₹103.07 lakhs) paid to lessor in terms of lease agreement.

2 Details of prior period expenses are as under:	Year ended	Year ended
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Deployment lead expenses	0.27	0.69
Books and Periodicals	·	0.06
OPD Medical Reimbursements	0.12_	·
Total	0.39	0.75





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

23 Earnings per share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit/(loss) after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Estimated amount of consultancy contracts for project development activities remaining to be executed and not provided for

	Year ended	Year ended 31st March, 2022	
Particulars	31st March, 2023		
a Profit/(loss) after tax attributable to equity shareholders (₹ in lakhs) b Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.) c Basic/ Diluted Earnings per share (a/b) (₹) d Face value per equity share (₹)	(605.01) 10,00,00,000 (0,61) 10,00	360,07 10,00,00,000 0,36 10.00	

Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
(i) Commitments	14,443,19	16,074,84

- (ii) Contingent liabilities
 Claims against the Company not acknowledged as debts
 Guarantees issued by Bank on behalf of the Company

(iii) Taxation matters-Income tax matters under appeal/ rectification

Assessment Year	Refund claimed	Refund received as per order	Balance refund withheld /adjusted against demand	Demand Outsatnding	Reason for withheld	Status
	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)		
2017-18	52.65	46.86	5,79	•	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 17,13 lakhs vide order dated 25,12,2019	Appeal has been filed with CIT on 06.01.2020 date of hearing is awaited.
2018-19	49.72	32.25	17,47	•	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 4.34 lakhs and made addition of income of ₹ 58.89 lakhs vide order dated 26.04.2021	1
2021-22	0.21	2	0.21	67.18	AO u/s have passed the order after making of the twice addition and withheld of TDS Credit vide order dated 26 Dec 2022	
Total			23,47	67.18		

The Company is contesting these demands and the management including its advisers are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations. The Company does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellant proceedings.

(iv) Legal Matters- The status of legal cases filed against the company with no financial implication as at 31st March, 2023 is as under:

Sr. No.	Writ Petition 'No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
1	9282/2015	Subh Ram & Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan.	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC from the array of parties has been filled with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench. The Petitioners have filled an application for amending the Whit Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court. The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also. An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filled before the Hon'ble Court on 8th September, 2020. The last date of hearing was 05th December, 2022, Matter was listed to be heard on 04th May, 2023, but could not be taken up. The next hearing is still to be listed
2	6649/2016	Irshad Mohd。 Khan and Ors。	NICDC Ltd. & Ors.	Related to water pipeline laid down from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Pelition. The last date of hearing was 14th March, 2022 and the next hearing is still to be listed.

CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

25 Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":

a) General description of various defined employee schemes are as under

i) Defined contribution plan

- Provident Fund (PF) The contribution lowards the Provident Fund is deposited with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount, so paid, is charged to the standalone statement of profit and loss.
- National Pension Scheme (NPS) The company has introduced NPS for its employees within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme, The amount, so paid, is charged to
 the standalone statement of profit and loss,
- Post Superannuation Medical Benefits (PSMB) The company has introduced PSMB for its employees and their eligible dependants within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the standalone statement of profit and loss.

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

	Year ended	Year ended
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Employer's contribution to provident fund Employer's contribution to national pension scheme Employer's contribution to post superannuation medical benefits	55.54 38.69 12.34	45,10 31,38 10,10

ii) Defined benefit plans

- Gratuity (unfunded): The Company has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure at 15 days of last drawn salary (basic salary and dearness allowance) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of ₹ 20 lakhs. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disablement or death. The Company's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.
- Leave encashment (unfunded): As per the policy, the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the
 year and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 300 days Accumulated leaves are encashable at the time of superannuation, resignation, termination,
 disablement or death. The Company's obligation in respect of leave encashment is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.
- b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of Defined Benefit Plan are as under:

Gratuity (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss, the unfunded status and amounts recognized in the standalone balance sheet for defined benefit plan.

	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognised in the standalone statement of profit and loss		
Current service cost	15.00	14.06
Past service cost		
Interest cost on benefit obligation	5.23	3.82
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	(7.35)	4_05
Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss	12,88	21.93
Amount recognized in the standalone balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	85.79	74,75
Fair value of plan assets	7a-	
Assets/ (liability) recognized in the standalone balance sheet	(85.79)	(74.75)
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	74,75	54.61
Current service cost	15,00	14.06
Past service cost	3.50	(*
Interest cost	5,23	3,82
Benefils paid	(1.84)	(1.79)
Actuarial (gains)/ losses on obligation	(7.35)	4.05
Defined benefit obligation at the end of the year	85.79	74.75
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	78.16	68,56
Current	7.63 85.79	6.19 74.75
The principal assumptions used in determining obligations:		
Method used	Projected unit credit method	Projected unit credit method
	IALM 2012-14	IALM 2012-14
Mortality table	8,00% per annum	8,00% per annum
Withdrawal rate upto 30/ 44 years/ above 44 years (%)	7,50% per annum	7,00% per annum
Discount rate (%)	6.00% per annum	6,00% per annum
Salary growth rate (%)	60 years	60 years
Retirement age (No. of years)		-





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Sensitivity analysis:	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate	ar 70	74.75
Present value of obligation at the end of the year	85.79	74,75
a) Impact due to increase of 1%	(5.51)	(5,01
b) Impact due to decrease of 1%	6,28	5.73
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	85.79	74,75
a) Impact due to increase of 1%	5,03	4.68
b) Impact due to decrease of 1%	(4.34)	(4.02

Leave Encashment (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss, the funded/ unfunded status and amounts recognized in the standalone balance sheet for defined benefit plan.

in the standaione dalance sheet for defined denem plan. Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognised in the standalone statement of profit and loss		
Current service cost	16.12	55,24
Past service cost	30 4 3	•
Interest cost on benefit obligation	3,87	3.5
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	5,90	
Employee benefit expense recognized in the standalone statement of profit and loss	25,89	55,24
Amount recognized in the standalone balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	75.09	55.24
Fair value of plan assets		(55.24)
Assets/ (liability) recognized in the standalone balance sheet	(75_09)	(55.24)
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	55,24	193
Defined benefit obligation at the beginning of the year Current service cost	16.12	55,24
		F-1
Past service cost	3.87	
Interest cost	(6.04)	
Benefits paid	5.90	¥5
Actuarial (gains)/ losses on obligation	75.09	55.24
Defined benefit obligation at the end of the year	70.00	33,2
Breakup of the defined benefit obligation	68.09	50.27
Non-current	7.00	4.97
Current	75.09	55,24
The principal assumptions used in determining obligations:		
	Projected unit	Projected unit credit
Method used	credit method	method
Mortality table	JALM 2012-14	IALM 2012-14
Withdrawal rate upto 30/ 44 years/ above 44 years (%)	8.00% per annum	8,00% per annum
Discount rate (%)	7,50% per annum	7.00% per annum
Salary growth rate (%)	6.00% per annum	6,00% per annum
Retirement age (No, of years)	60 years	60 years
Sensitivity analysis:		
	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate	75.00	55.24
Present value of obligation at the end of the year	75.09	
a) Impact due to increase of 1%	(4.87)	(3,83)
b) Impact due to decrease of 1%	5,57	4.40
Impact of the change in salary growth	77.00	55.24
Present value of obligation at the end of the year	75.09	
a) Impact due to increase of 1%	5.60	4.40
b) Impact due to decrease of 1%	(4.98)	(3.89)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material, hence impact of change due to these have not been calculated.





CIN: U45400DI 2008PI C172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Segment reporting

The Company's business is being the knowledge partner for implementation and development of various industrial corridors and other project(s) as approved by Government of India and there are no other geographical segment in accordance with AS 17 - "Segment Reporting",

In accordance with the requirements of Accounting Standard-18 "Related party disclosure", the names of the related party where control/ ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below.

- List of related parties and nature of relationship where control exists
 - Enterprises having significant influence/control over the company
 Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

b Subsidiary
NICDC Neemrana Solar Power Limited

c Affiliates/ Associates

Housing and Urban Development Corporation Limited

d Key Management Personnel (KMP)

Shri Rajesh Kumar Singh, IAS, Nominee of Government of India (from 24th April 2023 till date) Chairman Shri Anurag Jain, IAS, Nominee of Government of India (from 27th September 2021 to Chairman Smt, Sumita Dawra (from 15th December, 2022 till date) CEO and Managing Director CEO and Managing Director Shri Rajeev Singh Thakur (from 3rd November, 2022 to 15th December, 2022) CEO and Managing Director Shri Amrit Lal Meena (from 05th November 2021 to 20th October, 2022) Shri Rajendra Ratnoo, IAS, Nominee of Government of India (till 24th February,2023) Director Shri Kazushige Gobe, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (from 10th August 2021 till date) Director Director Shri Rajeev Singh Thakur (from 5th August, 2022 till date) Director Shri Shailendra Singh (till 31st December, 2021) Shri Toshihiko Kurihara, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Director Shri Muniappa Nagaraj, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) Director Smt. Radha Roy, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) (from 18th April 2022 till date) Director Chief Financial Officer Shri P.K Agarwal

Shri Abhishek Chaudhary

VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary

Enterprises over which KMP exercises significant Influence India International Convention and Exhibition Centre Ltd.

The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Salary/ remuneration* Shri P.K Agarwal Shri Abhishek Chaudhary	83,48 83,96	77,50 76,87
Laptop Advance Shri Abhishek Chaudhary	*	0,50
Recovery of Laptop Advance Shri Abhishek Chaudhary	0,12	0.03
Salary Advance Shri P.K Agarwal	7.01	2
Recovery of Salary Advance Shri P.K Agarwal	3.50	
Reimbursements NICDC Neemrana Solar Power Limited	5.27	4.65
Apportionment of overheads NICDC Neemrana Solar Power Limited India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	15.22 72.00	17.55 72.00
Service fee India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	500,00	500,00

^{*} As the liability for gratuity and leave encashment are provided for, on actuarial basis, for the Company as a whole, hence the amounts accrued pertaining to key managerial personnel are not included above-





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

III Balance outstanding with related parties at the year end

	As at	As at	
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
Short term loans and advances NICDC Neemrana Solar Power Limited	16,56	1.64	
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	6.48	6,36	
Trade receivables India International Convention and Exhibition Centre Ltd,	267,50	132,50	
Salary Advance Recoverable Shri P.K Agarwal	3.51	80	
Laptop Advance Recoverable Shri Abhishek Chaudhary	0,35	0.4	

28 Operating Lease

The Company's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to its leased office premises at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 486,03 lakhs (Previous year: ₹ 486,03 lakhs) paid has been recognized in the standalone statement of profit and loss and disclosed in note 22.

29 Additional regulatory information

- The company has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMPs and the related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of recoverent.
- No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.
- iii The company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institutions or other lenders,
- During the current year and the previous year, the company has not entered in any transactions with any company which has been struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 and does not have investment in securities, receivable or payable from struck off companies. Further, shares of the company are not held by any struck off company.
- v The company has complied with the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.

vi Ratios:-

Particulars	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022	Variation	Reason (If variation is more than 25%)
_iquidity ratio (times)		·		
Current ratio (current assets divide by current liabilities)	8,34	6.86	21.53%	
Solvency ratios (times)			
Debt-equity ratio (Long term debt divide by total equity)	*	; ∓	::•	
Debt service coverage ratio				
(Profit for the year + finance costs + depreciation and amortization expenses divide by principle repayments of long term borrowings + finance costs)		; -	8.	
Profitability ratios (%)				
Net Profit Ratio (Profit for the year divide by revenue from operations)	-97.32%	21.73%	-547 95%	
Return on Equity Ratio (Profit for the year divide by average shareholder's equity)	-4,44%	2,62%	-269,65%	Low revenue from Service fee due to less release of
Return on Capital employed (Earning before interest and taxes divide by capital employed)	-0,84%	0.67%	-224,68%	funds to project SPVs by NICDIT
Return on Investment ((Profit before tax + Finance Cost) * (1-tax rate) divide by total assets))	-0.59%	0.47%	TOTAL TOTAL	



CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

Utilization ratios (times)):			
Trade Receivables tumover ratio (Revenue from operations divide by average trade receivables)	3,11	12,25	-74,63%	Low revenue from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT
Inventory tumover ratio (Revenue from operations divide by average inventory)		74	¥	18
Trade payables turnover ratio (Total purchases divide by average trade payables)	1,03	1.97	47.92%	Low expenditure on Project Development Activities
Net capital turnover ratio (Revenue from operations divide by working capital)	0.04	0.11	-62,82%	Low revenue from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT

- vii) No scheme of arrangements has been approved by the competent authority in terms of Section 230 to 237 of the Companies Act, 2013 in respect of the company,
- viii) The company is regular in disclosing income on timely basis and there is no undisclosed income assessed by tax officials. Further, the company does not have any transactions not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- ix) The company has neither traded nor invested in crypto currency or visual currency during the financial year

30 Corporate Social Responsibility (CSR)

As per section 135 of the Companies Act, 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) committee has been constituted by the Company. The amount of ₹ 18.04 lakhs (Previous year. ₹ 18.58 lakhs) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under.

_		As at	As at
	Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
T	Gross amount required to be spent by the Company		
	Annual CSR allocation	18.04	18,58
	Brought forward from previous year		
	Gross amount required to be spent	18.04	18.58
Ш	Amount spent during the year		
	In cash	18.04	18.58
	Total	18.04	18.58
Ш	Purposes on which CSR expenses has been spent		
	Contribution to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)	0.80	18,58
	Ambulance provided at Primary Heath Centre-Bhadiyad, Ahmedabad	17.24	(€)
		18.04	18,58
I۷	Reconciliation of CSR expense		
	Opening Shortfall/(Surplus)		
	Add:- Amount required to be spent during the year	18,04	18,58
	Less:- Amount spent during the year	(18,04)	(18.58)
	Closing Shortfall/(Surplus)	*	
٧	Contribution to a trust controlled by the company has been made in relation to CSR expenditure, as per relevant accounting standard.		
VI	Provision made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year		
Eve	enditures in Foreign Exchange		

31 Expenditures in Foreign Exchange

	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 {₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
- Travelling	4.53	2

- 12 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipment, intangible assets and non-current investments on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the standalone balance sheet. Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts.
- 33 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc. are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the standalone financial statements for the year ended 31st March, 2023

- Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government of India, vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27,05,2016 issued the Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs), as per which, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net worth, whichever is higher, subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions. The exemption to the Company from above guidelines for the financial years 2017-18 to 2021-22 has been accorded by DIPAM, The Company proposes to apply to DIPAM for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2022-23 subsequent to the approval and adoption of the Financial Statements and is confident for its receipt in view of earlier approval, hence, no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year. been made in the current financial year.
- 35 Previous year figures have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

As per our Report of even date attached

For S. P. Chopra & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal) Partner

(Membership No. 099143)

(Sumita Dawra) CEO & Managing Director

(DIN: 01005516)

For and on behalf of the Board of Directors of

National Industrial Corridor Development Corporation

Limited

(Rajeev Singh Thakur) Director

(DIN: 02631653)

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affair
HR
& Com-

& Company Secretary



C&AG REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT, INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

संख्याः एएमजी-III/6(4)/ वार्षिक खाता/ NICDCL/ CFS (2022-23)/2023-24/ **/** *Aन*

0 6 JUL 2023

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

एन.आई.सी.डी.सी. लिमिटेड,

08 वीं मंजिल, टावर-1, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली -110001

विषय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129(4) के अधीन 31 मार्च

2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड

के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदया,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129(4) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडिस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रास रा पडा

(एस. आह्लादिनी पंडा) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (उद्योग एवं कारपोरेट कार्य) नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATD FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL

INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE

YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of the consolidated financial statements of National Industrial Corridor

Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the

financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility

of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and

Auditor General of India under Section 139(5) read with section 129 (4) of the Act is

responsible for expressing opinion on the consolidated financial statements under section 143

read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the

standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been

done by them vide their Audit Report dated 29 May 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to

conduct the supplementary audit of the consolidated financial statements of National Industrial

Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023 under section

143(6)(a) read with section 129 (4) of the Act.

For and on behalf of the

Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)

Principal Director of Audit

(Industry & Corporate Affairs)

New Delhi

Place: New Delhi

Date: 06 07 2023

249

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

S. P. CHOPRA & CO.

Chartered Accountants

Corporate Office 1505, Astralis Supernova Sector-94, Gautam Buddha Nagar Noida – 201 301 Phone 0120 - 4516921 www.spchopra.in spc1949@spchopra.in

Independent Auditor's Report To The Members of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Report on the audit of the consolidated financial statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31 March 2023, and the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ("the consolidated financial statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the group as at 31 March 2023 and its consolidated loss, and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the 'Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements' section of our report. We are independent of the group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

Information other than the consolidated financial statements and auditor's report thereon

The holding company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the report of board of directors, including annexures, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of audit, or otherwise appears to be materially misstated.



When we read the report of board of directors, including annexures, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibility of the management and those charged with governance for the consolidated financial statements

The holding company's board of directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards notified under section 133 of the Act read with the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, as amended from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the management of the holding company, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the board of directors is responsible for assessing the group's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless board of directors either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The holding company's board of directors is also responsible for overseeing the group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with the SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



: 3:

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the group has adequate internal financial controls systems in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of entities or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the consolidated financial statements of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in section titled 'Other Matters' in this audit report.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other matters

We did not audit the financial statements of subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited (the "Subsidiary Company") whose financial statements reflect total assets of ₹ 3,416.83 lakhs as at 31 March 2023, and total revenues of ₹ 591.39 lakhs and cash inflows (net) of ₹ 370.24 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

The financial statements of subsidiary company have been audited by its auditor's whose report have been furnished to us by the holding company's management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary and our report in terms of Section 143(3), in so far it relates to the subsidiary is based solely on the report of its auditor.



: 4:

Our opinion on the consolidated financial statements, and our Report on other legal and regulatory requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the management.

Report on other legal and regulatory requirements

As required by section 143(3) of the Act, we report that:

- we have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary, for the purposes of our audit of the consolidated financial statements;
- b) in our opinion, proper books of account as required by law, relating to preparation of the consolidated financial statements, have been kept so far as it appears from our examination of those books;
- c) the consolidated balance sheet, the consolidated statement of profit and loss and the consolidated statement of cash flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;
- d) in our opinion, the consolidated financial statements comply with the accounting standards notified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules 2016, as amended from time to time;
- e) on the basis of written representation received from the directors and taken on record by the board of directors of the holding and subsidiary company, none of the directors of the holding and subsidiary company, are disqualified as at 31 March 2023 from being appointed as a director in respective company, in terms of section 164(2) of the Act;
- f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements and the operating effectiveness of such controls of the holding company as audited by us, and of the subsidiary company not audited by us (as reported by its auditor), refer to our separate report in **Annexure 'A'**;
- g) the remuneration paid by the holding company to its directors during the year is in accordance with the provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, read with schedule V of the Act; and
- h) with respect to the other matters to be included in the auditor's report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its financial position in its consolidated financial statements – Refer note 25 to the consolidated financial statements;
 - ii) The group has not entered into any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
 - iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the group.



Place: New Delhi

Dated: 29 May 2023

:5:

- (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the holding company or its subsidiary company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the holding company or its subsidiary company or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the holding company or its subsidiary company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the holding company or its subsidiary company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement; and
- v) No dividend was declared or paid by the group during the year; hence, the said clause is not applicable.

For S.P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registartion No. 000346N

Ankur Goyal Partner Membership No. 099143 UDIN 23099143BGPMVY4012

CHERALD SE

Annexure - 'A' to Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph (f) under `Report on other legal and regulatory requirements' section of the Independent Auditor's Report of even date on the consolidated financial statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2023)

Report on the internal financial controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of 'National Industrial Corridor Development Corporation Limited' ("the Holding Company") and its subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group") for the year ended 31 March 2023 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the group for the year ended on that date.

Management's responsibility for internal financial controls

The respective board of directors of the holding company and its subsidiary are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal controls over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting" (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the group's internal financial controls with reference to consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting (the 'Guidance Note') and the standards on auditing, issued by the Institute of Chartered Accountants of India and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable, to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.



: 2:

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the group's internal financial controls system with reference to consolidated financial statements.

Meaning of internal financial controls with reference to consolidated financial statements

The group's internal financial control with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control with reference to consolidated financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the group; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the group are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the respective company within the group; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the group's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the holding company and its subsidiary, have, in all material respects, adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to consolidated financial statements were operating effectively as at 31 March 2023, based on the internal control with reference to consolidated financial statements criteria established by the respective company in the group considering the essential components of internal control stated in the guidance note on 'Audit of internal financial controls over financial reporting' issued by the 'Institute of Chartered Accountants of India'.



: 3 :

Other matters

Place: New Delhi

Date: 29 May 2023

The report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to the financial statements insofar as it relates to the subsidiary company namely NICDC Neemrana Solar Power Limited, as per the report of its auditor, is exempt since the turnover and borrowings of the company is below the threshold limit as specified under the Act.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

For S.P. Chopra & Co. **Chartered Accountants** Firm Registration No. 000346N

Ankur Goyal Partner Membership No. 099143

UDIN 23099143BGPMVY4012

FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2023

Particulars	Note		As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Equity and Liabilities					
Shareholders' funds					
(a) Share capital	3	10,000.00		10,000.00	
(b) Reserves and surplus	4	64,968.31	74,968.31	68,395.64	78,395.64
Non-current liabilities					
(a) Other long-term liabilities	5	437.18		491.81	
(b) Long-term provisions	6	149.61	586.79	121,52	613,33
Current liabilities					
(a) Trade payables	7				
(i) Total outstanding dues of micro					
enterprises and small enterprises				32,42	
(ii) Total outstanding dues of creditors					
other than micro enterprises and					
small enterprises		1,883.76		2,137.88	
(b) Other current liabilities	8	224.48		344.10	
(c) Short-term provisions	9 _	15.19	2,123.43	11.56	2,525.9
Total		_	77,678.53	-	81,534.9
<u>Assets</u>					
Non-current assets					
(a) Property, plant and equipment and Intan	igible assets				
(i) Property, plant and equipment	10	2,139.79		2,286.77	
(ii) Intangible assets		11.54		16.53	
(iii) Capital work-in-progress	10.5	4		1.63	
(b) Deferred tax assets (net)	11	95.89		95.33	
(c) Long-term loans and advances	12	1.69		5.29	
(d) Other non-current assets	13	56,823.91	59,072.82	61,113.40	63,518.9
Current assets					
(a) Trade receivables	14	267.50		132.50	
(b) Cash and bank balances	15	14,877.54		17,005.35	
(c) Short-term loans and advances	16	53.19		45.94	
(d) Other current assets	17	3,407.48	18,605,71	832.19	18,015,9
Total		7= 3=	77,678.53	=	81,534.9
Significant Accounting Policies	2				
Notes to accounts attached form an integral par of the consolidated financial statements	t 3-39				

As per our Report of even date attached

For S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal) Partner (Membership No. 099143)

UDIN: 23099143BGPMV

Place: New Delhi Date : 29th May,2023

For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra) CEO & Managing Director (DIN: 01005516)

Chief Financial Officer

(Rajeev Singh Thakur) Director (DIN: 02631653)

VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited CIN: U45400DL2008PLC172316

Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2023

Particulars	Note	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Income			
Revenue from operations	18	1,213.05	2,280.60
Other Income	19	743.37	647.81
Total Income		1,956.42	2,928.41
Expenses			
Cost of material consumed	20	26.22	24.52
Employee benefits expense	21	922.39	937.73
Depreciation and amortization expense	22	172.98	222.90
Other expenses	23	1,087.11	889.53
Total Expenses		2,208.70	2,074.68
Profit/(Loss) before tax		(252.28)	853.73
Tax expense			
Current tax		95.98	262.90
Earlier year		0.06	8.21
Deferred tax		(0.56)	(19,59
Profit/(Loss) for the year		(347.76)	602.21
Earnings per equity share (face value of ₹ 10/ per share)	24		
Basic earnings per share (₹)		(0.35)	0.60
Diluted earnings per share (₹)		(0.35)	0.60
Significant Accounting Policies	2		
Notes to accounts attached form an integral part of the			
consolidated financial statements	3 - 39		

As per our Report of even date attached For S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Ankur Goyal) Partner

(Membership No. 099143)

(Sumita Dawra)

CEO & Managing Director (DIN: 01005516)

(Rajeev Singh Thakur) Director

(DIN: 02631653)

UDIN: 23099143 BGPMVY 4012

Place: New Delhi Date: 29th May,2023 (P.K. Agarwal)

Chief Financial Officer

VP - Corporate Affairs, HR

& Company Secretary

National Industrial Corridor Development Corporation Limited CIN: U45400DL2008PLC172316

Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2023

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Cash flow from operating activities:		
Profit/(Loss) before tax	(252,28)	853,73
Adjustments for:		
Depreciation and amortization expense	172,98	222.90
Loss on sale of property, plant and equipment	0.28	0.73
Property, plant and equipment written off	5	0,20
Interest income	(666.02)	(548.99)
Operating profit before working capital changes	(745.04)	528.57
Adjustments for :		
(Increase)/ Decrease in trade receivables	(135.00)	94.46
(Increase)/ Decrease in other receivables	22,91	7,55
Increase/ (Decrease) in trade payables	(286.55)	101,89
Increase/ (Decrease) in other payables	(57.85)	(74.51)
Cash generated from/ (used in) operating activities	(1,201.53)	657.96
Taxes paid (net of refunds)	(65.78)	(404.03)
Net cash from/ (used in) operating activities	(1,267.31)	253.93
Cash flow from investing activities:	1,00	5,000.00
Funds received for project development expense		98.11
Interest earned on funds received for project development expense	88.66	
Utilisation of funds received for project development expense	(1,398.44)	(4,124.57)
Funds received for swachhta action plan	1,00	10,00
Utilisation of funds received for swachhta action plan	(1.00)	(10.00)
(Purchase) of property, plant and equipment and Intangible assets	(19,85)	(24.40)
Sale of property plant and equipment	0,18	0.29
(Increase)/ Decrease in deposit with banks	597,00	397.82
Interest income	522.58	604.04
Payment of instalment towards land	(54.63)	(54,63)
Net cash from/ (used in) investing activities	(263.50)	1,896.66
Cash flow from financing activities:	2	*
Net cash from/ (used in) financing activities		
Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents	(1,530.81)	2,150.59
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	16,408.35	14,257.76
Cash and cash equivalents at the end of the year	14,877.54	16,408.35
Components of cash and cash equivalents:		
Cash on hand	0.12	0.05
Balances with bank in current accounts	7.09	6.45
Balances with bank in term deposits	14,870.33	16,401.85
parances with park in term deposits	14,877.54	16,408.35
Significant Accounting Policies	2	
Notes to accounts attached form an integral part of the consolidated financial statements	3 - 39	

As per our Report of even date attached For S. P. Chopra & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 000346N

> (Ankur Goyal) Partner

(Membership No. 099143)

For and on behalf of the Board of Directors of National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra) CEO & Managing Director

(DIN: 01005516)

(Rejeev Singh Thakur) Director (DIN: 02631653)

(P.K. Agarwal) Chief Financial Officer

Abhishek Chardhary) VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

UDIN: 23099143 BG PMVY 4012
Place: New Delhi

Date: 29th May, 2023



CIN: U45400DI 2008PI C172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

Note 1: Group Information

The Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project as the first industrial corridor in 2007 under Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry to embark on the process of planned urbanisation with manufacturing as the key economic driver and also to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development. Accordingly, Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) (the holding company) was incorporated on 7th January 2008 as a Special Purpose Vehicle (SPV) for the development and implementation of DMIC project

During September 2011, the Government of India approved the financial and institutional structure of DMIC project for the development of industrial cities in DMIC project and also approved the creation of dedicated fund with a revolving corpus known as DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF).

DMICDC is to act as a project development company to undertake various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. Also, DMICDC was mandated to act as the Project Development Partner/ Knowledge Partner to DMIC-PITF and also to all SPVs and State Government agencies for the implementation of DMIC.

The Government of India in December 2016, expanded the mandate of DMIC Project Implementation Trust Fund and redesignated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of industrial corridors in the country. DMICDC was mandated to act as a knowledge partner to NICDIT in respect of all the industrial corridors in addition to DMIC work till Knowledge Partner(s) for other industrial corridors are put in place. In view of the expanded mandate, the name of the company was changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with effect from 17th February 2020.

Subsequently, Government of India during December 2020 has approved the implementation of 11 Industrial Corridor projects (including 5 industrial corridors earlier approved) under the industrial comidor programme, within the overall framework of National Master Plan for multi modal connectivity.

The holding company has a subsidiary company i.e. NICDC Neemrana Solar Power Limited, The accompanying consolidated financial statements relate to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC), being the holding company and its subsidiary company (together referred as "The Group").

Note 2: Significant Accounting Policies

2.1 Basis for preparation of consolidated financial statements

The accompanying consolidated financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting, in accordance with the generally accepted accounting principles in India ("GAAP"), the provisions of the Companies Act, 2013 to the extent notified and applicable and the mandatory accounting standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016, to the extent applicable and in the manner so required.

2.2 Use of estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with GAAP in India requires the management to make estimates and assumptions, wherever necessary, that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of consolidated financial statements, and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. On an ongoing basis, estimates are evaluated based on historical experience and on various other assumptions that are believed to be reasonable, the results of which forms the basis for making judgments about the carrying value of assets and liabilities. Actual results could differ from those estimates. Any revision to estimates or difference between the actual result and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

2.3 Basis of consolidation

The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

Basis of accounting:

- i) The financial statements of the subsidiary companies are drawn up to the same reporting date as of the holding company.
- ii) The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Accounting Standard-21 on "Consolidated Financial Statements".

Principles of consolidation:

- i) The financial statements of the holding company and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating the intra-group balances and intra-group transactions and unrealized profits or losses in accordance with Accounting Standard 21 on "Consolidated Financial Statements".
- ii) The consolidated financial statements have been prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented to the extent possible, in the same manner as the holding company's separate financial statements except as otherwise stated in the Significant Accounting Policies.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

iii) The difference between the costs of investments in the subsidiaries over the net assets at the time of acquisition of shares in the subsidiaries is recognized in the consolidated financial statements as Goodwill or Capital Reserve as the case may be,

The consolidated financial statements of the holding company include the results of following entity:

Name of Company	Country of Incorporation	Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2023	Proportion (%) of shareholding as at 31.03.2022
NICDC Neemrana Solar Power Limited	India	100%	100%

2,4 Property, plant and equipment

- i) Property, plant and equipment (PPE) are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any
- ii) Cost of acquisition/ construction is inclusive of freight, erection and commissioning charges, duties and taxes, expenditure during construction period upto the date of acquisition/ installation and other incidental expenses incurred during the construction/ installation stage.
- iii) When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment,
- iv) Subsequent expenditure related to an item of property, plant and equipment are added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance, Repairs and maintenance costs are recognized in the consolidated statement of profit & loss as and when incurred.
- v) Losses arising from the retirement, or profit/ losses arising from disposal of property, plant and equipment which are carried at cost, are recognised in the consolidated statement of profit and loss in the year of retirement/ disposal.
- vi) Depreciation on property, plant and equipment is charged on written down method over their estimated useful lives, in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013, retaining 5% of the cost as its residual value. However, if the management's estimate of the useful life of the asset is shorter than that envisaged in the aforesaid schedule, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful/ remaining life. The useful life of the assets in accordance with the provisions of Schedule II of the Companies Act, 2013 and as estimated by the management is as under:

Assets	Useful Life (in years)	
Furniture and fixtures	10	
Office equipment	5	
Electrical installations and equipments	10	
Computers - End user devices such as desktops, laptops etc.	3	
Computers - Servers and networks	6	
Buildings	5	
Buildings Structure	30	
Carpeted Roads	5	
Non Carpeted Roads	3	
Plant and Machineries (General)	15	

Further, the useful life of following assets of subsidiary company are considered as under:

Assets	Depreciation Justification	
Solar panels	- The salvage value is considered as 10% and depreciable assets is considered as 90% of capital cost.	This is as per the Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2017.
	 The useful life is considered as 25 years from the date of commercial operation. Depreciation rate is 5,28% per annum for first 13 years and remaining depreciation is spread during remaining useful life of the assets. 	
Leasehold land	Amortised on straight line method for the remaining period of lease (97 years 108 days) from the date of possession.	This is as per the lease deed executed with the Land Development Authority i.e. RIICO.

- vii) Property, plant and equipment costing upto ₹ 5,000/- each are fully depreciated in the year of acquisition.
- viii) Depreciation on addition to property, plant and equipment is charged on pro-rata basis from the date the assets are ready for intended use over the estimated remaining useful life of the asset. Depreciation on sale/ discard/ destroy/ demolish of assets is charged upto the date of sale/ retrial of assets, as the case may be.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

- ix) Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end
- x) Property, plant and equipment, if any, retired from active use or held for disposal are stated at lower of cost (net of accumulated depreciation) or estimated net realizable value.
- xi) The cost of leasehold improvement is amortised on straight line basis over the period of lease,
- xii) Property, plant and equipment under construction and cost of assets not ready for intended use before the year-end, are shown as capital work-in-progress.
- xiii) Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non-current assets.
- xiv) Equipments provided by New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO), Japan to subsidiary company as grant-in-aid is accounted at a nominal value of ₹1/- on transfer of ownership of equipment with all bonafide rights after the completion of the project.

2.5 Intangible assets

Intangible assets are recognized where it is probable that the future economic benefit attributable to the asset will flow to the group and the cost of assets can be measured reliably. Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost, Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any. Internally generated intangible assets, excluding capitalized development costs, are not capitalized and expenditure is reflected in the consolidated statement of profit and loss in the year in which the expenditure is incurred.

Intangible assets consist of computer software and are stated at cost of acquisition/ implementation less accumulated amortization. It is amortized over a period of 5 years or the license period on a straight line basis, whichever is earlier.

2.6 Impairment of assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date and if there is any indication of impairment based on internal external factors, the impairment loss is recognized. An impairment loss is charged to the consolidated statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is increased/ reversed where there has been change in the estimate of recoverable amount. The recoverable value is the higher of the asset' net selling price and value in use.

2.7 Grant-in-aid

2.7.1 Project Development Fund (PDF)

Government of India (GoI) approved setting up of project development fund (PDF) for undertaking various project development/ preparatory activities for various industrial corridor projects for which the holding company receives grant-in-aid from Goxt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to be used as a revolving fund which is disclosed as capital reserves under 'Reserve and surplus'. In case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT from the fund, the amount will be reduced from the said fund balance in the year of refund from that reserve.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance, Further, Project Development Expenses (PDE) incurred on project development/ preparatory activities of various industrial corridors out of the fund are treated as under:

- a) Expense related to subsidiaries of the holding company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and the nodal agencies of the concerned State Governments, wherever recoverable in accordance with the stipulations in the shareholders' agreement are shown as recoverable from the concerned subsidiaries/ SPVs and disclosed under 'Other non-current assets';
- b) Expense incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the shareholders' agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). Nodal Agency(ies) does not provide for recovery, are reduced from the 'Project Development Funds' balance held under 'Capital reserves': and
- c) Expenses relating to the projects which are in progress and where the SPVs have not yet been incorporated due to the non execution of the shareholders' agreement or where the projects have not yet been approved for investment by NICDIT/CCEA or any other expense not covered under para (a) and (b) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Other non-current assets".

(This space has been intentionally left blank)





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

2.7.2 Project Implementation Fund (PIF)

Government of India approved setting up of a Project Implementation Fund (PIF) for undertaking various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt, of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and is disclosed as capital reserve under 'Reserve and surplus', In case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT from the fund, the amount is reduced from the said fund balance in the year of refund,

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance

2.7.3 Swachhta Action Plan Fund (SAP)

Government of India approved setting up of a Swachhta Action Plan Fund (SAP) for meeting the expenditure towards the Swachhta Action Plan for which the grant-in-aid is received by the holding company from Govt. of India through National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) and is disclosed as capital reserve under 'Reserve and surplus', in case any amount becomes refundable to Gol/ NICDIT from the fund, the amount is reduced from the said fund balance in the year of refund.

Interest, dividend or any other income earned on this fund is added to the fund balance and non-recoverable expenditure incurred therefrom is met out of fund

2.8 Investments

Current investments are stated at the lower of cost or quoted price,

On disposal of investments, the difference between net disposal proceeds and the carrying amounts are recognized in the consolidated statement of profit and loss.

2 9 Revenue recognition

- a) Revenue from provision of services rendered by the holding company is recognised on accrual basis, to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the holding company and when the significant terms of arrangement are enforceable, services have been delivered, the collectability is reasonably assured and the revenue can be reliably measured. Accordingly, revenue on services is recognised as follows:
 - (i) Service fees @ 1% of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) is recognised to the maximum limit of ₹ 2,000 lakhs in a year, as approved by NICDIT in its meeting held on 26th July 2016.
 - (ii) Service fees @ 1% of yearly internal accruals towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited (IICC) as Knowledge Partner is recognized to a minimum of ₹ 500 lakhs and maximum of ₹ 1,000 lakhs per annum, on pro-rata basis, for an initial period of 10 years as stipulated In MOU executed with IICC on 26th October, 2018.
- b) Revenue from the sale of power by the subsidiary company is recognized on the basis of net number of units exported on monthly basis at the rates agreed upon with the customers.
- c) Interest income is recognized on time proportionate basis taking into account the amount outstanding and applicable rate of interest,
- d) Dividend income is recognized when the company's right to receive dividend is established by the reporting date

2.10 Leases

Lease arrangements, where the risk and rewards incidental to ownership of the assets, substantially vests with the lessor, are recognized as an operating lease. Lease payments under operating lease are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss, on accrual basis,

2.11 Foreign currency transactions

Foreign currency transactions are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency existing at the balance sheet date are translated at the exchange rate prevailing on that date, Exchange differences in case of borrowed funds and liabilities in foreign currency for the acquisition of property, plant and equipment from a country outside India are adjusted to its cost. All other exchange differences are recognized in the consolidated statement of profit and loss, Premium or discount on forward exchange contract is amortized as expense or income over the life of the contract. Exchange difference on such contract is recognized in the consolidated statement of profit and loss in the reporting period in which the exchange rates changes. Any profit or loss arising on cancellation or repewal of forward contract is recognized as income and expenditure during the period.

2.12 Inventories

Inventories of consumables, stores and spares are valued at the lower of the cost or net realisable value, on First-in, First-out (FIFO) basis.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

2,13 Employee Benefits

a) Short term benefits

These are recognized as an expense in the consolidated statement of profit and loss for the year in which the related services are rendered. These benefits include leave salary and pension contribution to the Government employees, on deputation to the group, which is accounted as per the prescribed rules of Central Government, accumulated compensated absences, which are expected to be availed or encashed within 12 months from the year end.

b) Defined contribution plan:

The Group's contribution paid or payable during the year to statutory provident fund, pension scheme in accordance with Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952, National Pension Scheme (NPS) and Post Superannuation Medical Benefits (PSMB) are recognized as an expense in the year in which the employee render services.

2.14 Segment reporting

The operating segments are identified on the basis of internal reports used by the group's management to allocate resources and assess their performance for decision making. The Board of Directors is collectively the group's "chief operating decision maker" or "CODM" within the meaning of AS 17.

2.15 Earnings per share

The group reports Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning Per Share".

Basic earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing the net profit or loss for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year, as adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares, except where the results are anti-dilutive,

2.15 Tayes on income

- Tax expense comprises both current tax and deferred tax.
- b) Current income tax, assets and liabilities are measured at the amount expected to be paid to or recoverable from the taxation authorities in accordance with the tax regime inserted by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 in the Income Tax Act, 1961, and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) enacted in India, by using tax rates and the tax laws that are enacted at the reporting date.
- c) Deferred tax liability/ asset resulting from 'timing difference' between accounting income and taxable income, that is capable of reversal in subsequent accounting period is accounted for considering the tax rate and tax laws that have been enacted or substantively enacted as on the reporting date, Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date for their realizability.
- Minimum alternate tax (MAT) is charged to the consolidated statement of profit and loss as current tax during the year in which it is paid. The group recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the group will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward. The group recognizes MAT credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternative Tax under the Income-tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the consolidated statement of profit and loss and shown as "MAT Credit Entitlement." The group reviews the "MAT credit entitlement" asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the group does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the specified period.

2.17 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions are recognised when there is a present obligation as a result of a past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation on reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adopted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in the Notes when there is a possible obligation arising from past event(s), the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not wholly within the control of the group or a present obligation that arises from past event(s) where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle or a reliable estimate of the amount cannot be made.

Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

2.18 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Fixed Deposits kept in sweep -in facility are readily convertible to cash, hence are covered under Cash and Cash Equivalents

2.19 Cash flow statements

The cash flow statement is prepared by the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statements" and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the group.

Cash and cash equivalents presented in the consolidated cash flow statement consist of cash on hand, cheques, draft on hand/ remittance in transit, bank balances and deposits with maturities of three months or less and that are readily convertible to known amount of cash and cash equivalents.

The transactions pertaining to project development funds and related income I expenses are being long term in nature, hence these are considered as investing activities.





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
lote 3: Share capital		
Authorised		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	10,000.00
Issued, subscribed and fully paid up		
10,00,00,000 (Previous year: 10,00,00,000) equity shares of ₹10/- each	10,000.00	10,000.00
Total	10,000.00	10,000.00

3.1 Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the year:

	As at 31st Ma	ırch, 2023	As at 31st I	March, 2022
	No. of shares	(₹ in lakhs)	No. of shares	(₹ in lakhs)
Balance at the beginning of the year	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00
Add: Shares issued during the year		9.50		35
Balance at the end of the year	10,00,00,000	10,000.00	10,00,00,000	10,000.00

3.2 Terms/ rights attached to equity shares

The group has only one class of equity shares having a par value of ₹ 10/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. The group may declare and pay dividend in Indian rupees. The dividend proposed by the Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting. In the event of liquidation of the holding company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the holding company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

3.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the group

	As at 31st Ma	arch, 2023	As at 31st	March, 2022
	No. of shares	% of Holding	No, of shares	% of Holding
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees)	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	49.00
Japan Bank for International Co-operation (JBIC) Housing and Urban Development Corporation Limited	2,60,00,000 1,99,00,000	26,00 19.90	2,60,00,000 1,99,00,000	26.00 19.90

As per the records of the group, including its register of Shareholders / Members and other declarations, if any, received from Shareholders regarding beneficial interest, the above shareholding represents both legal and beneficial ownership of shares.

3.4 The group has neither issued bonus shares nor issued any shares without payment being received in cash or brought-back shares during five years immediately preceding the balance sheet date.

3.5 Shareholding of Promoters

Shares held by promoters at the end of th	e year		% Change
Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	during the year
The President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	4,89,99,998	49%	NIL
Shri Rajeev Singh Thakur, IAS,(Previous Year:Shri Shailendra Singh, IAS) Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry	1		
Representative of The President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry	1		
Total	4,90,00,000		





Particulars			As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 4: Reserves and surplus					
(a.) Capital reserves - Grant-in-aid received for:					
(Refer note 2.7)					
(i) Project development fund As per last balance sheet Add: Grant-in-aid received during the year		73,020.27 1,00	73,021.27	68,020.27 5,000.00	73,020.27
Add: Interest etc. earned on project development fund As per last balance sheet Interest on term deposits and tax refunds during the year		3,351.19 76.62	3,427.81	3,225.78 125.41	3,351.19
(Less): Project development expenses, to the extent not recoverable					
As per last balance sheet Expenses incurred during the year	_	(14,509.19) (3,157.19)	(17,666.38)_	(4,035,14) (10,474.05)	(14,509.19)
(Less): Tax impact on income earned on project development for	und		(30.87)		(30.87)
	(i)		58,751.83		61,831.40
(ii) Project implementation fund As per last balance sheet (Refer note 4.1)			1,300.00		1,300.00
	(ii)		1,300.00		1,300.00
(iii) Swachhta action plan					
As per last balance sheet* Grant-in-aid received during the year Add: Interest on term deposits during the year*			0.00 1.00		0.00 10.00
(Less): Expenditure incurred during the year			(1.00)		(10.00)
	(iii)*				0.00
(iv) Equipment received as Grant-in-aid (Refer note 2.4.xiv and 36)	(iv)*		0.00		0.00
Sub-total			60,051.83		63,131.40
(b) Surplus As per last balance sheet Add: Profit/(Loss) for the year		5,264.24 (347.76)	4,916.48	4,662.03 602.21	5,264.24
Total		,	64,968.31		68,395.64

^{*} Amount is less than ₹ 1,000/-

4.1 As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 1,300 lakhs was transferred to NICDC Limited by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "NICDC Neemrana Solar Power Limited towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited for the implementation of 6 MW model solar power project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd.





Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 5 : Other long-term liabilities	•	
Amount payable towards land (Refer note 5,1) Performance security	437,08 0,10	491.71 0.10
Total	437.18	491.81

5.1 Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RIICO) on 21st November, 2012 allotted 145692 sq.m. of land for the project site of subsidiary company at the concessional rate of ₹ 1,000/- per sq.m. Out of the total Development Charges (DC), 25% was paid upfront at the time of allotment of land and the balance amount is payable in 20 equal annual interest free instalments of ₹ 54,63 lakhs, with effect from 20th January, 2013.

Particular s	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 {₹ in lakhs)
Note 6 : Long-term provisions		
Provision for employee benefits - Gratuity (Refer note 26) - Leave Encashment (Refer note 26)	81.52 68.09	71.25 50.27
Total	149.61	121.52
Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 7 : Trade payables		
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer note 7.1) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	1,883.76	32.42 2,137.88
Total	1,883.76	2,170.30

7.1 Information pursuant to the provisions of Section 22 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is given below. This information has been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the group.

	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
) The principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier covered		
under MSMED Act at the end of the year	9	32.4
- Principal - Interest	*	*
 ii) The amount of interest paid by the Company in terms of section 16 of the MSMED Act, 2006 alongwith the amount of the payment made to the suppliers beyond the appointed day during the year 		3 40
iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act 2006	72	.20
iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year; and	^Q	*
v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006	22	190





7.2 Trade Payables ageing

As at 31st March, 2023					(₹ In lakhs)
P-4l-ulaus	Outstan	ding from due da	te of payment/ tra	nsaction*	Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	rotai
(i) MSME				:=	
(ii) Others	669,27	325.35	700.60	188.54	1,883,76
(iii) Disputed dues- MSME		- 1			
(iv) Disputed dues- Others					
Total	669.27	325,35	700.60	188.54	1,883.76

As at 31st March, 2022			·		(₹ In lakhs)
Particulars	Outstan	ding from due da	ate of payment/ tra	nsaction*	Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	IOLAI
(i) MSME	32.42			-	32.42
(ii) Others	1,018.68	896.85	197.86	24.49	2,137.88
(iii) Disputed dues- MSME	*	9.00		: * ?	*
(iv) Disputed dues- Others		-			
Total	1,051.10	896.85	197.86	24.49	2,170,30

• The above ageing has been prepared by the management based on date of transactions. The above amount has not fallen due for payment at the date of Financial Statements since the milestone of payment has not been achieved/non-receipt of certificate for completion of work/amount retained due to non-submission of performance security towards defect liability period/non-receipt of approval from respective state governments etc.

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
lote 8 : Other current liabilities		
Statutory liabilities (net of inter-company transactions)	78,41	134.61
Accrued expenses	18,70	13.81
Creditors for expenses	49.03	21.69
Employee related payable	16.46	49.02
Bid security	2.74	70,00
Current maturities of long-term liabilities (RIICO Land) (refer note 5.1)	54.63	54.63
Other payable	4.20	0.03
Performance security	0.31	0,31
Total	224.48	344,10
Particulars	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
lote 9 : Short-term provisions	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)
ote 5 - differential provisions		
Provision for employee benefits		
- Gratuity (Refer note 26)	8.11	6.52
- Leave encashment (Refer note 26)		5.04 11.56
		11.56





CIN: U45400DL2008PLC172316

Notes to the consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2023

Note 10 : Property, plant and equipment and Intangible assets

		ଦ୍ର	Gross block			Depreclatio	reclation/ Amortization		Net	Net block
Particulars	As at 1st April, 2022	Additions during the year	Sales/ disposal/ adjustments during the year	As at 31st March, 2023	As at 1st April, 2022	For the year	Sales/ dlsposal/ adjustments during the year	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2023	As at 31st March, 2022
Property, plant and equipment										
Land - Leasehold (Refer note 10.4)	1,561.69	. 60	Š.	1,561,69	122.83	16.05	•	138.88	1,422.81	1,438,86
Buildings a) Building other than RCC frame structure b) Fencing c) Tubewell	121,90 109,53 10.52	a fait	* • •	121.90 109.53 10.52	54,69 103,95 9,95	6.43 0.11 0.05	W WHEN	61.12 104.06 10.00	60 78 5 47 0.52	67.21 5.58 0.57
Roads a) Carpeted - other than RCC b) Non-carpeted roads	7,42 76,48	811 8 6	ž 6	7,42 76.48	7.05 72.66	¥ 49	X KI	7,05 72,66	0.37 3.82	0.37 3.82
Plant and machineries a) Plant and machineries (General) b) Solar panels c) Equipment received as grant-in-aid *	1,745.89 137.96 0.00	0.23 1.63	186	1,746.12 139,59 0,00	1,228,03 43.73	94.03 8.56	1974 K	1,322.06 52.29	424.06 87.30 0.00	517.86 94.23 0.00
Furniture and fixtures	54.59	*:	Ö	54,59	31.80	5,89	<u>#</u>	37.69	16.90	22,79
Office equipment	144.06	19,48	(9,55)	153,99	113.85	16,47	(9.08)	121,24	32.75	30.21
Electrical installations and equipment	13.02	*	×	13,02	6.81	1.61	*	8,42	4,60	6.21
Computer and data processing units	70.77	0,14	·	70.91	56.71	7.30		64,01	6.90	14.06
Leasehold improvements (Office Renovation)	155,72	8 0		155.72	70.72	11_49	*	82.21	73.51	85,00
Current year's total	4,209,56	21.48	(9.55)	4,221.48	1,922,78	167.99	(9.08)			2,286.77
Previous year's total	4,206,10	18.59	(16.14)	4,209.55	1,729.66	207.27	(14.15)	1,922.78	2,286.77	
Intangible assets	89 66		ı	89.66	83.15	4.99		88.14	11.54	16.53
Current year's total	99.68	•	•	99.68	83.15	4.99		88.14	11.54	18.53
Previous year's total	86,75	12.93	•	99.68	67.52	15.63	•	83.15	16.53	

Amount is less than ₹ 1,000/-

10.4) The land has been allotted by Rajasthan State Industrial Developments, by তিন্তু বিশ্বতি

SEN COIDONA



(? in lakhs)

^{10.1)} Pursuant to "AS28- Impairment of Asser" issued by the Central Government under the Companies (Accounting Standard) Rule 2006 for determining impairment in carrying amount of property, plant and equipment, the group has concluded that since recoverable amount of property, plant and equipment is not less than its carrying amount, therefore, no provision for impairment is required in respect of property, plant and equipment owned by the group.

^{10.3)} The group does not hold any immovable property. 10.2) During the year, the group has not revalued any of its property, plant and equipment and intangible assets

10.5) Capital work-in-progress

a) Capital work-in-progress schedule

AS at 31St March, 2023				(citymi iii si
Particulars	As at 31st March, 2022	Addition	Capitalized	As at 31st March, 2023
Plant Equipments				
Solar Module Panels	1.63	(B)	1.63	
Total	1.63		1.63	
As at 31st March, 2022				(₹ in lakhs)
Particulars	As on 31st March, 2021	Addition	Capitalized	As at 31st March, 2022
Plant Equipments				
Submersible Pump	0.19	E.	0,19	
CTPT	1.23	•	1.23	*
Control Cable	0.08	æ	0,08	į.
ABT Meler	4,60	ı.	4,60	9
Meter Box	0.37		0,37	
Solar Module Panels	2.51		0.88	1.63
Total	8.98		7.35	1.63

b) Capital work-in-progress ageing

		Amount f	Amount for a period of		Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	iorai
Plant Equipments					
Solar Module Panels	4	:•	·	9	
Total			18(•	×
As at 31st March, 2022					(₹ in lakhs)
Daticular		Amount f	Amount for a period of		Total
Particulars	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	oral
Plant Equipments					
Solar Module Panels	÷.	W		1.63	1,63
4	•				1 63

c) There are no projects in progress or project temporarily suspended included in capital work-in-progress above whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan during the year 31st March, 2023 and 31st March, 2022, hence these requisite details including in ageing has not been given.





Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in takhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 11 : Deferred tax assets (net)		
Deferred tax assets: - Difference between depreciation/ amortisation as per account and as per tax - Timing difference on account of expenses allowable on payment basis	49.35 46.54	57.08 38.25
Deferred tax liability Total	95.89	95,33
Deferred tax assets has been recognized during the current year, since it is capable of reversal in subsequent accounting		
Perticulars	As at	As at
	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Vote 12 : Long-terms loans and advances		
(Unsecured, considered good) Staff advance	0,23	0.35
Prepaid expenses	1.46	4.94
Total	1,69	5.29
Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (7 in lakhs)
Note 13 : Other non-current assets		
(Unsecured, considered good) (a) Security Deposits	40.94	44,94
b) Project development expenditure (PDE) against project development fund (Refer note 2.7.1)		
As per last balance sheet	2,958.62	10,914,90
Add: Expense incurred during the year [Net of bid processing fee of ₹ NIL (Previous year: ₹ 30 (akhs))	2,076.27	4.169.74
(Less): Transferred to subsidiary/ SPVs, being recoverable	5,034.89 (349.18)	15,084.64 (1,651.97)
(Less): Transferred to Substitutive Service Being recoverable (Less): Transferred to project development funds, not being recoverable	(3,157.19)	(10,474.05)
Sub-total	1,528.52	2,958.62
c) Project development expenses recoverable from SPVs (Refer note. 2.7.1, 13.1, 13.2 and 13.3)		
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as	04.054.44	21,405,10
Aurangabad Industrial Township Ltd.)	21,251,14 32,158.60	32,158 60
- Dholera Industrial City Development Limited	873,33	889.66
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	662.01	643.13
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited - DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	687,98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited		507.55
-DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	965.43	875.09
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	1,182,69	942.73
	57,781.18	\$8,109.84
Less: Amount recoverable within a year transferred to Other Current Assets (Refer note 17)	(2,526.73)	*
Sub-total	55.254.45	58.109.84
Total	56,823.91	61,113.40

^{13.1} National Industrial Comidor Development and Implementation Trust (NICDIT) in its 3rd meeting held on 6th March, 2018 had directed the holding company to transfer the project development expenditure incurred by the holding company in relation to projects of the subsidiaries/ SPVs out of project development funds provided as Grant-in-aid to the respective subsidiaries/ SPVs and to defer its recovery till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds. The respective subsidiaries/ SPVs have not yet been able to generate sufficient surplus funds hence the amount is shown as recoverable from SPVs at the year end till they start generating surplus.

13.2 Movement of project development expenditure recoverable from SPVs

As at 31st March, 2023

SPV	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (₹ in lakhs)	Balance as at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad Industrial				
Township Ltd.)	21,405.10		(153.96)	21,251.14
- Dholera Industrial City Development Limited	32,158.60	2	-	32,158.60
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	889.66		(16.33)	873.33
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	643.13	18.88	*	662.01
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98			687.98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	507.55		(507.55)	
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	875.09	90.34		965.43
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	239 96		1,182,69
Total	58,109.84	349.18	(677.84)	57,781.18





As at 31st March, 2022

SPV	Balance as at 31st March, 2021 (₹ in lakhs)	Expenditure incurred during the year (₹ in lakhs)	Amount received/reversed during the year (E in lakhs)	Balance as at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad Industrial				
Township Ltd.)	20,262,02	1,143,08	*	21,405.10
- Dholera Industrial City Development Limited	31,783.68	420,10	(45.18)	32,158,60
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	889.66		9	889 66
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	548.60	94,53	<u> </u>	643.13
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	687.98	***	36	687.98
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	507.55			507.55
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	880.83	(5.74)		875.09
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	942.73	-		942,73
Total	56,503.05	1,651.97	(45.18)	58,109.84

13.3 Status of recovery of project development expenditure recoverable from SPVs

SPV	Remarks
- Maharashtra Industrial Township Ltd. (Formerly known as Aurangabad Industrial Township Ltd.)	The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds.
- Dholera Industrial City Development Limited	The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds.
- NICDC Haryana Global City Project Ltd.	The Board of the SPV in its meeting held on 3rd April,2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure. The same will be recovered in the FY 2023-24.
- NICDC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited	The work is still in progress and the SPV is still to generate sufficient surplus funds.
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	The Board of the SPV in its meeting held on 3rd April, 2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure. The same will be recovered in the FY 2023-24,
- DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited	The Board of the SPV in its meeting held on 26th April, 2023 has approved the proposal for reimbursement of the expenditure. The same will be recovered in the FY 2023-24.
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	The Construction work is yet to be initiated.

	As at	As at
Particulars	31st March, 2023 (₹ in lakhs)	31st March, 2022 (ਵ in lakhs)
Note 14: Trade receivables		
(Unsecured, considered good) Other receivables - 'India International Convention and Exhibition		
Orner receivables - India International Convention and Exhibition Centre Limited - Enterprise over which KMP exercise significant influence	267.50	132,50
Total	267.50	132,50

14.1 Trade Receivables ageing

As at 31st March, 2023		Outst	anding from due dat	e of payment / transa	ctions*	
Particulars	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade Receivables - considered good	267.50	100/	-			267.50
(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful						
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good	2	(#X	*			
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful	-					
Total	267.50	2 1		•		267.50

		Outst	anding from due date	of payment / transa	ctions*	
Particulars	Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade Receivables - considered good	132.50					132,50
(ii) Undisputed Trade Receivables - considered doubtful						
(iii) Disputed Trade Receivables - considered good						
(iv) Disputed Trade Receivables - considered doubtful				*		
Total	132.50		•			132.50





Particulars		As at 31st March, 2023 (र in lakhs)		As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
le 15 : Cash and bank balances				
Cash and cash equivalents Cash on hand		0.12		0.05
Balances with banks in current accounts		•		-20
- Project Development Fund	3.02		2,29	
- Swachtta Action Plan*	-		0.00	
- Group Fund	4.07	7.09	4.16	6,4
Balance with banks in term deposits (3 months & less)				
- Project Development Fund	1,131,47		2,262,28	
- Group Fund	13,738.86	14,870,33	14,139,57	16,401,85
Other bank balances				
Balance with banks in term deposits (More than 3 months till 12 months)				
- Project Development Fund				597.0
Total		14,877.54		17,005.3
* Amount less than ₹ 1000/-				
There are no repatriation restrictions with regard to cash and cash equivalents at the end of reporting and previous	year.			
Particulars		As at		As at
ratitudis		31st March, 2023 (₹ in fakhs)		31st March, 2022 (₹ in lakhs)
te 16 : Short-term loans and advances				
(Unsecured, considered good)				40.5
Advance to vendors		9.65 3.63		12.5 0.1
Staff advance Prepaid expenses		28.33		26.9
Recoverable on account of apportionment of overheads from India		6.48		6.3
				0.3
International Convention and Exhibition Centre Limited				2.5
International Convention and Exhibition Centre Limited Other Loans and Advances Total	-	5,10 53,19	,	45.9

Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 17: Other current assets		
Recoverable from SPV's (Refer note 13 and 13.3)	2,526.73	90
Interest accrued on term deposits [includes on account of PDF of ₹ 22,49 lakhs (previous year: ₹ 34,54 lakhs)]	609.57	478.17
Income tax refundable [Refer note 25 (iii)] *	141.08	169.52
Unbilled revenue (net of rebate)	41.11	61.65
Security Deposits	0.16	0.16
GST input	8.21	11.79
Advance tax (net of Provision for laxation)	80,62	110.90
Total	3,407.48	832.19

^{*}Includes ₹ 1,11 lakhs for AY 2019-20 withheld by CPC on account of outstanding dermands of earlier years as mentioned in note 25(iii)





	Particulars		Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 18	: Revenue from operations				
a)	Service fees as knowledge partner to (Refer note. 2.9) National Industrial Comdor Development and Implementation Trust India International Convention and Exhibition Centre Limited (IICC)	121.66 500.00	621.66	1,157.32 500.00	1,657,32
b)	Sale of power* [73,23,318 Kwh Units (Previous Year 75,74,054 Kwh Units) and other adjustments] (Refer note 37)		591.39		623.28
	Total	-	1,213.05		2,280.60

^{*} Includes an amount of unbilled revenue of ₹ 44.18 lakhs to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (4,50,000 Kwh @ ₹ 8.77 per unit) and M/S Toyoda Gosei Minda India Private Limited (1,02,525 Kwh@ ₹ 4.60 per unit).

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
ote 19 : Other income		
Interest on term deposits on group funds	666.02	548.99
Insurance Claim		3.70
Interest on income tax refund	5.35	12.22
Apportionment of overheads from India International Convention and Exhibition Centre Limited (Refer note 19.1)	72.00	72.00
Scrap sale		0.67
Miscellaneous Income	0.00	10.23
Total	743.37	647.81

^{*} Amount is less than ₹ 1,000/-

19.1 Overhead cost towards office premises and other administrative support provided by the holding company is recovered on proportionate basis, as per past practice.

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 20 : Cost of material consumed		
Open Access Charges Spares for solar Freight expense*	26.22 0.00	22.43 2.07 0.02
Total	26,22	24.52

^{*} Amount is less than ₹ 1,000/-





Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 21: Employee benefits expense		
Salary, wages, gratuity, compensated absence, allowances etc.	746.67	823,60
Contribution to provident/ pension fund	106.58	66.94
Staff welfare expenses	69.14	47.19
Total	922.39	937.73
Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
Note 22: Depreciation and amortization expense	-	
Depreciation on property, plant and equipment	167.99	207.27
Amortization of intangible assets	4.99	15.63
Total	172.98	222.90





Particulars		Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)		
Note 23: Other expenses				
Rent (Refer note 23.1 and 30)		486.03	486.03	
Payment to Auditors				
Audit fees	5,95		5.95	
Certification fee	0.05		0.05	
Out of Pocket Expenses	0.14		*	
Arrears		6.14	<u>1.65</u> 7.65	
Advertisement and business promotion		163.02	37.92	
Corporate social responsibility expense (Refer note 31)		18.04	18.58	
Deployment lead expenses		5.07	5,50	
Electricity		11.41	9.47	
Housekeeping		25.19	18.48	
Security		9.37	9,00	
Professional and consultancy		47.94	53,32	
Meeting and refreshment		19.93	8.62	
Repair and maintenance - office		42.94	38.54	
Repair and maintenance - computers		17.96	20.04	
Printing and stationery		39.00	23.56	
Communication and postage		14.52	18,34	
Travelling and conveyance(Refer Note 32)		90.11	30.57	
Insurance		9,92	10.83	
Loss on sale of property, plant and equipment		0.28	0.73	
Prior period expenses (Refer note 23.2)		0.89	0.75	
Stipend		5.10	3.58	
Property, plant & equipment written off		-	0.20	
Miscellaneous expenses		36.80	39.64	
Water charges		0.82	1.24	
Operation and maintenance expenses		4.32	14.50	
Service charges on land		15.59	15.59	
Rebate on sale of power		10.72	11.56	
Renewable energy development charges		6.00	5,29	
Total	-	1,087.11	889.53	

23.1 Rent includes municipal taxes of ₹103.07 lakhs (Previous year ₹103.07 lakhs) paid to lessor in terms of lease agreement.

23,2 Details of prior period expenses are as under :

Particulars	Year ended 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March, 2022 (₹ in lakhs)	
Insurance Expense *	0.00	y =	
Water Expenses	0.05	7.5	
GST Expenses	0.45	/=:	
Deployment lead expenses	0.27	0.69	
Books and Periodicals	(a)	0.06	
OPD Medical Reimbursement	0.12	1,00	
Total	0.89	0.7	

^{*} Amount is less than ₹ 1,000/-





24 Earnings per share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing profit/(Loss) after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

Particulars Particulars	Year ended 31st March, 2023	Year ended 31st March, 2022
a. Profit/(loss) after tax attributable to equity shareholders (₹ in lakhs)	(347.76)	602.21
b. Weighted average of number of equity shares used as denominator for calculating EPS (Nos.)	10,00,00,000	10,00,00,000
c. Basic/ Diluted Earnings per share (a/b) (₹)	(0.35)	0.60
d. Face value per equity share (₹)	10,00	10,00

Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):		
Particulars	As at 31st March, 2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March, 2022 (₹ in lakhs)
(i) Commitments Estimated amount of contracts remaining to be executed and not provided for: - consultancy contracts for project development activities - others	14,443.19 0,47	16,074,84
(ii) Contingent liabilities -Claim against the group not acknowledged as debts -Guarantees issued by the bank on behalf of the group	8	.e.

(iii) Taxation matters- Income tax matters under appeal/ rectification

a) Income tax matters under appeal by holding company

Assessment Year	Refund claimed (₹ in lakhs)	Refund received as per order (₹ in lakhs)	Balance refund withheld/ adjusted against demand (₹ in lakhs)	Demand Outsatnding (₹ in lakhs)	Reason for withheld	Status
2017-18	52.65	46.86	5,79	(4)	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 17.13 lakhs vide order dated 25.12.2019	Appeal has been filed with CIT on 06.01, 2020, date of hearing is awaited.
2018-19	49.72	32.25	17.47	(a:	AO u/s 143(3) has disallowed certain expense of ₹ 4.34 lakhs and made addition of income of ₹ 58.89 lakhs vide order dated 26,04,2021	Appeal has been filed with CIT on 13,05,2021, date of hearing is awaited
2021-22	0.21	7	0.21	67.18	AO u/s have passed the order after making of the twice addition and withheld of TDS Credit vide order dated 26 Dec 2022	Appeal has been filed with CIT on 12 01 2023, date of hearing is awaited
Total			23.47	67.18		

b) Income tax matters under appeal by subsidiary company

Assessment Year	Refund claimed (₹ in lakhs)	Demand issued (₹ in lakhs)	Balance refund withheld/ adjusted against demand (₹ in lakhs)	Reason for demand issued	Last order passed	Status
2017-18	116.38	37.02	116.38		u/s 143(3) dated 25th Dec 2019	Appeal filed u/s 246A with CIT(A) on 6th Jan 2020
2018-19*	0.00	100,10	0.00	Disallowance of claim of foreign tax credit and	u/s 143(1) dated 25th Jan 2021	Appeal filed u/s 246A against oder u/s 143(1) with CIT(A) on 17th Feb 2021 and against oder u/s 143(3) filed on 16th Sep 2021
2020-21*	0.00	10.16	0.00	others	u/s 143(1) dated 23rd Dec, 2021	Appeal filed u/s 246A against order u/s 143(1) with CIT(A) on 11th Jan, 2022. Order u/s 250 has been received from CIT(A) on dated 01.02.2023 where the appeal is partly allowed
2021-22	0.12	6,63	0,12		u/s 143(1) dated 24th August, 2022	Appeal filed u/s 246A against oder u/s 143(1) with CIT(A) on 09th September, 2022
Total		153.91	116.50			

^{*} For AY 2018-19 and 2020-21, refund claimed amount is less than ₹ 1,000/-

The group is contesting these demands and the management including its advisers are of the view that these demands may not be sustainable at the appellate level. The management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the group's financial position and results of operations. The group does not expect any reimbursement in respect of these contingent liabilities, and it is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of these matters, pending resolution of the appellant proceedings.





(iv) Legal Matters- The status of legal cases filed against the holding company with no financial implication as at 31st March, 2023 is as under:

Writ Petition No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
9282/2015	Subh Ram & Ors,	NICDC Ltd. & Ors.	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench. The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition, The said application has been allowed by the Hon'ble High Court. The counter affidavit has been submitted by NICDC in respect of the amended Writ Petition also. An application requesting change of name of Company from DMICDC to NICDC has been filed before the Hon'ble Court on 8th September, 2020. The last date of hearing was 05th December, 2022, Matter was listed to be heard on 04th May, 2023, but could not be taken up. The next hearing is still to be listed.
6649/2016	Irshad Mohd, Khan and Ors.	NICDC Ltd. & Ors.	Related to water pipeline laid down from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name on NICDC Ltd., from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition. The last date of hearing was 14th March, 2022 and the next hearing is still to be listed.

26 Disclosures as per Accounting Standard 15 (Revised 2005) on "Employee Benefits":

a) General description of various defined employee schemes are as under:

(i) Defined contribution plan

- Provident Fund (PF) The contribution towards the provident fund is deposited by the holding company with the Regional Provident Fund Commissioner. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss. However, the provisions of Provident Fund Act, 1952 are not applicable to the subsidiary company as the number of employees employed does not exceeds the threshold limit of 20 or more.
- National Pension Scheme (NPS)- The holding company has introduced NPS for its employees within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme. The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss.
- Post Superannuation Medical Benefits (PSMB)- The holding company has introduced PSMB for its employees and their eligible dependants within the overall limit of Post Retirement Benefit Scheme, The amount, so paid, is charged to the consolidated statement of profit and loss.

Contribution to defined contribution plan, recognised as expense for the year is as under:

Particulars	Year ended 31st March,2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March,2022 (₹ in lakhs)
Employer's contribution to provident fund	55,54	45.10
Employer's contribution to national pension scheme	38,69	31.38
Employer's contribution to post superannuation medical benefits	12,34	10,10

(ii) Defined benefit plans

Gratuity (unfunded)

The group has a defined benefit gratuity plan for its employees. Under the gratuity plan, every employee who has rendered continuous service of at least five years is entitled for gratuity on departure at 15 days of last drawn salary (basic salary and dearness allowance of holding company and basic salary for subsidiary company) for each completed year of service subject to a prescribed maximum limit of \$20 lakhs. The liability towards gratuity arises on superannuation, resignation, termination, disablement or death. The group's obligation in respect of the gratuity plan is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

Leave encashment (unfunded):

As per the holding company's policy, the employees are entitled to 30 leaves for each calendar year, out of which maximum of 10 leaves can be encashed during the year and balance leaves can be carried forward subject to maximum of 300 days. Accumulated leaves are encashable at the time of superannuation, resignation, termination, disablement or death, The Company's obligation in respect of leave encashment is recognized based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

As per the subsidiary company's policy, the employees are entitled to encash the unavailed leave subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years. Accordingly, the subsidiary company's obligation towards leave encashment is calculated on accrual basis considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leaves.





b) Other disclosures as required under AS-15 (Revised 2005) on Employee Benefits in respect of defined benefit plan are as under:

Gratuity (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss, the unfunded status and amounts recognized in the consolidated balance sheet for defined benefit plan.

Particulars -	As at 31st March,2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March,2022 (₹ in lakhs)
Employee benefit expense recognised in the consolidated statement of profit and loss		
Current service cost	15.67	14.66
Past service cost	7.7	
Interest cost on benefit obligation	5.44	4.04
Net actuarial (gain)/loss recognized in the year	(7.41)	3,04
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss	13,70	21.74
Amount recognized in the consolidated balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	89,63	77.77
Fair value of plan assets	14	22
Assets/(liability) recognized in the consolidated balance sheet	(89.63)	(77,77)
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	77.77	57.82
Current service cost	15,67	14.66
Past service cost	34	200
Interest cost	5.44	4.04
Benefits paid	(1.84)	(1,79)
Actuarial (gains)/losses on obligation	(7,41)	3,04
Defined benefit obligation at the end of the year	89.63	77,77
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	81.52	71.25
Current	8.11	6.52_
	89,63	77,77

The principal assumptions used in determining obligations:

Method used

Projected unit credit method

IALM 2012-14

Mortality table Withdrawal rate upto 30/ 40 years/above 44 years(%)

8,00% p.a. for holding and 14,28% p.a. for subsidiary

8.00% p.a. for holding and 14.28% p.a. for subsidiary

Discount rate (%)

7.50% p.a. for holding and 7.50% p.a. for subsidiary

7.00% p.a. for holding and 6.75% p.a. for subsidiary

Salary growth rate (%) Retirement age (No. of years) 6.00% p.a. 60 years

6.00% p.a. 60 years

Sensitivity analysis:

Particulars	As at 31st March,2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March,2022 (₹ in lakhs)
Impact of the change in discount rate		
Present value of obligation at the end of the year	89.63	77.77
a) Impact due to increase of 1%	(5.72)	(5.18)
b) Impact due to decrease of 1%	6.51	5.92
Impact of the change in salary growth		
Present value of obligation at the end of the year	89.63	77.77
a) Impact due to increase of 1%	5.27	4.87
b) Impact due to decrease of 1%	(4.55)	(4.19)

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material hence impact of change due to these have not been calculated.

Leave Encashment (unfunded)

The following tables summarize the components of net benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss, the funded/ unfunded status and amounts recognized in the consolidated balance sheet for defined benefit plan.

Particulars	As at 31st March,2023 {₹ in lakhs)	As at 31st March,2022 (₹ in lakhs)	
Employee benefit expense recognised in the consolidated statement of profit and loss			
Current service cost	16 12	55.24	
Past service cost	-	120	
Interest cost on benefit obligation	3.87	(a)	
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the year	5.90	(4)	
Employee benefit expense recognized in the consolidated statement of profit and loss	25.89	55.24	





Amount recognized in the consolidated balance sheet		
Present value of defined benefit obligation	75,09	55.24
Fair value of plan assets	•	₹ *
Assets/ (liability) recognized in the consolidated balance sheet	(75.09)	(55.24)
Changes in the present value of the defined benefit obligation		
Defined benefit obligation at the beginning of the year	55.24	170
Current service cost	16,12	55.24
Past service cost	-	(4)
Interest cost	3.87	(a)
Benefits paid	(6.04)	3.0
Actuarial (gains)/ losses on obligation	5.90	
Defined benefit obligation at the end of the year	75.09	55.24
Breakup of the defined benefit obligation		
Non-current	68,09	50.27
Current	7.00	4.97
	75.09	55.24

The liability towards leave encashment of subsidiary company is payable within a year and is calculated on accrual basis, as such the short-term provision of Rs 0,08 lakh (Previous year: Rs 0,07 lakh) was made at the year end and shown under note 9,

The principal assumptions used in determining obligations: Method used Mortality table Withdrawal rate per annum (%) Discount rate (%) Salary growth rate (%) Retirement age (No. of years)	Projected unit credit method IALM 2012-14 8.00% per annum 7.50% per annum 6.00% per annum 60 years	Projected unit credit method IALM 2012-14 8.00% p.a. 7.00% p.a. 6.00% p.a. 60 years
---	---	--

	As at	As at			
Particulars	31st March,2023	31st March,2022			
	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)			
Impact of the change in discount rate					
Present value of obligation at the end of the year	75.09	55,24			
a) Impact due to increase of 1%	(4.87)	(3.83)			
b) Impact due to decrease of 1% Impact of the change in salary growth	5.57	4,40			
Present value of obligation at the end of the year	75.09	55.24			
a) Impact due to increase of 1%	5.60	4.40			
b) Impact due to decrease of 1%	(4.98)	(3.89)			

Sensitivities due to mortality & withdrawals are not material hence impact of change due to these have not been calculated.

27 Segment reporting

Sensitivity analysis:

The group has identified two primary business segments viz. power generation and project development division. Segments have been identified and reported taking into account the nature of the services, the differing risks and returns, the organizational structure and internal business reporting system. Further, both the primary segments are operating in same geographical location within the country thus there is no secondary geographical segment.

- a. Revenue and expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment.
- b. Segment assets and segment liabilities represent assets and liabilities of respective segment.
- c. Information about primary business segments are as under:

Particulars Particulars	Power generation	Project development	Total	
	(₹ in lakhs)	(₹ in lakhs)	{₹ in lakhs)	
Revenue				
External revenue	643.21	1,313.10	1,956.31	
	(663.40)	(2,265.00)	(2.928.40)	
inter-segment revenue	Nil (Nil)	15,33 (17,55)	15,33 (17,55)	
Total revenue	643.21	1,328 43	1,971.64	
	(663.40)	(2,282.55)	(2,945.95)	
Add: Allocable other income	Nil (Nil)	Nil (Nin	Nil (Nil)	
Segment revenue	643.21	1,328.43	1,971.64	
	(663.40)	(2,282.55)	(2,945.95)	
Segment result (before depreciation and amortization)	484.71	-566.77	-82.06	
	(486.14)	(587.34)	(1,073.46)	
Profit/ (Loss[-]) before tax	358.99	-514.03	-255.05	
	(337.40)	(513.18)	(850.58)	
Tax expenses	95.98	0.06	96.04	
	(89.50)	(181.61)	(271.11)	
Deferred tax expenses/ (credit)	8.51	-9.08	-0.58	
	(8.91)	(-28.50)	(-19,59)	
Profit/ (Loss[-]) after tax	254.50	-605.01	-350.51	
	(238.99)	(360.07)	(599.06)	





Other Information

Particulars	Power generation (₹ in lakhs)	Project development (₹ in lakhs)	Total (₹ in lakhs)
	3,416.83	75,578.64	78,995.47
egment assets	(3,191.70)	(79,646,96)	(82,838.66)
Segment liabilities	531.46	2,217,73	2,749.19
	(560.82)	(2,601,47)	(3,162.29)
0 - 7-1	2.17	19.31	21.48
Capital expenditure	(8.35)	(23,17)	(31,52)
D	125,72	47.26	172.98
Depreciation and amortization	(148.74)	(74,16)	(222.90)
A1 1	1.10	39.79	40,89
Non cash expenses other than depreciation and amortization	(0.10)	(78.28)	(78.38)

Note: Figures in bracket () represents previous year's figures.

28 Additional Regulatory Information

- i The group has not granted any loans or advances to promoters, directors, KMPs and the related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.
- ii No proceedings have been initiated or pending against the group for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988.
- iii The group has not been declared wilful defaulter by any bank or financial intitutions or other lenders.
- by During the current year and the previous year, the group has not entered in any transactions with any company which has been struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 and does not have investment in securities, receivable or payable from struck off companies. Further, shares of the company are not held by any struck off company.
- v The group has complied with the number of layers prescribed under clause 87 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.

vi Ratios:-

Particulars	As at 31 March, 2023	As at 31 March, 2022	Variation	Reason (If variation is more than 25%)
Liquidity ratio (times)				
Current ratio (current assets divide by current liabilities)	7,57	7,13	6,17%	
Solvency ratios (times)				
Debt-equity ratio (Long term debt divide by total equity)	0.03	0.03	9.04%	
Debt service coverage ratio (Profit for the year + finance costs + depreciation and amortization expenses divide by principle repayments of long term borrowings + finance costs)	ø		8.	
Profitability ratios (%)				
Net Profit Ratio (Profit for the year divide by revenue from operations)	-28.67%	26.41%	-208.56%	
Return on Equity Ratio (Profit for the year divide by average shareholder's equity)	-0.45%	0.75%	-160.46%	Low revenue of holding company from Service fee due to less release of funds to project SPVs by
Return on Capital employed (Earning before interest and taxes divide by capital employed)	-0.33%	1.08%	-130.90%	NICDIT
Return on Investment ((Profit before tax + Finance Cost) * (1-tax rate) divide by total assets)	-0.23%	0.76%	-131 02%	





Utilization ratios (times)				
Trade Receivables turnover ratio (Revenue from operations divide by average trade receivables)	6.07	12.69	-52,20%	Low revenue of holding company from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT
Inventory turnover ratio (Revenue from operations divide by average inventory)	<u> </u>	8	-	
Trade payables turnover ratio (Total purchases divide by average trade payables)	1,03	1,97	47.72%	Low expenditure on Project Development Activities
Net capital turnover ratio (Revenue from operations divide by working capital)	0,09	0,15	-40.96%	Low revenue of holding company from Service fee due to less release of funds to project SPVs by NICDIT

- vii No scheme of arrangements has been approved by the competent authority in terms of Section 230 to 237 of the Companies Act, 2013 in respect of the group.
- viii The group is regular in disclosing income on timely basis and there is no undisclosed income assessed by tax officials. Further, the group does not have any transactions not recorded in the books of account that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- ix The group has neither traded nor invested in crypto currency or visual currency during the financial year,

29 Related party disclosures

In accordance with the requirements of Accounting Standard - 18 "Related party disclosure", the names of the related party where control/ ability to exercise significant influence exists, along with the aggregate amounts of transactions and year end balances with them, as identified and certified by the management are given below.

List of related parties and nature of relationship where control exists

Enterprises having significant influence/control over the group
 Japan Bank for International Co-operation (JBIC)

b Affiliates/ Associates

Housing and Urban Development Corporation Limited

c Key Management Personnel (KMP)

Shri Rajesh Kumar Singh, IAS, Nominee of Government of India (from 24th April 2023 till date)

Shri Anurag Jain, IAS, Nominee of Government of India (from 27th September 2021 to

Chairman

Chairman

Chairman

CEO and Managing Director

Shri Rajeev Singh Thakur (from 3rd November, 2022 till date)

CEO and Managing Director

Shri Amit Lal Meena (from 05th November 2021 to 20th October, 2022)

CEO and Managing Director

Shri Rajendra Ratnoo, IAS, Nominee of Government of India (till 24th February, 2023)

Director

Shri Kazushige Gobe, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (from 10th August

Director

Shri Rajeev Singh Thakur (from 5th August, 2022 till date)

Director

Shri Shailendra Singh (till 31st December, 2021)

Director

Shri Toshihiko Kurihara, Nominee of Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Director

Shri Muniappa Nagaraj, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)

Smt. Radha Roy, Nominee of Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)

(from 18th April 2022 till date)

Shri P,K Agarwal Chief Financial Officer

 Shri Abhishek Chaudhary
 VP-Corporate Affairs, HR and Company Secretary

 Sh. Ajay Sharma
 Director of subsidiary company

 Sh. Srikanth Kommu
 Director of subsidiary company

 Sh. Surya Prakash
 Company secretary of subsidiary company

d Enterprises over which KMP exercises significant influence

India International Convention and Exhibition Centre Ltd.





II The following transactions were carried out with related parties in the ordinary course of business:

Particulars	Year ended 31st March,2023 (₹ in lakhs)	Year ended 31st March,2022 (₹ in lakhs)
Salary/ remuneration* Shri P.K Agarwal Shri Abhishek Chaudhary	83.48 83.96	77,50 76.87
Laptop Advance		
Shri Abhishek Chaudhary	•	0,50
Recovery of Laptop Advance		
Shri Abhishek Chaudhary	0.12	0,03
Salary Advance		
Shri P.K Agarwal	7.01	248
Recovery of Salary Advance		
Shri P.K Agarwal	3,50	597
Apportionment of overheads		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	72,00	72.00
Service fee		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd,	500.00	500,00

^{*} As the liability for gratuity and leave encashment are provided for, on actuarial basis, for the hodling company as a whole, hence the amounts accrued pertaining to key managerial personnel are not included above.

The Directors of subsidiary company are the employees of holding company, hence no remuneration was paid to them in the capacity of key managerial personnel of the subsidiary company.

III Balance outstanding with related parties at the year end

Particulars	As at 31st March,2023 (₹ in lakhs)	As at 31st March,2022 (₹ in lakhs)
Trade receivables		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	267,50	132.50
Short-term loans and advances		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd.	6,48	6,36
Salary Advance Recoverable		
Shri P.K Agarwal	3,51	1
Laptop Advance Recoverable		
Shri Abhishek Chaudhary	0.35	0.47





30 Operating Lease

The group's significant leasing arrangements are in respect of operating lease relating to holding company's leased office premises at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi which has been taken on lease for an initial period of 10 years. The aggregate lease rent of ₹ 486.03 lakhs (Previous year: ₹ 486.03 lakhs) paid has been recognized in the consolidated statement of profit and loss and disclosed in note 23.

31 Corporate Social Responsibility (CSR)

- Travelling

As per section 135 of the Companies Act, 2013, Corporate Social Responsibility (CSR) committees have been constituted by the holding company. The amount of ₹ 18,04 lakhs (previous year. ₹18,58 lakhs) is payable towards CSR expenses based on average net profit (calculated as per section 198 of the Companies Act, 2013) of the preceding three financial years. The details of the amount spent/ pending to be spent during the year is as under:

-	Particulars	31st #	As at March,2023 in lakhs)	As at 31st March,2022 (₹ in lakhs)	
T	Gross amount required to be spent by the group Annual CSR allocation		18.04		18.58
	Brought forward from previous year (including unpaid liabilities)		10.04		10,00
	Gross amount required to be spent		18,04		18,58
II	Amount spent during the year				
	In cash		18.04		18,58
	Yet to be paid in cash				40.50
			18.04		18.58
Ш	Purposes on which CSR expenses has been spent Contribution to Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)		0.80		18.58
	Ambulance provided at Primary Heath Centre-Bhadiyad, Ahmedabad		17.24		10.00
	Ambiliance provided at a finitely field of the Britanyas, a mineral and				
			18.04		18 <u>.58</u>
IV	Reconciliation of CSR expense				
	Opening Shortfall/(Surplus)				112
	Add:- Amount required to be spent during the year		18.04		18.58
	Less:- Amount spent during the year		(18.04)		(18.58)
	Closing Shortfall/(Surplus)				
٧	Contribution to a trust controlled by the group has been made in relation to CSR expenditure, as per relevant accounting standard, $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + $		*		(4)
VI	Provision made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year	7	8		٠
No	contribution is payable by subsidiary company, since it is below the threshold limit				
2	Expenditure in Foreign Exchange				
	Particulars	31st l	As at March,2023	As at 31st March, 2022	

- 33 In the opinion of the management, the value of assets other than property, plant and equipment and intangible assets on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the consolidated balance sheet, Further, the provision for all known liabilities have been adequately made in the books of accounts
- 34 Balances appearing under trade receivables, loans & advances, trade payables and other parties etc. are subject to reconciliation/ confirmation. The impact, if any, subsequent to the confirmation/ reconciliation will be taken in the year of confirmation/ reconciliation, which in view of the management will not be material.
- 35 Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government of India, vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued Guidelines on Capital Department or investment & Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Government or India, vide Uni No. 3/22/16-Policy dated 27.03.20 to Issued Guidelines of Ceptar Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs), as per which, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions. The exemption to the group from above guidelines for the financial years 2017-18 to 2021-22 has been accorded by DIPAM. The group proposes to apply for obtaining the approval for exemption from the payment of minimum dividend for the FY 2022-23 subsequent to the approval and adoption of the Financial Statements of holding and subsidiary company and is confident for its receipt in view of earlier approval, hence, no provision towards payment of dividend has been made in the current financial year.
- 36 In terms of article 16 of the Memorandum of Understanding (MOU) executed amongst New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO), Government of Japan, Ministry of Finance, Government of India, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India and the holding company, PV modules, PCSs with related equipment, control servers for micro grid control, telecommunication systems and other ancillary equipments are provided by NEDO as grant-in-aid.

In terms of same article, during the implementation of project, the ownership of the equipments provided by NEDO shall belong to NEDO. Thereafter, on completion of the project and on transfer of ownership with all bonafide rights, these equipments are accounted at a nominal value of ₹ 1/- which is in accordance with the accounting standard-12 for Government Grants

(This space has been intentionally left blank)





(₹ in lakhs)

4.53

(₹ in lakhs)

37 Power purchase agreements

The subsidiary company has executed the following power purchase agreements (PPAs) for sale of power:

- (i) With NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN), New Delhi on 05.06,2015 for sale of solar power from 5 MW solar power plant for a period of 25 years at a tariff of ₹ 8.77/ kwh.
- (ii) With M/S Toyoda Gosei Minda India Private Limited (TGMIPL), a Company having their plant at Neemrana on 12,02,2020 for supply of power from 1MW solar power plant, for a period of 10 (Ten) years from the date of commencement of supply of solar power which may be extended for a further period of 10 (Ten) years as per mutual agreed terms and conditions. The Unit price of power supply shall remain fixed at ₹ 4,60 / kWh for a period of first 5 years from the date when the subsidiary company commences to supply solar power to TGMIPL. The power supply rate shall be revised upward at the beginning of sixth year at mutual agreed terms and conditions.

With reference to the PPA signed with TGMIPL for third party sale of solar power under Rajasthan Solar Energy Policy, 2019, the subsidiary company has registered itself with Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL), Rajasthan state government nodal agency. As a result, there is change in the power evacuation scheme from direct supply to supply through state grid of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL) to the power purchaser.

38 Additional information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as subsidiary.

Name of the Company	Net assets, i.e. total assets minus total liabilities		Share in profit/ loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in lakhs)	As % of consolidated profit/ loss	Amount (₹ in łakhs)
Parent National Industrial Corridor Development Corporation Limited	97,88	73,381,20	178.36	(620.22)
Wholly owned Indian subsidiary NICDC Neemrana Solar Power Limited	2.12	1,587.11	(78,36)	272,46

39 Previous year figures have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

As per our Report of even date attached

For S. P. Chopra & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000346N

(Ankur Goyal)

(Membership No. 099143)

UDIN: 23099143BGPMV4 4012

Date : 29th May,2023

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors of

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

(Sumita Dawra)
CEO & Managing Director
(DIN: 01005516)

(P.K. Agarwal) Chief Financial Officer Rajeev Singh Thakur) Director

(DIN: 02631653)

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affaire, HR
& Company Secretary



FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014) Statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries, associate companies and joint ventures as per the Companies Act, 2013

Part A : Subsidiaries

S.No.	Name of the Subsidiary	NICDC Neemrana Solar Power Limited
-1	The date since when subsidiary was acquired	18th March, 2014
2	Reporting period for the subsidiary concerned, if any different from the holding company's reporting period	Same as that of the holding company
3	Reporting Currency	(₹ in lakhs)
4	Share Capital	1,300.00
5	Reserves & surplus	1,585.37
6	Total Assets	3,416.83
7	Total Liabilities	531.46
8	Investments	Nil
9	Turnover	591.39
10	Profit / (Loss) before taxation	358.99
11	Provision for taxation	104.49
12	Profit / (Loss) after taxation	254.50
13	Proposed Dividend	Nil
14	% of shareholding	100%

Part B: Associates / Joint Ventures

1,	Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations	Nil
2.	Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year	Nil

For and on behalf of Board of Directors of

National Industrial Corridor Development Corporation Limited

CEO & Managing Director

(DIN: 01005516)

UDIN: 23099143BGPMVY 4012-

Place: New Delhi


Date: 29th May, 2023

Chief Financial Officer

(Rajeev Singh Thakur)

Director (DIN: 02631653)

VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary



NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316 8th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124, Connaught Place, New Delhi – 110001. Tel No.: 011-23317884-8, Fax: 011-23317889

Website: www.nicdc.in
Email: contactus@nicdc.in